राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का बत्तीसवां दिवस संख्या: 13

सोमवार,

03 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। राम राम। विराजिए।

प्रश्नकाल। श्री पूसाराम गोदारा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

रतनगढ़ पंचायत समिति में मनरेगा योजना में स्वीकृत कार्य

233. श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति रतनगढ़ में वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना में किन-किन ग्राम पंचायतों व जनप्रतिनिधियों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा कितने वार्षिक योजना में सम्मिलित किए गए? वार्षिक योजना में अनुमोदित कितनी सड़कें स्वीकृत हुईं व कितनी शेष हैं? प्रस्तावित एवं स्वीकृत ग्रेवल सड़कों का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत ग्रेवल सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) पंचायत समिति रतनगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 में सम्मिलित करने हेतु ग्राम पंचायतों से 10,118 व जनप्रतिनिधियों से 12 कुल 10,130 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। कुल प्राप्त 10,130 कार्यों के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं। प्राप्त प्रस्तावों की संख्या व अनुमोदित कार्यों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में अनुमोदित कुल 546 ग्रेवल सड़क कार्यों में से कुल 25 ग्रेवल सड़कों के कार्य स्वीकृत किए गए हैं एवं 521 कार्य शेष हैं। अनुमोदित व स्वीकृत ग्रेवल सड़कों की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति रतनगढ में वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 25 ग्रेवल सडकों कार्यों में से 15 ग्रेवल सड़कों के कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

कार्यों की ग्राम पंचायतवार, प्रारम्भ नहीं होने के कारणों सहित सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मंत्री जी का उत्तर आ चुका है। मेरी पंचायत समिति में 10130 कार्यों का अनुमोदन हुआ, जिनमें से 546 ग्रेवल सड़कें थी। इनमें से मात्र 25 ग्रेवल सड़कें मंजूर हुई हैं। 521 सड़कें मंजूर नहीं हुई। यह ग्रेवल सड़कों से जुड़ा हुआ मामला है। ग्रेवल सड़कें पंचायती राज के अधीन है। पिछले समय में जबरदस्त बरसात हुई। इसके कारण से 2008 और 2015-16 में बनी सड़कें सारी डेमेज हो गयी। रेनकट गिर गये। आज तक आवागमन के साधन नहीं हैं। लोग ढाणियों में नहीं जा सकते, गांवों में नहीं जा सकते, जबकि सड़कों की रिपेयर शुरू हो गयी। लेकिन यहां स्थिति यह है कि 25 स्वीकृत, उसमें से 15 चालू नहीं। हर ग्राम पंचायत में 10-10 ग्राम पंचायतों में सड़कों के प्रस्ताव दिए, लेकिन वे मंजूर नहीं हुए।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या सरकार इस गंभीर स्थिति में इन सड़कों को जो हमारी विधान सभा में 130 एम.एम. बारिश हुई, ये ओवरफ्लो, रेनफ्लो में आती है, फिर भी वहां कोई काम नहीं हुआ। इससे ज्यादा गंभीर स्थिति और क्या हो सकती है? क्या माननीय मंत्री महोदय बताना चाहेंगे कि ये सड़कें कब तक स्वीकृत हो जाएंगी? किस बेसिस पर शुरू होगी? हर ग्राम पंचायत में इन सारी सड़कों के प्रस्ताव दिए। इनका परीक्षण करवा कर शुरू कराने का और इन्हें आप स्वीकृत करने की सदन में घोषणा कीजिए। 521 में से कितनी सड़कें आप स्वीकृत कर सकते हैं और कब-कब कर सकते हैं? ये घोषणा कीजिए। 2024-25 की स्थिति बताइए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, पंचायत समिति रतनगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 में 10130 कार्य सड़कें, जो कार्य स्वीकृत जन-प्रतिनिधियों ने और 12 जो कार्य थे, उन्होंने जो दिए, इनमें से 10130 कार्य अनुमोदित किये गये हैं। अनुमोदित करने के बाद में खंड 2 में वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में, उसमें 546 कार्य में से 25 ग्रेवल सड़कें थीं, उन ग्रेवल सड़कों में से 12 में से 5 के काम चालू कर दिए और 6 कार्य शेष हैं। उनको भी हम जल्दी ही अनुमोदित करवाकर हाथों हाथ स्वीकृत करने की कार्यवाही करेंगे।

दूसरा निवेदन था कि आज की तारीख में महात्मा गांधी नरेगा योजना में जो हमारा उद्देश्य है कि आने वाले श्रमिकों को रोजगार देना। उस रोजगार के माध्यम से रतनगढ़ पंचायत समिति में जो 60:40 का रेशियो है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमने 5 कार्य स्वीकृत कर दिए और 6 कार्य विवादित होने के कारण हो नहीं सके, क्योंकि वहां कटानी

रास्ता नहीं है। कटानी रास्ता नहीं होने के कारण बार-बार ये समस्या आ रही है। इसके लिए हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख भी दिया है, ताकि जल्दी उसका रास्ता करके समाधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 2008 और 2015-16 में सड़कें स्वीकृत हुईं, उनमें से 521 सड़कें जो शेष हैं, उनमें आज भी आवागमन बाधित है। लोग खेतों में, ढाणियों में नहीं जा सकते, इससे गंभीर समस्या क्या हो सकती है? आप स्पष्ट करें कि इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करवाकर पंचायत समिति लेवल पर प्रस्तावित करके सी.ई.ओ., जिला परिषद, जिला कलक्टर के लेवल पर हम इतने टाइम में इनको स्वीकृत करके कार्य चालू करवा देंगे। मैं यह नहीं कहता, मनरेगा हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी द्वारा शुरू किया गया। लोगों को रोजगार दिया जावे और परिसंपत्तियां कायम की जाए। उसका उद्देश्य पूरा तभी हो सकता है जब ग्रेवल सड़कें बनें। खाली जोहड़े 10-10, 15-15 खोदने से उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आम आदमी को, जो पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, टैक्स का एक-एक रुपया, उसका लाभ भी मिलना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं कि 521 सड़कों में से आप कब तक ये सड़कें स्वीकृत करके प्रायोरिटी के आधार पर उनको चालू कर देंगे? ये बताने की कृपा करें।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि आपके तीन कार्य जो आरंभ हुए हैं, उनमें जाबलवास से जुगलपुरा, 3 किलोमीटर है, परसनेव से प्रेम नगर, ये भी तीन किलोमीटर है। आबसर रोड से केसरराम नायक तक, ये तीनों सड़कें स्वीकृत हो गयी और चालू भी हो गयी। दूसरे, 2 कार्य हैं, जो परसनेव से जोगनियां से बीकान, ये 6 किलोमीटर है, साबड़ी मीठी से लूच तक, ये दो काम हैं जो पेंडिंग हैं। दूसरे, जो 6 कार्य हैं, वह कटानी रास्ता नहीं होने के कारण, उसको जल्दी ही कलक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर कार्य को चालू किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र।

शहीद सैनिकों के परिवार कल्याण हेतु योजना

234. श्री राजेन्द्र (महवा): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शहीदों के परिवारों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं एवं उक्त योजनाओं के तहत प्रदेश में अब तक कितने शहीद परिवारों को क्या-क्या लाभ दिए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में शहीदों के आश्रितों के लिए राजकीय नियुक्ति हेतु क्या-क्या मानदण्ड व प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला दौसा में विगत पांच वर्षों में कौन-कौन से विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र महवा अथवा दौसा मुख्यालय पर CSD कैंटीन खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सैनिक मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बैटल कैज्युअल्टी (फेटल)/ऑपरेशनल कैजुअल्टी (फेटल) के आश्रितों के कल्याण हेतु योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है तथा उक्त योजनाओं के तहत सशस्त्र सेनाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैटल कैज्युअल्टी (फेटल)/ऑपरेशनल कैजुअल्टी (फेटल) के सैनिकों/कार्मिकों के परिवारों को दिए गए लाभों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सशस्त्र सेनाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैटल कैज्युअल्टी (फेटल)/ऑपरेशनल कैजुअल्टी (फेटल) के सैनिकों/कार्मिकों के आश्रितों के लिए राजकीय नियुक्ति हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(1)डीओपी/ए-।।/18 पार्ट दिनांक 09.09.2022 एवं अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 में प्रक्रिया एवं प्रावधान निर्धारित है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) जिला दौसा में विगत पांच वर्षो में सशस्त्र सेनाओं/केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बलों के वीरगति प्राप्त सैनिकों/कार्मिकों के नाम पर हुए विद्यालय नामकरण का विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। CSD कैंटीन की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाती है, जबकि इनकी स्थापना सेना मुख्यालय द्वारा की जाती है। वर्तमान में जिला दौसा में नॉर्म्स के मुताबिक पर्याप्त संख्या में भूतपूर्व सैनिक नहीं होने के कारण सेना मुख्यालय द्वारा यहां CSD कैंटीन की स्थापना किये जाने में असमर्थ है।

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं दो-तीन पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र के साथ दौसा जिले में देश की रक्षा के लिए बहुत-से सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। मेरे अकेले महवा विधान सभा क्षेत्र में अब तक करीब 30 सैनिकों ने देश के लिए बलिदान किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक तो ये मांग है कि सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की क्या सरकार मंशा रखती है? साथ ही, सी.एस.डी. कैंटीन खोलने पर भी सरकार विचार रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये इत्तला देना चाहता हूं कि सी.एस.डी. कैंटीन राज्य सरकार नहीं खोलती, भारत की सेना खोलती है। इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जिनके अन्दर उस क्षेत्र में पूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है, एक कैंटीन से दूसरी कैंटीन का फासला कितना है और वह आर्थिक रूप से

सफल हो सकता है या नहीं। ये सारी चीजें शामिल हैं। इसके ऊपर 2022 से पत्र लिखे गये हैं। महवा के अन्दर डिमांड रही है, लेकिन वहां पर 5,000 से कम पूर्व सैनिक हैं और 5,000 से ज्यादा की जरूरत है।

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय मंत्री महोदय से मेरा दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान की सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र खेड़ला बुजर्ग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मैंने डिमांड की थी कि शहीदों का सम्मान एक स्थान पर हो, उसके लिए सरकार ने दो बीघा जमीन का अलॉटमेंट भी कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस शहीद स्मारक का आप कब तक डवलपमेंट करा देंगे ताकि सभी शहीदों का एक साथ सम्मान हो सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की नीतिगत सुविधाएं जो बैटल कैज्युअल्टीज है, फैटल और इंजर्ड, उनके लिए नीतिगत निर्णय दिया गया है। उसके अन्दर कृषि भूमि का आवंटन भी है, आश्रितों को नौकरी भी है, विद्युत कनेक्शन है और नकद पैसा भी उसके अन्दर शामिल है। जहां तक बात रही एक सैनिक के सम्मान के लिए स्थान की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार अभी इस पर चिंता कर रही है, चर्चा कर रही है कि हर तहसील के अन्दर हम एक जगह नियुक्त करें जहां पर उस तहसील के जितने भी बलिदानी हैं, उन सबका नाम भी आ जाए और उन्हें एक जगह सम्मान दिया जा सके।

श्री राजेन्द्र (महवा): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो आपने स्कीम्स बताई हैं, जो शहीदों के लिए, उनके आश्रितों के लिए चल रही हैं, कितने प्रकरण पेंडिंग हैं जो शहीदों के परिवारों ने सरकार के अन्दर लगा रखे हैं, इन सुविधाओं के लिए, जो सुविधाएं आपने बताईं हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक ब्रॉडली इसके अन्दर, मोटे रूप से दो इसके अन्दर सुविधाएं थी, एक तो 01 अप्रैल, 1999 से पूर्व और 01 अप्रैल 1999 के बाद में। 01 अप्रैल 1999 से पूर्व नकद राशि 843 बलिदानियों को दी जा चुकी हैं। भूमि 1010 बलिदानियों को, उनके परिवारों को दी जा चुकी है। सम्मान भत्ता, जो नकद राशि की मैं बात कर रहा था, 574 को दी जा चुकी है। आश्रितों को नियोजन 386, कृषि विद्युत कनेक्शन 299, इस तरह से आगे और हैं। 1999 के बाद 629 को नकद राशि दी जा चुकी है।

Ans/rtm 11.10 1b 03.03.2025

भूमि 155 को दी जा चुकी है, आवास 69 को दिये जा चुके हैं और माता-पिता के लिए

फिक्स डिपोजिट है वह 573 को दिया जा चुका है। आश्रितों को नियोजन 369 को दिया जा चुका है। उनके अलावा और भी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं उसको मैं यहां नहीं कह रहा।

प्रश्न दौसा से सम्बन्धित था। पिछले पांच साल का प्रश्न था। पांच बलिदानियों को सम्मान दिया जा चुका है, सम्मान यानी कि किसी स्कूल या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का नामकरण करना। इसके अलावा पिछले पांच में दौसा के अन्दर पांच और केसेज हैं, स्कूल का नामकरण होना है और एक ऐसा केस है जिसमें मेडिकल इंस्टीट्यूशन का नाम होना है। यह केस दौसा के अन्दर पेंडिग है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने देने की बात कही वह तो आपका जवाब आ गया लेकिन मैंने तो यह पूछा है कि वंचित कितने हैं, एप्लीकेशन कितनी लगी हुई हैं जिनको अपन नहीं दे पा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: दौसा के वंचित बता दीजिए।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): हां, मैं वही कह रहा हूं, यह प्रश्न दौसा से सम्बन्धित था। मैं माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहता हूं। चूंकि यह प्रश्न दौसा से सम्बन्धित था तो दौसा में कितने वंचित हैं उनका मैंने विवरण दे दिया है। पूरे राजस्थान में कितने वंचित हैं वह मैं अलग से और बता सकता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, खण्ड अ और ब दोनों ही प्रदेश को लेकर है।

श्री अध्यक्ष: लेकिन वह नियुक्ति तक है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नियुक्ति ही पूछ रहा हूं। मंत्री जी, मेरा सीधा सा यह आग्रह है कि ऐसे कितने शहीदों के परिवार है जिनके प्रकरण पेंडिग है, उनको जल्दी से निपटाने का आश्वास दे दीजिए आप, क्वेश्चन यही है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): निश्चित रूप से, हमारे विभाग के अन्दर सैनिक कल्याण, नाम ही उसका यह है कि कोई भी केस पेंडिग हो, परिवार के ऊपर कष्ट ना हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी से जल्दी करवा देना।

प्रश्न संख्या 235

अगला प्रश्न। श्री रेवतराम डांगा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री भागचंद टांकडा।

बांदीकुई में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत स्वीकृत कार्य

236. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं सम्बल ग्राम विकास

योजना के तहत् माह जनवरी, 2019 से वर्ष 2024 तक किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? पंचायतवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य जो प्रारम्भ नहीं हुए हैं या अपूर्ण हैं, को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जनवरी 2019 से 2024 तक स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति राशि, पंचायतवार एवं वर्ष वार सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई मे जनवरी 2019 से 2024 तक कोई स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई मे उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कोई भी कार्य अप्रारम्भ एवं अपूर्ण नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में राजस्थान में कुल कितने ग्राम चयनित किये गये हैं, उनमे से दौसा ज़िले के एवं बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम शामिल है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 500 या उससे अधिक आबादी के ऐसे गांव जिनमें 40 प्रतिशत या उससे अधिक गांव जो एस सी कम्युनिटी के हैं उनमें भारत सरकार की, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कुल चयनित ग्राम 2009 हैं। दौसा ज़िले में कुल चयनित ग्राम 97 हैं। आपकी विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल चयनित ग्राम 18 हैं। इसी तरह से सम्बल ग्राम विकास योजना, यह राज्य सरकार की योजना है जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक एस सी वर्ग के राजस्थान के कुल चयनित ग्राम में 4948, दौसा ज़िले में कुल चयनित ग्राम है 158 और विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल चयनित ग्राम 25 हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): इस योजना में दौसा ज़िले हेतु कितनी राशि आवंटित हुई एवं कुल कितनी राशि व्यय हुई?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में दौसा ज़िले में आज दिनांक 1256.60 लाख रुपये आवंटित हुये, जिनमें 1107.39 रुपये के यू.सी. सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अनिल कुमार कटारा।

स्वच्छ परियोजना अंतर्गत संचालित मां-बाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं

237. श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्वच्छ परियोजना अन्तर्गत संचालित मां बाड़ी केंन्द्रों में बच्चों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं? उक्त सुविधाओं पर विगत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? सुविधा एवं व्यय का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) वर्ष 2023-24 में समस्त मां बाड़ी केंन्द्रों पर कौन-कौनसी सामग्री, किस प्रक्रिया के तहत, कहां से क्रय कर केंन्द्रों पर पहुंचाई गयी? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2024-25 में सभी मां बाड़ी केंन्द्रों पर माह अक्टूबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 के मध्य पोषाहार व अल्पाहार सामग्री का वितरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त के लिए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) मां-बाडी केन्द्रों पर पठन-पाठन, सुपोषण, बालकों में सहभागिता का भाव उत्पन्न करना, मानसिक एवं बौद्धिक विकास मां-बाडी/डे-केयर के मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निम्न गतिविधियां संचालित है:

1. गणवेश उपलब्ध कराना।
2. स्टेशनरी सामग्री उपलबध कराना।
3. मां-बाडी केन्द्र पर सुबह काम नाश्ता एवं दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना।
4. डे-केयर केन्द्र पर सुबह का नाश्ता दोपहर एवं सायं का भोजन उपलब्ध कराना।

उक्त केन्द्रों में उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधा एवं व्यय का वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2023-24 में समस्त मां बाड़ी केंन्द्रों पर सामग्री क्रय संबंधित प्रक्रिया एवं जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) मां-बाडी केन्द्रों पर बच्चों को दिये जाने वाले पोषाहार की आपूर्ति हेतु निदेशालय, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर द्वारा टेण्डर अवधि पूर्ण होने से पूर्व नवम्बर, 2024 से पोषाहार सामग्री दो माह के लिए सप्लाई हेतु दिनांक 11.11.2024 परिशिष्ट-स के द्वारा आदेश जारी कर दिये गये थे। जिसकी पालना में जिला कलक्टर डूंगरपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पत्र क्रमांक 41-44 एवं 45-48 दिनांक 10.01.2025 (परिशिष्ट-द) को आदेश जारी कर खाद्यान्न सामग्री का वितरण मां-बाडी व डे-केयर कन्द्रों पर करवाया गया। इस कार्य बाबत स्वच्छ परियोजना द्वारा नवीन निविदा प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी है जो प्रकियाधीन है। डूंगरपुर क्षेत्र की मां-बाडी व डे-केयर केन्द्रों पर अक्टूबर 2024 में पोषाहार सामग्री दो माह के लिए सप्लाई की गई थी। इसी बीच दीपावली व शीतकालीन अवकाश होने से सामग्री दिसम्बर, 2024 के अन्तिम सप्ताह व जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चली। वर्तमान में समस्त

मां-बाडी व डे-केयर में पोषाहार सामग्री उपलबध है। दिसम्बर, 2024 व जनवरी, 2025 में कुछ मां-बाडी पर कुछ दिनों के लिए व्यवस्था में व्यवधान आया। इसका कारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा समय पर क्रय आदेश जारी नहीं करना पाया गया। इस कार्य में अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भविष्य में इस प्रकार की समस्या नहीं हो, इस बाबत प्रत्येक मां-बाडी केन्द्रों को एक बार में 5,000 रुपये हजार तक की राशन सामग्री स्वयं के स्तर से क्रय करने के आदेश प्रसारित किये गये है। (परिशिष्ट-य)

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। इसका उत्तर मंत्री महोदय के द्वारा काफी आ गया है। इसमें मेहनत लगी है।

श्री अध्यक्ष: दो बातें हैं, उत्तर आ गया है तो पूरक प्रश्न पूछें। उत्तर काफी नहीं है, या तो उत्तर आ गया या नहीं आया।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): मैं इस सम्बन्ध में पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि मां-बाड़ी केन्द्र/डे-केयर सामग्री को लेकर मैंने जो प्रश्न पूछा था, नियमानुसार सुविधा उपलब्ध हो रही है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): डे-केयर पर आपने पूछा है, निश्चित रूप से डे-केयर पर जो सुविधा है उनकी सामग्री पहुंच रही है।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई जगह मां-बाड़ी का विजिट किया था, उसमें पाया गया कि सामग्री समय पर नहीं पहुंच रही है। स्टेशनरी भी नहीं पहुंच रही है। वहां टेंडर प्रक्रिया हुई उसमें भी काफी घोटाला दिख रहा है। आदिवासी बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। सारी मां-बाड़ियों की हालत वहां गंभीर है और काग़ज़ों में चल रही है। शिक्षा कर्मी भी मजबूर है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रश्न क्या है?

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): मैं आपका जवाब ही तो दे रहा हूं मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब मत दो। प्रश्न पूछो, इनसे जो पूछना है।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): मेरा कहना है कि वहां जो गड़बड़िया चल रही है उनकी आप जांच करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते? वहां के अधिकारी-कर्मचारी हैं और जिन लोगों को ठेका दिया है, उसके लिए आप जांच करने की मंशा रखते हो या नहीं? मुझे इसका जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्ष: हां, यह प्रश्न है। माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, खाद्य सामग्री और गणवेश के लिए। खाद्य सामग्री मां-बाड़ी केन्द्रों व डे-केयर सेंटर पर खाद्य सामग्री आपूर्ति

सम्बन्धी निविदा की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त आयुक्त, निदेशक, स्वच्छ परियोजना, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 11.11.2024 द्वारा उपापन कमेटी का गठन कर विभागीय अधिकारियों को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार से मां-बाड़ी एवं डे-केयर केन्द्रों से दो माह हेतु खाद्य सामग्री क्रय कर आपूर्ति हेतु लिखा गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष सम्बन्धित जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया। परियोजना अधिकारी स्वच्छ डूंगरपुर द्वारा अपने पत्र 06.12.2024 द्वारा जिला कलेक्टर डूंगरपुर को उक्त केन्द्रों हेतु खाद्य सामग्री क्रय करने हेतु उपापन समिति की बैठक हेतु आवेदन किया। जिला स्तरीय उपापन समिति द्वारा 09.01.2025 को उपभोक्ता भंडार को दरों का अनुमोदन किया जाकर दिनांक 10.1.2025 को मां-बाड़ी/डे-केयर केन्द्रों हेतु खाद्य सामग्री आपूर्ति हेतु महाप्रबंधक थोक भंडार, उपभोक्ता भंडार डूंगरपुर को कार्यादेश जारी किया गया। मां-बाड़ी/डे-केयर सेंटर्स पर आपूर्ति की गई, वर्तमान में केन्द्रों में खाद्य सामग्री उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय जी, आपका एक कहना है कि समय पर नहीं पहुंचती है, क्या कार्यवाही करेंगे। यह सही है कि बीच में शीतकालीन अवकाश था, दो महीने की खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है, मैंने वह तारीख बता दी। उसके बाद...

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): मंत्री जी...

श्री अध्यक्ष: इनका उत्तर सुन लो उसके बाद। वैसे दो पूरक पूछ लिये, एक और दे दूंगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): यह बात सही है कि कुछ दिनों की सामग्री नहीं पहुंची। हमारे विभाग की जानकारी में आने के बाद हमने तुरंत जांच के आदेश दिये और जहां भी कमी रही उनको नोटिस भी जारी किया और उन पर जो भी उचित कार्यवाही होगी वह जांच के बाद करेंगे।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): माननीय मंत्री महोदय, साल भर हो गया इस मामले को। कई ऐसी मां-बाड़ियां हैं वास्तव में वहां सामग्री नहीं पहुंच रही है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप जिम्मेदार पद पर है। ग्राउण्ड लेवल पर क्या चल रहा है, आप उसकी जानकारी रखे। मेरा सवाल यह था कि आप इस सम्बन्ध में इन अधिकारियों- कर्मचारियों, ठेकेदारों पर जांच करने की मंशा रखते हैं या नहीं? मेरा सवाल यह है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, उपभोक्ता भंडार सहकारिता विभाग में आता है। हमने जांच की और जांच करने के बाद, कार्यवाही इनको नहीं उनको लिखेंगे, लेकिन हमारे अधिकारियों को जो करना था, हमने नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे यह पहले बता चुका।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): मंत्री जी, आप साल भर से कार्यवाही कर रहे हो उसका सही जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, तीन प्रश्न हो गये।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। उनको जो उत्तर देना है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य यही चाह रहा है कि एक साल हो गया और आपने कहा कि हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने कार्यवाही कर दी, तो क्या सरकार का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा नहीं है? यहां जो सामग्री जा रही है इसकी जांच किस प्रकार से करते हैं? आपका कोई औचक निरीक्षण या इस प्रकार का कोई है तो आप फ़ार्मूला बताइये। सिर्फ नोटिस देने से काम नहीं चलने वाला। उस पर सख्त कार्यवाही हो। ऐसे लोग सस्पेंड होने चाहिए।

VPS-RTM-03.03.2025-11.20-1c

इस पर आप क्या कार्यवाही करना चाहेंगे, यह बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): देखिये, अध्यक्ष महोदयजी, नेता प्रतिपक्षजी, पांच तारीख प्रत्येक महीने की, हमारा जो स्वयंसेवक है वह यह सूचना देता है कि हमारे यहां पर इतने समय तक की सामग्री बची हुई है, इतने समय तक यह-यह सामग्री आ जानी चाहिए तो उसके बाद में विभाग उसके अनुसार उनको सामग्री पहुंचाता है। अब आपने यह कहा कि इतना समय हो गया। समय तो सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के बाद में, हमने सितम्बर में तो पहुंचा दिया था। अक्टूबर, नवम्बर की उनके पास सामग्री थी। नवम्बर और दिसम्बर का, दो महीने का सामान ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अबकी बार प्रश्न लाओ न, आपका भी आ जायेगा। वैसे यह परंपरा नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बीच में छुट्टियां थीं, उसका सामान भी बचा हुआ था और अब आपने यह कहा कि कार्यवाही क्या करेंगे? हमने नोटिस दिया है, उसकी जांच करवाएंगे और जांच के बाद में जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिये। अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह रावत।

टोगी ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

238. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत टोगी के ग्राम नन्दावट में स्थित सरकारी व चरागाह भूमि पर कहां-कहां व किन-किन के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) ग्राम पंचायत टोगी के ग्राम नन्दावट में स्थित सरकारी व चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ में अंकित है।

मौके पर हुए पक्के मकान/दुकान निर्माण को हटाये जाने हेतु कार्यालय तहसीलदार, भीम के आदेश दिनांक 21.02.2025 के द्वारा राजस्व टीम का गठन किया जाकर अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही हेतु दिनांक 20.03.2025 नियत की गयी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड (1) ग्राम पंचायत टोगी ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ चुका है तो फिर पूरक प्रश्न पूछो। वे यह कह रहे हैं कि जवाब आ चुका है तो आप पूरक प्रश्न पूछो। आप विराजो। यह तो सदस्य पर है कि यदि वह यह कहता है कि उत्तर आ गया तो वह सीधा पूरक प्रश्न पूछेगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि विभाग द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह केवल गोलमाल उत्तर दिया है। ...(व्यवधान)... आगे आप सुनिये। गोलमाल जवाब देकर जिसने सभी अतिक्रमणकारियों को बचाने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अतिक्रमण करने वाले और कोई नहीं है, पूर्व हमारे विधायक +++ उनके द्वारा खुद की जमीन खसरा नम्बर 835 ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नाम नहीं ले सकते। नाम नहीं आना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): जी। पूर्व विधायक ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपके दो हो गये, तीसरा कोई होगा। ...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): हां, कांग्रेस के पूर्व विधायक। now, are you satisfied?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां।

श्री अध्यक्ष: जो प्रश्न पूछना है, वह आप पूछो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उन्होंने अपनी जमीन में से साढ़े चार बीघा जमीन बेची और तरमीम करवा दी स्कूल ग्राउंड में। जिसको बेची उसका नाम है देवेन्द्र जैन पुत्र लादूलाल जैन, लादूलाल पुत्र गैरीलाल जैन, कमला देवी पत्नी लादूलाल जैन, जो इन्होंने यह रिकार्ड में ही नहीं लिया। जब मैंने यह रिप्लाई देखा तो यह इसमें नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे? इसमें आप कार्यवाही करिये और जो इन्होंने जो असत्य, आपको जो जवाब दिया है, उन अधिकारियों पर भी आप कार्यवाही करिये और इसके साथ-साथ ही दूसरी जो खसरा नम्बर 816 किस्म- बिलानाम, कुल 21 बीघा जमीन जिसमें से श्रीनाथ होटल का पक्का निर्माण किया हुआ है, वह भी आपको इस रिकार्ड में नहीं बताया गया है तो यह भी एक जांच का विषय है और इसी प्रकार कोर्ट के सामने 1817 खसरा

नम्बर भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर दुकान बनायी गयी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की भूमि, खसरा नम्बर 872 पर स्थित थी, जिस पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पर आओ।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उक्त जमीन से आप अतिक्रमण हटाने का विचार रखते हैं? उसके साथ-साथ ही जिन्होंने यह गलत जवाब दिया है, उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं? आप स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत टोगी के ग्राम नन्दावट में सरकारी भूमि व चरागाह भूमि पर कुल 23 कब्जाधारक हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है और वहां पर पक्के निर्माण भी कर रखे हैं। माननीय विधायक महोदय ने जो बताया है, इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच कराएंगे और जो पक्के निर्माण हैं उनको किस प्रकार नियमानुसार किस तरीके से इसका निस्तारण करेंगे, वह काम भी करेंगे। साथ में ही आपने जो कहा है कि इसमें जानकारी विभाग द्वारा सही नहीं दी गयी है, परंतु मैं आपको यह बता देता हूं कि इस अतिक्रमण के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके हैं। मौके पर हुए पक्के निर्माण, दुकान निर्माण को हटाने हेतु कार्यालय तहसीलदार भीम के आदेश 21.02.2025 के द्वारा राजस्व टीम का गठन किया जाकर अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक 20 मार्च, 2025 को नियत की गयी है और इसमें राजस्व टीम का जो गठन किया है उसमें नायब तहसीलदार, भीम, भू-अभिलेख निरीक्षक, भीम, बरार और पटवारी हल्का टोगी, भीम, कालादेह, बली, समेलिया, बग्गड़, गोदाजी का गांव, इन सबकी एक टीम बनकर इसको 20 मार्च, 2025 को हटाने की कार्यवाही नियत की गयी है और भी माननीय विधायक महोदय ने जो बताया है, इस मामले में पूरी जांच करके जो भी विधि-सम्मत काम होगा, वह किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया? और कोई पूछना है?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन्होंने 23.03.2025 की समयावधि दी है, उसमें यह पूरे अतिक्रमणकारी हाईकोर्ट में जाकर स्टे ले लेंगे तो मैं यह चाहता हूं कि इससे पहले ही कोई कार्यवाही करें अदरवाइज तो यह वहीं के वहीं रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। 23.03.2025 जो डेट दी है, फिर उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख तो निर्धारित हो गयी

है। 20.03.2025 निर्धारित हो गयी है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। आपके ध्यान में आ गया। इन्होंने भी यह कह दिया कि करेंगे। अगला प्रश्न। श्री हरलाल सहारण।

चूरू में संचालित सहकारी समितियों के भवन व गोदाम

239. श्री हरलाल सहारण (चूरू): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में विगत पांच वर्षों में कितनी सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित कितनी सहकारी समितियों के भवन व गोदाम विद्यमान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चूरू में विगत पांच वर्षों में कितनी सहकारी समितियों के भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गईं? उक्त में से कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में विगत पांच वर्षों में 11 सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की गई है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चूरू में संचालित 26 सहकारी समितियों के भवन व गोदाम विद्यमान हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र चूरू में विगत पांच वर्षों में 01 सहकारी समिति (नाकरासर ग्राम सेवा सहकारी समिति) में भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें गोदाम निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चूरू में पिछले पांच वर्षों से एक भी प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या चूरू तहसील में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति गठित करना चाहते हैं? यदि हां तो कब तक एवं नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में एक भी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया था तो यह बात सही है। हमारी सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहित किया है/प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात हमने पूरे राजस्थान में एक हजार से

भी अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन हम कर चुके हैं और माननीय सदस्य से मैं यह आग्रह करूंगा कि आपके विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसी कोई समितियों के प्रस्ताव हो तो उनका परीक्षण कर शीघ्र ही उन समितियों का गठन कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः चूरू में भी करवा दें।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): एक हजार खोल दी तो चूरू में भी करवा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चूरू में पिछले साठ साल पहले क्रय-विक्रय का एक भवन बना हुआ था, वह जर्जर अवस्था में है, वहां पर बैठने की जगह नहीं है, गोदाम टूटा हुआ है इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि मेरे भवन के पचास लाख रुपये देने की आप कृपा करें और साथ ही साथ इस भवन को कृषि मंडी में करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछो। यह बात तो आप डिमांड्स पर बोल देना।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): यह मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस साल की बजट घोषणा में, 2025-26 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 नये गोदाम, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदाम स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ-साथ ऐसे गोदाम/भवन जो जीर्णशीर्ण हो चुके हैं, उनके पुनर्निर्माण पर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है। ऐसे नाकारा 100 गोदामों के पुनर्निर्माण की घोषणा की गयी है। माननीय सदस्य को मैं यह अवगत करवाना चाहूंगा कि आपके विधान सभा क्षेत्र से भी ऐसा कोई प्रस्ताव अगर प्राप्त होता है तो प्रावधानों के अंतर्गत नवीन गोदाम/भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र बुडानियां।

तारानगर में विद्युत सुधार हेतु आवंटित राशि

240. श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में विगत तीन वर्षों में विद्युत सुधार हेतु कितनी राशि, कब-कब आवंटित की गई तथा उक्त राशि से कौन-कौन से कार्यों पर, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में गत तीन वर्षों में विद्युत वितरण तंत्र में सुधार हेतु अधिक भार वाले 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभाजन करना, कृषि व अकृषि फीडरों का पृथक्कीकरण, नये ट्रांसफार्मर की स्थापना करना एवं टेड़े-मेड़े व क्षतिग्रस्त पोलों को सही करना या नये पोल लगाना इत्यादि कार्यों के लिए आवंटित राशि एवं कार्यवार व्यय राशि का वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-'अ' पर

उपलब्ध है।

प्रसारण तन्त्र के अन्तर्गत 132 केवी द्विपथीय चैनपुरा छोटा-तारानगर लाइन (40 किमी.) के निर्माण, 132 केवी जीएसएस तारानगर पर 132 केवी की दो बे के निर्माण एवं 132 केवी तारानगर-सादुलपुर लाइन की एक बे के संशोधन कार्य हेतु स्वीकृत राशि एवं कार्यवार व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं। राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ4(32)ऊर्जा/2017 जयपुर, दिनांक 15.03.2018 के द्वारा 90,000 विद्युत उपभोक्ताओं पर नवीन अधिशाषी अभियंता कार्यालय सृजन किए जाने हेतु मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। तारानगर के अंतर्गत तारानगर शहर व साहवा उपखण्ड कार्यालय है जिनमें वर्तमान में नियमित उपभोक्ताओं की संख्या कुल 54703 है। अतः वर्तमान में तारानगर में नवीन अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोला जाना उपरोक्त मापदंड के अनुरूप साध्य नहीं हैं।

ssy/rtm/03.03.2025/11.30/1d

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सर, मेरे पास जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): मैंने बहुत स्पष्ट पूछा है कि तारानगर विधान सभा क्षेत्र में 3 वर्षों में कितने सुधार तंत्र पर और वितरण तंत्र पर पैसा खर्च हुआ है? आपने बिलकुल गोलमाल जवाब दिया है। पैसा खर्च हुआ नहीं है। जो आवंटित राशि है उसमें से इन 3 वर्षों में आपने मात्र थोड़ी सी राशि खर्च की है 269 लाख रुपये और एक में की है 43 लाख रुपये। सारे काम निर्माणाधीन, प्रगति पर, कार्यादेश जारी कर दिये हैं, सिर्फ आपका यह जवाब आया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पैसा स्वीकृत है, वह काम कब तक पूरे कर दिये जायेंगे? यह व्यय कब तक पूरा कर दिया जायेगा? यह स्पष्ट मैं जानना चाहता हूं। मेरा जो प्रश्न है वह तारानगर विधान सभा क्षेत्र के लिए है। आपने जवाब दिया है सिर्फ तारानगर तहसील के लिए। तारानगर तहसील में 2 ए.ईन. ऑफिस हैं, एक तारानगर में है और एक साहवा में है। लेकिन तारानगर विधान सभा क्षेत्र में 9 ग्राम पंचायतें हैं जो भानीपुरा तहसील की हैं और 15 पंचायतें हैं जो राजगढ़ तहसील की हैं। वह भी तारानगर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ही आती हैं, लेकिन उनके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ तहसील का जवाब दिया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि भानीपुरा तहसील की 9 ग्राम पंचायतें हैं, जो विद्युत सुधार के लिए, वोल्टेज के कारण जो आंदोलित हैं, जो परेशान हैं, उनके सम्बन्ध में आप क्या विचार कर रहे हैं? आपकी क्या योजना है कि यहां के लोगों को सही वोल्टेज प्राप्त हो और उनको सही बिजली मिले?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो तारानगर विधान सभा में व्यय के बारे में जानकारी चाही है, उसमें तारानगर की भी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है, जो परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उसके अलावा भी आपके क्षेत्र में जो काम प्रगतिरत हैं, उनमें वोल्टेज को ठीक करना, नये जीएसएस बनाना, यह सब काम आरडीएसएस के तहत प्रगतिरत है। जिसमें 193 करोड़ का बजट आवंटित था, 60 करोड़ उसमें व्यय किये जा चुके हैं। 36 परसेंट प्रगति हो चुकी है। 7 जीएसएस बनने थे जिसमें से 4 बना दिये गये हैं। 3 जीएसएस अभी पैंडिंग हैं। जो प्रगतिरत हैं। यह पूरा विवरण आपको आप चाहे तो आपकी विधान सभा में क्या-क्या काम पैंडिंग हैं, मेरे पास आप आयेंगे तो मेरे कक्ष में आपको सारी जानकारी भी उपलब्ध करा दूंगा और आरडीएसएस का काम प्रगतिरत है।

पहले इसका सही से सर्वे नहीं हुआ था। आपके समय का आवंटित काम है। उस सर्वे में सही फीडरों की जानकारी नहीं थी। हमने आने के बाद वह सही सर्वे करवाया। फीडरों की जानकारी की। अब उसमें प्रगति आ रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में और प्रगति आयेगी जिससे वोल्टेज हमारे फीडर सेग्रीगेशन होंगे, वोल्टेज भी इम्प्रूव होगा और डबल फीडर में जो जीएसएस पर लाइट देने का किसानों के लिए जो वादा किया है, वह भी पूरा होगा। ताकि हमारे किसानों को दिन में बिजली भी मिले और वोल्टेज भी सही मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। मैंने पूछा कुछ है और मंत्री जी जवाब कुछ दे रहे हैं। गोलमाल जवाब दे रहे हैं। घुमाकर जवाब दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से यह प्रश्न आया है। मैंने सीधा सा पूछा है कि मेरी भानीपुरा की जो 9 ग्राम पंचायतें हैं, जिसका जवाब इसमें नहीं आया है। आप आरडीएसएस का अलग से हवाला दे रहे हैं। आपने 3 साल में, 2023-24 में 2808 लाख रुपये स्वीकृत हैं और खर्च किये हैं आपने मात्र 46 लाख रुपये।

आपके 2023-24 में 132 केवी जीएसएस तारानगर पर 269 लाख रुपये स्वीकृत हैं और खर्च जीरो है। आपका खर्चा इसमें जीरो है। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तारानगर की वह 9 ग्राम पंचायतें जो भानीपुरा में लगती हैं, वह आंदोलित हैं। वहां प्रसारण तंत्र बिगड़ा हुआ है। वोल्टेज है नहीं, लोग गांव-गांव में जीएसएस पर ताला लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि तारानगर की उन 9 पंचायतों में जीएसएस बिल्लूबास, जीएसएस मेरासर, जीएसएस जैतसीसर, जीएसएस पिचकराई ताल, इनमें वोल्टेज नहीं रहता है। लाइनें बहुत लंबी हैं, बहुत पुरानी हैं। क्या इन

जीएसएस में वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप नया ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप जो वोल्टेज के बारे में 132 की जो समस्या है, उसके लिए 2023-24 में आवंटन हुआ 2808 लाख का जिसमें से व्यय हुआ 46 लाख रुपये। अभी यह प्रगतिरत है। यह जो भी हमारे समय में प्रगति आई है वह 2024-25 में 46 लाख आई है और इसका 2023-24 में आपके समय में जीरो था। आप एक जीएसएस 132 तारानगर के व्यय के निर्माण के लिए भी 259 लाख का जो आवंटन हुआ था, उसमें भी 2023-24 में आपके समय में कोई काम नहीं हुआ। विद्युत सिविल कार्य हेतु 8.11.2024 एवं 27.11.2024 को कार्यादेश दिये जा चुके हैं। वर्तमान में सिविल कार्य चल रहा है। सिविल कार्य जैसे ही पूरा होगा तो यह काम भी प्रगतिरत होगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 132 के जब हमारे यह कंपलीट होंगे तो निश्चित रूप से आपके जो वोल्टेज की समस्या है, उसका इम्प्रूवमेंट भी होगा। इसी तरह से तारानगर में सादुलपुर लाइन पर भी 132 केवी के जीएसएस का कार्य प्रगतिरत है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने 9 पंचायतों के लिए पूछा है। उस पर बोल नहीं रहे मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय गोपाल लाल शर्मा।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अब यह तो उत्तर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: 2 पूरक प्रश्न आ गये। उत्तर उन्होंने दे दिया, नहीं है तो आप चैम्बर में मिल लो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): चैम्बर के लिए क्वेश्चन नहीं लगाया जाता साहब।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): प्रश्न संख्या 241 ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जो कह देते हैं कि मेरे चैम्बर में आ जाना, मैं कर दूंगा अभी। इतने सीनियर एमएलए हैं। कितनी बार के तो सांसद हैं। मेरा सीधा सा आग्रह है माननीय मंत्री जी, जो काम हमारे समय में सैंक्शन हुआ, कोई बात नहीं उसमें काम समय पर नहीं हुआ। मैं सीधा सा पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट रुकें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिन लोगों की वजह से डिले हुआ, उन पर आप कार्यवाही करना चाहते हैं? नंबर एक। नंबर दो, जिन लोगों ने गलत जवाब दिया, उन अधिकारियों पर आप कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं क्या? इन दो चीजों का जवाब दिलवा दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह प्रश्न श्रीमान् के सामने है और उत्तर भी

श्रीमान् के सामने है। जो प्रश्न पूछा है उसका एज इट इज बराबर उत्तर दिया गया है। अब कौनसा गलत सवाल हुआ? कौनसा उत्तर गलत हुआ? यह बताइये कि उत्तर यह गलत हुआ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें इन्होंने पूछा है विधान सभा क्षेत्र तारानगर, मंत्री जी, इन्होंने विधान सभा क्षेत्र तारानगर पूछा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बिलकुल परफेक्ट उत्तर है। तारानगर का उत्तर है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब जो आया है ...(व्यवधान)... तारानगर का है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): तारानगर का उत्तर है आप पढ़ो इसमें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तहसील तारानगर का है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह विधान सभा क्षेत्र तारानगर का उत्तर है। विधान सभा क्षेत्र तारानगर का।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप उसकी जबरदस्ती ताकीद कर रहे हैं ...(व्यवधान)... आप तो सही आये तो कार्यवाही मत करना और नहीं आया तो कार्यवाही करवाओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में उद्यान विभाग के कार्यालय की स्थापना

241. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजौलियां पंचायत समिति मुख्यालय पर नोडल अधिकारी के रूप में कृषि अधिकारी के पद का सृजन करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति मुख्यालय बिजौलियां पर उद्यान विभाग के सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक पद सृजित कर पृथक से कार्यालय स्वीकृत करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में मिट्टी व पानी की परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): (कृषि मंत्री के स्थान पर) (1) जी नहीं। कृषि विभाग में पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी का पद सृजित नहीं हैं। कृषि अधिकारी का पद जिला स्तर पर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद एवं उप जिला स्तरीय कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) में सृजित हैं। वर्तमानमें पंचायत समिति मुख्यालय पर नोडल अधिकारी के रूप में कृषि अधिकारी के पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बिजौलियां वर्तमान में सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा के अधीन हैं, जिसमें 03 कृषि

अधिकारी के पद स्वीकृत एवं कार्यरत हैं। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा के अधीन कुल 08 पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र आता है। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा में सृजित कृषि अधिकारी द्वारा ही बिजौलियां पंचायत समिति का कार्य संपन्न किया जाता है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में उद्यान विभाग में सहायक कृषि अधिकारी का पद कोटडी मुख्यालय एवं कृषि पर्यवेक्षक का पद माण्डलगढ़ मुख्यालय पर सृजित है। उक्त वर्णित दोनों सृजित पद पर पदस्थापित कार्मिकों द्वारा ही पंचायत समिति बिजौलियां का कार्य संपन्न किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की पंचायत समिति बिजौलियां में उद्यान विभाग के सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। भीलवाड़ा जिले में जिला मुख्यालय पर 01 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं 03 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं यथा गंगापुर-01 (सहाड़ा ब्लॉक), कोटड़ी-01 (कोटड़ी ब्लॉक), गुलाबपुरा-01 (हुरड़ा ब्लॉक) स्थापित है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की जा रही है। वर्तमान में माण्डलगढ़ में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

spp/rtm/03.03.2025/11.40/1e

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मेरा मांडलगढ़ विधान सभा कृषि प्रधान क्षेत्र है और अनेक बांध हैं और हमेशा बांध पानी से भर जाते हैं और बागवानी खेती और फलदार पौधों की खेती और सब्जियों की खेती सबसे ज्यादा मांडलगढ़ विधान सभा में होती है। मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अधिकारी का एक भी पद सृजित नहीं है। दूसरा, हमारा बिजोलियां उपखण्ड कार्यालय 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पड़ता है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह किसानों की सरकार है। यह किसानों के हितों के लिये मेरे मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजोलियां कस्बे में नोडल अधिकारी वहां लगा दिया जाये तो 100 किलोमीटर के लिये किसान वहां से निकलता है, सुबह भीलवाड़ा पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): वापस जाने में पूरा दिन खराब होता है और किराये का पैसा भी लगता है। क्या आप मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी लगाने की कृपा करेंगे और दूसरा, हमारे मिट्टी की परीक्षण की प्रयोगशाला नहीं है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा फलदार पौधे, बागवानी कृषि वहां पर होती है। क्या आप मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में परीक्षण का केन्द्र खोलकर मांडलगढ़ के किसानों के हितों के लिये आप कुछ करना चाहते हैं? आप यह बताइये।

श्री अध्यक्षः बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने बिजोलियां पंचायत के बारे में सवाल किया है। इसका परीक्षण करवाकर उनकी मांग पर विचार भी किया जाएगा। चाहे वह प्रयोगशाला की बात हो या कृषि अधिकारी की, तो अभी वर्तमान में कृषि अधिकारी के 52 पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने के बाद में उनकी पदोन्नति के खाली रिक्त पदों को भी और यह जो नोडल अधिकारी की यह माननीय सदस्य डिमांड कर रहे हैं, उसका परीक्षण करके इसके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): धन्यवाद मंत्रीजी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। माननीय जसवंत सिंह यादव।

मांढण (बहरोड़) स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन

242. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की मांढण तहसील में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त संस्थान को संचालित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त संस्थान हेतु भूमि अधिगृहित की गई है? यदि हां, तो भवन निर्माण कब तक पूर्ण करवाकर उक्त को कब तक संचालित कर दिया जायेगा?

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांढण की घोषणा की गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांढण में खोले जाने वाले 08 व्यवसायों एवं पदों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। (संलग्न परिशिष्ट-1)

वर्तमान में राजकीय आईटीआई मांढण(बहरोड) वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राजकीय आईटीआई नीमराणा (अलवर) में वेल्डर व्यवसाय की एक यूनिट के साथ संचालित की जा रही है।

राज्य सरकार के स्वीकृति क्रमांक प.7(3)श्र.नि./2022 जयपुर, दिनांक 25.05.2022 द्वारा स्वीकृति सं. 5/2022-23 के अंतर्गत राजकीय औप्रसं. मांढ़ण (बहरोड़)-अलवर का भवन निर्माण, कार्यकारी निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी से करवाये जाने हेतु राशि रूपये 1045.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। (संलग्न परिशिष्ट-2)

(2) जी नहीं। पूर्व में जिला कलक्टर द्वारा आवंटित भूमि आर.एस.आर.डी.सी, यूनिट भरतपुर द्वारा अनुपयुक्त घोषित की गई। उसके उपरान्त प्रस्तावित भूमि कान्हावास (मांढ़ण) पर एन.सी.आर के द्वारा आपत्ति लगा दी गई।

अभी नई प्रस्तावित भूमि गिगलाना (मांढ़ण) हेतु नया प्रस्ताव दिनांक 07.01.2025 को उपखण्ड अधिकारी नीमराणा को प्रेषित किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट-3)

उपयुक्त भूमि आवंटित होते ही निर्माण एजेन्सी द्वारा भवन निर्माण की कार्यवाही शुरू कर

दी जायेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया है। अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कई सालों से लटका हुआ काम था, वह आपने कर दिया। अब इसको आप कब तक पूर्ण करवा देंगे?

बस इतना सा और बता दें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के नौजवानों की चिंता करते हैं, इसलिए यह प्रश्न लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस आई टी आई की घोषणा पिछली सरकार में हुई थी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि केवल घोषणा ही की गयी थी क्योंकि जमीन की व्यवस्था नहीं की गयी थी। पहली बार जब इसके लिये जमीन अलॉट की गयी तो उस जमीन में नाला निकल रहा था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात जो जमीन चिह्नित की गयी, उसको एन.सी.आर. रीजन ने रिजेक्ट कर दिया। अभी प्रस्तावित भूमि गिगलाना के अन्दर भूमि प्रस्तावित की गयी है। हमने तकरीबन 10.50 करोड़ रुपये जो निर्माण एजेन्सी है, उसको दे भी दिये हैं। जैसे ही यह जमीन हमारे नाम आयेगी, हम इसके अन्दर निर्माण करवा देंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री सुखवन्त सिंह।

रामगढ़ में वार्डों का परिसीमन/पुनर्गठन

243. श्री सुखवंत सिंह (रामगढ): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के वार्डों का परिसीमन/पुनर्गठन करने की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में उक्त परिसीमन/पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): जी हां। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के वार्डो का परिसीमन/पुनर्गठन करने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत विभाग द्वारा दिनांक 10.01.2025 को पंचायत पुनर्गठन बाबत आदेश जारी कर दिये है। विधानसभा क्षेत्र रामगढ में उक्त आदेशानुसार पुनर्गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया। मेरा आपके माध्यम से पहला पूरक प्रश्न यह है कि रामगढ़ विधान सभा की तीन ग्राम पंचायतें गंडूडा, दिनार और बुटोली पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जो कि राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधान सभा में है, से जुड़ी हुई हैं और दो पंचायतें कठूमर विधान सभा की हमारी पंचायत समिति रामगढ़ में हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इनको विधान सभावाइज ठीक करने का

विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्सृजन हो रहा है। इसकी सारी तारीखें हमने तय कर दी हैं और एक इन्होंने जो कहा है कि एक पंचायत समिति के दो पंचायत इधर हैं और दो पंचायत उधर हैं। अब ऐसा नहीं होगा। जो नजदीक की पंचायतें हैं, उन्हीं को उसमें शामिल किया जाएगा। बीच में से कांग्रेस की तरह उठाकर कहीं से भी लेकर शामिल करके लोगों को परेशान करने का काम हम नहीं करेंगें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार लोक सभा और विधान सभा की तरह ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों का पुनर्गठन की भी कोई समय सीमा तय करेगी? जैसे कि 20 वर्षों बाद पुनर्गठन होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): समय सीमा तय कर दी गयी है और उसकी जानकारी सबको दे दी गयी है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि जानकारी देनी है तो वह भी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री यूनुस खान।

डीडवाना में विशेष योग्यजनों (दिव्यांग) को स्कूटी वितरण

244. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में विशेष योग्यजनों (दिव्यांग) की संख्या कितनी है? उक्त में से कितनों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के कितने विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) को स्कूटी से लाभान्वित किया जा चुका है एवं कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) की मासिक पेंशन में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) विशेष योग्यजनों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यू.डी.आई.डी कार्ड) हेतु स्वावलम्बन पोर्टल पर आवेदन किया जाता है, उनमें से पात्रता अनुसार विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यू.डी.आई.डी कार्ड) जारी किये गये हैं। भारत सरकार के स्वावलम्बन पोर्टल दिनांक 21.02.2025 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की संख्या

3653 है।

विशेष योग्यजनों को पात्रतानुसार पेंशन का लाभ मिल रहा है। राजएसएसपी पोर्टल पर दिनांक 21.02.2025 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र डीडवाना मे विशेष योग्यजन पेंशनर्स की कुल संख्या 3506 है।

(2) उक्त विशेष योग्यजनों को पात्रता के आधार पर निम्न सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा हैः-

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
2. सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना।
3. मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना।
4. पालनहार योजना।
5. मुख्य मंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना।
6. संयुक्त सहायता कृत्रिम अंग/उपकरण योजना।
7. विशेष योग्यजन चिह्निकरण योजना।
8. विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना।

(3) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में कुल 71 विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) को स्कूटी से लाभान्वित किया जा चुका है। जिला चयन समिति द्वारा स्कूटी वितरण हेतु की गई अनुशंषा एवं योजना में पात्रता के आधार पर कोई आवेदन शेष नहीं है।

(4) जी हां। 01 अप्रेल, 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी में पेंशन की आधार दर में 15 प्रतिशत की वृद्वि कर अभिवृद्वि कर पेंशन राशि रुपये 1150/- प्रतिमाह भुगतान की जा रही है।

बजट घोषणा 2025-26 के बिन्दु संख्या-66 दिनांक 19 फरवरी, 2025 के क्रियान्वयन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी में पेंशन की आधार दर में अभिवृद्वि कर पेंशन राशि 1150/- प्रतिमाह से बढाकर रुपये 1250/-प्रतिमाह की गई है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने संविधान के 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय लिये थे, उनमें से इस विभाग के भी विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, हालांकि विकलांग लिखना आजकल तो वर्जित है, लेकिन इनके प्रतिवेदन में लिखा हुआ है। मेरा मंत्रीजी से अनुरोध रहेगा कि इसको तो दिव्यांग करवा दें। विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, विशेष योग्यजन चिह्निकरण सामान्य क्षेत्र, विशेष योग्यजन विवाह परिचय, विशेष योग्यजन कोढ़ पीडित परिवारों के अध्ययनरत बच्चों की विशेष विकलांग छात्रवृत्ति यह विषय इनके विभाग के हैं। इसके अलावा आस्था योजनान्तर्गत चिह्नित निशक्तजन परिवारों की सहायता और विशेष योग्यजन हेतु खेलकूद कार्यक्रम, विशेष योग्यजन के लिये पोलियो करेक्शन कैम्प, यह पंचायती राज को स्थानांतरित कर दिये गये। लेकिन आज की तारीख में न तो

पंचायती राज इन कार्यक्रमों को करवा रहा है और न इनका विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग तो यह सोच रहा है कि हमारे यहां से स्थानांतरित हो गये तो मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि क्या सरकार इन विषयों को, जो इस अनुसूची में पंचायती राज को हस्तानांतरित हो गये, उनको वापस लेकर, या फिर उसकी प्रोपर मॉनिटरिंग करके काम करने का विचार रखती है? दूसरा, इन्होंने जो उत्तर दिया, उसमें लगभग 147 लोग ऐसे हैं, जो वंचित रह गये तो वह किन कारणों से वंचित रहे? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें मैंने उत्तर दे दिया है कि इसमें इनके क्षेत्र के अन्दर पेंशन के जो UDID पोर्टल पर है 3,653 और 3,506 को पेंशन मिल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पेंशन के लिये आवेदन भी नहीं करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें इनकम का जो क्राइटेरिया है, उससे ऊपर चले जाते हैं। जो पात्र नहीं होते हैं, जो आवेदन नहीं करते हैं, उनको हम लोग यह पेंशन नहीं देते हैं। दूसरा, जो पंचायती राज के सम्बन्ध में आपने पूछा है, इस सम्बन्ध में आपकी मंशा के अनुसार अधिकारियों से बात करके विभागीय समीक्षा करके इस पर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा।

jyg/rtm/03.03.25/11.50/1f

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्षजी, दूसरा यह है कि हमारा डीडवाना-कुचामन जिला, एकदम नया जिला है। उसका अभी पत्रावलियों का स्थानांतरण का कार्य चल रहा है। तो मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि शीघ्रातिशीघ्र अपने विभाग की सारी पत्रावलियां प्लस सम्बन्धित अधिकारियों की पोस्टिंग करके डीडवाना जो मुख्यालय है, उसी में अगर इन अधिकारियों को पदस्थापित करने का विचार रखते हैं तथा समस्त कार्यालय की शुरूआत करने का विचार रखते हैं, यह बता दीजिये।

(समयः बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पूर्व में नागौर जिला था और नागौर से जब डीडवाना-कुचामन जिला बना, आज हमारे विभाग के जिलाधिकारी डीडवाना-कुचामन मुख्यालय पर बैठते हैं, एसएसओ भी हमने नियुक्त किये हैं, आगे हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारी वित्त मंत्रीजी के विशेष प्रयासों से हमने एसएसओ भी जहां पर नहीं है राजस्थान के अन्दर वहां एसएसओ ऑफिस की, हमने विज्ञप्ति भर्ती के लिए हमने प्रयास कर दिये हैं, जल्दी ही राजस्थान में 352 पंचायत समितियां हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक पंचायत समिति पर एसएसओ ब्लॉक रहे ताकि अंत्योदय की योजना का का लाभ इस विभाग के माध्यम से मिलना है वो हरेक व्यक्ति को मिले। तो निश्चित ही

हमारी इसी बजट घोषणा के अन्दर जब करोड़ों रुपयों की राशि नये जिलों के संगठन की संरचना के लिए मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिली है, उसमें निश्चित ही हमारे विभाग के भी जितने भी कार्यालय हैं, एसएसओ ऑफिस, डीएलओ, उनके भवन की भी बात करेंगे, फर्नीचर की बात भी करेंगे, विभाग की तरफ से जितना अधिकतम होगा, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, कुछ दिव्यांग मेरे से मिले हैं कि यूडीआईडी कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है। कितने यूडीआईडी कार्ड अभी पेंडिंग हैं और क्या सरकार जो लोग रह गये उनको खुद चिंहित करके यूडीआईडी कार्ड बनाने की मंशा रखती है? क्योंकि दिव्यांगजनों को काफी जगह जिलों पर दूर आना पड़ता है और परेशानियां हो रही हैं।

दूसरा, हमने सभी दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाएं देने की घोषणा की थी और उसके अन्दर सब लोगों को जोड़ा भी था तो क्या अभी भी ऐसे लोग पेंडिंग हैं जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाये?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पूर्व में ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र बनते थे लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब स्वावलम्बन पोर्टल पर उन सभी जो पात्र व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, उनको आवेदन करना पड़ता है। एप्लीकेशन में आप कहें तो यूडीआईडी का कार्ड कैसे बनता है उसका हमने ऑनलाइन कर दिया है, उसकी गाइडलाइन आपकी जानकारी में होगी, भारत सरकार के नियमों के हिसाब से स्वावलम्बन पोर्टल पर अभ्यर्थी को एप्लीकेशन लगानी पड़ती है उसके अनुसार ही एक चैनल बना, उसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन जाता है। जो सुविधाएं पूर्व सरकार..।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा छोटा-सा आग्रह है कि मेडिकल वाले इसमें डिले करते हैं, मेडिकल की वजह से डिले हो रहा है, आपके डिपार्टमेंट की गलती नहीं है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले विभाग के अधिकारियों के साथ में विशेष रूप से भारत सरकार के निर्देश पर राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर हमने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी थे, कुल 10 डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी आये थे जिसमें एसीएस रैंक के अधिकारी थे। हमने उनको टार्गेट दिया है कि जो भी यूडीआईडी कार्ड हम चाहते हैं कि राजस्थान में एक भी लाभार्थी है, पात्र व्यक्ति है वो इससे, स्वावलम्बन पोर्टल पर वंचित ना रहे और हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने बैठक ले ली है, जल्दी ही राजस्थान के सभी लोगों को स्वावलम्बन पोर्टल पर अपलोड करवाकर उनका जो सर्टिफिकेट है, यूडीआईडी का वो बनवा देंगे।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कंवरलाल।

अंता में टाडा-माडा योजना में स्वीकृत कार्य

245. श्री कंवरलाल (अंता): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अंता के किन-किन ग्राम पचायतों के, कौन-कौन से गांव टाडा-माडा योजना में सम्मिलित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में उक्त योजना के अन्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत कर कितनी राशि व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गांवों में उक्त योजनान्तर्गत नये कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) विधान सभा क्षेत्र अन्ता के टाडा-माडा योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों/ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में स्वीकृत कार्यों एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जिला परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्षेत्र की सापेक्ष आवश्यकता, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, संसाधनों तथा बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्य स्वीकृत किये जाते है।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ये टाडा-माडा योजना में स्वीकृत कार्य 2-2 वर्ष से प्रारम्भ नहीं हुए हैं। जो काम प्रारम्भ हुए हैं वो भी घटिया स्तर के हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इन घटिया कामों की जांच कराने की मंशा रखते हैं? जो अधिकारी या संस्था इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं? कब तक? नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदयजी, यह बात सही है कि इनके तीन काम हैं, एक में तो राशि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जिसके कारण से कार्य लम्बित है। दो कार्य तलाई की सुरक्षा दीवार, यह तो उसमें आ गया, श्मशान घाट निर्माण आदि कार्य पंचायत समिति मंगरोला, निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन है। दूसरा, ग्राम पंचायत सरका पूरिया में नहर की पुलिया आदि का निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है, ये काम पिछली सरकार के समय सैंक्शन हुए थे, इनकी सारी प्रक्रिया पूरी करके उनको एफएस निकालनी थी, वित्तीय स्वीकृति, वो नहीं निकली, जिसके कारण से यह पेंडिंग हुए, हमारी सरकार आने के बाद में टेक्निकल स्वीकृति मंगवा ली, एफएस निकाल दी और निविदा आमंत्रित कर दी, वो

प्रक्रियाधीन है। इसके बहुत जल्दी पूरा करेंगे।

दूसरा आपका यह है कि आपने कहा कि जो घटिया काम हुए हैं, निश्चित रूप से आप कौन-कौनसे काम घटिया हुए हैं, वो आप मुझे बतायें, निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हो गया अब तो?

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न है कि अंता विधान सभा क्षेत्र टाडा-माडा योजना में नई पंचायत को जोड़ने की क्या योजना है? कब तक है? जो योजना टाडा-माडा योजना में पुरानी पंचायत जुड़ी हुई है, हम लोगों को आपको जो लिस्ट दी है, उन कामों को आप कब तक स्वीकृत करेंगे और नहीं तो क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदयजी, टाडा-माडा का सवाल है, ये भारत सरकार जो एरिया विस्तार करती है वो भारत सरकार करती है। हम यहां से आप प्रस्ताव भेजेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार को भेजेंगे और जोड़ेंगे, अगर वो नियम में आयेंगे तो निश्चित रूप से जुड़वाने का प्रयास करेंगे। दूसरा आपने कहा है कि काम कब तक स्वीकृत करेंगे, आपके प्रस्ताव आप हमको भेज दें, कुछ प्रस्ताव आपके आये हुए हैं, हमने वित्त विभाग को भेज दिये हैं, और भी प्रस्ताव हों तो निश्चित रूप से आप भेजिये उनको प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कराने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश गुर्जर।

खानपुर में श्मशान व कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन

246. श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के किन-किन् गांवो में श्मशान एवं कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटित है तथा किन-किन गांवों में भूमि आवंटन के प्रस्ताव लंबित हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में श्मशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटित नहीं है? यदि हां. तो क्या सरकार आवंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) खानपुर विधान सभा क्षेत्र के कुल 456 गांवो में से 236 राजस्व गांवो में श्मशान घाट हेतु भूमि आवंटित है एवं उक्त 236 राजस्व गांवो में से 21 राजस्व गांवो में श्मशान घाट के साथ कब्रिस्तान हेतु भी भूमि आवंटित है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

साथ ही खानपुर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी गांव के श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव विभाग स्तर पर लंबित नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र में 220 राजस्व गांवों में श्मशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटित नही है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन की

मांग किये जाने पर नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 456 गांवों में से 220 गांवों में श्मशान की भूमि का आवंटन नहीं है। क्या सरकार इन गांवों में श्मशान की भूमि का आवंटन करने का विचार रखती है। रखती है तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कुल 4 तहसीलें हैं और 556 कुल गांव हैं। जिनमें से 236 गांवों में श्मशान/कब्रिस्तान की भूमि आवंटित है। ...(व्यवधान)... 220 श्मशान और कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित नहीं हैं, ऐसे गांव हैं। वर्तमान में खानपुर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी गांव के श्मशान घाट व कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव विभाग में लम्बित नहीं है। गांव में श्मशान घाट व कब्रिस्तान हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन की मांग किये जाने पर सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि का प्रस्ताव...।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय मंत्रीजी, यह जवाब तो आ गया मेरे पास। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 556 नहीं 456 गांव हैं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): हां, 456

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): आप 556 बोल रहे हो।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): 456 हैं उनमें 236 गांवों में श्मशान/कब्रिस्तान की भूमि आवंटित है। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय मंत्रीजी, आप मुझे जवाब दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप विराजो, उत्तर आने दो, फिर आपको और प्रश्न पूछने दूंगा।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि वर्तमान में खानपुर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी गांव के श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव विभाग में लम्बित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसर पूरक प्रश्न है कि मंत्रीजी ने जो जवाब दिया, आपको आपके अधिकारियों ने गुमराह किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बचे हुए जो 220 गांव हैं, ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह सरकारी जवाब है, या तो आप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाओ। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): भैंरूपुरा गांव, ...(व्यवधान)... उम्मेदपुरा, भटवाड़ा, आकोदिया, भारोला, बंजाखेड़ी, पटावता, पोरेली और समतखेड़ी, पाटल्या गुरमी, गुदालिया और कैलाशपुरा के श्मशान घाट हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों में तहसीलदार के

माध्यम से एसडीएम को भेज रखे हैं। अभी तक वहां पर आपने कोई भूमि आवंटन नहीं की। क्या इन गांवों में आवंटन करने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अगर हमारा उत्तर, सरकार का अधिकृत उत्तर गलत है तो नियमों में प्रावधान है। आप यह जो शब्द यूज कर रहे हैं कि अधिकारियों ने गुमराह किया है, यह असंसदीय है, हमारा जबाव गलत है तो आप लाइये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कि जवाब गलत है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में एक हजार बार ऐसा होता है। ...(व्यवधान)...

MLS/RTM/03.03.2025/12:00/1g

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): मंत्री महोदय, आप तो उत्तर दिलाएं मेरे प्रश्न का।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लाइये, आपकी हिम्मत है तो लाकर बताइये। विधिवत रूप से अधिकृत जवाब दिया हुआ है हमारा। कोई अधिकार गलत नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल समाप्त।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

माननीय सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों का व्यवहार में अंगीकरण

मुझे कुछ व्यवस्थाएं देनी हैं। ...(व्यवधान)... सदन में बैठे-बैठे न बोलें। मुझे नाम लेना पड़ेगा। अपने पास यदि कहीं किसी सदस्य को लगता है कि उत्तर सही नहीं है, उसके लिए भी अपनी इस पुस्तक में प्रावधान हैं। उन प्रावधानों के अन्तर्गत आएं, मैं निश्चित रूप से आपको समय दूंगा और आवश्यक होगा तो चर्चा भी कराएंगे। देखिये, यह कहना हर प्रश्न पर, आप प्रश्न पूछते हैं, उत्तर यहां से आते हैं। हर उत्तर अपने अनुकूल आये, यह सम्भव नहीं है। हां, उत्तर गलत है, आप नियमों में दीजिये, मैं उसकी जांच भी कराऊंगा और आपको सही उत्तर दिलाने का प्रयत्न भी करूंगा।

मुझे कुछ व्यवस्थाएं देनी हैं। शून्य काल प्रारम्भ हो, उसके पहले कुछ बातें सबके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, जो व्यवहार में लानी चाहिये। सदन में जब हम भाषण करते हैं तो कोई किसी को टोके नहीं और साथ में हमारी भाषा में शालीनता रहे। परसों विधायक गणेश घोगरा की जिस प्रकार की भाषा थी, वे सही भाषा को आगे से काम में लें, यह मैं उनको निर्देश देता हूं।

दूसरा, आसन पैरों पर होने पर सदन में सभी अपनी सीटों पर बैठेंगे। फिर से, मैं खड़ा हूं, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बाहर जाइये। यह क्या तमाशा है? जब मैं खड़ा हूं...। जहां हैं, वहीं बैठें। अभी वही निर्देश दे रहा हूं। उसी का उल्लंघन हाथों-हाथ कर रहे हैं। बैठिये, बैठिये। आप भी आइये, वहीं बैठिये या सदन के बाहर रहिये।

आज स्पष्ट निर्देश दे रहा हूं, नहीं तो बाहर भेजूंगा मैं और उसे बोलने की अनुमति नहीं होगी। ...(व्यवधान)... कोई नहीं, माननीय सदस्य। एक सैकंड। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी, मैं खड़ा हूं। माननीय संसदीय मंत्री जी, जब मैं खड़ा हूं तो फिर उठकर बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सबको स्पष्ट निर्देश दे रहा हूं। फिर मुझे कहेंगे कि आप कठोर हो रहे हैं। चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे मंत्री हों, यह नियम सभी पर लागू होगा। आसन जब भी पैरों पर हो, बाहर से कोई भी अन्दर आकर बैठने की कोशिश न करे। वहीं बैठ जाये। जब आसन बैठ जाये, उसके बाद अन्दर आ जायें। ऐसी क्या जल्दी है? आप आराम से आ सकते हैं। सदन में सभी अपनी सीटों पर बैठेंगे, मूवमेंट मना है।

तीसरा, कोई भी सदस्य आसन के बोलते वक्त अपनी सीट से उठे नहीं और न ही कोई प्रवेश करे।

चौथा, कोई भी सदस्य अन्य सदस्य के बोलते समय उसके सामने से नहीं गुजरे।

ये पुरानी परम्पराएं हैं, लेकिन मुझे लगता है, अब काफी लोग नये आये हैं, आज अपन एक साल, सवा साल पुराने हो गये, अभी भी स्वभाव में नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान)... बोलें नहीं, बैठें। अभी कह रहा हूं, क्यों बोल रहे हैं?

कोई भी सदस्य अन्य सदस्य के बोलते समय उसके सामने से नहीं जायेगा।

सदन में फोन पर बात करना प्रतिबन्धित है।

नाम पुकारने पर ही बोलें, अन्यथा अवसर आने पर बोलने नहीं दिया जायेगा।

अनुदान मांगों पर सम्बन्धित मंत्री और सम्बन्धित अधिकारी सदन में मौजूद रहने चाहिये।

इनका कठोरता से पालन करेंगे तो सदन अच्छी तरह से चलेगा, नहीं तो बैठे-बैठे बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है, तो फिर सदन तो क्या है? हम सब माननीय सदस्य हैं। दो लाख-ढाई लाख मतदाताओं से निर्वाचित होकर आये हैं, हम ही मर्यादा नहीं सीखेंगे तो फिर बाकी नीचे जो छात्र संसद और बाकी सब बातें होती हैं, लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी कैसे पालना होगी? हम आदर्श प्रस्तुत करें और इसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं है कि किसी को कठिनाई आ रही हो। केवल स्वभाव में लाने की जरूरत है या हाइलाइट होने की जरूरत है। इससे हाइलाइट आप लोग नहीं होंगे। हाइलाइट होंगे, सदन में आप अपना विषय कितनी अच्छी तरह, तर्कपूर्ण और गरिमा के साथ रखते हैं, वही आपको आगे बढ़ाता है। इतना मेरा आपसे आग्रह है। मैं समझता हूं, भविष्य में हम सब लोग इसका ध्यान रखेंगे।

माननीय सचेतक, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिये, बैठिये, शून्य काल के बाद में।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से भरतपुर एवं डीग जिले को यमुना जल समझौता अनुसार पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौंमू में शिलान्यास तथा लोकार्पण कार्यक्रमों में नियमों का पालन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसान भवनों को किराये पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से राज्य सरकार की ओर से एम.बी.सी. आरक्षण को नवीं अनूसूची में सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से सूरत के शिवशक्ति कपड़ा मार्केट में आग लगने से प्रवासी राजस्थानियों को हुए आर्थिक नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से प्रदेश में नायक जाति को अनुसूचित जन जाति में सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्रीमती इन्द्रा एवं 1 अन्य सदस्य की ओर से सांगानेर में भू-माफियाओं द्वारा दलित युवक की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

9. श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में बरसाती पानी निकासी कार्य में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

10. श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा कबड्डी फैडरेशन द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री मनीष यादव एवं श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से किसानों को फसल खराबे का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हाकम अली खां, श्री अशोक कुमार कोठारी, श्री मनीष यादव एवं श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ में बायो एनर्जी गैस प्लांट के निर्माण से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

2. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की उप तहसील सुल्तानपुर को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में अतरामपुरा स्थित अवैध टोल बूथ को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री देवी सिंह शेखावत, सदस्य की ओर से आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

नारायणपुर में शय्याओं की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से कोटा के रायपुरा चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम में आबादी भूमि को बिलानाम भूमि में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री गोपाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिविल लाईन्स की कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री आदूराम मेघवाल, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले के बाखासर रण तक समुद्री नहर का निर्माण कर बन्दरगाह बनाये जाने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती शिमला देवी, सदस्य की ओर से राजस्थान फीडर को पक्का किया जाकर पूरा पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण सेवा नियमों में संशोधन कर समयानुसार पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बनाड़ के विलय को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय, ब्यावर में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में।

14. श्री प्रतापपुरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पोकरण की विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

15. श्री लक्ष्मण राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रियांबड़ी में कृषि एवं फल-सब्जी मण्डी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

MKD/RTM/03.03.2025/12:10/1h

पर्ची

आज दिनांक 03/03/2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 44 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री गणेश घोघरा	टीएसपी क्षेत्र के डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा गरीब ठेले वाले और सब्जी वालों को जबरन हटाने के संबंध में।
2.	श्री राम सहाय वर्मा	उपखण्ड निवाई के ग्राम राहोली तथा आस पास

	(रेगर)	के क्षेत्रों से उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु राहोली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता के संबंध में।
3.	श्री गणेशराज बंसल	राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा किये जाने के संबंध में।
4.	श्री जेठानन्द व्यास	बीकानेर में फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना के संबंध में।

अपने स्थगन शुरु हो, उसके पहले सचेतक महोदय कुछ विषय रखने वाले हैं।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री सुभाष गर्ग, माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट निवासियों को अतिक्रमण सम्बन्धी नोटिस के असत्य व भ्रामक अभिकथन करने पर उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया। मैं एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मैंने आपसी अनुमति चाही है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 24 फरवरी, 2025 को सदन में प्रक्रिया एवं नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य डॉ. सुभाष गर्ग द्वारा भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस एवं धमकी के सम्बन्ध में मामला उठाया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मामले में उनके द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है, जो कि निराधार एवं असत्य हैं, क्योंकि भरतपुर में लोहागढ़ किले के अन्दर जो लोग निवास कर रहे हैं, उनको सड़कें चौड़ी करने के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये हैं। सत्यता यह है कि नगर निगम, भरतपुर द्वारा केवल रैड क्रॉस सर्किल से गोवर्धन गेट तक अतिक्रमण हटाने के लिए 22 नोटिस जारी किये गये हैं, जो कि लोहागढ़ किले के अन्दर के निवासियों के नहीं हैं।

उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में उल्लेख है कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य डॉ. सुभाष गर्ग द्वारा सदन में असत्य और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये गये, जिससे उनके द्वारा प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने के जान बूझकर चेष्टा की गई है। साथ ही, सदन में अपने संवैधानिक विशेषाधिकारों को दुरुपयोग कर असत्य वक्तव्य प्रस्तुत कर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की गई, जिससे सदन की अवमानना हुई है और यह विशेषाधिकार

हनन की श्रेणी में आता है।

अतः विशेषाधिकार श्रीमान अध्यक्ष के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन और इस सदन के अन्दर बैठे हम 200 लोग एक विशेषाधिकार को प्राप्त करते हैं, रखते हैं। उसका आनन्द लेते हैं हम। वह यह है कि सदन के अन्दर हम कुछ भी बोलें तो बाहर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, न कोई पुलिस थाने में कार्यवाही हो सकती है, न किसी कोर्ट में कार्यवाही हो सकती है और कई बार हम उस अधिकार का दुरुपयोग कर जाते हैं, असत्य सूचनाएं दे देते हैं, असत्य तथ्य बोल देते हैं और उससे भ्रम भी फैलता है और जनता में उससे अफरा-तफरी भी फैल सकती है और कई बार उससे राजनैतिक मन्तव्य भी और आर्थिक मन्तव्य भी सिद्ध कर लिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में यही हुआ है। लोहागढ़ किले के अन्दर जो लोग हैं, उनमें अफरा-तफरी का माहौल बना, डर और भय का माहौल बना कि हमारे मकान टूट जायेंगे या दुकानें टूट जाएंगी, वह माहौल बना, जबकि ऐसा कुछ था नहीं तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर कृत्य है और नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन किया गया है। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आसन से निवेदन करता हूं कि इस पर उचित कार्यवाही, उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन आरोप लगाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, तीन आरोप लगाये गये हैं, तीनों के तीनों निराधार हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें लोगों को डराया, घमकाने की बात कही गई है। इन्होंने तीन बातें की हैं, तीनों असत्य हैं। इन्होंने कहा है कि वहां डराया, धमकाया गया, ऐसा नोटिस सरकार ने जारी नहीं किया।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर निराधार बात कही है। अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक-एक, मैंने कैलाश वर्मा का नाम पुकारा है। फिर इधर से भी पुकारूंगा, आपका भी पुकारूंगा, अवसर दूंगा।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा जो बात सदन के अन्दर रखी गई, मामला बिलकुल गम्भीर है। जिस तरीके से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 50 के अन्तर्गत, जो यहां पर बात प्रस्तुत की, यह बात बिलकुल सही है कि जान बूझकर असहाय तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुतीकरण किया गया है। प्रश्नगत मामले में उक्त तीनों बिन्दु पहलू साबित हो रहे हैं। सुभाष गर्ग, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। सरकार के अन्दर मंत्री भी रह चुके हैं। मगर उनके द्वारा..।

श्री अध्यक्ष: दो-दो मिनट, ज्यादा नहीं। जिनको भी बोलना है, दो-दो मिनट।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): 24 फरवरी, 2025 के सम्बन्ध में जो मामला प्रस्तुत किया, इसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी लगाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मगर पहले स्थगन आया, विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आसन ने उन्हें 24 फरवरी, 2025 को दो मिनट बोलने की अनुमति दी, अनुमति इसलिए दी कि मामला गम्भीर है।

मगर माननीय सदस्य ने जिस तरीके से इस मामले को तोड़ मरोड़कर, जान बूझकर स्थानीय लोगों के अन्दर भय व्याप्त करने के लिए और अखबारों के अन्दर असत्य सुर्खियां बटोरने के लिए वहां के स्थानीय लोगों के अन्दर जो भय व्याप्त हुआ है, मैं इस मामले की निन्दा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहता हूं। इस मामले के अन्दर कठोर और गम्भीर कार्यवाही करते हुए, इसके अन्दर व्यवस्था प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्षः बैठिए। एक इधर से। आपको भी बोलने का मौका देंगे। माननीय बौहरा जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह लोकतंत्र की हत्या करने का, डराने, धमकाने का मामला है। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आपके पास क्या प्रूफ है कि उनको नहीं हटाये गये हैं। आपके कहने से नहीं होता है, आपके कहने से नहीं होता है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे। आपकी दादागिरी नहीं चलने देंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे (..व्यवधान..) यह लोकतंत्र की हत्या है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। (..व्यवधान..) आप इस प्रकार का प्रस्ताव लाकर (..व्यवधान..) यह गलत है। यह नई परिपाटी आप डाल रहे हो। (..व्यवधान..)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बीजेपी वाले हत्यारे हैं लोकतंत्र के (..व्यवधान..)।

श्री अध्यक्षः एक-एक करके बोलेंगे तो विषय आयेगा। मैंने बोहरा को अनुमति दी है। उनको बोलने दें, फिर एक इधर का बोलेगा, दो-दो लोग बोल दीजिये। इस तरह का वातावरण नहीं, दो-दो बोल लीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसे तो कोई आवाज ही नहीं उठा पायेंगे। यहां ये माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। फिर तो माननीय सदस्य कोई बात ही नहीं उठा पायेंगे यहां पर। यह क्या बात हो गई। यानी, आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो। हम कोई मामला ही नहीं उठा पाएं।

अध्यक्ष जी, इसमें आपका संरक्षण चाहिए। देखिये, ऐसा पहली बार कोई मौका नहीं है। इस प्रकार से आवाज यहां पर उठती है, ठीक है, वहां पर नोटिस नहीं दिये, दिये, यह एक अलग बात है या तोड़ने की कोई बात चल रही है, लोगों में भय है। यह बात माननीय सदस्य ने उठा दी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने कोई गलत कर दिया। विशेषाधिकार और पूरे सब लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं। क्या ऐसा आज से पहले इस विधान सभा में कोई वाकया नहीं आया?

माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस आसन पर विराज रहे हैं। आपके द्वारा भी कई बार अजमेर की इस प्रकार की समस्याओं को उठाया गया है, कई बार पानी समस्या होती है, उसमें उठाते हैं, जाम लग गया, लोगों के परेशानी होती है, दो शब्द और फालतू कह देते हैं तो इसका मतलब तो फिर ऐसे मुद्दे यहां उठायें ही नहीं। यह तो बात एक प्रकार से लोकतंत्र को दबाने की हो जायेगी। हम लोग फिर कोई बात ही नहीं रख पायेंगे।

Bhs/Rtm/03.03.25/12.20/1j

आप विशेषाधिकार हनन ले आयेंगे। अगली बार आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने लग जायेंगे तो हम तो फिर बोलना बन्द कर दें। यह तो कोई बात नहीं हुई। अध्यक्ष जी, इस प्रकार से ये सभी सदस्य आपके हैं यह दो सौ सदस्यों का हनन है। सत्ता पक्ष के लोगों का भी हनन है। यह मत सोचना कि आप यह विशेषाधिकार लाकर आप लोग बच जाओगे, यह आप लोगों का भी हनन है। आप भी अपने इलाके की आवाज नहीं उठा पाओगे। यह कभी बात नहीं रही। आज इस विधान सभा की गरिमा पूरे देश के अन्दर सबसे बढ़िया है। यहां की परम्पराएं सबसे उच्च रही हैं अगर हम उन परम्पराओं को कमजोर करेंगे तो इसका खामियाजा हम सब लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। यह बात अध्यक्षजी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। एक इधर से और एक इधर से।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हम जब बोलते हैं तो वो सारे खड़े हो जाते हैं।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही ...(व्यवधान)... बैठिये आप। हमने सुना है। हमने नेता प्रतिपक्ष को सुना है, आप भी सुनने का माद्दा रखिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वे बोल रहे हैं, आप क्यों खड़े हुए हो, जब एक बोल रहे हैं? आप बैठो। आप में से तय कर लो, आप बोलो या आप बोलो। मेरे को एक नाम बता दो, मैं बुला लूंगा। हरिमोहन जी बोलेंगे?

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): आपने बात रखी है। आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। आपको राजस्थान की आठ करोड़ जनता ने ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... अब आप सुनिये। सुनने का माद्दा रखिये। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं। तीन बातें इन्होंने उठायी हैं। पहला विषय है वर्तमान में सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा है कि प्रशासन अवैध तरीके से नोटिस दे रहा है। एक सिंगल नोटिस ये प्रूव कर दें, एक सिंगल नोटिस और आप जो कहें वो कार्यवाही करें। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि वहां के नागरिकों ने डर कर अपना मकान बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बीस से पच्चीस हजार लोग प्रभावित हैं। किसी विभाग की तरफ से एक सिंगल नोटिस नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: आ गया विषय।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): आप किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं ...(व्यवधान)... एक जिम्मेदार व्यक्ति ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): सर, एक मिनट। एक जिम्मेदार व्यक्ति। वहां का निर्वाचित विधायक वहां लोगों को गुमराह कर रहा है कि डराया धमकाया जा रहा है। एक नोटिस नहीं

दिया गया।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है और मुझे लगता है कि माननीय डॉ. सुभाष गर्ग जी का जो दल है, ऐसा लगता है कि वह आपके राजनीतिक समझौते से अलग हो रहा है तो आप बदले की भावना से ...(व्यवधान)... आप बदले की भावना से यह काम कर रहे हो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... तथ्यों पर बात करो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। जब मैंने आपको एक को अनुमति दे दी तो दुबारा खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मान्यवर, यह सदन हमेशा अपनी-अपनी बात कहने को उद्धत रहता है और अनेक बार ऐसी बातें भी आती हैं जो तथ्यों से मेल नहीं खाती। चाहे वो सरकार के मंत्री जी का जवाब हो, चाहे किसी प्रश्न लगाने वाले का हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रिविलेज मोशन लाकर माननीय मुख्य सचेतक महोदय, भैरोंसिंह जी ने भी यहां विपक्ष के नेता के रूप में काम किया है जो उप राष्ट्रपति बने हैं, ऐसी किसी बातों को उन्होंने खुद ने कई बार उठाया है और हमको प्रश्रय दिया है, प्रोटेक्शन दिया है कि आप इस सदन में इस प्रकार की बातें उठाओ, आप मुंह बन्द करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि आप स्वीकृति न दें और भविष्य में लोकतंत्र को खत्म करने की जो चेष्टा कर रहे हैं उनको आप रोकें।

श्री अध्यक्षः श्री जीतेन्द्र कुमार गोठवाल।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि 157 के माध्यम से कई बार इस तरह के विषय उठाये गये। बात इतनी सी है कि नोटिस रेड क्रोस सर्किल से गोवर्धन गेट तक जो नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाया था, ऐसे मात्र 22 लोगों को दिया गया। धारा 194 व 245 के तहत सदन के अन्दर गम्भीर विषय, आठ करोड़ लोगों ने हमें यहां भेजा, उनका कीमती समय एकमात्र इस बात के लिए कि मुझे अख़बार में सुर्खी लेनी है। धारा 50 के तहत इस तरह से उठाये जाने वाले विषयों की गम्भीरता खत्म हो जायेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय। सरकार की छवि को गुमराह करने का काम किया है, सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया है यह तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि जो तथ्य सदन में रखे जायें कम से कम हम दो सौ लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि असत्य बात और असत्य वाहवाही लूटने के लिए सदन में इस तरह के सवाल नहीं उठाये जायें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः लास्ट एक। कोई भी एक। आप दोनों में से कोई भी एक। अब दो सौ के दो सौ बोलेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। आप दोनों तय कर लो। विपक्ष के नेता आप बोल लो।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जन प्रतिनिधि हैं और जनता की

तरफ से अगर कोई मुद्दा हमारे सामने आता है तो जो फरियादी है जिसने सूचना दी है हम उससे कोई प्रमाण नहीं लेते। हम जिस तरह की राय जनता की है उस राय के आधार पर अगर कोई मुद्दा बनता है तो हम सदन में उठाते हैं, उठाते आये हैं अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि रह गयी, कोई कमी रह गयी और उस कमी को राजनीतिक आधार पर क्योंकि यह सीधा-सीधा जो मुद्दा है यह राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माननीय सुभाष जी गर्ग साहब का जो दल है वो अभी सरकार के साथ में नहीं होने के कारण ये जिस तरीके से अभी आप जो प्रस्ताव ला रहे हैं यह प्रस्ताव मेरा यह मानना है कि यह लोकतंत्र का सरासर गला घोटने जैसा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर अनुमति नहीं दें।

श्री अध्यक्षः माननीय, लास्ट। लास्ट संसदीय मंत्री।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप मेरे बाद बोल लेना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मुझे आसन ने इजाजत दी है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक मिनट, मंत्री महोदय मेरे बाद बोल लेंगे।

श्री अध्यक्षः आपके चार लोगों को मैंने दे दिया है। फिर उधर से भी दो बोलेंगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधायक अपने क्षेत्र से चुन जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः एक सेकंड। इनके बाद लास्ट। आप बोलोगे? किताब मेरे पास भी है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): किसी भी पॉलिटिक पार्टी का विधायक जब अपने क्षेत्र से चुना जाता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें टेलीफोन पर भी करनी पड़ती है फोन कॉल्स आते हैं कि हमारे साथ यह ज्यादती हो रही है। फोन कॉल के ऊपर उनकी बात सदन में उठायी जाती है उसका एक्स-रे नहीं किया जाता है। जब तक आपके पास में पीड़ित आदमी फोन करते हैं तो आप फोन के ऊपर उसका एक्शन लेते हो और सदन में बात उठाते हो। सदन में उसकी सही गलत की जांच होती है और पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश होती है। अगर इस तरीके की कार्यवाही होगी तो कोई भी आदमी जनता की आवाज सदन में नहीं उठा पायेगा तो मैं इस प्रस्ताव का खण्डन करता हूं और घोर विरोध करता हूं। यह नहीं चलेगा किसी सूरत के अन्दर।

श्री अध्यक्षः लास्ट। लास्ट बोलिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख की बात है कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने, ...(व्यवधान)... किसी के डिस्टर्ब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है वह एक सामान्य सा विषय है। हमारे भरतपुर से आने वाले विद्वान सदस्य उनकी भाषा से परिचित हैं। वो सबूत लाकर के रख सकते हैं कि यह रहे नोटिस। विषय खत्म हो जायेगा। मेरा यह कहना है कि यह केवल भ्रामक सूचना, यह केवल अतिरंजित सूचना, यह केवल असम्भव सूचना देने तक सीमित विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं

कि नोटिस चिपकाने के नाम पर लोगों के अन्दर डर, भय पैदा करना, उनको सस्ते में जमीन बेचने को मजबूर करना और उसके पीछे फायदा उठाने की साजिश तो नहीं है? कहीं हमारे माननीय सदस्य को हमारे विद्वान सदस्य को भूमाफियाओं ने तो नहीं घेर लिया है? कहीं कोई लालच तो नहीं दे दिया है? कहीं कोई लेन-देन की बात तो नहीं है? कहीं कोई दलाली की बात तो नहीं है? ...(व्यवधान)... मैं कह रहा हूं। मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। हो गया। अब बैठिये। मैं खड़ा हो गया हूं अब बैठिये। लास्ट जिन्होंने प्रस्ताव रखा, लास्ट ये बोलेंगे। बैठिये। अंकित नहीं। बैठिये। आपके सचेतक खड़े हैं। बैठिये। बैठिये न। उनको बाद में करायेंगे।

Kas/rtm/03.03.2025/12.30/1k

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर विषय पर प्रतिपक्ष का आंदोलित होना बहुत स्वाभाविक था। यह एक माननीय सदस्य के सदन में बोलने के अधिकारों पर आक्रमण है, ऐसा आप लोगों का मानना है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव क्यों आया? पहली बात तो यह है कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। ....(व्यवधान).... मैंने आपको सुना है, आप भी सुन लीजिए। आपकी तरफ से जो भी सदस्य बोला हो, चाहे रामकेश जी बोले, चाहे हरिमोहन जी बोले, चाहे सचेतक महोदय बोले, आप सबने यह कहा कि हमारे पास कोई फोन आता है, सूचना आती है, हम उस पर बोल देते हैं। क्या हम अपनी गंभीरता को खुद ही कम कर रहे हैं? ऐसे ही बोल देते हैं हम? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह प्रस्ताव लाकर सारे सदस्यों को मैं यह संदेश देना देना चाहता हूं कि कुछ भी बोलने से पहले तथ्यों की जानकारी कर लीजिए, सोच-समझ कर बोलिए। ऐसे ही हवा में मत बोल जाइए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, 24 फरवरी को यह मुद्दा यहां उठाया गया और 24 फरवरी को ही सरकार एक्शन में आ गई। भरतपुर के नगर निगम के अधिकारियों से और वहां के जिला अधिकारियों से, सबसे रिपोर्ट मांगी गई कि क्या-क्या हुआ है और वहां से जो सूचना आई, 25 तारीख को नगर निगम भरतपुर के सीईओ ने तुरंत ही प्रेस नोट जारी करके खंडन किया कि किले के अन्दर के एक भी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया है। तो यह गलत सूचना आपने क्यों उठाई? ....(व्यवधान).... एक मिनट, पूरा सुन लो।

अध्यक्ष महोदय, सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। वो कौन लोग थे, जो नोटिस की अफवाह फैला कर जमीनों को, मकानों को सस्ता कर के खरीदना चाहते थे? दूसरा प्रश्न, एक राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय का नाम भी लिया गया है, जिसका इससे कोई लेना-देना ही नहीं था। क्यों लिया गया? कोई राजनीतिक मोटिव है या कोई आर्थिक मोटिव है या और कुछ है? इस प्रश्न को समझना चाहिये, जानना चाहिये, इस हाउस को अधिकार है कि ऐसे मामले में कोई गलत उद्देश्य से, गलत मंतव्य से अगर

माननीय सदस्य बोलता है या अधूरी जानकारी के आधार पर बोलता है या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के साथ बोलता है, तो उसको सावचेत किया जाना चाहिये, उसके माध्यम से अन्य लोगों को सावधान किया जाना चाहिये, इसलिए मैं यह प्रस्ताव लेकर आया हूं। बहुत सोच-समझकर सरकार ने और मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और इसकी पूरी जांच की जाये। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः हो गया, आपका हो गया, दो बार हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरा आग्रह है, एक तो जिस माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप है, उनको भी बुलवाया जाये। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः आप समिति में रखना अपना विषय।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां भी बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्षः आप वहां अपना विषय रखना, आपको बुलायेंगे, ऐसे कोई सज़ा नहीं हो रही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि यहां पर इस प्रकार के लगातार प्रश्न आते हैं और स्थगन भी आते हैं, उसके बाद सरकार स्वतंत्र है उसका जवाब देने के लिये। मान लो, किसी ने ऐसा प्रश्न लगा दिया, कोई मामला उठाया है, तो उसके बाद सरकार जवाब देती है, तो वह उसको निरस्त कर सकती है, एक ही मिनट में उसका खंडन हो जायेगा। मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि इसकी जांच करा कर इस प्रस्ताव को निरस्त करने का आदेश करें, इस प्रस्ताव को पारित नहीं करें और माननीय सदस्य को भी आप बुलवा लो।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बोलिए। ....(व्यवधान).... उनको अनुमति दे रहा हूं, आप तो बैठो।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मुख्य सचेतक महोदय के द्वारा विशेषाधिकार हनन का एक प्रस्ताव लाया गया। हमारे विपक्ष के साथियों ने और सत्ता पक्ष के साथियों ने बहुत सारी बातें रखीं। पहली बात तो मैंने क्वेश्चन पूछा प्रशासन के द्वारा, प्रशासन में नगर निगम ही प्रशासन नहीं होता है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है, यह मैं आपको बता दूं। दूसरा, वहां की एक 26831 वर्ग मीटर जमीन, जो कि कुछ 5-7 लोगों के ग्रुप की थी, जिसका एक समझौता किया गया, एग्रीमेंट की कॉपी है, जरूरत पड़ेगी तब वह भी दूंगा, उसको बेचने का सौदा हुआ। 26831 वर्ग मीटर जमीन वहां पर कम से कम 26 करोड़ की होती है, उसको 3 करोड़ 75 लाख में बेचने का एग्रीमेंट किया गया।

तीसरी चीज, जब मैंने यह मामला उठाया तो वहां के रहने वाले लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बीडीओ द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है, नोटिस देकर धमकाया जा रहा है। समिति मांगेगी तब मैं यह सब दे दूंगा।

चौथी चीज, यह कह रहे हैं कि नोटिस, जो रेड क्रॉस सर्किल से किले तक जाने वाला मार्ग

है, वहां वर्षों से, 50-60 साल तो मेरे को हो गये, वहां लोग रहे रहे हैं, वहां 22 लोगों को नोटिस दिये गये, इतने सालों बाद क्यों सड़कें चौड़ी की जा रही है? जो आप कॉलेज की कह रहे हैं, वो मैंने इसलिए कहा था कि अतिक्रमण अगर है, तो वहां गर्ल्स कॉलेज चल रहा है, सरकारी भवन चल रहे हैं, कार्यालय चल रहे हैं, तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस तरह से उनको परमिशन दे दी? इसका मतलब सरकारी विभाग और निजी विभाग, सब बराबर है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग इनवाल्व हैं, जो आप आरोप लगा रहे हो, उलटा इसमें सबकी कलई खुल जायेगी। सत्ता पक्ष जो भी चाहे, वह करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। मैंने पक्ष के, प्रस्तावक के, विपक्ष के नेताओं के और जिनके सम्बन्ध में लाया गया, उन सबके विचार सुने। मैं समझता हूं कि इसमें वो कुछ कह रहे हैं, कुछ वास्तव में और है और हमेशा समिति में अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार होता है।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्या यह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हाकम अली खां, श्री हाकम अली खां। ....(व्यवधान).... समिति को जायेगा, जो जायेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप इसकी जांच करा लेते, जांच कराने के बाद आप इसको पारित करते। ....(व्यवधान).... यह तो आप सदस्यों का विशेषाधिकार हनन कर रहे हो। कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं? जो लोग साजिश में शामिल हैं, उनकी जांच करा लेना आप। हम जांच के लिये एग्री हैं, आप जांच करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक कुमार कोठारी। समिति तय कर लेगी कि सही है या गलत है।

भीलवाड़ा कबड्डी फैडरेशन द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में कबड्डी फैडरेशन के द्वारा चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों का बहुत ही पक्षपात पूर्ण ढंग से चयन किया जा रहा है ना कि योग्यता के आधार पर। वहां पर खिलाड़ी आज भी 7 दिनों से जिला कलेक्टर के बाहर अनशन पर बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि उनका चयन ट्रायल बेस पर किया जाये। इसके साथ ही कबड्डी फैडरेशन भीलवाड़ा में कई अनियमितताएं हैं।

वहां का सेक्रेटरी राजकीय सेवा में भी है और वो योग्यता के आधार पर चयन नहीं करते हैं, इसके अलावा भी कई अनियमितताएं हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि उन खिलाड़ियों के साथ न्याय हो और उनकी मांग है कि ट्रायल बेस के आधार पर ही उनका

चयन हो।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन।)

फैडरेशन एक स्वायत्त शासी संस्था है, उनकी चयन प्रक्रिया बिलकुल पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है। भीलवाड़ा कबड्डी फैडरेशन को संज्ञान में लेते हुए उनको कहे कि खिलाड़ियों का चयन योग्यता के आधार पर करे। आज खिलाड़ियों को अनशन पर बैठना पडा है और जिला कलेक्टर के द्वारा भी आश्वासन दिया है कि हमने आपका आगे भेजा है। चूंकि यह स्टेट लेवल पर था, इसलिए यहां तक आया है। उनके साथ न्याय हो। आज यहां मंत्री जी भी बैठे हैं, जो ओलम्पिक खिलाड़ी रहे हैं, वो जानते हैं कि खिलाडी अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है और उसके साथ न्याय नहीं होता है, तो वह मानसिक अवसाद में भी चला जाता है। इसलिए उनके साथ पूरा न्याय हो, धन्यवाद।

msk/rtm/03.03.25/1240/1l

श्री अध्यक्षः श्री मनीष यादव। (अनुपस्थित)

श्री मनोज कुमार, सादुलपुर।

किसानों को फसल खराबे का मुआवजा

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चूरू जिले में दिनांक 28.02.25 को भारी ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की फसल पूर्णतया बर्बाद हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के देवीपुरा, मिठड़ी, बरासर बड़ा, बिंजास, दंदेऊ, सुलतानसिंह, मोहनसिंह, हमीरवास, भैंसली, नवां, बांगरवा, भिरंडा, बेवड़, सुलखनिया, खूण्डियावास, रामपुर, इन गांवों में भारी ओलावृष्टि होने के कारण भारी नुकसान हुआ है। वास्तव में किसान बड़ा दुःखी और असहाय हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में नहीं हैं और कृषि मंत्री भी सदन में नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान के बेटे माननीय सदन के नेता, हमें इस बात की खुशी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जहां भी हमारी बात को सुन रहे हैं, जहां भी हमारी बात को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार किसानों की ओलावृष्टि के कारण, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए विशेष पैकेज घोषित करे। किसानों के लिए बीमा कंपनी का, पिछली सरकार ने 21 जुलाई, 2023 को एक अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना में ओलावृष्टि, जल भराव, बादल फटना, बिजली गिरना, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए व्यक्तिगत नुकसान को बीमा कंपनी के माध्यम से हटा दिया गया। इसको सामूहिक कर दिया गया। इसलिए मैं सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के कारण, पहले किसान अपने व्यक्तिगत क्षति बीमा क्लेम कर सकता था, अब केवल समूह आधारित

आकलन होगा। इसलिए सरकार इस शर्त को हटाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से जो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रखे हैं, बीस लाख, दस लाख रुपये की फसल बर्बाद हो गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सरकार से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि 12 तारीख को जब रिप्लाई दें तो किसानों के लिए विशेष पैकेज घोषित करके, विशेष गिरदावरी कराकर मेरे किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करे और बीमा कंपनी की जो शर्त है कि सामूहिक रूप से आकलन किया जायेगा, व्यक्तिगत आकलन किया जाए, क्योंकि ओलावृष्टि सामूहिक रूप से जरूरी नहीं है, खेत-खेत में अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे किसानों को मुआवज दें, विशेष पैकेज घोषित करें। आपके कृषि मंत्री महोदय तो नहीं हैं, मुख्य मंत्री महोदय भी नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री महोदय ये मांग करता हूं कि हमारे इस विषय पर आप गंभीरता से विचार करेंगे और किसानों को लाभ देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्षः 295, श्री डूंगरराम गेदर ...(व्यवधान)... आपका हो गया, आप नहीं थे।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): साहब, आ गया।

श्री अध्यक्षः चलो एक मिनट। मनीष, बोलो। दे देता हूं, आप कहते हैं तो। विपक्ष के नेता का कहना मान रहा हूं।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका आभार।

अध्यक्ष महोदय, संवत 2070 (वर्ष 2022-23) में रबी की फसल के खराबे का जो बकाया आदान-अनुदान है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में 2022-23 में शीतलहर और पाले के कारण फसल खराबा हुआ। उस फसल खराबे में विशेष रूप से जयपुर और सीकर में फसल खराबा शामिल था। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में 15 हजार 598 किसानों को फसल खराबे के आदान-अनुदान के लिए डीएमआईएस पोर्टल पर रजिस्टर किया गया, जिनमें से 3123 किसानों का 1 करोड़ 61 लाख रुपये का आदान-अनुदान अभी तक भी पैंडिंग है।

मैंने इस सम्बन्ध में प्रथम सत्र में प्रश्न संख्या 2070 दिनांक 15 मार्च, 2024 को लगाया, जिसका 28 मई, 2024 को जवाब आया कि भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उसके बाद भी किसानों के खाते में नहीं आया। फिर मैंने वापस अतारांकित प्रश्न लगाया, उसमें भी कहा गया कि आदान-अनुदान का शीघ्र भुगतान करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान अपनी मेहनत करके, जमीन का सीना चीरकर हमको अन्न पैदा करके देता है। अगर उसको असुविधा से भुगतना पड़ता है, उसको समय पर आदान-अनुदान नहीं मिल पाता है तो मैं समझता हूं कि किसानों का प्रदेश और अपने आप को किसान, मुख्य मंत्री कहने का कोई अधिकार आज की सरकार को नहीं है। मैंने नियम

131 तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया है। इन्होंने कहा है कि कोषालय में अभी वह प्रक्रियाधीन है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 3123 किसानों का 1 करोड़ 61 लाख रुपये का आदान-अनुदान सरकार अविलंब उनके खातों में डालें, ताकि उन किसानों के साथ न्याय हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम गेदर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सूरतगढ़ में बायो एनर्जी गैस प्लांट के निर्माण से कारित परेशानी

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नगरपालिका, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) के आबादी क्षेत्र में निर्माणाधीन बायो एनर्जी गैस प्लांट की जांच व निर्माण कार्य रुकवाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के तहत निवेदन है कि मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) के आबादी क्षेत्र में हनुमानगढ़ फोरलेन बाईपास पर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने बायो एनर्जी गैस प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। घनी आबादी व रेलवे ट्रैक के पास बायो एनर्जी गैस प्लांट निर्माणाधीन है। हाल ही में हुई 20 दिसम्बर को जयपुर में गैस टैंकर की घटना की तरह कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका को देखते हुए विभिन्न संगठन निर्माण कार्य को लेकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

बायो एनर्जी गैस प्लांट निर्माण को लेकर सूरतगढ़ की आमजन में आक्रोश है। बायो एनर्जी गैस प्लांट की निर्माण और संचालन के लिए सुरक्षा मानकों का पालन, प्लांट लगाने के लिए संबंधित विभागों (पर्यावरण विभाग, नियोजन विभाग, अग्निशमन विभाग आदि) से आवश्यक अनुमतियों की जांच, संभावित दुर्घटनाओं के खतरा देखते हुए प्लांट को आबादी क्षेत्र से बाहर लगाने का निर्णय व आबादी क्षेत्र में प्लांट निर्माण को रुकवाने की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, सूरतगढ़ को ज्ञापन भी दिया गया है।

गैस प्लान्ट निर्माण को रुकवाने हेतु प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस कारण स्थानीय लोगों व विभिन्न संगठनों द्वारा बायो एनर्जी गैस प्लांट निर्माण को रूकवाने के लिए आंदोलन किया जाना संभावित है, जिससे शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ने के पूर्ण आसार है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि स्थानीय जनता की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नगर पालिका सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) के आबादी क्षेत्र में निर्माणाधीन बायो एनर्जी गैस प्लांट की जांच व निर्माण कार्य को रुकवाने हेतु अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल।

सुल्तानपुर उप तहसील (पीपल्दा) का तहसील में क्रमोन्नयन

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

सम्बन्धी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में दो तहसील हैं। एक पीपल्दा तहसील व दूसरी दीगोद तहसील। दीगोद तहसील मुख्यालय सांगोद विधान सभा क्षेत्र में आता है। दीगोद तहसील के अधीन पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की उप तहसील सुल्तानपुर आती है। उप तहसील सुल्तानपुर में पंचायत समिति, नगरपालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांख्यिकीय कार्यालय, थाना, महिला एवं बाल विकास, कृषि, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व अन्य कई कार्यालय स्थित हैं। उप तहसील सुल्तानपुर कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में तहसील दीगोद की जनसंख्या से कहीं अधिक है।

वर्तमान में उप तहसील सुल्तानपुर में 5 कानूगो सर्किल तथा 19 पटवार मण्डल तथा 76 गांव हैं। ग्रामीण एवं कृषि पर आधारित पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण गरीब किसानों को तहसील कार्य हेतु दीगोद जाना पड़ता है। उप तहसील सुल्तानपुर के आखरी ग्राम मोहम्मदपुरा (मदनपुरा) की तहसील दीगोद तक 42 किलोमीटर की दूरी है।

असनावर (झालावाड) 13 पटवार मण्डल, रायथल (बूंदी) 12 पटवार मण्डल, टाटोती (अजमेर) 5 पटवार मण्डल पर ही तहसील बनायी गयी है, जबकि उप तहसील सुल्तानपुर में वर्तमान में 19 पटवार मण्डल हैं। पटवार मण्डल के मद्देनजर सुल्तानपुर में पूर्ण तहसील बनने की पूर्ण अर्हता है। उप तहसील सुल्तानपुर को तहसील बनाया जाता है तो यहां के किसानों व ग्रामीणजन को अपने कार्य करवाने में सुविधा होगी।

यदि उप तहसील सुल्तानपुर को तहसील बनाया जाता है तो दीगोद तहसील को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहां पर पूर्व से ही 22 पटवार मण्डल हैं तथा 2 नये पटवार मण्डल स्वीकृत हो चुके हैं।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि उप तहसील सुल्तानपुर को तहसील बनाया जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री बहादुर सिंह।

वैर में अतरामपुरा स्थित अवैध टोल बूथ की निरस्ती

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर से गुजरने वाले स्टेट हाईवे 45 पर छौंकरवाड़ा से भुसावर के मध्य अवैध टोल बूथ जो अतरामपुरा पर स्थित को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। वैर विधान सभा में 20 किमी. के अन्दर स्टेट हाईवे 45 पर तीन टोल बूथों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 3 किलोमीटर का क्षेत्र नेशनल हाईवे 21 का भी आता है। इतनी कम दूरी पर तीन टोल लगाना नियम विरुद्ध है। पूरे क्षेत्र में तीन टोल बूथ होने से आक्रोश का माहौल है। इन टोल बूथों पर प्रतिदिन सैकड़ों मालवाहक वाहन भी निकलते हैं, जिससे यहां जाम की स्थिति रहती है। विधान सभा क्षेत्र के लोगों को अपने व्यापार तथा अन्य कई कार्यों से प्रतिदिन टोल टैक्स देकर जाना पड़ता है, स्थानीय निवासियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय व धन की हानि भी बहुत होती है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इन अवैध टोल बूथों को हटाने की तरफ नहीं जाता है।

अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि छौंकरवाड़ा से भुसावर के मध्य स्थित अतरामपुरा के अवैध टोल बूथ को हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

mdp/rtm/03.03.25/12:50/1m

श्री अध्यक्षः श्री देवी सिंह शेखावत। श्री देवी सिंह शेखावत। (अनुपस्थित)

श्रीमती कल्पना देवी। (अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः अंटेटिव नहीं रहते। मैं दो बार, तीन बार पुकार रहा हूं। अगला पुकार दिया।

भीम में आबादी भूमि का बिलानाम भूमि में अंकन

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव विधान सभा क्षेत्र भीम में सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में की गई गफलत को सही करवाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री शिविर में प्रकरणों का निस्तारण करवाने के संबंध में।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र भीम में कई राजस्व गांवों में पूर्व में जो रिकॉर्ड में आबादी भूमि दर्ज थी, जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा गफलत से उस भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि मौके पर आबादी बसी हुई है एवं पूर्व रिकॉर्ड में भी आबादी भूमि ही दर्ज थी। ऐसी स्थिति में वर्तमान में ग्रामीणों को आबादी भूमि के आवासीय पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही, कई काश्तकारों की निजी खातेदारी भूमि को भी सेटलमेंट विभाग द्वारा हेराफेरी कर उसे बिलानाम में दर्ज करा दिया गया है एवं बिलानाम को खातेदारी भूमि में दर्शा दिया गया है तथा साथ ही, शामिलाती भूमि के रिकॉर्ड में भी सेटलमेंट विभाग द्वारा हेराफेरी कर दी गई है, जिससे अनावश्यक आपसी भाईयों में विवाद उत्पन्न हो गया है, जिससे अनावश्यक रूप से न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिस कारण से उनको आर्थिक व मानसिक वेदनाओं का सामना करना पड रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहेंगे तो ऐसे प्रकरण इन्हीं शिविरों में तत्काल निस्तारित किये जा सकेंगे, जिससे भारत सरकार की स्वामित्व योजना का सही मायने में स्थानीय लोगों को लाभ मिल सकेंगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलवाते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में की गई गफलत को सही करवाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री शिविर में प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, ऐसी क्या जरूरत है? जब वे बोल रहे हैं, उनके सामने से

निकल रहे हैं। आज ही की व्यवस्था है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी क्या अर्जेंसी है। पांच मिनट बाद उठ जाते। श्री गोपाल शर्मा।

सिविल लाईन्स की कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स)ः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सविनय निवेदन है कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्तियां लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रही हैं। इन बस्तियों की स्थिति से सदन को अवगत करवाने के लिए हमने फरवरी, 2025 में 12 बस्तियों का सर्वेक्षण करवाया। इस दौरान यह सामने आया किः

1. कच्ची बस्तियों के लगभग 80 प्रतिशत नागरिक सरकारी योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण राशन, पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

2. कलाकार कॉलोनी, राणा बस्ती, रामदेव नगर, फूस का बंगला ऐसी बस्तियां हैं, जिनमें लगभग 50 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है।

3. लगभग 30 प्रतिशत छात्रों के पास दो किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी स्कूल नहीं है।

4. पेयजल आपूर्ति की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन कुछ बस्तियों में आज भी एक घंटे से कम पानी आता है। ऐसी बस्तियां भी हैं, जहां एक हजार की आबादी के लिए सिर्फ एक सरकारी नल है।

5. सीवरेज लाइन होते हुए भी नियमित सफाई नहीं होने की समस्या अधिकांश बस्तियों में है।

6. ई-मित्र आउटलेट्स की मनमानी के कारण लोगों को आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए न सिर्फ मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, बल्कि इसके बावजूद कई बार चक्कर भी लगाना पड़ता है।

अतः राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री से निवेदन है कि कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः श्री आदू राम मेघवाल

बाड़मेर में बाखासर रण तक समुद्री नहर बनाकर बंदरगाह निर्माण

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के चौहटन विधानसभा क्षेत्र में स्थित बाखासर का रण एवं कच्छ का रण पुरातन समय में समुद्री क्षेत्र रहे हैं तथा कच्छ रण का समुद्र स्तर अन्य जगहों से समान है। इस कच्छ रण को इंग्लिश चैनल की तरह जोड़ा जाए तो यहां बंदरगाह के रूप में विकसित करने की प्रबल संभावनाएं हैं। बाड़मेर जिले के बाखासर तक यदि समुद्र के पानी को नहर के जरिए जोड़ा जाए तो बंदरगाह विकसित किया जाता है, तो यह स्थान पश्चिमी भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन सकता है। बाखासर क्षेत्र सड़क मार्ग से भारतमाला परियोजना से उत्तर भारत एवं दक्षिण

भारत के अन्य राज्यों से सुगम राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां समुद्री बंदरगाह जैसी ही है। इससे देश-विदेश से आयात-निर्यात संसाधानों को समुद्री जहाजों से लाया जा सकेगा। यहां की आसपास की सारी जमीन क्षारीय है, जो अन्यथा अनुपयोगी है।

गुजरात राज्य के मुंद्रा में निजी कंपनी का बंदरगाह स्थापित है वहां से नहर बाड़मेर के बाखासर तक लाई जा सकती है इस संबंध में निजी कंपनी द्वारा पूर्व में कराए गए सर्वे के मुताबिक करीब 150 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की आवश्यकता रहेगी।

श्री अध्यक्षः श्रीमती शिमला देवी। बैठिए, हो गया आपका। श्रीमती शिमला देवी।

राजस्थान फीडर को पक्का कर पर्याप्त पानी की उपलब्धता

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहती हूं कि...

श्री अध्यक्षः जो लिखा है, वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। अपनी बात नहीं कहनी है। जो लिखकर दिया है, वही पढ़िए, नहीं तो अगला नाम पुकार रहा हूं।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सर, जो मैंने 295 दिया, उसमें आंकडों में मिस्टेक हुई है।

श्री अध्यक्षः जो लिखकर दिया है, वही पढ़ो। 295 में जो लिखा होता है, वही पढ़ना होता है।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि IGNP में सिंचाई पानी का स्थाई समाधान के लिये सर्वप्रथम बांधों को उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें बरसाती सीजन में पूरा भरा जावें जैसे कि पोंगबांध को 1390 फीट तक ही भराव क्षमता रखते हैं, इसे बढ़ाकर 1410 फीट किया जावें। 1981 के समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 8.00 एम.ए.एफ. पानी मिल रहा है। हरि के बैराज से राजस्थान फीडर की खस्ता हालत खस्ता है। फिरोज फीडर के समानांतर राजस्थान फीडर को पक्का बनाया जावे व बरसाती सीजन में लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान चला जाता है, इसलिए हरि के बैराज पर नये गेटों का निर्माण कार्य करवाया जावे। हरि के बैराज से राजस्थान फीडर में भाखड़ा का शेयर पानी डाला जाता है। लोहागढ़ हैड से वह पानी भाखड़ा की नहरों में चलाया जाता है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान IGNP के किसानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि राजस्थान फीडर में प्राथमिकता IGNP के किसानों की होनी चाहिए। पंजाब में राजस्थान फीडर का बकाया रिलाइनिंग के कार्य की डीपीआर तैयार करवाई जावें।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि उल्लेखनीय कार्यों को शीघ्रताशीघ्र करवाया जावे, ताकि किसानों को इसका फायदा जल्दी मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

Ans/rtm 13.00 1n 03.03.2025

श्री अध्यक्ष: श्री चन्दभान सिंह आक्या।

आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण सेवा नियमों में संशोधन कर समयानुसार पदोन्नति

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण सेवा नियम 2008 में पदोन्नति तथा प्रशासनिक पदों के संशोधन एवं केडर रि-स्ट्रकचर के आदेश करवाये जाने हेतु निवेदन है कि आयुर्वेद विभाग में संचालित दोनो कैडर (आयुर्वेद सेवा नियम 1973 एवं आयुर्वेद ग्रामीण सेवा नियम 2008) के पदों को मिलाकर विभाग में पदोन्नति हेतु दिनांक 12/01/2017 को निदेशालय आयुर्वेद विभाग द्वारा राज्य सरकार को कैडर रिव्यू का प्रस्ताव भिजवाया गया था, परन्तु विभाग में कार्यरत (आयुर्वेद सेवा नियम) 1973 के अधिकारियों द्वारा आयुर्वेद ग्रामीण सेवा नियम 2008 से चयनित चिकित्सा अधिकारियों क साथ सौतेला व्यवहार करते हुए पदोन्नति में भेजे गये कैडर रिव्यू एवं पदोन्नति के प्रस्ताव में विधिक (नियम विरुद्ध) कमियों के कारण केबिनेट अनुमोदन के पश्चात भी कैडर मर्जर ड्रोप कर दिया गया, इससे आयुर्वेद विभाग कार्यरत ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को (संविधान के आर्टिकल 14 में दिये गए समानता का अधिकार) विभाग में पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है और विभाग में जूनियर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है। विभाग द्वारा किये गये इस अन्याय के विरुद्ध ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दाखिल की थी, जिसमें आयुर्वेद विभाग द्वारा 6 महीने में नियम बनाकर पदोन्नति करने का लिखित जवाब प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.09.2022 को 6 महीने पदोन्नति सुनिश्चित करने आदेश दिये थे, परन्तु आज दिनांक तक ग्रामीण सेवा नियम में संशोधन का आदेश नहीं हुआ और ना हीं केडर रिस्ट्रक्चर का आदेश हुआ।

अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन हैं कि ग्रामीण कैडर में भी समयानुसार पदोन्नति एवं प्रशासनिक पदों का सर्जन कर सेवा नियम 1973 की पदोन्नति की दिनांक से पदोन्नति करवा कर ग्रामीण कैडर के साथ न्याय करवाने की कृपा करें। क्या सरकार इस समस्या पर गंभीरता से विचार करते हुए जो अन्य ज़िलों के कार्मिक यहां पद स्थापित है उनको उनके मूल ज़िलों में भेजने की कोई कार्ययोजना बनाएगी? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी। एक सैकण्ड, आज चूंकि होम की डिपार्टमेंट पर चर्चा है, काफी लोग बोलने वाले हैं इसलिए आज भोजनावकाश स्थगित किया जाता है ...(व्यवधान)... भोजनावकाश स्थगित है, भोजन स्थगित नहीं है।

नोखा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा सहित पूरे बीकानेर ज़िले के महात्मा गांधी राजकीय अँग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में

शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को अँग्रेज़ी माध्यम की पढाई के लिये निजी शिक्षण संस्थानों में भेजने पर मजबूर हैं। वर्तमान सरकार महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों की अनदेखी कर रही है।

हमारी सरकार ने प्रदेश में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों को शुरू करके ग्राम-ढाणी के किसान मजदूर के अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में तालीम दिलवाने के सपनों को साकार किया था, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार चूर-चूर कर रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के अधिकांश राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बंद होने के कगार पर आ गये हैं। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का प्राथमिक एजेन्डा होती हैं।

विधान सभा क्षेत्र नोखा में तो यही हाल हिन्दी माध्यम के राजकीय विद्यालयों का हैं, इनमें भी शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं। विगत डेढ वर्ष में क्रमोन्नत किये गये राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत तो कर दिया गया है, परन्तु इन विद्यालयों को संचालित करने के लिये विषय व्याख्याताओं, शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के पद अभी तक सृजित नहीं किये गये है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा सहित पूरे प्रदेश के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में तत्काल योग्य शिक्षकों का पदस्थापन करे। विगत डेढ़ वर्ष में क्रमोन्नत किये गये राजकीय विद्यालयों में विषय व्याख्याताओं, शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के पदों का सृजन कर अविलम्ब इन विद्यालयों में योग्य शिक्षकों का पदस्थापन करे और साथ ही प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये कोई प्रभावी व ठोस कदम उठाये। कोरी घोषणाओं से सूबे का विकास सम्भव नहीं है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गीता बरवड़।

भोपालगढ़ के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बनाड़ के विलय की निरस्ती

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की सबसे अधिक आबादी वाला राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बनाड़ को हाल में सरकार द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विलय कर लिया गया है। इस सदन के माध्यम से अवगत करवाना चाहती हूं कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को विलय करने का प्रस्ताव स्थानीय ग्रामवासियों मांग की तर्ज पर खारिज किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा पर राज्य सरकार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अनुरूप यह विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विलय से लिंग आधारित शैक्षणिक अवसरों में कमी आएगी, जो संवैधानिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

महोदय, यह विद्यालय बालिका शिक्षा के लिए एकमात्र समर्पित संस्थान है, जो ग्राम की 200 बालिकाओं को शिक्षित कर रहा है। विलय से बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, और

संसाधनों तक पहुंच पर गभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण करना चहती हूँ कि इस बालिका विद्यालय हेतु ग्रामवासियों ने अलग भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है ताकि बालिका विद्यालय का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाए कि इस विद्यालय का विलय तत्काल रद्द किया जाए।

बालिका शिक्षा हेतु स्वतंत्र संसाधनों और भूमि के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमें आशा है कि सदन इस जनहित के मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह रावत।

राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय, ब्यावर में
चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टॉफ की कमी

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी के चलते मरीजों का समुचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय संचालित है। यह चिकित्सालय ब्यावर ज़िले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, जहां पर पांच ज़िलों के मरीज अपना इलाज कराने यहां पर आते है। साथ ही ब्यावर एक बडा औद्योगिक शहर है तथा ब्यावर चारों ओर से राजमार्गों से घिरा हुआ है, इस कारण यहां पर प्रतिदिन मरीजों की भरमार रहती है।

इस चिकित्सालय में काफी समय से चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी चली रही है, जिसके कारण यहां इलाज कराने आने वाले मरीजों को काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मरीजों को समय पर चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी जान गवानी पड रही है।

कई बार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर चिकित्सक नहीं मिलने के कारण मरीज को यहां से अन्य चिकित्सालय के लिए रैफर किया जा रहा है, जिससे मरीजों एवं परिजनों को काफी दिक़्क़तों का सामना करना पडता है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय ब्यावर में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ लगाने के आदेश शीघ्र जारी करावे, ताकि मरीजों को चिकित्सालय में समुचित चिकित्सा उपलब्ध हो सके।

माननीय मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष: हो गया। जो लिखा है वह हो गया। श्री प्रताप पुरी।

पोकरण की विद्युत समस्याओं का निराकरण

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियम 295 के तहत राजस्थान सरकार के पोकरण विधान सभा में विद्युत से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में निवेदन है:-

220 केवी बैतिणा व 33/11 केवी सनावड़ा में जीएसएस स्वीकृति प्रदान करने हेतु। पोकरण के क्रमोन्नत 220 केवी जीएसएस को भड़ला सोलर प्लांट से जोड़ा जाए।

पोकरण विधान सभा क्षेत्र में भणियाणा उपखण्ड पर अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय के लिये बजट का प्रावधान करना।

पोकरण विधान सभा में वर्तमान में विद्युत विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति कर विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का निवारण किया जाये। धन्यवाद।

VPS-RTM-03.03.2025-13.10-1o

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मण राम।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, यह 295 बोलने का मौका दिया लेकिन मैं बहुत खुश हूं और मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को। यह मैंने सदन में रखा वह मेरी मांग पूरी हो गयी इसलिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: इस पर बोलना है। धन्यवाद नहीं देना है। जो आपने लिखकर दिया है 295 उसको पढ़ना है। आप जरा 295 के नियम पढ़ो। रिकार्ड में जब आयेगा तब आप पढ़ोगे।

रियांबड़ी (मेड़ता) में कृषि एवं फल-सब्जी मण्डी की स्थापना

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के रियांबडी उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि मण्डी कृषि एवं फल, सब्जी मण्डी खोलने के सम्बन्ध में। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उप खण्ड रियांबडी एक बड़ा कस्बा है। उप खण्ड में 35 ग्राम पंचायतें क्षेत्राधिकार में आती हैं। 35 ग्राम पंचायतों के किसान बन्धुओं को अपनी फसल के बेचने हेतु कृषि मण्डी मेडता जाना पडता है, यदि उप खण्ड मुख्यालय रियांबडी में सरकार कृषि मण्डी व फल सब्जी मण्डी आवंटित करती हैं तो यह रियांबडी उप खण्ड के साथ-साथ 35 ग्राम पंचायतों का विकास करने में मदद करेगी। क्षेत्र के किसानों को फसल बेचने हेतु अधिक दूरी तय नहीं करनी पडेगी जिससे किसान वर्ग की अतिरिक्त आवागमन लागत घटेगी और उप खण्ड रियांबडी में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

अतः आपसे आग्रह है कि उप खण्ड मुख्यालय रियांबडी पर कृषि मण्डी व फल सब्जी मण्डी आवंटन करने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोगरा। पर्ची।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: पहले एक बार पर्ची का पूरा हो जाये, फिर जिनको देना है, दे देना। पर्ची।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

डूंगरपुर परिषद द्वारा ठेले वालों और सब्जी वालों की बेदखली

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा जो गरीब लोग जो कि रोड के किनारे पर अपना जीवन यापन करते हैं, कोई सब्जी बेच कर, कोई फल-फ्रूट बेच कर, कोई चाय की थड़ी कर रहा है, कोई पानी-पुड़ी की थड़ी कर रहा है लेकिन नगर परिषद ने इनको 15 दिन से, इनकी थड़ी भी ले गये नगर परिषद में पुलिस के दबाव में और उनकी केबिन भी ले गये और आज होली का त्योहार आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिन से वे कलक्टर के चक्कर मार रहे हैं, नगर परिषद के चक्कर मार रहे हैं और उनका चूल्हा तक नहीं जल रहा है। उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है इसके अलावा। कुछ विधवा महिलाएं हैं, कुछ एकल पुरुष हैं और गरीब जनता है और उनको नगर परिषद् द्वारा परेशान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, उनको अपना रोजगार करने दें, जिससे उनका जीवन यापन चल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो गैब सागर झील है, केचमेंट एरिया में भू-माफियाओं ने अतिक्रमण कर रहा है, उस पर तो नगर परिषद कार्यवाही नहीं कर रही है। उनके प्लाट काट दिये, पानी की आवक रुक गयी, उस पर कार्यवाही नहीं कर रही है और जो गरीब लोग रोड के किनारे जो पीली पट्टी है, उसके अन्दर की तरफ बैठे हुए हैं, वह रोड अपने नाम खाते थोड़े ही करवा रहे हैं? वे तो खाली रोजगार कर रहे हैं, अपना घर-पेट चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको ऐसी तकलीफ है और नगर परिषद् उनको हटाना चाह रही है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस पर तुरंत कार्यवाही करायें और होली का त्योहार उनका बिगड़े नहीं, यह मेरी मांग है। धन्यवाद, जय हिंद।

श्री अध्यक्ष: श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई)।

राहोली (निवाई) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम राहोली जो कि सीमावर्ती दूरदराज का गांव है, जिसकी दूरी निवाई मुख्यालय से 30 किलोमीटर है, इस गांव के पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर जयपुर जिले की फागी तहसील है तथा उत्तर-पूर्व जिले में चाकसू तहसील पड़ती है। राहोली के आस-पास के गांव, तुम्हीपुरा, रामपुरा, मोहनपुरा, सूर्या, चतुर्भुजपुरा, जोधपुरिया, छोरिया, सुनारा, सुनारी, प्रतापपुरा, आकोड़िया, हनोतिया, बाड़पत्राज, चनानी, काचरिया, कनेसर, मजुकड़ा, सजिया, बिड़ोली, लोदेड़ा सहित कई गांव पड़ते हैं। इसके अलावा चाकसू तहसील के और फागी तहसील के मिलाकर करीब सौ गांव हैं। आस-पास में कोई महाविद्यालय नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए या तो निवाई जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है या चाकसू जाना पड़ता है। इस क्षेत्र के बच्चे-बच्चियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़

रहा है। केवल निवाई, फागी, चाकसू में ही महाविद्यालय होने से अधिकांश गांवों में यातायात के साधनों की प्रोपर व्यवस्था नहीं होने की वजह से बालिकाओं को 12वीं कक्षा पास करने के बाद महाविद्यालय में जाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वे महाविद्यालय पहुंच नहीं पाती हैं, तो गांव में किसानों का एक मात्र यह कहना है कि वे बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि राहोली के अन्दर अगर महाविद्यालय खोलते हैं तो अच्छा होगा। मैं मुख्य मंत्रीजी को और आपको भी निवेदन करता हूं कि इस विषय पर आप गम्भीरता से विचार करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेशराज बंसल।

राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सूची में वर्ष 1999 में जाट समुदाय व अन्य जातियों के समावेशन की दस वर्ष की वैधानिक अवधि पूर्ण हो जाने के उपरांत अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की नियमानुसार समीक्षा की जानी थी किंतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 से आज दिनांक तक राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सूची की समीक्षा नहीं की गयी है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग समाज में बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कामगार जातियों का एक ऐसा बड़ा जन समुदाय है जिसके बिना समाज की कल्पना करना असंभव है। अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल घटक जिन्हें संगठित रूप से मूल ओ.बी.सी. के नाम से जाना जाता है, वे पिछले कई वर्षों से अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सूची में वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं और यह मांग आरक्षण की मूल भावना के अनुरूप है। अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में समर्थवान जाति के समावेशन से उनके आरक्षण से मिलने वाले लाभ में कमी आ रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सूची की समीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह उनके राजनीतिक, रोजगार एवं शिक्षा आदि के क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधित्व को निर्धारित भी करता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की भी इस सूची के सम्बन्ध में समीक्षा करने का आदेश पारित है। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सूची की समीक्षा करके अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के नागरिकों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मंत्रीजी उत्तर देना चाह रहे हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री गणेशराज बंसलजी ने यह जो विषय पर्ची के माध्यम से उठाया है उस सम्बन्ध में मैं सदन को भी यह अवगत करवाना चाहूंगा कि संविधान का जो संशोधन है 102वां, उसमें ओ.बी.सी. की लिस्ट में अमेंडमेंट का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को था।

उसके बाद में संविधान का संशोधन हुआ 105वां, इसमें यह पावर दिया गया स्टेट्स को और उसके बाद ओ.बी.सी. की लगभग राजस्थान के अन्दर 92 कास्ट है ओ.बी.सी. के अन्दर, 92 जातियां ओ.बी.सी. में आती हैं। ओ.बी.सी. की सूची में सम्मिलित सभी जातियों का पुनरीक्षण, रिव्यू किया जाना है या नहीं, इस सम्बन्ध में ऑनरेबल हाईकोर्ट, जयपुर में दायर अवमानना रिट संख्या 1646/2017 यशवर्धन सिंह, मूलसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गयी है जो कि अभी भी लंबित है। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण सब-जुडिस है।

श्री अध्यक्षः बैठिये। पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है मेरे पास दो। अगली कार्यवाही पूरी हो। श्री अशोक कुमार कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के तहत ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः एक मिनट, आप रुकिये। अच्छा, आपका बाकी है। आप रुकिये। पहले श्री जेठानन्द व्यास। पर्चियां पहले पूरी हो जायें।

बीकानेर में फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे सदन को यह बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं उस बीकानेर शहर से आता हूं जो खाने-खिलाने का एक बड़ा शहर है और वहां का जो स्वाद है वह भी अनूठा है। बीकानेरी भुजिया, मिठाई, बड़ी, पापड़ जो कि केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है।

महोदय, बीकानेर का मुख्य एवं परंपरागत उद्योग खाद्य पदार्थों पर ही आधारित है, जैसे भुजिया, मिठाई, पापड़, दाल, दलहन, मसाला, तेल, आदि। बीकानेरी नमकीन एवं पापड़ कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित है। खाद्य पदार्थों आधारित इकाइयां बीकानेर में 1800 के लगभग हैं।

ssy/rtm/03.03.2025/13.20/1p

जिन्हे FSSAI मानक के अनुसार खाद्य पदार्थों की जांच समय-समय पर करवाना अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति यह है कि व्यावसायिक खाद्य पदार्थों हेतु गुड़गांव, दिल्ली, गुजरात अपने उत्पाद का सैंपल भेजते हैं, जिसका खर्चा लगभग ढाई हजार से 5 हजार प्रति जांच आता है, जो छोटे उद्यमी हेतु बहुत अधिक है। जिस कारण छोटे उद्यमी अधिक उत्पादन नहीं कर पाते हैं और ना ही बाजार की आवश्यकतानुसार रकम चुका सकते हैं। क्योंकि जांच के अनुसार विवरण देना पैक्ड खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक है अन्यथा कानून का उल्लंघन है।

महोदय जी, फूड टेस्टिंग लैब जो सभी जांच यानी फिजिकल, कैमिकल खाद्य पदार्थों की

करे, ऐसी लैब की बीकानेर में आवश्यकता है। फूड लैब से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उत्पादन होगा और निर्यात में व्यापारी भी आ सकेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की तरफ से मैं एक मांग करता हूं कि बीकानेर में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर की लैब स्थापित की जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक कोठारी।

सूचना

भीलवाड़ा में गैंगरेप व ब्लैकमेल के प्रकरण

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इंर्फोमेसन के तहत बहुत ही गंभीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इंर्फोमेंसन एक मिनट में दी जाती है।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): आपके द्वारा सदन व सरकार का ध्यान चाहेंगे कि विजयनगर ब्लैकमेल प्रकरण के समान ही भीलवाड़ा शहर में एक हिन्दू समाज की बेटी के साथ समाज विशेष के युवकों के द्वारा गैंग रेप कर ब्लैकमेल किया जाता है। तो आपसे हम मांग करते हैं कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उनको तत्काल गिरफ्तार करके कठोर कार्यवाही की जाये। अभी भीलवाड़ा शहर में 10 के लगभग लव जिहाद के मामले आये हैं। उसमें 65 परसेंट के लगभग नाबालिग बच्चियां होती हैं। उन पर तत्काल कठोर कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मुकेश भाकर।

सूचना

गैणाना ग्राम(लाड़नूं) में युवक की हत्या

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन व गृह मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा में गैणाना गांव में आज से 20 दिन पहले एक युवक की हत्या हो जाती है और 20 दिनों में पुलिस द्वारा अनुसंधान में किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब वह परिवार एसएचओ निम्बी जोधा के पास जाता है तो उससे दुर्व्यवहार किया जाता है। वहां के जन-प्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहूंगा कि उस केस की सही तरीके से जांच हो और 6 दिन से जो लोग वहां धरने पर बैठे हैं, गृह मंत्री जी यह निर्देश दें अधिकारियों को कि उनकी बात को सुनकर वह धरना खत्म किया जाये तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री गुरवीर सिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ड्रग विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के चलते अनधिकृत दवाओं की बिक्री एवं मेडिकेटेड नशे की समस्या

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इश्यू रेज किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है, वह जो मेडिसन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ड्रग्स का और आज उससे एडिक्टेड हो गये हैं। उसके बारे में आपके माध्यम से मैं, माननीय सदस्य को यही कहना चाहूंगा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत जो दवाइयां हैं, जो केन्द्र सरकार ने नियम बनाये थे, एक तो है Schedule (g) - only under medical prescription or supervision, इसके अन्दर डॉक्टर ही उसका सेवन कराता है क्योंकि यह जो मेडिसन हैं इनके अन्दर ड्रग्स बहुत ज्यादा है।

दूसरी, इसके अलावा है Schedule (h 1) और x इसके अन्दर खाली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत रहती है। इसमें h 1 में एंटी बॉयोटिक्स है, साइकोट्रोफिक है, इसके अन्दर रजिस्टर हमारे विभाग को चैक करके मेनटेन करने पड़ते हैं। समस्या इसमें यह आती है कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, इसमें इश्यू यह आ जाता है कि मेडिसन जो जान बचाने की और हमारे वैलबिइंग के लिए इस्तेमाल किया जाये और वह ऐसी मेडिसन हैं जिनका दुरुपयोग भी हो सकता है। उनको जो लोग यूज करें जिनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है।

जो बहुत ही ज्यादा डेजरेंस मेडिसन हैं वह एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आती हैं। इसके अन्दर हमारा डिपार्टमेंट चैक नहीं कर सकता है। हम कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। क्योंकि यह जो एनडीपीएस एक्ट है इसके अन्दर पुलिस, सेंटर ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह सब ही इसके ऊपर कार्यवाही करते हैं।

अभी जो दवाइयां हैं, जैसे खांसी की दवाई का उदाहरण देता हूं, जिसके अन्दर कैफीन पड़ता है। कैफीन अमल से बनता है। ओपियम से बनता है। अब क्या लोगों के खांसी हो रही है, क्या उनको खांसी रहने दें या फिर हम एलोपैथिक को हटा ही दें। यह भी संभव नहीं है। इसके अन्दर नियंत्रण जो करना पड़ता है, जो हमारे माननीय सदस्य हैं आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और आपका जो बीकानेर क्षेत्र आ गया है, इसके अन्दर दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अन्दर कोडिन वाली दवाइयां, डाईफेनोक्सलेट, पेंटाजोसिन, यह करीबन 9 ड्रग्स हैं, हमने इनको बिलकुल प्रोहिबेटेड किया हुआ है क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है।

एक एविल जैसी दवाई या एलेग्रा जैसी दवाई जो किसी को मधु मक्खी खा जाये, उनको किसी टाइप की एलर्जी हो जाये, उस दवाई का भी लोग दुरुपयोग करते हैं। वह दवाई लेने से जब यह नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कोकीन लेते हैं, अफीम लेते हैं तो उससे उनको बचाकर रखती है, उसके साइड इफेक्ट्स से। जहां तक सरकार का सवाल है, हम पूरा नियंत्रण कर रहे हैं। हम रिकार्ड्स चैक कर रहे हैं। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अंडर जो आते हैं, जो बहुत ही गंभीर दवाइयां हैं, उसके लिए वह हमारे दायरे से बाहर हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी चिंता है, जो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जितना भी ड्रग सिस्टम है, ड्रग्स की दुकानें हैं, चाहे वह थोक की हैं या रिटेल की हैं, मेरी पहली मांग यह है कि उसमें कोई पैरामीटर्स तय कर दिये जायें कि कितनी पॉपुलेशन पर आप मेडिकल स्टोर्स खोल सकते हैं। डॉक्टर की प्रिसक्रिप्सन के बिना उसको बिलकुल बंद किया जाये। इसका जब तक हम पोर्टल नहीं बनायेंगे, कितनी मैनुफैक्चरिंग हुई, कितनी डिस्ट्रिब्युट हुई। बिना डॉक्टर की सलाह के जो आपने नाम लिया, चाहे वह अफीम है, चाहे हेरोइन, कोकीन है, उनके डिडक्शन के नाम पर जहां दिन में एक गोली लेनी है वह 50-50 ले रहे हैं और इतना नशे में धुत हैं कि वह किसी भी सुध में नहीं हैं। क्राइम कर सकते हैं, चोरियां करते हैं। एक तो विषय यह है सर।

दूसरा, जब तक हमें डाटा मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से नहीं करेंगे, हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा, मैं आपसे मांग करूंगा कि पिछले बजट में हमने नशा मुक्ति केन्द्र 10 की घोषणा की है। जहां-जहां नशा मुक्ति केन्द्र की सरकार ने घोषणा कर दी, वहां किसी भी प्राइवेट नशा मुक्ति केन्द्र को इजाजत ना दी जाये। क्योंकि इन नशा मुक्ति केन्द्रों पर एक तरफ गोरखधंधा हो रहा है। गंगानगर में मेरी विधान सभा में जो पिछली सरकार ने इजाजत दे दी थी, खुले आम चल रहे थे, पर एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज हुई है।

मेरी सदन से मांग है कि सरकार ने अभियान चलाये हैं। फरवरी, मार्च, मई और नवंबर में 4 अभियान चले। तकरीबन 1800 को आपने कार्यवाहियां उन फर्म्स पर की हैं। मेरी मांग है कि इस पर एक पोर्टल बनाकर के इसको कंट्रोल में लेकर के आयें। नये मेडिकल स्टोर्स के लिए कोई जनसंख्या का, कोई गांव का या पापुलेशन कोई तो पैरामीटर तय करिये। जगह-जगह यह मेडिकल स्टोर्स नहीं खुलें। इससे दुरुपयोग बढ़ रहा है। बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में क्राइम बढ़ रहा है। इस पर सख्त एक्शन हो, यह मेरी सदन से मांग है।

श्री अध्यक्ष: कुछ कहेंगे, माननीय मंत्री जी?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1.1.20204 से 3.12.2024 तक 23,247 इंस्पेकशन हुए हैं। विभाग एक्टिव है, विभाग सो नहीं रहा है। इसके अन्दर 565 लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, 4,483 निलंबित किये गये, 409 को हमने चेतावनी दी है। एक इश्यू जो माननीय सदस्य ने बहुत राइटली रेज किया है कि हमारे पास अभी पोर्टल नहीं है। पोर्टल होने से हमें बहुत फायदा होगा और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 14 ऐसे डेंजर ड्रग्स थे जो हमने बैन करने की कोशिश की। लेकिन कंपनीज हाई कोर्ट से उस पर स्टे लेकर आ गई।

spp/rtm/03.03.2025/13.30/1q

यह बहुत गंभीर विषय है। आज आप देखिए, क्या आप अपने बच्चे को कैमिस्ट शॉप से खांसी की दवाई लाने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। बच्चे खांसी की दवाई का सेवन

करके नशा कर रहे हैं। यह गंभीर विषय है, इसके अन्दर हम कड़े कठोर कदम लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स को देय मानदेय

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नियम 131 के तहत ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। विषय रखना पड़ेगा, जो आपका विषय है, वह रखो।

श्री अध्यक्ष: आप विषय रखो कि किस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रहे हो।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स के मानदेय को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत बढ़ाये जाने की मांग के संबंध में शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पोषाहार तैयार करने के लिये कुक-कम-हैल्पर का मानदेय भारत सरकार और राजस्थान सरकार तय करती है। यह मानदेय एक हजार से प्रारंभ हुआ था। अभी 2143 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है और 15 प्रतिशत एक अप्रेल से फिर बढ़ जायेगा। इसके अतिरिक्त भी, क्योंकि राज्य सरकार बच्चों को दूध भी देती है यानी दूध गरम करके पिलाया जाता है, तो दूध गरम करने का काम भी यह जो कुक-कम-हैल्पर जो काम कर रहे हैं, उसको 500 रुपये अतिरिक्त दिया जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 2,843 रुपये के करीब हो जाएगा और क्योंकि इन्होंने कहा कि यह न्यूनतम मजदूरी से कम दिया जा रहा है तो जो न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम है वह 1948 है, उसकी सूची में कहीं भी कुक-कम-हैल्पर का नाम नहीं है और इस कारण से इसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। कूक-कम-हैल्पर का जैसा मैंने कहा कि कोई भी पदनाम नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में यह पद नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में लगभग 65 हजार सरकारी विद्यालय हैं और सब जगह मिड-डे-मिल की व्यवस्था करना सरकार का और हम सभी का काम है। पर आज के समय में जहां एक स्कूल के अन्दर 400 से 500 विद्यार्थी होते हैं, उन सभी के लिये जो मिड-डे-मिल तैयार करते हैं, जिन पर हमने पौष्टिक आहार की जो जिम्मेदारी दे रखी है, आज उनको मात्र आपने कहा कि 2143 रुपये के अलावा भी हम 500 रुपये और दे रहे हैं। आप देखें कि 3 हजार, मैं तो मोटा-मोटी 3 हजार लेकर चल रहा हूं, क्या 3 हजार रुपये में वह एक महीने तक हम उनको काम करवा रहे हैं। क्या उनकी

मेहनत के पूरे पैसे जो उनके बनने चाहिये, वह दे रहे हैं? आज के समय में हर स्कूल की यह स्थिति है कि जितने भी शिक्षक हैं वह परेशान हैं1 कोई भी माननीय सदस्य वहां पर चले जाते हैं, चैक करते हैं कि साहब मिड-डे-मिल सही बन रहा है या नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? सही बनाओ, पैसे नहीं मिल रहे हैं। वह कहते हैं कि जो बनाने वाले लोग हैं, 3 हजार में आज की इस मंहगाई के दौर में कोई आदमी नहीं मिल रहा। कहां से लायें? यह जो समस्या है, यह अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत के पूरे पैसे मिलने चाहिए। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 27 की बात अभी हमने की है, मेरा निवेदन है क्या कुक-कम-हैल्पर को उसमें सम्मिलित करने का हम विचार रखते हैं? यदि नहीं, तो इसमें क्या-क्या बाधाएं आ रही हैं? आप उनको सदन के सामने रखें। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कुक-कम-हैल्पर के लिये सामाजिक सुरक्षा लाभ क्या चिकित्सा अवकाश, आकस्मिक अवकाश और तमाम अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की योजना सरकार ने बना रखी है? अगर नहीं, तो क्या बनाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कुछ कहेंगे?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि यह पार्ट टाइम काम है यानी अंशकालीन कार्य है। जो इन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की जो परिभाषा इसमें शामिल करें, तो यह श्रम विभाग का काम है, श्रम विभाग इसको देखेगा और निर्णय करेगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रमुख सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

रजिस्ट्रीकरण राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव (राजस्थान विधान सभा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के षष्ठ सत्र में पारित निम्न विधेयक का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिस पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:

1. रजिस्ट्रीकरण राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021.

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री गोतम कुमार।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट, वार्षिक लेखे एवं ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

1. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट, वार्षिक लेखे एवं ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट वर्ष 2023-24;

दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

2. दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-24;

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

3. राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-24;

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

4. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-24;

दी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

5. दी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-24;

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

6. राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-24; एवं

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2023-24)

7. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2023-24.

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गए विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण (वर्ष 2024-25)

1. राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गए विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण वर्ष 2024-25; एवं

श्री अध्यक्ष: यह 24-25 है कि 23-24 है?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 2024-25 है।

श्री अध्यक्ष: यह ध्यान कर लेना आप।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): नंबर दो पढ़ रहा हूं।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (वर्ष 2023-24)

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2023-24.

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री अमीन कागजी।

याचिका

किशनपोल के वार्ड संख्या 55 से 75 में सीवर लाईन कार्य डालने में हो रही अनियमितताएं

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के वार्ड संख्या 55 से 75 में सीवर लाइन कार्य डालने में हो रही अनियमितता के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार-विमर्श। श्री जवाहर सिंह बेढ़म।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18-गृह की प्रस्तुति

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-18-गृह के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 116,57,07,84,000/- (अक्षरे एक सौ सोलह अरब सत्तावन करोड़ सात लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान करने की अनुमति दी जावे।

(मांग संख्या 18- गृह पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्ष: अभी तो अनुमति ही मांगेंगे। अभी तो बहस होगी। उसके बाद जवाब देना है।

मांग संख्या 19- कारागार की प्रस्तुति

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): मांग संख्या 19 भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19-कारागार-के सम्बन्ध में

31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,68,47,11,000/-(तीन अरब अड़सठ करोड़ सैतालीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान किये जाने की अनुमति दी जावे।

(मांग संख्या 19- कारागार पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह। श्री ललित मीणा। जल्दी आओ। व्यक्ति को यहां पर रहना चाहिए। ..(व्यवधान).. आपकी अभी तक सूची नहीं आयी है। मैं वो ही मांग रहा हूं। आपके यहां से सूची आये तब ही तो बोलूं न।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अब उधर से लिस्ट आने की संभावना कम ही है।

मांग संख्या 18-गृह एवं 19-कारागार पर विचार

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-18-गृह पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का मुख्य कार्य है अपराध एवं अव्यवस्था को रोकना तथा कानून का पालन करवाना एवं आमजन को न्याय दिलाना। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देश के हर नागरिक को अधिकार है कि उसे तुरंत न्याय मिले। लेकिन आज संसाधनों की कमी, मैन पॉवर की कमी के कारण प्रदेश के हजारों लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। 25 हजार से ज्यादा केसेज एफ.एस.एल. और डी.एन.ए. रिपोर्ट के कारण से पेंडिंग हैं।

jyg/rtm/03.03.25/13.40/2a

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

लगभग 15 हजार से अधिक रेप पीड़िताओं को न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि एफएसएल और डीएनए की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, 2020 से ही लगातार पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। डीएनए रिपोर्ट के लिए प्रदेश में केवल 7 यूनिट्स हैं जबकि वर्कलोड के हिसाब से 35 यूनिट की जरूरत है। अगर हम हमारे दूसरे राज्यों को देखें तो दिल्ली में एफएसएल में डीएनए की यूनिट 25 हैं, हरियाणा में 20 हैं, एमपी में 23 हैं और यूपी में 22 हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय, राजस्थान ने भी यह स्वीकार किया है कि एफएसएल की एक्सपर्ट ऑपिनियन के बिना दोषियों को सज़ा दिलाना बहुत मुश्किल है। प्रदेश एफएसएल के डाइरेक्टर ने भी यह स्वीकार किया है कि समय पर एफएसएल रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह रहेगा कि इस सम्बन्ध में देखें और इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने भी बार-बार नाराजगी जाहिर की है एवं प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर भी तलब किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, नये क्रिमिनल लॉ में बदलाव के बाद अब एफआईआर से लेकर फैसले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गयी है। इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गयी है। अब हर अनुसंधान अधिकारी को कम्प्यूटर की अतिरिक्त जानकारी होना अति आवश्यक है लेकिन आज भी राजस्थान पुलिस के 80-90 प्रतिशत आईओ कम्प्यूटर ज्ञान में निपुण नहीं हैं। अभी तक इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन अब नये कानून आने के बाद प्रदेश के थानों में अनुसंधान अधिकारियों तथा निजी तौर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर रखना शुरू कर दिया है। ...(व्यवधान)...

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय सभापति महोदय, गृह और कारागार जैसा इम्पोर्टेंट मुद्दा है और अधिकारी बैंच पूरा खाली पडा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये, प्लीज।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके पिछले समय में कितने बैठते थे?

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): मैं पिछले और अबकी बात नहीं कह रही हूं। ...(व्यवधान)... हमने जो गलती की वो आप भी करेंगे क्या?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपका कहना सही है। एक मिनट में आ रहे हैं अभी। आपका कथन सही है, बैठ रहे हैं अभी।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट कम्पयूटर ऑपरेटर को मुकदमों की एवं अनुसंधान पत्रावलियों के रिकॉर्ड की पूरी जानकारी होती है। उनकी पहुंच पूरे थाने के सम्पूर्ण क्राइम रिकॉर्ड तक रहती है। अनियमित नियुक्ति होने के कारण कम्प्यूटर ऑपरेटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वर्तमान में अधिक पुलिस थानों के रिकॉर्ड और अनुसंधान की गोपनीयता पूरी तरह से खत्म हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसके समाधान के लिए पुलिस कांस्टेबल के पदों में से एक तिहाई पद कम्प्यूटर ऑपरेटर,कांस्टेबल में तब्दील किये जायें। कम्प्यूटर ऑपरेटर कांस्टेबल की भर्ती सामान्य कांस्टेबल से अलग कम्प्यूटर ऑपरेटर की विषय विशेषज्ञता को शामिल करते हुए की जाये।

माननीय सभापति महोदय, चेतक वाहन पुलिस गश्त की नाकेबंदी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन इसकी गोपनीयता में सबसे बड़ी सेंध प्राइवेट ड्राइवरों के माध्यम से लग जाती है। इसके समाधान के लिए प्राइवेट ड्राइवरों को रखने की व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए और इसके बजाय कोंट्रेक्ट ड्राइवर के जो पद हैं वो क्रिएट करके इसके अन्दर ड्राइवर रखे जाने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे डेगाना विधान सभा क्षेत्र में थांवला पुलिस थाना है, वहां पर इस थाने के अधीन बजरी खनन क्षेत्र है, आलनिया बास, बीजाथल, लूंगिया और रोड़सा। वहां पर खान विभाग कुछ बजरी खनन के प्लॉट नीलाम किये गये। बजरी खनन लीज धारक हैं, उनके द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये की लीज मनी जमा करायी गयी, लेकिन इन क्षेत्रों में

अभी तक बजरी खनन का कार्य शुरू नहीं हुआ है, प्रक्रियाधीन है। पुलिस अधीक्षक, नागौर के द्वारा थांवला पुलिस थाने में एएसआई सूरजमल को लगाया गया। थाने में पदस्थापन के कुछ समय बाद ही एसआई सूरजमल बजरी माफियाओं से साठगांठ कर अवैध बजरी खनन कार्य को प्रोत्साहन देने लगे और बदले में मोटी रिश्वत प्राप्त करने लगे। समय-समय पर मेरे द्वारा एसपी नागौर को अवगत करवाया गया। हद तक तो तब हो गयी, जब 27 सितम्बर, 2024 को रिया बड़ी के सहायक वनपाल ने पुलिस थाना थांवला में नामजद लोगों के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दी कि ग्राम आलनियां बास में वन क्षेत्र की फेंसिंग एवं सीमेंट पोल को क्षतिग्रस्त कर वन क्षेत्र में जेसीबी एवं डम्पर द्वारा, ट्रैक्टर ट्रोली द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एसएचओ थांवला द्वारा अवैध खनन कार्य करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उलटा सहायक वनपाल के साथ दुर्व्यवहार किया थानेदार ने, गाली-गलौच की, उसे धमकाया कि अबकी बार शिकायत की तो तुझे ही बंद कर दूंगा। एसएचओ थांवला द्वारा आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ...(व्यवधान)... बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य, बात सुनो। कभी-कभी सत्य को भी स्वीकार करो। आपके वहां भी क्या हाल है, हमें पता है।

माननीय सभापति महोदय, थांवला क्षेत्र के लोगों ने मुझे अवगत कराया कि एसएचओ अवैध बजरी संचालन में प्रयुक्त प्रत्येक डम्पर से चार हजार से पांच हजार रुपये लेते हैं। बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। प्रतिदिन सैंकड़ों डम्पर व ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन का परिवहन किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से एसपी नागौर को सूचित किया गया। उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की, उनका जवाब था कि मैं खुद रिश्वत नहीं लेता, मैं पैसे नहीं लेता। इस पर मैंने कहा कि थानेदार लगातार अवैध बजरी खनन के कार्य का संरक्षण कर रहे हैं और मोटी रकम ले रहे हैं तो मैंने एसपी नागौर से कहा कि मैं भी रिश्वत नहीं लेता हूं। मैं भी वहां का विधायक हूं। एसएचओ बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहा है, इससे मैंने एसपी नागौर को अवगत करवाया।

माननीय सभापति महोदय, प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उससे मेरे द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत करवाया गया और तत्पश्चात् उस थानेदार को वहां से हटाया गया। लीज धारक भी बार-बार शिकायत करते रहे लेकिन एसपी नागौर ने कोई ध्यान नहीं दिया, न थानेदार ने ध्यान दिया और जब बात मेरे पास में आये लीजधारक तो मैंने उनसे कहा कि आज आईजी अजमेर से इस सम्बन्ध में शिकायत करें। मैंने आईजी साहब को टेलिफोन पर पूरी बात बताई कि इस तरह से अवैध खनन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सहायक वनपाल ने यह रिपोर्ट दर्ज करायी, उसने नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी है कि यह फलां-फलां व्यक्ति यह काम कर रहे हैं लेकिन एसपी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके बाद में 19 फरवरी 2025 को मेड़ता भास्कर का जो अख़बार निकलता है, उसमें यह खबर आयी कि बजरी डम्परों से 5 हजार रुपये बंधी का खुलासा, चार लाइन हाजिर, पूर्व एसएचओ

को 17 सीसीए नोटिस।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि जब मैंने एसपी को बता दिया था कि इनको तुरंत हटाया जाये, यह मेरे क्षेत्र का सबसे भ्रष्ट थाना बन गया है। मेरे ख्याल से मेरे देखते-देखते कभी ऐसा थानेदार नहीं आया, जिसने बिना पैसे कोई भी काम किया हो, लेकिन एसपी के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया और एसपी ने कहा कि देखते हैं। माननीय सभापति महोदय, देखते-देखते वो थानेदार वहां से करोड़ों रुपये रिश्वत के ले गया और तो और आप देखिये कि यहां से हटने के बाद में उन्होंने इसका पैसा भी वहीं इंवेस्ट किया मेरे वहीं पर, मुझे इसकी सूचना मिली है कि उन्होंने 32 या 35 बीघा जमीन मेरे विधान सभा क्षेत्र में खरीदी है बेनामी, अन्य लोगों के नाम से और उसकी पावर ऑफ अटोर्नी भी उन्होंने प्राप्त की है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह रहेगा कि एसओजी इसकी जांच करे, मैं आज इस पवित्र सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि विधायक के नाते मेरी भी जांच की जाये कि हम भी वहां पर क्या करते हैं क्योंकि अगर इस तरह की बातें अगर एसपी अपने घमण्ड में और अगर इस तरह की बातें होंगी तो यह सभी के लिए ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात और भी आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि मेरे वहां पर एक ड्राइवर है, जो लम्बे समय से डेगाना में पदस्थापित है और उसने मेरे चुनाव में, आप उसकी हिम्मत देखिये, मेरे चुनाव में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बीजेपी को वोट देगा, जो अजय सिंह किलक को वोट देगा उसकी मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता।

MLS/RTM/03.03.2025/13:50/2b

यह जब ऑडियो वायरल हुआ, तब कार्यकर्ताओं ने एसपी से कहा और एसपी ने तुरन्त हटा दिया। आज वह वापस वहीं पर है और मैं इस सदन के माध्यम से नागौर एसपी के विरुद्ध यह आरोप लगाता हूं कि वे मेरे प्रति व्यक्तिगत दुर्भावना रखते हैं। मेरे जो कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भी वे इस तरह की दुर्भावना रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जो बीट कॉन्स्टेबल्स हैं, जो हमारे अनुसन्धान अधिकारी हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें अभी जो भत्ता मिल रहा है, वह बहुत कम है। इसके समाधान के लिए बीट कॉन्स्टेबल्स को और अनुसन्धान अधिकारियों को शून्य ब्याज अथवा बहुत कम ब्याज पर निजी वाहन उपलब्ध कराने का आप देखें और कम से कम उन्हें 2500 रुपये का भत्ता मिले, मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में देखें।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में 37,016 होमगार्ड्स के पद स्वीकृत हैं, लेकिन आज 28,342 पद भरे हुए हैं और इनमें से महिलाओं के केवल 2,075 हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि होमगार्ड जवानों को 12 माह नियुक्ति मिले, इसके लिए सरकार उचित कदम उठाये। साथ ही, जो भत्ता दूसरों को मिलता है, वह उन्हें मिले। होमगार्ड्स को अन्य राज्यों के

भत्तों के समान पीपीएफ और चिकित्सा सुविधाएं भी मिलें, ऐसा मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, सिविल पुलिस में प्रथम प्रमोशन कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल के ऊपर होता है एवं द्वितीय प्रमोशन हैड कॉन्स्टेबल से एएसआई के पद पर होता है एवं तृतीय प्रमोशन एसआई से एएसआई उप निरीक्षक के पद पर होता है, जबकि आरएसी, घुड़सवार, चालक, आर्मर में द्वितीय प्रमोशन हैड कॉन्स्टेबल से एएसआई उप निरीक्षक के पद पर होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी मांग रहेगी कि जिससे द्वितीय प्रमोशन के बाद सिविल पुलिस आरएसी, घुड़सवार, चालक, आर्मर में वेतन एवं पद की विसंगतियां आ जाती हैं, जबकि ये समान परीक्षा व समान योग्यता से भर्ती होते हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर देखें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे वहां पर एक-दो सालों में काफी चोरियां हुईं, डकैतियां हुईं और कुछ हत्याएं भी हुईं। उनका भी काफी लम्बित है तीन-तीन साल से। मेरा आग्रह रहेगा कि आप पूरा इसको दिखवाएं और क्या इसमें हो सकता है, किस तरह से उनके मुलजिम पकड़ाई में आ सकते हैं, यह आप देखें।

माननीय सभापति महोदय, अभी मेड़ता में कुछ जो नागौर जिले के किसान हैं, उन्हें 2023 का फसल बीमा का प्रीमियम नहीं मिला। जब वे एनएच-58 पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने 56 किसानों को नामजद और 300 अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा, इसमें किसानों से बात करें। इसमें दोष तो बीमा कम्पनी का है, जिसने 2023 का बीमा क्लेम अभी तक किसानों को नहीं दिया। उनसे बातचीत करें, किन्हीं मंत्री महोदय को निर्देशित करें, एक टीम बनाएं कुछ अधिकारी उनसे मिलकर ताकि भविष्य में जो भी बीमा है या क्लेम जो भी समय पर मिलना है, वह समय पर मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे डेगाना में कॉन्स्टेबल्स की संख्या काफी कम है। 15 कॉन्स्टेबल्स कम हैं, वे मुख्यालय हैं, इसके लिए भी आप ध्यान दें। एएसआई के चार पद भी खाली पड़े हैं, एसआई का पद भी खाली है। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी मानना है कि यदि हम पुलिस से काम लेना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे में उन्हें भी कई सुविधाएं मिलनी चाहिये। मेरे डेगाना में, थांवला में और पादू थाने, मेरे तीन आते हैं, वहां कोई भी आवासीय क्वॉर्टर्स जो हैं वे जीण-शीर्ण हैं, न कोई वहां पर बैरक हैं। इस सम्बन्ध में ध्यान दें। कुछ न कुछ फंड का आवंटन करें। मैं अपने मुख्यालय पर अभय कमाण्ड स्थापित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि विभाग, सरकार इसमें हमें तकनीकी सहायता दे, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जब हम लगाते हैं तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। मैंने पिछली बार भी लगाये थे। ऐसी व्यवस्था करें कि हम लगाएं, जो भी खर्च होगा सरकार द्वारा, उतना ही हम करेंगे, चाहे भामाशाहों से करे, विधायक कोष से करें, लेकिन एक बार हमें तकनीकी सहायता मिले।

माननीय सभापति महोदय, 2020 में कांग्रेस के शासन के समय जो जिला कलक्टर थे, उन्हें राशन डीलरों की बहुत शिकायतें मिलीं। उन्होंने अकस्मात ही सब निरीक्षकों से, डीएसओ विभाग से जांचें करवाईं, निरीक्षण करवाये। जब उन्हें पता लगा, बहुत गम्भीर अनियमितताएं जहां पर मिलीं, वहां जिला कलक्टर महोदय ने कहा कि इनके विरुद्ध एफआईआर लॉज करायी जाये। पूरे नागौर में दर्ज हुईं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9 एफआईआर दर्ज हुईं। माननीय सभापति महोदय, 9 में से 8 में पुलिस ने एफआर लगा दी। यह बहुत गम्भीर है। एक जिला कलक्टर और एसपी, दोनों समकक्ष, जिनके अलग-अलग दायरे हैं, वे रिपोर्ट कराएं, अखबारों की हैडलाइन बने कि कलक्टर ने सबका संज्ञान लिया और कार्यवाही के आदेश दिये, लेकिन सब पर लग गयी है, एक पर नहीं लगी। वह मेरे क्षेत्र का है। एफआईआर 76/2020, उसमें शिकायतकर्ता मजबूत था। फिर मेरी जानकारी में आया, पिछले 4 साल से तो मेड़ता डीवाईएसपी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरा यह भी कहना है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इसे लटकाये रखा है इतने टाइम से, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम जयपुर को देखें तो जयपुर में भी वाहन चोरी के बारे में हमें सोचना चाहिये, हमें रात्रि की गश्त को बढ़ाना चाहिये। और अन्त में जब एक नागरिक की तरह हम पुलिस का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे राजस्थान की पुलिस सबसे अच्छी पुलिस है, लेकिन उसके लिए यह भी जरूरी है कि हम भी पुलिस का कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ दें। जो पुलिस अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं, उनका भी यह दायित्व बनता है कि जन प्रतिनिधि को महत्त्व दें और क्षेत्र में पूरा फीडबैक लें ताकि सही-सही काम वे कर पाएं।

मैं अपने पुलिस के अधिकारियों के लिए, मेरे पुलिस परिवार के लिए, जो कि समय-समय पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्थान का नाम बढ़ा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा,

इतनी शिद्दत से निभाओ अपने किरदार को,

कि आपके लिए हमेशा ही हमेशा तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें।

सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शान्ती धारीवाल साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, पुलिस और कारागार की मांग संख्या पर आज चर्चा हो रही है। मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। आपने बड़ी कृपा की, मुझे समय दे दिया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, यह आप दोनों का तालमेल क्या है हर बार का? जब भी माननीय शान्ती धारीवाल बोलते हैं, सभापति महोदय, आप विराजमान होते हैं। यह अलग है कुछ।

श्री सभापति: उत्तर-दक्षिण का है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ये दोनों उत्तर-दक्षिण हैं, इसलिए कोई फेवर

नहीं मिलने वाला इनको।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सबसे पहले तो हमें जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम सामूहिक रूप से अपराध और अपराधी को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे और गम्भीर प्रयत्न करेंगे। पुलिस का इकबाल किस प्रकार से कायम हो सकता है, यह सरकार में बैठे हुए लोगों पर निर्भर करता है कि उनकी नीयत क्या है, वे क्या चाहते हैं और वे किस तरीके का काम अपने अफसरों से करवाना चाहते हैं। पिछले एक साल में 221 घटनाएं प्रदेश की अलग-अलग जगहों पर वे हुई हैं, जिनमें कि पुलिस की पिटाई हुई है। छोटी पिटाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी पिटाइयां, जिनको अखबारों ने बड़ी जगह दी हैं। ऐसी 221 घटनाएं हो चुकीं राजस्थान में एक ही साल के अन्दर-अन्दर, क्योंकि पुलिस को स्ट्रेंथन करने का काम जब तक सरकार के द्वारा नहीं किया जायेगा, तब तक इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रहेंगे, होती रहेंगी। सरकार ने पिछले बजट में 10 हजार 562 करोड़ रुपये का प्रावधान किया पुलिस के लिए और इस बार 500 करोड़ रुपये घटा दिये, 10 हजार 94 करोड़ रुपये दिये हैं।

MKD/RTM/03.03.2025/14:00/2c

सीधे-सीधे 500 करोड़ रुपया कम कर दिया। आपका 95 प्रतिशत पैसा तो सिर्फ तनख़्वाहों में जाता है, भत्तों में जाता है, रह गया 5 परसेंट। अब 5 परसेंट से आप किस प्रकार से पुलिस को मजबूत कर सकते हो? तो यह नीयत बताती है कि सरकार की नीयत में ही खोट है। सरकार नहीं चाहती कि पुलिस मजबूत हो और पुलिस का इकबाल कायम हो। धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों सभ्यता काविकास होता गया, कोई-सा ही काल खण्ड रहा हो, अपराध और अपराधी हमेशा समाज से जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा। कोई भी सरकार चाहे आपकी बने, चाहे हमारी बने, चुनाव के पहले हम बड़ी-बड़ी बातें किया करते हैं। सभी लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, करना पड़ता है, जनता वही सुनना चाहती है, लेकिन सरकार में बैठने के बाद हो क्या जाता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप ही बताओ।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बाकी जो रह गया, वह मैं आपसे पूछ लूंगा।

श्री सभापति: आप पहले बता दो, वे बाद में बता देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपको ज्यादा जानकारी है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सवाल यही है कि अपराध पर अंकुश लगाने का, सत्ता का नजरिया क्या है? जिस प्रकार से अपराध और अपराधी राजस्थान में बेखौफ चल रहे हैं। मैं यह समझता हूं, यह निश्चित तौर पर एक चिन्ता का विषय है। यह राजस्थान की खूबसूरती है, राजस्थान के आगोश में इतिहास छिपा है, यहां की धरोहर, यहां की विरासत देखने के लिए विदेशों से जो पर्यटक आते हैं हिन्दुस्तान, उसमें से कम से कम 4 या 5 में से 1 आदमी जरूर जयपुर राजस्थान आता है, लेकिन उनके मन में डर है, डर का वातावरण है,

क्योंकि अभी एक-दो साल के अन्दर-अन्दर जो घटनाएं यहां फॉरेनर्स के साथ हुई हैं, उसकी वजह से उनमें डर है।

श्री सभापतिः बीच में नहीं बोलें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या हो गया साहब, पटेल साहब।

श्री सभापतिः आप तो इधर देखकर बोलें, आप डायवर्ट मत हुआ करो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): और यही एक कारण रहा है कि पर्यटकों की संख्या इस वर्ष कम रही है, विदेशी पर्यटकों की संख्या की बात कर रहा हूं वह इस बार बहुत कम रही है। उनका डर नहीं निकला है।

टेलीग्राफ एक्ट बना है। उस टेलीग्राफ एक्ट की, आप लोगों ने क्या धज्जियां उड़ाई हैं। आप हो या आपके पीछे वाले हों, कोई भी हों। साहब, कोई टेलीफोन टेप नहीं हुआ। मान ली साहब, हमने भी। मंत्री जी ने कहा है कि टेलीफोन टेप नहीं हुआ। चलो ठीक बात है, हो गई, हो गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद में जो है, हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जिनका यह मामला चल रहा है, उन्होंने कह दिया कि मेरा तो अभी भी टेप हो रहा है। क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? सरकार इस प्रकार से चल रही है?

साहब, कभी राजस्थान में इस प्रकार की सरकार नहीं देखी, जहां पर यह वातावरण। मंत्री कहे कि, साहब मेरा टेप हो रहा है। फिर, वही मंत्री कह देता है कि साहब अनुशासन के चक्कर में मैं बोल नहीं रहा हूं। फिर जो है, सम्बन्धित मंत्री कह देते हैं कि कोई टेप नहीं हुआ है। फिर, मंत्री कह देता है कि टेप हो रहा है, लाहौल विला कूवत।

खैर, सभी चाहते हैं प्रदेश में शान्ति रहे, साम्प्रदायिक सौहार्द रहे, वातावरण ठीक रहे, लेकिन ताज्जुब की बात है यह देखने को मिला कि जितनी भी साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं, कुछ नहीं हुआ उनमें, सिर्फ एक में चालान पेश हुआ है, सिर्फ एक में चालान पेश हुआ है। करो चाहे ये हों, या वो हों। जिसने गलती की है, उनके खिलाफ चालान पेश करने में दिक्कत क्या है? बिलकिस बानो का मामला ले लो। हालांकि, राजस्थान से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का, लेकिन मैं सन्दर्भ में बता रहा हूं, बिलकिस बानो के जो बलात्कारी थे, उनकी सज़ा माफ हो गई और सज़ा ही माफ नहीं हुई, बल्कि जो अपराधी थे, उनका सत्कार किया गया, बाकायदा उनका जुलूस निकाला गया, मालाएं पहनाई गईं, उनकी वाहवाही की गई।

श्री सभापतिः राजस्थान में।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। राम रहीम को लम्बी-लम्बी, बड़ी-बड़ी पैरोल दे दी गई, कितनी बार दे दी गई, दसों बार राम रहीम को पैरोल दे दी गई। आखिर इन चीजों का सन्देश क्या जाता है जनता में? अपराधियों में क्या जाता है? अपराधी समझता है कि कोई बात नहीं है, उस बिलकिस बानो का भी कुछ नहीं हुआ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की लड़की का भी कुछ नहीं हुआ, राम रहीम का भी कुछ नहीं हुआ, मजे कर रहा है, आराम से। ये घटनाएं अपराधी को और मजबूत करती हैं। उसको अपराध करने को और तैयार करती हैं।

सभापति महोदय, आज भी हमारे समाज में उच्च वर्ग के दबंग लोगों की अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति घृणा कम नहीं हुई है। आज भी वे घृणा के शिकार हैं। हमारी सरकार थी तो हमने बलात्कार पर 5 लाख रुपया, गैंग से बलात्कार हुआ तो उसको 8 लाख रुपया और रेप के दौरान यदि हत्या कर दी गई हो तो उसको 5 हजार रुपये पेंशन, पेंशन के साथ-साथ उस परिवार को एक नौकरी, कृषि भूमि वगैरह-वगैरह तथा और कोई बालक हो तो बालक को ग्रेजुएशन तक सारा खर्चा सरकार देती थी, उसका। इस सरकार ने पता नहीं क्या किया है, कोई पता ही नहीं लगता कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मोटे तौर पर, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आपके राज में एस सी, एस टी के कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जो पुरानी थी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पटेल साहब, प्लीज। आपका नाम कितना शानदार है या तो वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे और या आप हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप हमारे आदर्श हो। मर्दों के प्रदेश के स्वामी हो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कम से कम आप उनसे थोड़ी तो शिक्षा लो। पुलिस के प्रतिवेदन 2024 में अनुसूचित जाति और जनजाति के 9,279 मामले दर्ज हुए हैं। अभी आप जालोर में ही देख लो। जालोर का जो सांचोर है, सांचोर का जो गांव है, हरियाली। वहां दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर खूब पिटाई की। अजमेर का लावेरा गांव, वहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं घटीं।

मुझे अच्छी तरह से याद है कि कैलाश मेघवाल साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे और रामगंज मंडी के गांव में, गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, 1995 या 1996 की बात है। जब एक दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया था और उतारकर उसकी वैसे ही पिटाई की गई थी, जैसी हरियाली गांव में हुई तो आप संवदेनशीलता देखिये, कैलाश मेघवाल साहब हेलीकॉप्टर लेकर उस गांव में पहुंचे और पहुंचकर तुरन्त कार्यवाहियां कीं, लेकिन आज तो अख़बार में आता है, ऐसी घटनाएं हुईं तो उसका कोई नोटिस ही नहीं देते। (..व्यवधान..)

Bhs/Rtm/03.03.25/14.10/2d

श्री सभापति: बैठे-बेठे न तो इधर से बोलें न इधर से।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ये डिस्टर्ब करते-करते तो पता नहीं एक बार क्या कहलवा दिया था मुझसे। ...(व्यवधान)... पिछले साल हत्या के 1,859 मामले दर्ज हुए यानी कि हर महीने 150 व्यक्तियों की हत्या हो रही है। अपहरण के 11,421 मामले दर्ज हुए और एक साल में 124 डकैतियां पड़ गईं, यानी हर महीने दस डकैतियां पड़ रही हैं। यह तो क्राइम का हाल है और चोरी की बात करूं तो चोरी ने तो सारे रिकार्ड ही तोड़ दिये। 120 घटनाएं पूरे राजस्थान में रोज हो रही हैं चोरी की 120 प्रतिदिन और प्रतिदिन बीस नौनिहाल बच्चों को

फिरौती मांगने के चक्कर में उनका अपहरण कर लिया जाता है, रोज बीस। यह अच्छा तमाशा है साहब, आपकी सरकार का न तो मुख्य मंत्री जी आते और यह दो-दो बना दिये आपने डिप्टी साहब, ये डिप्टी साहब भी नहीं आते।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): शांति धारीवाल जी, कभी-कभी निगाहें इधर भी इनायत कर दिया करो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): नहीं, आप तो आप ही हो, आप उनकी जगह नहीं ले पाओगे।

श्री सभापति: आप तो मेरी तरफ ही रहने दो साहब इनायत निगाहों की। आप तो इधर इनायत रखो, साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): न वो क्वालिटीज हैं आप में जो मैडम डिप्टी चीफ में हैं और न वो क्वालिटी है जो प्रेमचन्द जी बैरवा साहब में है इसलिये आप वहीं जमे रहो।

पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह घोषणा की कि एक पुलिस फोर्स बनायी जायेगी। सबने ताली बजाई कि साहब, बहुत अच्छी बात है कि पुलिस फोर्स बनेगी। अब वह प्रस्ताव बना करके पुलिस वालों ने वहां हैडक्वार्टर से आया होगा प्रस्ताव, वह प्रस्ताव बना करके जरिये मिनिस्टर वित्त मंत्री के पास पहुंचा दिया। वित्त मंत्री जी ने वित्त विभाग में पहुंचा दिया और वित्त विभाग ने लिख दिया कि यह प्रस्ताव उचित नहीं है। शाबाश, क्या सरकार चल रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वित्त मंत्री उनकी घोषणा और वह भी बजट में और वह वित्त विभाग कह रहा है जो उनके अण्डर में है और जिस वित्त विभाग ने ही उनसे यहां पर घोषणा करवायी, वो ही आज यह बात कह रहा है कि यह प्रस्ताव आपका स्वीकृत नहीं हो सकता। बताइये आप, ऐसी सरकार कहीं देखने को मिलेगी क्या?

महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं। घर से निकलने की तो बात छोड़िये आप, क्योंकि महिलाएं भी आजकल वो महिलाएं नहीं रही जो जमाने की थी। अब महिलाओं में भी कुछ दम तो आया है इसमें कोई दोराय नहीं है। लड़ना-भिड़ना जवाब देना भी सीखी हैं तो कुछ महिलाएं तो घर से निकलती हैं डरती नहीं हैं लेकिन कुछ डरती हैं और ज्यादातर महिलाओं का यह देखा गया कि बस में बैठ करके वो अपने-आपको असुरक्षित महसूस करती हैं आज भी।

राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 700 केसेज के सैम्पल डी.एन.ए. जांच के लिए आते हैं और जांच कहां होती है, इन 700 सैम्पल्स को आने के लिए कम से कम भी बीस परीक्षण यूनिट चाहिये, कम से कम बीस। हैं कितनी? दो, जिन पर काम हो रहा है बाकी सात तो बन्द पड़ी हुई हैं चाहे वो कोटा की हो, उदयपुर की हो, भरतपुर की हो, भीलवाड़ा की हो, बीकानेर की हो और इस साल तो राज्य विधि विज्ञान विभाग की रिपोर्ट भी विधान सभा में पेश नहीं हुई है। क्या मजाक है, बताओ आप। क्या हलके में ले रहे हैं इस असेम्बली को। किस स्तर की असेम्बली थी और किस स्तर की देखने को मिल रही है इन्हीं

आंखों से।

सभापति महोदय, अपराध इतने होते हैं, हो रहे हैं, इन पर अंकुश लगेगा कैसे, पुलिस चालान पेश कर देती है अदालत में। पैरवी करने कौन जायेगा? ए.पी.पी. के 490 पद हैं जिनमें से 270 खाली चल रहे हैं। 490 में से 270 खाली चल रहे हैं वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा उन फाइलों का। ज्वाइंट डाइरेक्टर, प्रोसीक्यूशन की 13 पोस्टें हैं 13 की 13 खाली पड़ी हुई हैं। डिप्टी डाइरेक्टर प्रोसीक्यूशन की 39 पोस्टें हैं जिनमें 28 खाली पड़ी हुई हैं। ...(व्यवधान)... नहीं? आप ही कर रहे हो सब जगह काम।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जवाब दे देंगे आपको। आपको बता देंगे ...(व्यवधान)... यह पेपर किसी और ने दे दिया, आपके राज के टाइम का होगा ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, पुलिस को स्ट्रेन्थन करना पड़ेगा। पुलिस फोर्स को स्ट्रेन्थन किये बगैर उम्मीद करना ही बेकार है कि साहब, यहां की कानून-व्यवस्था सुधर सकती हो। पिछले साल के बजट में पांच हजार पांच सौ पद क्रियेट करने के लिए घोषणा की गई थी और इस साल के बजट में तीन हजार पांच सौ नये पद क्रियेट करने की घोषणा की गई थी। भर्ती एक पर नहीं हुई और 26 हजार पद रिक्त पड़े हुए हैं, 26 हजार।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): एक साल में ही हो गये सब?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपका नम्बर ले लेते हैं, पुलिस में भर्ती में आप फिट हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धारीवाल जी, आप गृह मंत्री रहे हो। आप बिलकुल असत्य बोलते जा रहे हो। आपकी जिम्मेदारी कितनी थी। कितने बलात्कार हो रहे थे उस समय आप कह रहे थे कि मर्दों का प्रदेश है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बैठ जाओ। थक जाओगे। अवैध हथियारों की तस्करी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप भी डिस्टर्ब कर रहे हो उनको।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 173 एक साल में, 173 ए.के. 47 और ए.के. 56 पकड़ी गई हैं मतलब विदेशों से राजस्थान में आ रही हैं और पुलिस के पास है वह 2 चोंच की राइफल। अब उन 2 चोंचों की राइफल से कैसे मुकाबला करेगी पुलिस ए.के. 47, ए.के. 56 का? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बीच में न बोलें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बजरी माफियाओं ने कुचल कर रख दिया अभी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे। पुलिस वालों को कुचल कर रख दिया। एक्साइज एक्ट, अवैध शराब के कारोबार 2022 की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ा है, 22

प्रतिशत बढोतरी हुई है अवैध शराब के मामले में और आर्म्स एक्ट के मामले में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 2022 की तुलना में 2024 में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 40 प्रतिशत की। साइबर क्राइम का मामला लें, बहुत गम्भीर मामला बन गया आजकल। टैक्नॉलॉजी के युग में अपराधी नयी-नयी तरकीबें सीख कर आते हैं और इनकी ऐसी तरकीबों से न तो ये आई.पी.एस. बचते हैं, न आई.ए.एस. बचते हैं और न जज बच पाते हैं। सारे इनकी गिरफ्त में आते हैं। भरतपुर रैंज तो इस मामले में जामतोड़ा से भी आगे निकल गया। जामतोड़ा की एक बेब सीरीज आती है उसमें बच्चे उसको देख करके मोबाइल से लूट करना सीख जाते हैं।

Kas/rtm/03.03.2025/14.20/2e

इन पर प्रभावी नियंत्रण जब ही हो सकता है, जबकि आई.टी. के प्रोफेशनल्स की सेवा ली जायेगी। आई.टी. के प्रोफेशनल्स की सेवा वांछनीय है। अगर आई.टी. के प्रोफेशनल्स की सेवा लेते हैं तो निश्चित तौर पर, यह थानेदार, हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई. इस मामले में नहीं समझ पायेंगे। यह कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानते, साइबर की तो बात ही छोडि़ये।

किलक साहब, आप अपने भाषण में कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि पुलिस वालों के लिये एक भी क्वार्टर नहीं है। आप इसका हाल सुन लो, प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिये 15 करोड़ रुपये दिये गये, उससे एक पैसा खर्च नहीं किया। आवासीय भवनों के निर्माण के लिये 144 करोड़ रुपये दिये गये, सिर्फ 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ। प्रशासनिक भवनों की मरम्मत के लिये 35 करोड़ रुपया दिया गया, सिर्फ सवा करोड़ रुपया खर्च किया गया। आवासीय भवनों की मरम्मत में 35 करोड़ रुपये दिये, जिसमें से सिर्फ 68 लाख रुपये खर्च किये गये हैं, यह हाल है। अगर वो सुविधाएं उनको नहीं दोगे, तो किस तरीके से वह काम कर पायेंगे? थानों में कंप्यूटर तो लगा दिये, लेकिन सब ठेके पर काम चल रहा है। न तो थानेदार जी जानते हैं और न उनके नीचे के कोई जानते हैं।

अभी राजस्थान पत्रिका में डीजीपी साहब का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि बदमाश दूसरे राज्यों से आते हैं और वारदात करके चले जाते हैं और दूसरे राज्यों के कई बदमाश तो यहां टिके रहते हैं। तो यहां की पुलिस क्या कर रही है? इसका मतलब यह हुआ कि यहां के बदमाशों पर तो ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान सारा उधर ही जा रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं आपको ध्यान दिलाऊं, राजस्थान पत्रिका ने दूसरे दिन उसमें करेक्शन निकाल दिया था।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या, डीजी साहब को निकाल दिया?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अख़बार में करेक्शन निकाल दिया था कि यह गलत खबर थी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह व्यवस्था किस प्रकार से सुधरेगी, आपका प्लान क्या है, यह बताइए। जनता पूछना चाहती है कि यह

सरकार यहां कानून व्यवस्था किस प्रकार से सुधारेगी, करना क्या चाहती है, नीयत क्या है?

10 अक्टूबर, 2024 को मुख्य मंत्री जी ने एक बैठक ली और उसमें हिदायत दी कि अपराधियों या तो तुम अपराध करना छोड़ दो या यह राजस्थान छोड़ दो। हुआ उसके बिलकुल ही उलटा, अपराधी तो गये नहीं, अलबत्ता दूसरे राज्यों के अपराधी और यहां आकर वारदात को अंजाम देते रहे, अपराध और बढ़ गया। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि जेल में मोबाइल फोन की घटना की पुनरावृत्ति न हो और इसका इतना जोरदार असर हुआ, सभापति महोदय, इतना जोरदार इसका असर हुआ कि मुख्य मंत्री जी को ही जेल से तड़ी मिल गई, एक नहीं, दो-दो बार।

आप घंटी बजाओगे उससे बेहतर तो यही है कि मैं अपने आप संभल जाऊं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बहुत गंभीर बात है। पूरे राजस्थान में दहशतगर्दी का माहौल है। इस प्रदेश का हर व्यक्ति यह कहता है, हर एक नागरिक कहता है कि बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं। उनके मन में से यह भय कैसे निकलेगा? विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनकी बहुत बड़ी संख्या इस बार गिर गई, उनके मन में से कैसे यह भय निकलेगा? इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिये। पुलिस का इकबाल किस प्रकार से कायम रह सकता है? माननीय सभापति महोदय, जब तक पुलिस का इकबाल नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो पायेगा, यह याद रखिए आप। राजनीतिक संरक्षण देना बंद करो। यह अपराधियों को संरक्षण देते हैं। अपराधियों को संरक्षण जब तक सत्ता पक्ष से मिलता रहेगा, यहां की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जायेगी।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी तो जानी ही इसीलिए जाती है, कोई मोटर साइकिल पर बगैर हेलमेट पर जाते हुए पकड़ा जाता है, कांस्टेबल रोक लेता है, कहता है चालान बनाऊंगा, वो कहता है ठहर जा, ले तेरे +++ से बात कर और बीजेपी के नेता बोलते हैं कि यह हमारा आदमी है, छोड़ दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह +++ शब्द निकाल दें, गलती से बोल गये, बुजुर्ग आदमी है, ध्यान नहीं रहता।

श्री सभापतिः इसको विलोपित कर दें। कृपया शब्दों का चयन सही करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ....(व्यवधान).... बीच में नहीं बोलें, मेरा अधिकार है, मुझे अध्यक्ष को कहने का अधिकार है। आप जूली साहब को भी समझा दो ....(व्यवधान).... नहीं, पहले उनको समझाओ।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि आप मेरी बात का ध्यान रखोगे।

श्री सभापतिः श्री ललित मीना।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 18 गृह व 19 कारागार पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। सभापति

महोदय, मैं सबसे पहले तो सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वह मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है और इसी बजट में उन्होंने चौकी से क्रमोन्नत करके दो थाने अभी इस बजट में हमें दिये। समरानिया चौकी को समरानिया थाना और रामगढ़ चौकी को रामगढ थाना देने का काम उन्होंने किया, इसके लिये मैं सरकार का, मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा एम.पी से लगा हुआ क्षेत्र है, बार्डर का क्षेत्र है।

अभी इस सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य यहां पर बोल रहे थे, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में आप जिम्मेदार थे, आपने जो वक्तव्य दिया, वह पूरे राजस्थान में सबको पता है। उस वक्तव्य से उस दौरान हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित हुईं और आज भी उस वक्तव्य का उदाहरण हमारी महिलाएं, हमारी बहनें देती हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपके पिछले तीन वर्ष में जो महिला अत्याचार हुए, उन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। महिला अत्याचार में हत्या, दहेज, दुष्कर्म, ऐसे अत्याचारों के वर्ष 2022 में 43,814 मुकदमें दर्ज हुए। वर्ष 2023 में 42174 मुकदमें दर्ज हुए। वहीं 2024 में 37700 प्रकरण दर्ज हुए। वर्ष 2022 से 2024 तक 14 प्रतिशत थे, वर्ष 2023-24 में 10 प्रतिशत हुए, इनमें 4 प्रतिशत की गिरावट आई। हमारे एक साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने महिला उत्पीड़न और महिला अत्याचार पर मॉनिटरिंग की और उसके आधार पर राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ....(व्यवधान).... पिछले 14 महीनों के कार्यकाल में आप घटनाएं उठा कर देख लीजिए, कितनी घटनाएं हुईं? आज महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

msk/rtm/03.03.25/1430/2f

आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बारां जिले में पिछले पांच साल की जो सरकार थी तो रोज चाकूबाजी, रोज हत्या, रोज मर्डर होने का काम हुआ करता था। अभी पिछले साल में, मैं बारां जिले की बात करूं। हम जो 100 नंबर डायल करते हैं, 112 नंबर डायल करते हैं, उसमें फरियादी तक सहायता पहुंचाने के लिए राजकाज सिस्टम एप के माध्यम से सहायता मांगी जाती है। उस एप के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से पुलिस वहां पहुंचकर उसकी मदद करने की स्थिति में पिछले एक साल में आयी है। इसके साथ-साथ, मैं इस सदन को बताना चाहंगा कि हमारे वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे तो हम भी उनसे सीखते हैं, क्योंकि सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने साइबर क्राइम की बात की। साइबर क्राइम के लिए मैं आपको कहूंगा कि पिछली सरकार ने साइबर थाने सब जगह खोल दिये, पूरे राजस्थान के पूरे जिले में। तात्कालिक मंत्री उस जिले में वहां गये, उन्होंने उद्घाटन भी किया। उद्घाटन करने के बाद, साइबर पर जो ऑनलाइन ठगी होती है, उसके लिए कैसे उसकी रोकथाम हो, उसको कैसे रोका जाये, उसको कैसे ट्रेंड किया जाए, हमारे साइबर क्राइम में जो हमारा सीआई लगा है, वे सारे थाने खाली पड़े थे। पिछले साल भर में जिनको ट्रेंड नहीं किया, उनको वहां लगाया। और

तो और साइबर थानों के उद्घाटन करने गये, हमारे भामाशाह, उस समय के मंत्री घोषणाएं भी करके आये, कम्प्यूटर की, एलईडी की। वह आज दिन तक भी उस कार्यकाल में नहीं पहुंची। और तो और आज साइबर क्राइम की स्थिति में पिछले एक साल में थानों में जो हालात हैं, वे आपने देखे हैं।

आज भरतपुर रेंज की बात की। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि 2023 में 943 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 2024 में 578 साइबर क्राइम के मुकदमे पिछले एक साल में दर्ज हुए। वहीं 2023-24 में इसका ग्राफ लगभग 39 परसेंट कम हुआ। वहीं भरतपुर रेंज की बात करूं, स्पेशल मेवात की, जहां से पूरा रैकेट पूरे राजस्थान में साइबर में सबको फंसाने का काम करताहै। मुख्य मंत्री महोदय ने और गृह मंत्री महोदय ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर वहां पर इसको रोकने का काम, वहीं ऑपरेशन एंटी वायरस चलाकर डीग-मेवात क्षेत्र में क्राइम को रोकने का काम किया। 2024 में 39 प्रतिशत क्राइम को कम करने का काम किया। साथ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि

सदन तो वही है, राजस्थान भी वही है,
कल तुम थे, आज हम हैं।
यह भी एक दौर है और कल भी वह दौर था,
जिसमें मर्दों का प्रदेश राजस्थान जाना जाता था।

मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। इस राजस्थान को पूरे देश में शर्मसार करने वाला वाकया किसी से छिपा हुआ नहीं है। ...(व्यवधान)... वह तो 2023 के मतदान में झुक गयी।

मैं आपको, इस सदन को, पूरे भारत एवं राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना आपके सामने हुई, उदयपुर के कन्हैयालाल की घटना। कितनी बड़ी घटना थी? हम पक्ष में हों या विपक्ष में, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। और तो और, पूरी सरकार गयी, राहत भी हुई, सब चीज हुई, लेकिन उस कन्हैया लाल को आज दिन तक की.. उस घटना से राजस्थान को याद किया जाता है।

वहीं करौली में 11 अप्रेल, 2021 में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, वे आपके मर्दों के प्रदेश में उस दौरान हुए। वहीं हमारे बारां के छबड़ा में, जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उसमें अपराधियों को प्रोटेक्ट करने का काम उस निवर्तमान सरकार ने किया। आज भी वे खुल घूम रहे हैं। इसके साथ-साथ जोधपुर के जालौरी की घटना, साम्प्रदायिक दंगा है। जहां से उस समय के तात्कालिक मुख्य मंत्री आते हैं। मैं ये सारी मोटी-मोटी चीज इसलिए बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप और हम दोषारोपण करने की जगह बैठकर विचार करें कि राजस्थान को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और पुलिस को कहीं न कहीं किस दिशा में काम करना चाहिए? मैं आपको कहना चाहूंगा पिछले पांच साल में रीट के पेपर, पटवारी के पेपर, टीचर के पेपर आउट हुए, यहां तक कि एसआई की स्थिति भी आपको पता है। आज वर्तमान में 27 व 28 का जो पेपर हुआ है, उसमें आपने राजस्थान में कोई घटना सुनी हो तो बताओ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी, पर मैं शॉर्ट में अपनी बात कहूंगा। मैं कहना चाहूंगा, हम सबको, सदन को मिलकर पुलिस को.. सरकार आपकी भी रही और हमारी भी है, हमको उसको मजबूत करना चाहिए। मजबूत करने के लिए हमारे राजस्थान में जो रैंज है, उसमें डीपीसी सिस्टम। हर डिपार्टमेंट में डीपीसी होती है, क्यों न पुलिस की डीपीसी भी समय के अनुसार हो। आप वेतन दे रहे हैं। वेतन तो उसको मिल रहा है, लेकिन उसका प्रमोशन, उसकी पोस्ट क्रिएट करके, उसको पोस्ट पर पहुंचाने का काम करें, ताकि जब वह रिटायर हो तो कहीं न कहीं, उसको यह लगे कि मैं कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई, सब इंस्पेक्टर से सीआई के रूप में रिटायर हुआ हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले एक साल में बारां जिले में किशनगंज के शाहबाद के वृत्त, बारां के डिवीजन में, अंता के डिवीजन में लगभग 15-16 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उनकी सारी फाइलें कोटा आईजी ने मंगाकर आईजी ने जांच चेंज कर दी। यहां पर सारे अधिकारी बैठे हैं। कुछ प्रकरण तो कोर्ट में चल रहे हैं तो भी जांचें बदल दीं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कहीं न कहीं अपराधी जेल में डेढ़ महीने होकर आया है, दूसरे अपराधी को बचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी जो बयान दे रहे हैं और जो जांच बदल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं मंशा ठीक नहीं लग रही है। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि उसकी फाइल को सम्बन्धित अधिकारियों के वृत्त में पहुंचाने का काम करें। इसके साथ-साथ अभी एक महीने पहले जनवरी में हमारी एक बहन मृतका कोनिका नायक, जिसकी डैड बॉडी कोटा से आयी और बारां पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने करायी। पोस्टमार्टम कराने के चार घंटे बाद 14 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसलिए दर्ज कर लिया कि 2023 में निवर्तमान सरकार ने राजस्थान मृतक शरीर का सम्मान अधिनियम, 2023 लागू किया था। पर वे 14 लोग तो आज वर्तमान में भी हॉस्पिटल में खाना खिलाने और मरीजों की सहायता करने का काम करते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात खतम करुंगा। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि उसकी जांच करायें। जिन 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको राहत प्रदान करें। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने से आज पुलिस के भत्ते, आज उसको साइकिल का भत्ता दिया जाता है। और तो और, एक समय के खाने की डाइट के लिए 40 रुपये दिये जाते हैं। कहीं न कहीं इस पर विचार होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष, दोनों हम सब लोग मिलकर आज इस पर विचार करें। कांस्टेबल की जो भर्ती होती है, वह 12वीं पास की होती है, आज उसको बढ़ाकर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगें। आज साइबर थाने में टेक्निकल आईआईटी के लोगों की मदद लेकर उनकी नियुक्ति की जाए, तब जाकर हमारी पुलिस का सिस्टम सही सुधरेगा। वहीं आज हमारे गैंगवार हुआ, पूरे राजस्थान में गैंगवार है। उस गैंगवार के कारण

हमारी पुलिस को कहीं न कहीं संसाधन अच्छे उपलब्ध करायें। मुलजिमों के पीछे जाने के लिए पुलिस को अच्छे वाहन उपलब्ध करायें। मैं इस सदन के माध्यम से एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा।

हम सब लोगों का ध्येय है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं, मकसद नहीं है, मैं चाहता हूं, इस राजस्थान की, इस प्रदेश की और इस पुलिस की तस्वीर बदलनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का पूरा समय प्रदान करेंगे।

श्री सभापति: पूरे 15 मिनट बोलो आप, साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अभी साम्प्रदायिक दंगों के सिलसिले में बात हुई। मैं उसकी बहस में अधिक नहीं जाना चाहता, लेकिन एक छोटा-सा शेर है-

बड़ा हसीन है, उनकी जुबान का यह जादू,
लगा के आग, बहारों की बात करते हैं।

mdp/rtm/03.03.25/14:40/2g

जो हालात हैं राजस्थान के और जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो डिमांड है गृह और कारागार, यह तो सही है कि हम सबको मिलकर राजस्थान की कानून और व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो सके, हम किस प्रकार से राजस्थान को शांत प्रदेश बनाए रखें, इसमें हम सबका दायित्व है, लेकिन सरकार का अधिक दायित्व है, क्योंकि जो प्रशासनिक नियंत्रण है, वह सरकार के पास है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम है, वह सरकार के पास है। विधिवत रूप से इन अपराधों को रोकने की जो ताकत है, वह सरकार के निर्देशों पर है। इसलिए सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है, एक चिंता का विषय बन गया। चिंता का विषय इसलिए बन गया, भले ही आपने अपने स्टेटमेंट में और जो आपने रिलीज किया है कि अपराधों में इसमें कमी आयी, इसमें कमी आयी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कितने मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। अच्छा होता कि सरकार उसके साथ ये भी आंकडे रखती की इतनी परिवेदना हमको प्राप्त हुई जो अभी भी विचाराधीन है और जिनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी। परिवेदना आती है, कानून के हिसाब से भी आती है। नये कानून के हिसाब से भी आपको समय दे रखा है। परिवेदना का भी अगर माननीय गृह मंत्रालय हम सबको बता देता तो पता लगता कि कितने आज की तारीख में भी विचाराधीन है।

यह एक निर्विवाद बात है कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, हत्या के मामले में, और में भले ही आपके कमी आयी हो, लेकिन राजस्थान में आपके कार्यकाल में नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार, हत्या के मामले में वृद्धि हुई है। ये रिकॉर्डेड है। ये

राजस्थान पत्रिका ने विस्तार से लिखा है। मैं मोटी-मोटी घटनाओं का निवेदन करना चाहता हूं। 27 फरवरी, 2024 को अलवर में महिला मरीज के साथ अस्पताल में बलात्कार और रेप हुआ। इसी के साथ आप देखिए कि रीट की तैयारी कर रही पीड़िता होटल में किशोरी से रेप और मेट्रो स्टेशन में धक्का देने का आरोप। ये आपके इस कार्यकाल में हुआ। दिनांक 13 अगस्त, 2024 को जोधपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। दिनांक 17 अगस्त, 2024 को जोधपुर में ढ़ाई साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। दिनांक 20 अगस्त, 2024 को जोधपुर में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। दिनांक 25 अगस्त, 2024 को महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में बच्ची के साथ दुराचार हुआ। दिनांक 25 अगस्त, 2024 को जयपुर में नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ। दिनांक 20 अगस्त, 2024 को जोधपुर में बारहवीं की छात्रा के साथ रेप हुआ। दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 को चूरू में 29 वर्षीय महिला के साथ रेप हुआ। दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उदयपुर में 40 वर्षीय महिला के साथ गेंगरेप हुआ। दिनांक 22 फरवरी, 2025 को विजय नगर में ब्लेकमेलिंग कांड हुआ और दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को समरावता में अग्निकांड हुआ। दिनांक 04 नवम्बर, 2024 को देर रात्रि बूंदी में 4 बदमाशों ने अध्यापक की हत्या की। ये तो उदाहरण हैं। ये उदाहरण इसलिए हैं कि जो सारे हालात निजी अस्पताल के हालात आपके सामने हैं। अपहरण के बाद जो स्थितियां बनीं, वह आपके सामने हैं।

कोई भी अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सम्प्रदाय का हो, अपराधी अपराधी ही रहेगा। हम अपराधी के एंगल में भी अगर धर्म व जाति ले लेंगे तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे। अपराध करने वाला, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी साधन संपन्न व्यक्ति का हो, उसके साथ न्याय करना है, अन्याय नहीं करना है।

आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन का ऐसा एंगल बन गया कि अपराधियों को भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका एक ऐसा प्रचार और माहौल बनाते हैं कि फला वर्ग के आदमी ने ये अपराध किया है। हाईलाइट करते हैं और निकलते कौन है? वे लोग जिनकी आप परिकल्पना ही नहीं कर सकते। आज यू.पी. का आपने किस्सा अभी देखा होगा कि जो 100 टन गौ मांस का जो मीट बेचा जा रहा था, आदमी तो प्रचार कर रहे थे कि ये कोई दूसरे वर्ग के निकलेंगे, उसमें एक पंडित जी निकले और एक जैन निकले। वहां के मुख्य मंत्री कुछ नहीं कर पाए उनका। इसी प्रकार से जो अपराध है, उन अपराधों के हिसाब से हमको धर्म की बात छोड़कर जो भी व्यक्ति ये काम करे, उसके खिलाफ हमको कार्यवाही करने की बात है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं क्लिक साहब ने अभी विस्तार से बजरी माफिया की बात की। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी निर्भिकता से अपनी सरकार की तरफ से बोलते हुए भी वास्तविकता को सामने किया। माननीय सभापति महोदय, बूंदी का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बूंदी में बजरी माफियाओं का ये हाल है कि अवैधानिक रूप से एक ऐसी बड़ी

एजेंसी जो रेत का काम करती है, उसने अपने निजी आदमी लगाकार, निजी बेरिकेटिंग लगाकार हाइवे को जाम करके 20-20, 25-25 आदमी बैठाकर आने वाली रेत की गाड़ियों को चैक करने का काम अवैधानिक रूप से कर लिया। पुलिस की जानकारी में है। मैं जब वहां पर गया, डाबी का एक उदाहरण देता हूं, मैंने पुलिस के सी.आई. से पूछा तो उन्होंने कहा भाईसाहब, ये तो अधिकृत है। मैं कानून बता दूंगा। मैं आपके पास लिखी हुई चिट्ठी बता दूंगा। हाइवे अथोरिटी ने कहा, अवैधानिक है, माइंस वाले ने कहा हमने नहीं दिया, अवैधानिक है।

जब मैंने एस.पी. बूंदी से बात की कि साहब ये अवैधानिक रूप से है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वैधानिक है और कल मैं सवेरे आपको आदेश की कॉपी दे दूंगा। हालात ये हैं कि जब एस.पी. साहब को मैंने फोन करके कहा कि कॉपी चाहिए तो कहा कि आप माइंस से ले लीजिए। मैंने कहा माइंस ने तो मुझको दे रखा है कि ये अवैधानिक है। ये हालात है। उन लोगों को जो बड़े-बड़े गिरोह हैं, जो बजरी का काम कर रहे हैं, अपने आदमी का लगाकर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई ओवरलोड नहीं जाएगा, पकड़ लेते हैं। कोई ट्रेक्टर ट्रोली नहीं जाएगा। ये प्रशासनिक रूप से पुलिस की जो व्यवस्था है, ये पुलिस की जो प्रोटेक्शन है, उन-उन बड़े ठेकेदारों को और खुले में, नैनवा में हुआ, बूंदी में हुआ, डाबी में हुआ और खुले में। बात करते हैं तो कोई बात नहीं और जो एक ट्रेक्टर लेकर छोटी गली से निकलकर किसी के मकान बनाने के लिए गांव में जाता है तो उसको पकड़ कर कहते हैं कि हमने बजरी माफिया को पकड़ लिया और जो बजरी माफिया हैं, बड़े वाले उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं।

इसी प्रकार से आप शराब वाली बात देखिए। शराब में अवैध दुकानें चली रही हैं। चाहे डी.जी.साहब हो, अगर वे वेश बदलकर मेरे साथ चले तो मैं उन अवैध दुकानों को बता सकता हूं कि ये इतनी अवैध दुकानें चल रही हैं। हर थाने में, हर अवैध दुकानों से 10-10 हजार रुपये की बंधी उस सी.आई. की, थानेदार की बंध रही है। आप नहीं मानो तो छद्म वेश में चलकर राज्य मंत्री मेरे साथ आएं और रात में चले तो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या हो रहा है। ये हालात हैं। एंटी करप्शन वाली बात थी। एंटी करप्शन में इस सरकार ने कितने गजिटेड ऑफिसर्स को, कितने लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी, चालान पेश करने के लिए। सरकार ने उनको क्यों रोक रखा है? क्या ऐसा मामला है? मैं इस बात के लिए पूर्ववर्ती सरकार की तारीफ करूंगा। भले ही आप लोगों ने यह कहा हो कि करप्शन बहुत बढ़ गया, लेकिन मैं पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्री जी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि एंटी करप्शन को इतनी फुल पॉवर दी कि इतने जो ट्रेप हुए चाहे आई.ए.एस. हो, चाहे आई.पी.एस. हो, चाहे सी.आई. हो, चाहे डीवाई.एस.पी. हो, उनको नंगा करके छोड़ दिया। आप चुपचाप बैठे हैं और उनकी परमिशन नहीं दे पा रहे हैं।

इसी प्रकार से फोरेंसिक लेब वाला जो मामला है। फोरेंसिक लेब के रिजल्ट आने के अभाव में, एनालिसिस के रिजल्ट आने के अभाव में हजारों की संख्या में आपके चालान पेश होना रुका हुआ है। इस पर कोई ध्यान नहीं। वह गरीब जो गांवों में दवाई छिड़कता हुआ मर

गया, मरने के बाद उसका जो लैब में भेजा, उसको अगर टाइम पर फैसला हो जाए, लेब से वह रिपोर्ट आ जाए तो उसको जो भी क्लेम मिलना है, वह क्लेम मिले। इस पर किसी का ध्यान नहीं है।

Ans/rtm 14.50 2h 03.03.2025

तो मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके फोरेंसिक लैब की भी बात करें।

साइबर क्राइम की बात आई। साइबर क्राइम जितना बढ़ रहा है वह सब आपके सामने हैं। अभी शांति धारीवाल जी ने बताया कि कोई टेक्निकल रूप से उसमें रखे। साहब, आप और हमारे लोग उनसे मिले हुए हैं। मिले हुए ही नहीं है, आप इस बात का पता लगाइये कि साइबर क्राइम की कितनी कम्पलेंट हुई जिसमें एफआईआर दर्ज हुई और कितनी कम्पलेंट है जो वहां की वहां रखी हुई है। आपने कितना पैसा रिकवर किया और कितना पैसा आपने जिनकी कम्पलेंट दर्ज हो सके, एफआईआर दर्ज नहीं की उनको कितना पैसा, जीरो निकलेगा, जीरो से मतलब है संतोषजनक नहीं निकलेगा। साइबर के क्राइम के मामले में भी आपको इस प्रकार से देखना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध के मामले में हम ही नहीं करें, अपराध के मामले में तो आपके मंत्री जी करें। आज ही आपने देखा होगा कि कोटा में एक कॉलेज में एक लड़की का अपहरण हो गया, कोई ले गया। आपके शिक्षा मंत्री जी ने यह भाषण अख़बार में दिया है कि पुलिस वालों ने लापरवाही की, इनको नहीं पकड़ा, तो भले ही उनको अधिकार नहीं है वह उच्च शिक्षा मंत्री नहीं है फिर भी उन्होंने कहा, ऐसे अपराध होंगे तो मैं कॉलेज ही बंद कर दूंगा और कॉलेज दूसरी जगह कर दूंगा। यह मुख्य मंत्री जी को चेलेंज दे रहे हैं क्या वह? फैसला मुख्य मंत्री जी को करना है, फैसला उच्च शिक्षा मंत्री जी को करना है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): वह भाषण वीर हैं, वक्तव्य वीर हैं, उनकी जबान में लगाम नहीं है, वह चाहे जो बोल सकते हैं लेकिन उससे मुख्य मंत्री जी की छवि पर फर्क पड़ता है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी की छवि को ठीक रखने की कोशिश करें, अनर्गल बात नहीं करें।

आज अजमेर का मामला आया। एसआईटी गठन का मामला आया। माननीय अध्यक्ष जी ने चिंता व्यक्त की कि एसआईटी गठन होना चाहिए। एसआईटी गठन होने का मतलब अब तक विजय नगर कांड में जो घटनाक्रम हो रहा है उससे अध्यक्ष जी संतुष्ट नहीं है, इसलिए एसआईटी की मांग कर रहे हैं। एसआईटी की मांग करने का मतलब है कि आपका इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है। इसी कारण मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन सब बातों का कॉग्नीजेंस लेकर वह खुद इस बात को करे कि इन हालात में जो परिस्थितियां सुधारी जा सकती हैं वह उसको सुधारने की बात करे।

मैं जेल की बात करना चाहता हूं। जेल में जिस प्रकार से दस-दस हजार रूपये वसूल किये जाते हैं अवैध दुकानों से, एक गैंग बनी हुई है। एक गैंग बनी हुई है और वह गैंग ऐसी है कि जिसको जेलर का प्रोटेक्शन है। जो नये-नये आते हैं, कोई ज्युडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में तो वहां जाने का सवाल ही नहीं है, ज्युडिशियल कस्टडी में है, अंडर ट्रायल है उनको ठोक बीजकर उनसे पैसा वसूल करते हैं और आगे पहुँचाते हैं। जेल का खुला काम है, आप कहीं भी जाकर देख लो। जिस जेल से माननीय मुख्य मंत्री जी को जान से मारने की धमकी दे दी जाए, इससे ज्यादा हालात क्या खराब हो सकते हैं। भले ही आपने उसको पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि जेल में इन अपराधियों को यह सुविधा किस प्रकार से दी जा रही है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन करना है।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आज जो हालात है उन हालातों को देखते हुए राजस्थान की सरकार है वह कानून व व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चला पा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सारी व्यवस्था को देखे। आपने तो कसर ही नहीं रखी होम मिनिस्टर की तरफ से आप ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी खुद पंडित, ब्राह्मण जनेऊ धारी, आपने तो एग्जामिनेशन देने गया तो जनेऊ ही उतार ली, यह कोई बात नहीं है, मुख्य मंत्री जी को बदनाम करने का काम है।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मुख्य मंत्री जी पंडित है, उनके राज में ब्राह्मण की जनेऊ उतर जाए तो फिर बचता क्या है। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): जो भी है, मैं तो गृह राज्य मंत्री हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये साहब। श्री ताराचंद जैन।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं इस बात को जानता हूं।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 18 पर बोलने का मौका दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापतिः एक मिनट रूको। शीघ्र अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): राज्य मंत्री जी,़ इतना सा तो मैं भी जानता हूं कि आप भी बेबस हो, हाथ में कुछ नहीं है। एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक एसआई का ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेरा चैलेंज है अगर किया हो तो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये। श्री ताराचंद जैन।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह हालत जब राज्य मंत्री जी की हो फिर तो मुख्य मंत्री जी के हाथ में ही है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री ताराचंद जैन। अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री सभापतिः विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य है, आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये। ताराचंद जी, बोलिये।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 18 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। पिछली कांग्रेस सरकार के समय 28 जून, 2022 को उदयपुर शहर में बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई थी, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। पूरे देश की जनता के मन में एक आक्रोश पैदा हुआ और उसकी प्रतिक्रिया वर्ष भर चली, वह है कन्हैयालाल हत्याकाण्ड। उसके साथ दूसरी घटना 16 अगस्त, 2024 को देवराज हत्याकाण्ड के रूप में हुई। लिप्त आरोपी इसी क्षेत्र का। किशनपोल जिसको खाजीपीर कहते हैं, उसी क्षेत्र के अन्दर दोनों अपराधी रहते हैं। उस समय कांग्रेस राज में 11 अपराधी थे, उसमें से दो आतंकी के पाकिस्तान से तार जुड़े हुए थे। कमजोर पैरवी, कमजोर केस बनाने से दो आंतकियों को उस केस में जमानत मिल गई। एटीएस ने भी, जहां तक मुझे जानकारी है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिटपिटीशन याचिका लगाकर जमानत रद्द करने की मांग की है। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि किशनपोल चौकी जो वर्षों से अस्थाई है, वह चौकी पहली बात तो थाना बने, अगर सरकार थाना नहीं बना पाये अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष बने, लेकिन उस चौकी को स्थाई चौकी बनाई जाए।

इसके साथ-साथ मैंने दूसरी मांग रखी आयड़ क्षेत्र की। आयड़ क्षेत्र बड़ा संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। देवराज हत्याकाण्ड और कन्हैयालाल हत्याकाण्ड दोनों घटनाएं उसी क्षेत्र के अन्दर, बड़ा उत्पात मचाया। सारे अपराधियों की वह मूल जगह है, तो उस आयड़ चौकी के बारे में मेरी मांग है कि आयड चौकी को थाने में क्रमोन्नत कर दिया जाए।

कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ सदस्य माननीय शांति धारीवाल जी व हरिमोहन जी ने अपनी बात रखी, मैं तो चाहता हूं कि वह अपने कालखण्ड का भी लेखा-जोखा रख दे। धारीवाल साहब भी रख दे कि हमारे कालखण्ड में इतने अपराध थे आपके कालखण्ड में इतने अपराध हुए।

एक थाने का मेरे पास आंकड़ा है जिसकी मैं क्रमोन्नति की बात कर रहा हूं। 2022 में 458, 2023 में 370, 2024 में 306 मतलब 25 से 30 प्रतिशत अपराध घटे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के आंकड़े हो, उदयपुर के आंकडे हो निश्चित रूप से 20-25 परसेंट अपराधों में कमी आई है।

VPS-RTM-03.03.2025-15.00-2j

उसके साथ-साथ उन्होंने एक बात और रखी थी कि साहब, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, यहां पर ऐसा हो गया, यहां पर ऐसा हो गया तो मेरा तो उनसे यह आग्रह है कि

उसका भी पूरा लेखा-जोखा रखें क्योंकि पांच वर्ष के काल खंड में आपने उन अपराधों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, रिश्वतखोरों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया तो निश्चित रूप से एक दिन में समाप्त होने वाली बीमारी नहीं है। इस सरकार के काल खंड के अन्दर, भजन लालजी की सरकार के काल खंड के अन्दर निश्चित रूप से जिन अपराधियों को जो रिश्वतखोर हैं, उनके अन्दर भय व्याप्त हुआ है। हमारे यहां पर भी इस महीने के अन्दर परसों 28 तारीख को रिटायर होने वाला यू.आई.टी. का सैक्रेटरी निलंबित हुआ, 28 तारीख को अपने ए.टी.पी., वह सस्पेंड हुआ और कुछ दिनों में ये जेल जाएंगे। नगर परिषद के अन्दर हम यह देख रहे हैं कि 272 प्लाट का कांग्रेस टाइम के अन्दर, मुख्य मंत्रीजी के पास कांग्रेस के लोग कई बार गये पर उन्होंने यह देखा कि अंगुली हमारी ही ओर आएगी तो उस फाइल को दफन कर दिया।

मैंने इसी विधान सभा में पिछले सत्र के अन्दर उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रखा और उसके बाद 49 प्लाट जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में थी, वे प्लाट निरस्त किये, जिनकी कीमत सौ-दो सौ करोड़ रुपये है, लेकिन मैं अपनी सरकार से भी यह मांग करूंगा कि दस लोग पिछले कई महीनों से जेल में हैं जिन्होंने प्लाट खरीदे हैं, जिनके सम्बन्ध थे उन प्लाटों से लेकिन एक भी सरकारी अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपने समय दिया था 31 दिसम्बर का लेकिन फिर दो महीने गुजर गये हैं। मैंने अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे पास काम इतना रहता है तो एक भी अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि जो आहड़ चौकी है उसको थाने में क्रमोन्नत किया जाये और उसके साथ-साथ मुखर्जी चौक जो पुराने शहर का मध्य भाग है, उस मुखर्जी चौक के चारों तरफ, जिसको कहते हैं चूड़ीगरों की मस्जिद, कुंजरवाड़ा, इधर सब्जी मंडी, 15 साल पहले पुलिस चौकी वहां थी। मैं उस समय पार्टी का जिलाध्यक्ष था, उस समय रखवायी थी, बनवाई थी और जैसे यह कांग्रेस का राज आ गया तो वह डब्बे/डब्बी सब गायब। फिर अभी इस सरकार के आते ही फिर पुलिस चुकी बनायी तो उस क्षेत्र के अन्दर एक लड़की या बच्ची उस क्षेत्र के अन्दर से गुजर नहीं सकती है। सारे टेम्पो वाले समाज विशेष के लाकर वहां पर खड़ी कर देते हैं और हालत यह होती है कि आज वहां पर दुकानें खाली होने लगी हैं, घर खाली हो रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है तो उस चौकी को अस्थाई को, मेरी यह मांग है कि इस बजट के अन्दर इन तीनों चीजों को, दोनों थाने, एक तो झामरकोटड़ा, झामरकोटड़ा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी झामरकोटड़ा माइन्स है जिसका रेवेन्यू सरकार का, मेरे अन्दाज से हजार-पांच सौ करोड़ रुपये होगा। खरबड़िया माइन्स, वह भी उसी क्षेत्र में आती है। इंडस्ट्रियल एरिया भी वहां पर ही आता है। शिक्षण संस्था वही आती है और वह चौकी है। पिछले बीस साल पहले जब गृह मंत्री गुलाब चन्दजी कटारिया थे, उस समय वह बनी है। उस चौकी को भी थाने के अन्दर क्रमोन्नत किया जाये क्योंकि कांग्रेस राज में आज मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि एक थाना और एक चौकी उदयपुर शहर या उसके आस-पास बनाया नहीं है तो पिछले कई वर्षों की इन मांगों के बारे में सरकार से आग्रह है कि इनको

घोषित की जाये।

अपराध के अन्दर मेरे पास यह आकड़ा है। मैं एक थाने की जिसकी मांग करने आया हूं उसके अन्दर कांग्रेस के टाइम में 2022 में 458, 2023 के अन्दर 370 और आज 306 यानी, 33 परसेंट अपराध कम हुए हैं। यह तो एक ही थाने का है तो इसी तरह से सारे राजस्थान का आकड़ा है और मेरा पुनः निवेदन है कि इन सब अपराधों के अन्दर कमी लाने का उपाय यही हो सकता है कि इन थानों की घोषणा की जाये।

उसके साथ-साथ मेरी सरकार से यह मांग है कि पुलिस की व्यवस्थाओं में सुधार हेतु सरकार बहुत कम बजट आवंटित करती है। उनके रहने के मकान भी नहीं हैं और भी कई सुविधाएं हैं, जिसकी पुलिस विभाग की मांग है तो उनको भी पूरा किया जाये। भर्तियां की जानी चाहिए। उदयपुर संभाग मुख्यालय है। आये दिन यहां पर वी.आई.पीज. का आवागमन रहता है तो रिक्त भर्तियों को जल्द से जल्दी भरें और उसके साथ मेरी यह मांग है, अब यह संभव है या नहीं है, यह तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन इन मांगों को सरकार अगर अपने कोटे से पूरा नहीं कर पाये तो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, उनका सी.एस.आर., उनकी एक निश्चित रकम होती है, उस रकम में से उनको दे ताकि उनके संसाधनों से हम, उस सी.एस.आर. के अन्दर इन सब मांगों को पूरा किया जा सकता है।

इसके साथ-साथ जेल की, उदयपुर शहर के अन्दर कारागृह जो कि बिलकुल शहर के मध्य में बस स्टैंड से लगा हुआ है, उसकी बहुत बड़ी जगह है। 2011 के अन्दर माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया ने भी इस विषय को उठाया था, प्रयास चालू किये थे और उसके बाद सहमति बनाने के लिए एक क्षेत्र भी ढूंढा था। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

बस, एक मिनट के लिए।

उस क्षेत्र को ढूंढकर चिह्नित भी किया था लेकिन उसके बाद उसकी परिणति नहीं हो पायी, तो मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि आगामी समय में शहर के बहुत निकट जहां अभी कोर्ट की जमीन आवंटित हो गयी है, इस बजट के अन्दर यह हो सकता है कि उसके लिए राशि आवंटित करें तो शहर के बाहर हाईवे के दोनों तरफ अभी भी बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है तो उसके अन्दर जेल के पास ही, कोर्ट के पास में ही अगर यह जमीन आवंटित पुलिस लाइन के लिए हो जाये तो निश्चित रूप से इस पुलिस लाइन की सौ-पचास बीघा, सौ बीघा जमीन होगी, वह बहुमूल्य है। नया बनाने से चार गुणी रेवेन्यू होगी। शहर में कई छोटे-छोटे सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग हैं, उनको भी वहां पर लाया जा सकेगा।

श्री सभापतिः आप विराजिये। साहब, विराजिये।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): बस, मेरा अंत में यही आग्रह है कि जो मांगें रखी गयी हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण मांगें है, उनको पूरा करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या ...(व्यवधान)... एक मिनट, आप मेहरबानी करके ज्ञान प्राप्ति करें, आवाज नहीं उठायें। मैं ज्ञान देने के लिए खड़ा

हुआ। आप ज्ञान की प्राप्ति कर लो। पांच साल बाद वापस जाओगे तो लोग आपको यह पूछेंगे कि आप कहां से आये हो, यह पूछेंगे। आप केवल एम.एल.ए. ही नहीं हो, आप उस क्षेत्र के दर्पण हो, आपको कोई गलतफहमी है, वहां के लोगों को शर्म आ रही है आप लोगों की। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): श्रवणजी, पूरे 200 के सदन में आप खानदानी आदमी हो। असत्य कभी नहीं बोलते हो तो कांग्रेस की भी सही-सही बताना। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप अपने आप में केवल एम.एल.ए. ही नहीं हो, बल्कि उस क्षेत्र के दर्पण हो, उस क्षेत्र की शान हो। आप यहां पर जो अपशब्द बोलते हैं, यह अपशब्द उन लोगों के जाकर छाती में लगते हैं इसलिए आप सुनिये, ज्ञान प्राप्त करिये और पुलिस पर अंकुश लगाइये।

मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के,
जिसे बुरा लगे वह सामने से हट जाये।

माननीय सभापति महोदय, रात नहीं ख्वाब बदला है। मंजिल नहीं कारवां बदला है। जज्बा रखो कुछ करने का क्योंकि किस्मत बदले या नहीं बदले पर वक्त जरूर बदलता है। सब लोग तो गृह पर बोल रहे थे पर मैं सबसे पहले जेल से शुरू करता हूं।

जेल के हालात क्या हैं? जेल के हालात सुनिये। जेलों में जो आज बदतर हालत है, जो अफसरों की मनमानी है, जो नेताओं की मनमानी है, वह आपको मालूम है, जेलों में बेड भी है, जेलों में अच्छे गद्दे भी हैं, टी.वी. भी लगे हुए हैं पर उन्हीं लोगों के लिए ये लगे हुए हैं जो पैसे देते हैं। 12 नम्बर कहने में अच्छी सुविधा है, 11 में कुछ कम है और 9 में वह ही घिसापिटा है, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। एक तो सबसे पहले माननीय मंत्रीजी, जेलों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सभी प्रकार के कैदी एक बैरक में डालते हो। वे कैदी आपस में लड़ते हैं, आये दिन जेलों के अन्दर झगड़े होते हैं और लोग मरते हैं। उसका नियंत्रण कीजिए। 323 या 341 का या कोई महिला का ससुर, बेटे की शादी कर दी, उसकी कोई गलती ही नहीं, कहते हैं कि आपने बहू को छोड़ दिया। उसने क्या बहू छोड़ दी, पर उसको तो आपने जेल में डाल दिया। उसको ले जाकर उन गुंडों और बदमाशों के साथ वहां पर छोड़ दिया तो वह तो बरबाद हो गया। वह मिलने के लिए लालायित हो गया तो इसलिए इसका थोड़ा सा डिवाइडेशन करिये।

नम्बर तीन, जेलों में 180 रुपया तो कम से कम कैदी को मिलता ही होगा। आपका जेलर, आपका डीवाई.एस.पी., आपका डी.जी. और आपका मंत्री मिलकर 42 रुपये का खाना देते हैं, जैसे गांव के आवारा पशु को खाना देते हैं ऐसे।

ssy/rtm/03.03.2025/15.10/2k

आखिर कैदी तो है। कैद की जो डेफिनेशन है उसको समझिये। इच्छाओं की दमन का

नाम जेल है। इच्छाओं का दमन करिये। एक बार सिनोदिया जी, एमएलए साहब होते थे अजमेर, किशनगढ़ के, जिनके बेटे को जेल से मरवा दिया था। हमने, सारा सदन एकजुट होकर के जैमर लगाये थे। 6 महीने में डीजी के होश गुम हो गये। डीएसपी का होश गुम हो गया और कैदी परेशान हो गये। जैमरों को धीरे-धीरे शिथिल कर दिया। क्यों कर दिया, कि विधान सभा में मोबाइल नहीं चलता है तो जेल का मोबाइल क्यों चलता है? तुम नहीं चाहते हो कि भला हो राजस्थान का?

अभी धारीवाल जी भाषण +++ रहे थे। क्या हो गया, हम सुधार कब करेंगे। आपने किया ही नहीं। आप ढाई साल मंत्री रहे, थैला लेकर घूमते रहे। मैं कहता था धारीवाल साहब, क्या करोगे? मेरे कोई बस की बात नहीं है, तो, बस की बात नहीं है तो क्या करोगे? अभी थोड़े दिन आप, एक साल और 6 महीने चले गये, जेलों की तो बदतर हालत आपने कर दी।

मंत्री जी, आप बताओ, चैंकिंग किसको कहते हो? सरप्राइज चैकिंग कहते हैं, कि अचानक गया, कौन आदमी मध्याह्न क्या कर रहा है, उसको पकड़ा और पनिश किया। के समाचार दोगा, जेल में आ रहे हैं, ध्यान से खड़े हो जाओ। पहले खड़े हो गये। पहले सब तैयारियां हो गई। आप लोगों के लिए पहले मिठाई लाकर रख दी उन्होंने, खा लो, खाकर वापस आ गये। बीजेपी, बैठो, जीमो, पधारो। ज्ञान की बात है, ले लो। अभी नये-नये आए हो और तक हो जाओगे ...(व्यवधान)...

नहीं, नहीं, अब इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है। मंत्री बना दिया ना, इच्छा टूट गयी। मैं यह कह रहा हूं कि जो व्यक्ति काम करता है, वह सरप्राइज चैकिंग करता है। अचानक जाता है। अधिकारी की, मध्यान्ति को पकड़ता है और पनिश, परेड करके उसको वहां से रिलीव करता है। करते ही नहीं हो, कितने जेलरों को रिलीव किया? कितने को सस्पेंड किया?

हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी को 2 पैसे का बलात्कारी +++ और 3 बार उसका अल्टीमेटम दे चुका। कहां की पुलिस है? कहां का जेलर है? कहां का डीजी है? क्या कर रहे हो? पैसे लेने के लिए बैठे हो क्या या कमाने के लिए आये थे? यह सिलीगुड़ी है क्या? यह सदन है। इसमें जो भी अपराध करता है, जो भी पाप करता है, जो भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देश का देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। यहां आये हो तो काम करिये। समाज को दिशा दीजिये। यह हो, चाहे आप हो, यह भी ढाक के तीन पात, यह भी ढाक के तीन पात।

जो डीजी चला गया रिटायरमेंट होकर जेल का, उसके साथ 10 सिपाही भी चले गये। तुमने पूछा कि सिपाही कहां हो, पूछा क्या? डीजी के साथ 10 सिपाही पानी दे रहे हैं। कोई कपड़ा धो रहा है। कोई गाय को चरा रहा है। किस बात का, रिटायरमेंट हो गया, अपने घर जाइये। नौकरों का शौक है तो आसाम से मंगाइये। अगर नौकरों का शौक है तो सिलीगुड़ी से मंगाइये। हमारे पुलिस का, गाढ़ी कमाई गरीब की कमाई का 10 सिपाही तुम्हारे पानी दे रहे हैं। किस बात का दे रहा है? कौनसी सरकार ने आज दिन तक कहा है, सिपाही अपने लाइन में हाजिरी करेंगे।

सारे मंत्री दागी हैं। मुख्य मंत्री को जी निकलने लाग रहयो है। कते मेरी जांच नहीं हो

जाये। एमएलए कहते हैं कि मेरी जांच नहीं हो जाये। होड़ लाग रही है। किस बात की जांच हो जायेगी? सरकार आपको पैसा देती है, ईमानदारी से काम करिये। ईमानदारी से दम के साथ जनता की सेवा करिये। कौन डीजी खा जायेगा क्या? एसपी खा जायेगा क्या? एसपी खुद चोरी कर रहा है। थानेदार से 50 हजार रुपये मंगा रहा है। क्या करेगा एसपी? एसपी की आत्मा मरी हुई है। पहले टाइगर होता था। पहले टाइगर होता था जिले में। टाइगर दहाड़े, ऑफिस से निकलता था तो सिपाही की कानाफूसी शुरू हो जाती थी किधर आयेगा टाइगर। अब टाइगर तो बंद हो गया एसपी, सप्लायर हो गया। सप्लायर।

टाइगर कहां गये? जंगलों से भी टाइगर गये और एसपी ऑफिस से भी टाइगर गया, तो टाइगर कहां हैं, विधान सभा में टाइगर था ही कोनी या तो सारा बाबूजी हो रहया हैं कि कदै मंत्री जी नाराज ना हो जायें। मुख्य मंत्री जी नाराज ना हो जायें। क्या करेगा मुख्य मंत्री, नाराज हो जायेगा क्या आपका बिगाड़ेगा? अपना कर्म करिये।

कर्म ऐसे कर कि पहचान बन जाये,
कदम ऐसे रख कि निशान बन जाये,
यों तो सभी लोग जिंदगी जीते हैं,
जिंदगी ऐसी जी मिसाल बन जाये।

सारा का सारा लवाजमा ही बंद हो गया। देखते, देखते 44 साल हो गये। एकदम आत्मा में भरकर जब विधान सभा चलता हूं, सोचता हूं कि कल वाला ही शोर-शराबा फिर होगा। कल वाला ही शोर-शराबा फिर होगा, यह सोचकर घर से निकलता हूं। मैडम बोलती है, उदास कैसे हो, याद कर रहा हूं कि 7 दिन बीत गये आज, 7 दिन और नहीं बीत जायें ऐसे।

आपकी शोहरत, आपका लवाजमा, आपका यहां का एडमिनिस्ट्रेशन, यह अपने आप में एक अनूठा पूरे राजस्थान को दिखाई देना चाहिए। यह लगना चाहिए कि सदन चला है। सदन में क्या बोलेंगे, पहले के किसी मंत्री के पास क्वेश्चन आ जाता था, सदन में जीरो ऑवर में, बुखार चढ़ जाती थी। अब 2 क्वेश्चन पूछें, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गया, बैठ्या ही हां। क्या करेंगे?

यह जेलों की हालत सुधारने के लिए बहुत बड़े अच्छे शासक की जरूरत है। जेलों की जो बदतर हालत, केवल मिलाने के 5 हजार रुपये, सिपाही कहेगा, यह मोबाइल ले ले, 5 हजार रुपये डलवा दे बात करनी है जितनी बात कर ले, मेरा वापस दे देना। 10 हजार रुपये, दूसरे से कहेंगे तू भी लेगा क्या? तू भी लेगा क्या? बात करा। कैदी की इच्छा का दमन होना चाहिए। कभी बात नहीं होनी चाहिए। कैदी यहां बैठे हैं कैद में और सुरक्षित अपने आपको मान रहे हैं। बढ़िया खाना खा रहे हैं और बड़े कैदी से बात करके बार-बार अत्याचार करवा रहे हैं।

ये सब कर्मचारी किसके हैं? सरकार के हैं। एक किसी को धमकी आ जाती है, सरकार उसके घर में रख देती है, क्यों? उस गुंडे का निवारण करिये ना, कौन गुंडा है जिसने धमकी दी है। 100 आदमी आज सेठों की हवेलियों पर बैठे हैं। सरकार का पैसा लग रहा है। गरीब

की गाढ़ी कमाई और जेलों के अन्दर बैठे हैं। मुख्य मंत्री जी को धमकी दे रहे हैं। फिर बचेगा कौन? जब पूरे लवाजमे के, 8 करोड़ जनता के मालिक को धमकी दे रहे हैं तो श्रवण कुमार की और श्रीचन्द कृपलानी की तो हिम्मत ही कहां है, बोलेगा ही कौन? मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री जी को चैकिंग पर भेज दो दारू वालों के, मंत्री जी दूर से ही दिख जांगा। कोई ऐसे छोटे आदमी को भेजो जो दिखाई नहीं दे।

मैं अब आ रहा हूं आपकी गहराई के ऊपर। जेल में तो इतना ही कहूंगा कि सुधार करिये। सरप्राइज चैकिंग करिये।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): ठीक हो गये हैं लोग।

श्री सभापति: विराजें। विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अब की बार आओगे ना, अब की आर आओगे तब बात करेंगे। बैठ जाओ।

सभापति महोदय, 18 पर बोलना चाह रहा हूं। आपके विभाग के लिए, महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। अब मैं कहूं तो किसको कहूं। मुख्य मंत्री जी ही तो हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, यह +++ किसको क्या कह रहे हैं? यह अच्छी भाषा नहीं है। इसको एक्सपंज कराओ ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या हो गया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप कह रहे हो ना सारे एसपी +++ हैं। अब यह कोई बात होती है क्या? टाइगर क्या होता है? +++ हैं, आप बब्बर शेर बन रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे सब के, राजस्थान के महामहिम ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इसको एक्सपंज करना चाहिए। आईपीएस, आईएएस अधिकारी राज चलाते हैं। सरकार का कहना मानते हैं। कोई गलत हो सकता है। एक, दो गलत हो सकते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तो निकलवा दो ना। मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो? निकाल देंगे अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, निकाल देंगे ना ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 5 साल आपने क्या किया? ...(व्यवधान)... आपके गृह मंत्री अच्छे-भले +++ थे। फिर?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): निकाल दो ना ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भाई, निकलवा दो ना। मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): समय खराब हो रहा है।

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। विराजिये ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा समय मत खराब करो, निकलवा दो ...(व्यवधान)...मुझे

कोई एतराज नहीं है निकलवा दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप किसी को कुछ भी बोल दोगे ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हां, निकलवा दो ना ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपकी मर्जी पड़े जो बोल दोगे।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): निकलवा दो ना, समय क्यों खराब कर रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री रामकेश (गंगापुर): 3 मिनट हो गई है।

श्री सभापति: आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा समय जाया कर रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिये ...(व्यवधान)... विराजिये ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप खड़े रहोगे क्या? खड़े रहोगे क्या? बैठिये। सुन लिया ना, हाईट बहुत है दिमाग नहीं है। बैठ जाओ ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज कराओ।

श्री सभापति: +++ विलोपित करें इसको, क्या बोला था जिसको ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय, मैं समय लूंगा, मैंने बता दिया आपको। यह बेकार में समय खराब कर रहे हैं मेरा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सब बोलो ना। क्यों क्या हुआ? यह क्या तरीका है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तो निकलवा दो ना।

श्री सभापति: करा दिया, विलोपित करा दिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): निकलवा दो ना, मना कौन कर रहा है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: करा दिया विलोपित। विराजें ...(व्यवधान)... विराजिये। माननीय सदस्य, मेरा भी, विराजिये, विराजिये, करा दिया ना विलोपित। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बुलबुलों के पंखों में कभी बाज नहीं रहते।
कायरों के हाथ में कभी राज नहीं रहते।
सिर झुकाकर चलने वाले की आदत पड़ जाये जिस इंसान को,
उस इंसान के सिर पर कभी ताज नहीं रहते।

spp/rtm/03.03.2025/15.20/2l

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं गुरुवार की रात नौगांव की पुरानी रंजिश को लेकर दलितों के साथ अत्याचार किया। हमारे पूर्व मंत्रीजी ने सब कुछ बता दिया। दलितों की तो रक्षा कर नहीं सकते, समाज को दिशा दे नहीं सकते। किसी अधिकारी को तुम धमका नहीं सकते, तो क्या यहां चौपाल पर बैठने के लिये थोड़े ही आये हो। आये दिन दलितों को

घोड़ी पर से उतार लिया। यह कब की बातें कर रहे हो? आज के जमाने में भी दलितों को घोड़ी से उतार रहे हो। दलित बर्दाश्त नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे दलितों की इस परेशानी को। सच्ची बात कहते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। करो न प्रबन्ध। मैं यह कहता हूं कि यह सरकार भी यही करती थी, तो कर रही थी तो भुगत रहे हैं न। इधर बैठे हैं न। आप भी बैठ जाओगे, यह मत चाहत करो। आप भी बैठ जाओगे। यह तो समय जनता बदलती है, एक मिनट में बदल देती है। इसलिए, कृपलानी साहब, बहुत अच्छे हो, पुराने आदमी हो। आप थोड़ा संयम रखा करो, कम बोला करो, अच्छे लगोगे।

माननीय सभापति महोदय, अवैध खनन की अभी बात कर रहे थे। सुनते-सुनते 44 साल हो गये इस सदन में बात करते।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, यह आइपैड हाथ में आ जाएगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़)ः कौनसा? नहीं आएगा, साहब। आएगा तो मेरी जेब से पैसे खर्च कर लगवा दूंगा। आप चिंता मत करो।

श्री सभापतिः यूं पकड़ो इसको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़)ः मैं पैसे कटवा दूंगा अगर आ भी जाएगा तो आप चिंतित क्यों हो रहे हो?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, इसको ऐसे पकड़ें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़)ः ऐसे ले लूंगा, फिर तो राज़ी हो, खुश हो। अभी थोड़ी देर पहले वह लेकर खड़े थे, आप कुछ ही नहीं बोले। आप लोगों की तो मेरे से ही दुश्मनी है।

मैं यह कहना चाह रहा था कि आपको मालूम है कि 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से सुन रहा हूं कि खनन माफिया चोरी कर रहे हैं। खनन माफिया नहीं कर रहे हैं, यह राजस्थान का सदन कर रहा है। अगर सदन एक बार यह आर्डर पास कर दे कि कल से खनन के ऊपर कोई अवैध गाड़ी खड़ी नजर नहीं आयेगी। मेरा चैलेंज है, अब की बार मुख्य मंत्रीजी ने आत्मा से काम किया रीट के अन्दर, रीट की बदली नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी, 600 सिपाही लगा दिये। अब की बार परिपूर्ण, पारदर्शिता से आपकी रीट की परीक्षा का प्रोग्राम हुआ है। आपमें कोई इच्छा ही नहीं है, केवल भाषण ठोकते जाते हो। जनता का उद्धार कहां से करोगे? आप फालतू मत बोलो, आत्मा से काम कराओ। जनता को बताओ कि हमने आत्मा से आपके लिये सुरक्षा पैदा कर रखी है। मंत्रीजी, इच्छाओं को भगाकर बनाओ या मत बनाओ, पर मंत्री बनकर दिखा दो, दिखा दोगे। ठेकेदार रात को घर आ जाएगा तो क्या करोगे? रात को बड़े वाला ठेकेदार घर आ जायेगा तो क्या करोगे? आप नहीं करोगे तो बच्चे करेंगे। बच्चे नहीं करेंगे तो और कोई करेगा, करेगा जरूर। ..(व्यवधान).. मेरा तो मत पूछो, सुनो। 44 साल के बाद में भी आपको चैलेंज करता हूं। 150 बीघा की खेती करता हूं। मेरा बेटा 5 लाख की ठेकेदारी करता है। आप सबकी मुझसे मत पूछो। आपके बड़े-बड़े कारनामे मुझे सारे मालूम है। मेरी जांच करानी है तो करवा लो, मना कौन करता है? मैं तो दो कमरे में रहता हूं और कोई जांच करवाना हो, ट्रेक्टर चलाता हूं और 150 बीघा में गेहूं

उगाकर बैठा हूं। आपके गेहूं हुए हैं क्या? मोल लेकर आते हो दो कट्टे।

श्री सभापति: श्री गोपाल शर्मा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, साहब, अन्याय कर रहे हो। ..(व्यवधान).. इन्होंने मेरा टाइम खराब कर दिया।

श्री सभापति: अब नहीं।

एक माननीय सदस्य: गोपाल जी, बैठो जरा। ..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा टाइम बढाओ।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय माननीय सभापति महोदय, बड़े भाई साहब से प्रार्थना है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट। मेरा समय आपने खराब किया है, मैंने किया है क्या?..(व्यवधान)...अब आप समय खराब ही तो कर रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये प्लीज।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको मालूम है ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: अंकित नहीं हो। आपको 15 मिनट की जगह 17 मिनट दे दिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, हमारे सूरजगढ़ से आने वाले विद्वान, अनुभवी और हमारे शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नेता, बड़े भाई को मैं निवेदन करना चाहता हूं-

'हमीं को कत्ल करते हैं हमीं से पूछते हैं
शहीदे-नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है।'
अब समस्या यह है कातिलों से कहां तक बचा जाएगा
जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया।।

आदरणीय तीन विद्वान, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, आदरणीय शांति धारीवाल जी, आदरणीय बूंदी से आने वाले हमारे बुजुर्ग नेता और मेरे गांव के पुराने बड़े भाई श्रवण जी के विद्वतापूर्ण भाषण के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का दिन है और सरकार के 444 दिन पूरे हुए हैं।

(समय : बजे)

(श्री फूलसिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): कर्मठता, प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता के प्रतिमान जिन्होंने कीरो का अंकशास्त्र पढ़ा है, वे जानते हैं कि चार नम्बर शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिये जाने जाते हैं। गृह विभाग पर चर्चा उसके प्रतिबद्धता दोहराने का समय है।...(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): भाई साहब प्लीज। आदरणीय सदस्य महोदय, प्लीज, ..(व्यवधान).. मेरे को तो यह कह दें।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, नेता प्रतिपक्षजी, आपने समय दिया है, वह समय आपका पूरा करवा दिया है। अब आप इसके अन्दर ..(व्यवधान)..

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैं क्या करूं रफीक जी? अब आप बैठिये।

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य। ..(व्यवधान)..

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मेरे बीच में मत बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आप दो मिनट देदो। हम एडजस्ट कर लेंगे।

श्री सभापति: अब ये बोलने लग गये हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे स्पीच में कम कर देना। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: नेता प्रतिपक्ष ये बोलने लग गये। यह परम्परा में नहीं है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): भजनलाल जी की सरकार, यानी भयमुक्त राजस्थान की गारंटी, भजनलाल जी सरकार यानी भयमुक्त राजस्थान की गारंटी, कास्टिज्म, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से मुक्त होकर, पीस, प्रोग्रेस, प्रोसपैरिटी और परफोर्मेंस स्टेट की तरफ बढ़ता ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, आप सीनियर हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): राजस्थान देश के विकास में मिसाल बना हुआ है। ऐसा सिर्फ भजनलाल जी के शासन में संभव है। आज आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के प्रशंसा करने का दिल चाहता है। दिल चाहता है कृपया गौर करें लाहौल विला कुव्वत कहने वाले, हम तो लाहौर बिना भारत मांगते हैं और लाहौर को भी साथ जोड़ना चाहते हैं। यह सिर्फ हमारे आदरणीय भजनलाल जी कर सकते हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति भजनलाल जी को देखकर आज ध्यान आता है-

'दहलीज पर रख दी हैं

किसी शख्स ने आंखें

रोशन कभी इतना तो दीया हो नहीं सकता।

रोशन तो दीया कभी इतना हो नहीं सकता।।

मैं कांग्रेस शासन के बारे में बात नहीं करूंगा। केवल इतना ही फर्क है कि मैंने पुलिस को बहुत गहराई से देखा हुआ है। गणेश सिंह जी आई जी. से लेकर, राजेन्द्र शेखर जी, ओ.पी.टंडन जी, वी.के. थानवी जी, अमिताभ गुप्ता जी, मोहनलाल जी कालिया इन सबको बहुत नजदीकी से देखा हुआ है। हमारे वरिष्ठ सदस्य चले गये, वे इस बात से परिचित होंगे। हमने उस राजस्थान को देखा हुआ है, आदरणीय मिर्धा साहब हमारे मौजूद हैं, नवनीत सिंह कादिया का एनकाउंटर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसलिए मैं कोई बात कहना चाहता हूं।

संगठित अपराधों में एक वर्ष में 48 प्रतिशत की कमी आना या मेवाड़, भरतपुर से साइबर क्राइम को ध्वस्त करना, इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

jyg/rtm/03.03.25/15.30/2m

...(व्यवधान)... मैंने कहा कि मुझे डिस्टर्ब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बोलेंगे तो आपके सीबीआई का विषय उठाऊंगा, मुझे मत छेड़िये, मत छेड़िये मेरे को। धन बल, बाहु बल, और राज बल से, ...(व्यवधान)... प्लीज मत बोलिये, डिस्टर्ब मत कीजिये।

क्यों मेरे को भंवरी देवी की याद दिलाना चाहते हो? ...(व्यवधान)... क्यों मेरे को नागर के इस्तीफे की याद दिलाना चाहते हो? प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं, माफ कीजिये। ...(व्यवधान)...

धन बल, बाहु बल, राज बल से बना क्राइम कॉरिडोर, ये जयपुर से होकर भी गुजरता है और सिविल लाइंस से प्रताप नगर जाते समय, अपने वैशाली नगर से प्रताप नगर जाते हुए, सिविल लाइंस के हिस्से भी उसमें आते हैं। जो तुरंत किये जाने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की पुलिस को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर वह सरकार के इस रिकॉर्ड को गलत साबित करे कि कांग्रेस शासन में घुसपैठ होने के बाद सोडाला में 155 से बढ़कर 466 और सदर क्षेत्र में 47 से बढ़कर 101 बांग्लादेशी और रोहिंग्या, रिकॉर्ड पर हैं तो आपने क्यों अपने हाथों के अन्दर रस्सी बांध रखी है? ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपके कारण हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): कौन बोला? ...(व्यवधान)... शांति रखिये। बांग्लादेश के हिन्दुओं के बीच इस वर्ष नव वर्ष मनाकर आया हूं, मेरे को मत छेड़िये। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): आपके कारण हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य को बीच में डिस्टर्ब मत कीजिये। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): भाखरजी, चुप रहिये, आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं मेरे सामने ...(व्यवधान)...।

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय सभापति महोदय, प्रमुख चौराहों और सर्किल और सड़कों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की जरूरत है। मेरे हाथ में ये दो कागज पडे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें। हमारे बहुत ही प्रिय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दे दिया कि इतने करोड़ लागत से हम सीसीटीवी कैमरे लगायेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश है, जिसमें इस बात की भर्त्सना की गयी है कि राजस्थान पुलिस ने एफिडेविट तक दाखिल नहीं किया, शर्म की बात है।

माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या स्थिति है?

यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 1 लाख लोगों पर 222 पुलिस कर्मी होने चाहिए, हमारे भारत का आकलन कहता है कि बड़े महानगरों में 444 होने चाहिए, भारत के अन्दर 1 लाख की आबादी के ऊपर 152 पुलिस कर्मी हैं, राजस्थान में यह आंकड़ा 117 है लेकिन जब मैं अपने सिविल लाइंस जिसमें पूरा शासन निवास करता है, वहां सिर्फ 114 हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के कार्यों के अन्दर पारदर्शिता लाइये। सरकारों से मिलकर केवल अपने को जयपुर में टिकाये रखने के लिए 25-25, 30-30 साल से ये भ्रष्टाचारी राजस्थान का भला नहीं कर सकते। मुझे खुशी हो रही थी जब शान्ति धारीवालजी बोल रहे थे, इन पर कोई और आरोप लगाया जा सकता है लेकिन अपराधियों से मिले होने का नहीं लगाया जा सकता, श्रवणजी पर नहीं लगाया जा सकता, हमारे तो सारे गंगा नहाये हुए हैं, कोई बात ही नहीं है।...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 11 थानों के पास मेरे सिविल लाइंस क्षेत्र में, 11 थानों के पास सिर्फ 1 पीसीआर वैन है। आप सोचिये, वो पीसीआर वैन क्या करेगी? वो पीसीआर वैन खड़ी रहेगी या उसमें जनता को बैठाकर पीटा जायेगा? या वो दलाली करेगी या वो वसूली करेगी? बहुत ही दुःख की बात है।

आदरणीय सभापति महोदय, हमारे जयपुर में 5,350 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के अन्दर सिर्फ 1,500 पुलिस कर्मी उपलब्ध हैं। 156 ट्रैफिक पोइंट ऐसे हैं जहां पर कोई खड़ा रहने वाला भी नहीं है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): नहीं, साहब, मुझे 15 मिनट का मैंने निवेदन किया है, मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं। मैं क्षेत्र की समस्याएं बता रहा हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बोलिये, आप बोलिये। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय। मैं केवल इसलिए निवेदन कर रहा हूं,

न हम सफर से, न किसी हमनशीं से निकलेगा,
हमारे पाँव का कांटा, हमीं से निकलेगा।

हमारे राजस्थान की पुलिस वह बहादुर पुलिस है जिसने उग्रवाद को, उग्रवाद के सरगनाओं को गंगानगर से लेकर मॉडल टाउन के अन्दर मारकर गिराने का काम किया है। देश के अन्दर जब भी पुलिस की चर्चा हुआ करती थी तो सबसे पहले राजस्थान के डीजीपी को बोलने का मौका दिया जाता था, वह हमारी पुलिस है। ...(व्यवधान)...

आदरणीय सभापति महोदय, बस दो-तीन मिनट में खत्म कर दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रत्येक राजस्थानी के ऊपर सिर्फ 98 रुपये खर्च होते हैं सुरक्षा के नाम पर, इसको कुछ न कुछ बढ़ाये जाने की जरूरत है। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, दो पोइंट रखकर मैं अपनी बात खुद ही खत्म कर दूंगा।

...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, बोलिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्रों से अफीम अफगानिस्तान जाती रही है और वहां से ड्रग्स बनकर राजस्थान तक में आती है। मैं अपनी पुख्ता पुलिस की सूचनाओं के अनुसार, केन्द्र से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार निवेदन कर रहा हूं कि अब इन क्षेत्रों के अन्दर जंगलों में छोटी-छोटी फैक्टरी लग रही है और ड्रग्स बनना शुरू हो चुका है। ...(व्यवधान)... कृपया इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, पहले एंटी करप्शन के अन्दर कोई एफआईआर दर्ज करनी होती थी तो उसकी जांच होती थी, जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज होती थी। हमारे पिछले शासन से लेकर अब तक की स्थिति यह है कि एफआईआर के लिए भी सरकार से पूछना पड़ता है या सम्बन्धित डिपार्टमेंट के आला से पूछना पड़ता है। इसके कारण एंटी करप्शन के अन्दर 450 एफआईआर दर्ज होने से पड़ी हुई है। ...(व्यवधान)... 450 एफआईआर।

आदरणीय सभापति महोदय, जिस समय अशोक गहलोतजी साहब, हमारे प्रिय पूर्व मुख्य मंत्रीजी विदा हो रहे थे, उस समय 590 प्रकरण एसीडी में पड़े हुए थे और सरकार उनकी स्वीकृति नहीं दे रही थी। उसके अन्दर जल जीमण मिशन भी था।

श्री सभापतिः कृपया समाप्त कीजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): जल जीमण मिशन भी शामिल था। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, मुकेशजी भाखर। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आखिरी मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। नमस्कार। जय श्रीराम।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, आपने गृह व कारागृह मांगों पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा नम्बर हमेशा गोपालजी के बाद ही आता है।

श्री सभापतिः पांच मिनट है समय आपका, आप जितना बोल सकें, बोलें।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): हमारे पास कुछ मसाला नहीं होता तो गोपालजी ही दे देते हैं।

MLS/RTM/03.03.2025/15:40/2n

मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज यह चर्चा हम इस सदन में कर रहे हैं। अगर इससे हम पुलिस को मजबूत कर पाये, कारागार की व्यवस्था को सुधार पाये, अपराधियों पर लगाम कैसे लगे, इन बातों पर कुछ नियम-कानून बना पाये, कुछ सुविधाएं हम दे पाये तो मैं समझता हूं वह कारगर होगा, नहीं तो विपक्ष हम पर आरोप लगायेगा, हम उन पर लगाएंगे और इसी तरीके से यह चर्चा हर बार होती रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान जो शान्ति के प्रदेश के नाम से जाना जाता

था, यहां लोग बाहर दिल्ली से, दूसरे प्रदेशों से आकर बसते थे कि राजस्थान में अपराध कम हैं, लेकिन आज जब मैं इस मांग संख्या पर बोल रहा हूं तो क्या स्थिति इस राजस्थान की हो गयी है? कारागृह की बात चल रही है, कोई और मंत्री यहां हैं नहीं, बेढ़म साहब को बैठा रखा है, मुख्य मंत्री जी के प्रिय हैं तो मैं आपसे कुछ बातें बोलूं तो मैं समझता हूं कि आप वहां तक पहुंचाएंगे और आज उस पर जनता को सुविधा देने के लायक कोई बात इस सदन में हो पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, स्थिति यह है कि मुख्य मंत्री जी को जेल से धमकी दी जा रही है। एक बार नहीं, तीन बार। अपराधी जेल में बैठकर मुख्य मंत्री को धमका रहे हैं। कैसी कारागृह, कैसी व्यवस्था है, क्या गृह विभाग है, यह चिन्ताजनक है। इनके मंत्री, जिन्होंने संघर्ष करके इनको सरकार में लाने का काम किया, वे कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप हो रहा है। गृह मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं हो रहा, फिर वे कह रहे हैं कि फोन टैप हो रहा है। क्या व्यवस्था बन गयी है? सभापति महोदय, सरकार जब सत्ता में आयी, भजन लाल जी जब मुख्य मंत्री बने, बेढ़म साहब, आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप उनके प्रिय हैं, उनके सैक्टर से आते हैं, जब भजन लाल जी मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनायी।

पूरे राजस्थान के लोगों में यह मैसेज गया कि नये मुख्य मंत्री जी बने हैं, कुछ अच्छा करेंगे, बहुत प्रचार-प्रसार उसका हुआ, हर सभा में मुख्य मंत्री जी ने कहा, हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना दी, अपराधी राजस्थान छोड़कर भाग जाएं, लेकिन आज वास्तविकता क्या है? क्या आप उस फोर्स को संसाधन उपलब्ध करा पा रहे हैं या वह आपकी राजनीति की शिकार हो चुकी है? इस पर आपको जवाब देना चाहिये। जिसका प्रचार आपने किया, क्या उसके पास संसाधन हैं, क्या वह इतनी ताकतवर है कि वह अपराधियों पर लगाम कस सके या फिर वह आपकी पुलिस की आपसी राजनीति का शिकार हो रही है? सभापति महोदय, इस राजस्थान पुलिस में ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर, अपनी नौकरी दांव पर लगाकर इस राजस्थान में अपराध को खत्म करने का सपना देखा था, लेकिन आज क्या स्थिति है, अपराधी देश छोड़कर विदेशों में बैठे हैं।

जैसा कि श्रवण जी कह रहे थे, पहले व्यापारियों को धमकी आ रही थी, आज गांव का सरपंच और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। उनको धमकाया जा रहा है विदेश से, फिरौती मांगी जा रही है। क्या कर रही है राजस्थान की सरकार? दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था चल रही है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं, जो मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, आपकी सरकार पर लोग भरोसा करें, उस पुलिस फोर्स को नेताओं से फ्री करो। जो जिले आपने थाने-तहसील नेताओं को ठेके पर दे दिये, उनको बाहर निकालो उससे। यह मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे लाडनूं में 6 महीने पहले ओम प्रकाश नामक एक युवक को घर से निकलते ही मारकर उसके शव को फेंक दिया जाता है। मंत्री जी, 6 महीनों से

उसका परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है, एक भी जांच उसमें नहीं हुई है, किसी को पकड़ा नहीं गया है। माननीय सभापति महोदय, वह परिवार अभी भी न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन 6 महीनों में पता नहीं चला, कौन ओम प्रकाश को मार गया, किसने हत्या कर दी? अभी मैंने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाया कि मेरे गेनाना गांव में एक युवक की हत्या हो जाती है, 6 दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं, वहां के एसएचओ साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब किसान की बकरी चोरी हो गयी तो उसे कहता है कि बकरी की डेट ऑफ बर्थ क्या थी?

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): कितने किलो की बकरी थी? इस तरीके की व्यवस्था चल रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं, इस सदन में पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, उस ओम प्रकाश को...

श्री सभापतिः श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल। अंकित नहीं होगा।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने बजट के अन्दर जो पुलिस विभाग के लिए, जो पुलिस के लोगों को सुविधा देने के लिए, पुलिस की नौकरी उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिये, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आपके ध्यान में होगा, अभय कमांड के माध्यम से एक बहुत बड़ी योजना हम लेकर आये, जिसके माध्यम से लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में सुविधा का सामना करना पड़ेगा और सुविधा मिलेगी। आगामी वर्ष में साढ़े तीन हजार पुलिस के पद सृजित किये जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा निर्णय है। पुलिस के वाहनों को रिप्लेसमेंट पर 500 वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में कभी भी किसी सरकार ने पुलिस को इतने साधन उपलब्ध नहीं कराये।

सभापति महोदय, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान पुलिस के भवन निर्माण के लिए, कम्प्यूटर के लिए, कैमरों के लिए भी रखा गया। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला निर्णय लिया गया, इस प्रदेश से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने का हम काम करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे बॉर्डर से लगते हुए क्षेत्र में तो यह स्थिति है कि पिछले पांच सालों में 20 साल से लेकर 35 साल का 80 प्रतिशत युवा नशा करने लगा है।

सभापति महोदय, हमने उसमें एक बड़ी कार्यवाही करते हुए कुल 6082 मुकदमे दर्ज किये और उसमें हिरोइन पकड़ी हमने 50 किलो, स्मैक पकड़ी 5 किलो 384 ग्राम और चरस पकड़ी 888 किलो। सभापति महोदय, इसके पीछे हमारी मंशा थी, हमारे देश का युवा सुरक्षित हो, हमारे देश के युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जाये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य। इन्हें समझाइये, सीनियर हैं। बार-बार खड़े होकर कहेंगे, उधर

से भी खड़े होंगे। आप सीनियर हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, यह विषय किसी सरकार का या किसी व्यक्ति का नहीं है। यह विषय युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। ...(व्यवधान)... इस सदन को राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है। उन्हें यह भी आभास हो रहा है, एक गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और कौन-सा दल इसमें कितनी भागीदारी निभा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः सदस्य, आपका नम्बर आयेगा, तब बोल लेना।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अपने कार्यकाल में इस सवा साल में माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ने साइबर क्राइम पर बड़ी कार्यवाही करते हुए हमारे मेवात क्षेत्र में बुलडोजर तक चलाने का काम किया, क्योंकि ये लोग तब सुधरेंगे, जब इनके ऊपर आर्थिक चोट पड़ेगी, ये लोग तब सुधरेंगे, जब इनकी आत्मा पर चोट पड़ेगी। साइबर क्राइम के माध्यम से पिछले पांच साल में, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है, उत्तर प्रदेश से योगी जी ने क्राइम करने वाले क्रिमिनलों को भगाया, मध्य प्रदेश से शिवराज जी ने भगाया और उन सबने पनाह ले ली राजस्थान के अन्दर। यहां के नेताओं ने पनाह दी उन्हें। यहां के नेताओं ने क्राइम करने में उनका सहयोग किया।

सभापति महोदय, आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पिछली सरकार में बजरी खनन से लेकर अवैध हथियार तक की घटनाएं लगातार बढ़ती चली गईं। सभापति महोदय, आप देखेंगे कि हमने शराब के मामलों में भी 24 हजार 600 लीटर अवैध शराब पकड़ने का काम किया। सभापति महोदय, 532 अवैध हथियार, दुनाली और अवैध रिवॉल्वर पकड़ने का काम किया। धारदार हथियारों की हम बात करें तो साढे चार हजार की संख्या में हमने पकड़ने का काम किया।

MKD/RTM/03.03.2025/15:50/2o

मैं तो आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं, एक ओर हमारे मुख्य मंत्री क्राइम को खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक ओर हमारे मुख्य मंत्री, भैया, एक मिनट, मेरी आवाज इतनी तेज है, उनको बोलने दीजिये।

एक और तो हमारे मुख्य मंत्री क्राइम को खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक और हमारे गृह मंत्री क्रिमिनलों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी और पिछली सरकार ने लगातार जो राजस्थान के लोगों के साथ किया, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी चर्चा की कन्हैया लाल की, क्यों उसकी मृत्यु होती है, अगर उसकी शिकायत पर किसी पुलिसकर्मी ने संज्ञान ले लिया होता, क्यों उसकी मृत्यु होती, क्यों गला काटा जाता, क्यों पूरे राजस्थान को शर्मसार होना पड़ता, क्यों शर्मसार होना पड़ता राजस्थान को।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शंकर मेघवाल की बात करो।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): क्यों हरीश जाटव, जो अलवर के अन्दर दलित बच्चा था, उसको पीट-पीटकर मार दिया गया। सभापति महोदय, डेढ़ महीने तक हमने धरना-प्रदर्शन किया, तब उसके हत्यारों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की।

सभापति महोदय, शर्मसार तो राजस्थान तब हो गया, जब इस सदन के अन्दर महिलाओं के मामले में मर्दों की दुहाई देने वाले लोग अभी तक बैठे हैं। उससे बड़ी घटना भी तब हुई, जब चुरू के अन्दर, एक थाने के अन्दर, एक महिला के साथ लगातार बलात्कार होने लगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि करप्शन का, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तो तब टूट गया। जिसके अन्दर लोग आस्था लेकर सचिवालय के अन्दर आते हैं और वहां पर एक किलो सोना और दो करोड़ तीस लाख रुपये नकद मिलते हैं और पता लगता है कि +++। सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे है, इसको निकलवाएं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): पिछली सरकार के समय रेप के प्रतिदिन 15 मामले दर्ज होते थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसको निकलवाओ, आप एक्सपंज करवाओ। इसको निकलवाएं। इसको एक्सपंज करवाओ। जो मनमर्जी है, वह बोल रहे हैं।

श्री सभापति: हटा दिया, हटा दिया।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): अब उसके अन्दर 10 प्रतिशत मामले कम हुए हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अब इसके खिलाफ लेकर आयेंगे विशेषाधिकार हनन का।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): सभापति महोदय, 2022 के अन्दर क्राइम का जो रिकॉर्ड बताता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, ये जो मर्जी हैं, वह बोल रहे हैं। आप तथ्यों के आधार पर बोलो।

श्री सभापति: इसको एक्सपंज करें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): 3 लाख 12 हजार 732 मामले दर्ज हुए और हमारी सरकार में उसमें लगभग साढ़े 9 प्रतिशत की कमी आई।

सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से लोगों की आवाज बन्द करने का काम किया। पिछली सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम किया। पिछली सरकार ने लगातार इस तरह के काम किये, जिससे लोगों की आवाज बन्द हो सके।

मैं भी लगातार दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहा था। उसमें मेरे ऊपर भी अशोक गहलोत के इशारे पर, अशोक गहलोत जी के इशारे पर प्रियंका गांधी को

चिट्ठी भेजने..(..व्यवधान..)।

श्री सभापतिः थोड़ा सम्मान से नाम लें, जिनका भी नाम लें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): ..(..व्यवधान..) माननीय पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत.. ..(..व्यवधान..)।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या हुआ..(..व्यवधान..), आपकी हैसियत है क्या अशोक गहलोत जी का नाम लेना, लेता और बोलता है फालतू, थोड़ी गरिमा रखो, गरिमा रखो। अपनी गरिमा रखो।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): ..(..व्यवधान..) प्रियंका गांधी को चिट्ठी भेजने पर मुझे असत्य केस में फंसाया गया। सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने सीआई अंकेश कुमार, सीओ शंकर लाल मीणा, जांच अधिकारी कालूलाल मीणा के खिलाफ जो लगातार जांच चल रही है, ..(..व्यवधान..) उस जांच को पूरा कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो बजरी माफिया..(..व्यवधान..)। एक्सपंज करवाओ। सभापति जी, यह डिलीट करवाओ।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी इतना निवेदन करना चाहता हूं, मेरे साथी नहीं बल्कि इस सरकार में जो दलित लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनको रोकने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, इसको एक्सपंज करवाओ।

श्री सभापतिः कर दिया, कर दिया, बोल दिया।

श्री पूसाराम जी गोदारा। श्री मनोज कुमार जी, सादुलपुर।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): साहब, मुझे अनुमति दे रहे हो या पूसाराम जी को? पूसाराम जी को कर रहे हैं?

श्री सभापतिः पूसाराम जी गोदारा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे गृह और कारागर विभाग की डिबेट पर भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन खेद है, गृह विभाग पर बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पर पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात पर चर्चा हुई, वह शर्मनाक बात है। पूर्व सदस्य जहां से आये हैं, वे कह रहे थे, पूर्व मुख्य मंत्री का नाम ले रहे थे। अगर इनके पास सबूत हैं तो अभी पेश करिये। यह सही है, यह तरीका चलने वाला नहीं है, नहीं तो इनको विशेषाधिकार प्रस्ताव से बाहर निकाला जाए। इनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाए। यह बात मैं रखना चाहता हूं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, लूट, चोरियां, महिला एवं बच्चियों के साथ रेप, दरिंदगी,

अपहरण, संगठित अपराध और नशे का कारोबार और साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सरकार दावा कर रही है कि हमने एक साल में बहुत सुधार किया। अभी तक कोई सुधार नहीं है, उल्टा हमारे से ज्यादा अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से पुलिस कमजोर हुई है। आज पुलिस के पास कोई संसाधन नहीं है। आपका शासन आए हुए सवा साल हो गये हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते आए हैं।

पिछले टाइम में पेपर लीक और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजस्थान नहीं सहेगा, अभी आराम से 15 महीने होने जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं और पूर्व मुख्य मंत्रियों पर चार्ज लगाये जा रहे हैं। इससे कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। कानून और व्यवस्था सुधरने वाली बात शुरू करो, आरोप-प्रत्यारोप बन्द करो।

इसके अलावा मैं समझता हूं कि नशे की प्रवृत्ति आज छोटे-छोटे गांवों तक पहुंच गई है, उनको भी रोका जाना चाहिए। इसके लिए विशेष पुलिस बन्दोबस्त होना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं कल अख़बार में पढ़ रहा था। अजमेर के बिजयनगर में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, अजमेर बन्द था, लड़कियों के साथ देह शोषण हो रहा है, दरिंदगी हो रही है, यह सरकार दावे कर रही हैं, इससे बड़ा खेद क्या हो सकता है। अजमेर इतना बड़ा कस्बा बन्द है। फिर, बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं।

आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपराधी बहुत हाई टेक हो गए हैं। अभी पुलिस पुराने संसाधनों से जूझ रही है। आप नये कानून ले आए, नये कानून को त लागू कराने के लिए तकनीकी सिस्टम आपने डवलप नहीं किया। टेक्निकल आदमी की भर्ती नहीं की, विशेषज्ञ नहीं लगाये गये, आये दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, उस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगी। नये कानून का अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हो रहा है तो आज के आइओ बहुत से तो ऐसे हैं, जो कम्प्यूटर तक नहीं चलाना जानते हैं। वे क्या आज के कानून को समझेंगे। ऐसी स्थिति में नई व्यवस्था की जानी चाहिए। खटारे, अपराधियों के पास डेढ सौ किलोमीटर प्रतिघंटे की गाड़ियां और आपके थानों में कैम्पर बने हुए हैं, कैम्पर के ऊपर आपने बत्ती लगा दी, पुलिस को पकड़ा दिया। कैसे अपराधी पकड़े जाएंगे? खटारे हैं, जिनकी 50-60 की स्पीड है, कैसे काम चलेगा? श्रवण जी, रुको। मुझे तो बोलने दो, डट जाओ। कैसे काम चलेगा? मेरे समझ में नहीं आई।

श्री सभापतिः उन्हीं के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): श्रवण जी, रुको। मुझे तो बोलने दो, डटो, अब आप डटो। मुझे तो बोलने दो।

Bhs/Rtm/03.03.25/16.00/2p

आपकी पुलिस अपराधियों से भिड़ती है, संसाधन होने के अभाव में या तो पुलिस का नुकसान होता है, एनकाउंटर में वास्तव में होने वाले एनकाउंटर वो नहीं कर सकते और हालात नाजुक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं हैं, तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं तो

जब तक थाने मजबूत नहीं होंगे, जब तक सी.ओ. ऑफिस मजबूत नहीं होंगे, इसमें तकनीकी स्टाफ नहीं लगेगा, विशेषज्ञों की नियुक्ति अलग से नहीं करोगे, कैडर नहीं बनाओगे तब तक कानून-व्यवस्था को सुधारने का सपना अधूरा रहेगा।

मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं कि तकनीकी सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की अतिरिक्त भर्तियां की जाये और उनका अलग से कैडर बनाया जाये। साइबर थानों में साइबर तकनीकी और विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाये, नफरी बढाई जाये। नफरी में आज हालत यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में तीन थाने हैं जिनमें जो नफरी है उसका चालीस प्रतिशत स्टाफ है और मेरे यहां तीन-तीन हाईवे निकलते हैं एन.एच. और वहां लोगों का चौतरफा से एन.डी.पी.एस. का इतना सिस्टम डवलप है उसको रोकने में पुलिस नाकाम है, फिर किस बात की कानून-व्यवस्था? किस बात की चुस्त और दुरुस्ती? मेरे को तो पन्द्रह महीने में कोई परिवर्तन नजर आया नहीं उलटा परिवर्तन नजर नहीं आकर के स्थिति कमजोर हुई है, इसलिये इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है।

इसके अलावा स्टाफ नहीं, पुलिस का अलग काम बढ़ गया। भाग कर शादी करने वाले युवक और युवतियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होती है। दस-दस दिन तक पुलिस उनके पीछे घूमती है, परिवार वाले रोते घूमते हैं और उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिलती है और पुलिस हाथ झड़का कर रह जाती है, घर वाले हाथ झड़का कर रह जाते हैं। मैंने यह बात पिछली बार भी कही। इसके अलावा लिव इन रिलेशन से बहुत से ऐसे परिवार टूट गये जो अपने दो-दो, तीन-तीन बच्चों को छोड़ करके लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिये और पुलिस द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए और सरकार को सदन के माध्यम से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विशेष व्यवस्था दी जाकर लॉ कमीशन से कानून का परीक्षण करवाया जाये। परिवारों में टूट आ रही है। सभी जन प्रतिनिधि दुःखी हैं, परिवार बर्बाद हो गये। 302 तक के मुकदमे होते हैं लिव इन रिलेशन को लेकर के और कितने ही परिवारों की बदनामी होती है और भाग कर करने वाली शादियों को भी मान्यता नहीं मिले, इसके लिए लॉ कमीशन से परीक्षण करवा कर के केन्द्र सरकार से निवेदन किया जाये कि इस पर अंकुश लगाया जाये ताकि समाज में शांति हो सके।

इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल्स की 3600 रुपये पे ग्रेड है। अब वो इधर से उधर देखते रहते हैं, बीट वाले इधर से उधर देखते रहते हैं। आगे-पीछे घूमते रहते हैं इसलिये कि वो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है इसलिये इसको बढ़ाया जाना चाहिये। डी.पी.सी. पुनः कर इनका प्रमोशन किया जाना चाहिये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में बहुत से ऐसे पद रिक्त हैं बिना खतरे के भी कुछ विशेष लोगों की सुरक्षा में ऐसे लोग, आप बात कर रहे हो नफरी की, बात कर रहे हो हमारे कांग्रेस के शासन की, आज आपके नेताओं के पीछे चार-चार, पांच-पांच पुलिस कर्मचारी लगा रखे हैं और मैं समझता हूं कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है फिर भी हर साल सुरक्षा दी जाती है।

निश्चित तौर पर सुरक्षा होनी चाहिये यह हमारा अधिकार है सुरक्षा का, सरकार की जिम्मेदारी बनती है लेकिन हर साल सुरक्षा की समीक्षा की जानी चाहिये। यह नहीं कि पुलिस दूसरे कामों में घूमे। दस-दस, बारह-बारह सिपाही रिटायर्ड अधिकारियों के यहां बैठे हैं।

इसके अलावा एस.आई. भर्ती हाईकोर्ट में जाती है, जांच हो गई, निरस्त कर रहे हैं, कब निरस्त करोगे? एस.आई. भर्ती को निरस्त करके नयी भर्ती करें, 2021 के बाद में कोई भर्ती नहीं हुई। भर्ती नहीं करोगे तो आई.ओ. कहां से आयेंगे? यह बात भी जरूरी है।

इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रत्येक थाने में महिला सुरक्षा केन्द्र स्थापित किया जाये। एफ.आई.आर. दर्ज करने का हमारी पूर्व कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं भी कोई एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है लेकिन आज भी कुछ ऐसे अनपढ़ लोग हैं जिनके साथ वास्तव में अपराध हुआ है, एफ.आई.आर. आपकी पुलिस दर्ज नहीं करती और वास्तव में बड़े लोगों की अप्रोच पर बिना किसी अपराध के भी डिफेंस में मुकदमे दर्ज कर लिये जाते हैं, फिर कहते हो कानून-व्यवस्था बहुत जोरदार है इसलिये इस व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जेलें, अभी कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी को धमकी मिल रही है और इधर आप कानून की सराहना कर रहे हो। जेलों की हालत बहुत खराब है। गरीब लोगों को तो कैदियों से मिलने नहीं देते। करेप्शन बढ़ता है। कोई मैम्बर बोल रहा है कि पैसे देने पड़ते हैं फिर भी कह रहे हो कि जेलों की स्थिति बहुत मजबूत है, गृह मंत्रालय बहुत मजबूत है।

श्री सभापतिः बात समाप्त कीजिये।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कारोबार बन्द होना चाहिये, उन जेलकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। समय सीमा निर्धारित है उसमें उनको मिलने दिया जाये। यह व्यवस्था भी की जानी चाहिये और कैदियों की जीवनशैली में सुधार हेतु विशेष प्रयत्न भी किया जाये, जो कैदी अण्डरट्रायल है उसको अलग और सजायाफ्ता है उसको अलग। बहुत सी जेलों में, हमारे चूरू जिले में एक जेल है जिसमें इतने लोगों को ठूंसा जाता है कि जिसके कारण से लड़ाई होती है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। श्री केसाराम जी चौधरी।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): इसलिये कारागार परिसर में प्रतीक्षालय एवं जेल प्रहरियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाये, कैदियों से मिलने का...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 18- गृह और मांग संख्या 19- कारागार की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए आपके सामने निवेदन करता हूं कि राज्य में पुलिस ही एक ऐसा महकमा है जिसके कारण से प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी कह सके मगर उसके कारण से

ही हम चैन की नींद सोते हैं। अगर पुलिस नहीं है तो किस तरह का क्राइम बढ़ जायेगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर अब एक साल में जिस तरह से पुलिस ने पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू किया है निश्चित रूप से उसकी सराहना करनी चाहिये। पुलिस का कर्तव्य है सेवार्थता और कटिबद्धता। पुलिस हर टाइम सेवा के लिए तैयार रहती है रात को एक बजे भी आप टेलीफोन करते हो तो पुलिस को उठ करके चलना पड़ता है और पुलिस किसी भी स्थिति में होती है मगर आपके टेलीफोन के ऊपर उसको रात को भी दौड़ना पड़ता है इसलिये पुलिस के ऊपर किसी तरह के आक्षेप लगाना अच्छा नहीं है। कुछ कमियां हो सकती हैं, उनको दुरुस्त करना हम सभी का कर्तव्य है कि पुलिस हमारे लिए रक्षक है उस रक्षक के लिए हमें भी कुछ चिन्ता करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस का आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, अगर अपराधी कहीं भी पुलिस की वर्दी वाला व्यक्ति देखता है तो भागने की चेष्टा करता है। तस्करी करने वाला गाड़ी को छोड़ करके भाग जाता है, तो यह पुलिस का भय नहीं होता तो आज इस तरह की अव्यवस्था हो जाती, उस अव्यवस्था के कारण से अगर हम उसके ऊपर छींटाकशी करते हैं तो अच्छी बात नहीं है।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार ने 2024 के आरम्भ में अपराध शाखा के द्वारा सौ दिन की कार्ययोजना में अभियान चलाया जिसमें 16,371 आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसमें 6221 हिस्ट्रीशीटर थे। सौ दिवस की कार्ययोजना में टॉप टेन 1928 को गिरफ्तार किया गया। इनामी मुलजिम 1131, स्थायी वारंटी 116, उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने सौ दिन के अन्दर इस तरह की कार्यवाही करके जो काम किया है निश्चित रूप से उसकी सराहना करनी चाहिये।

अवैध बजरी खनन के 925 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 1039 प्रकरण दर्ज करके 67,050 टन रेती बरामद की गई। अवैध शराब के 8,595 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, 9,320 प्रकरण दर्ज हुए और 5 लाख 8 हजार 235 लीटर शराब जब्त की गई। इसी तरीके से मादक पदार्थों में 261 को गिरफ्तार किया गया। 1799 और 157 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ बरामद किये गये। आग्नेय अस्त्रों के 839 मुकदमे दर्ज हुए और 692 अवैध आग्नेय अस्त्र और 3051 अवैध कारतूस बरामद किये गये। अगर यह पुलिस इस तरह से कार्यवाही नहीं करती तो किसी तरह की कोई भी घटना को ये अपराधिक तत्व के व्यक्ति किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे, मगर हमारे सरकार की तत्परता और पुलिस की कटिबद्धता के कारण ये ...

Kas/rtm/03.03.2025/16.10/2q

हार्डकोर अपराधी पकड़े गये हैं। साइबर क्राइम द्वारा अपराधी के रूप में न केवल राष्ट्रीय, अपितु वैश्विक पटल पर भी चुनौती के रूप में राजस्थान उभर रहा था। जनवरी, 2024 में मेवात का डेग जिला देश में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ था, जिसमें पूरे देश के 21

परसेंट क्राइम होते थे। उन पर कार्यवाही करने के कारण अब वहां क्राइम की संख्या 6 परसेंट पर आ गई है, यह भी पुलिस की कामयाबी है। 11 विशेष अभियान के तहत 400 प्रकरण दर्ज कर 1453 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। फलस्वरूप पूरे देश में होने वाले अपराध 21 परसेंट से घटकर 6 परसेंट पर आ गये हैं। एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही थीं, उनको सुधारने के लिये एसआईटी का गठन किया गया। 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर तक छोटी-बड़ी 146 परीक्षाएं तथा राजस्थान में अधीनस्थ चयन बोर्ड की परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित हुई हैं, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। आपके जमाने में पेपर लीक के विरुद्ध कार्यवाही की गई, उनमें 49 प्रकरण दर्ज हुए, 112 मुलजिम गिरफ्तार हुए। इसी तरह से डमी अभ्यार्थियों के रूप में 55 प्रकरण दर्ज हुए, 32 मुलजिम गिरफ्तार किये गये। फर्जी डिग्री के 35 प्रकरण दर्ज हुए, 42 मुलजिम गिरफ्तार किये गये। वर्ष 2024 में कुल 264 एसओजी ने गिरफ्तार किये। इस तरह से हमारी सरकार ने जिस तरह से पुलिस को ताकत दी है, इससे निश्चित रूप से क्राइम कम हुआ है और क्राइम कम होने की वजह से गांवों में शांति पैदा हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे मारवाड जंक्शन में उप कारागार खोलने की मैं मांग करता हूं। वहां पर मुंसिफ कोर्ट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। मुलजिमों को लेकर पुलिस रोज 30 किलोमीटर दूर सोजत जाती है, वहां पुलिस के साथ किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है, मुलजिम भाग सकते हैं, इसलिए वहां कारागार खोलने की मैं मांग करता हूं। प्रदेश में 31.12.2024 तक एंटी गैंगस्टर फोर्स द्वारा 70 मुकदमें दर्ज किये गये। पाली जिले के रानी में भी एक नकली देशी घी का कारखाना पकड़ा गया, उसमें 2500 किलो नकली घी जब्त किया गया। ये लोग मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। वहां अभी दो और ऐसे कारखाने खुल गये, इस तरह तीन कारखाने अभी चल रहे हैं, उन्हें रोकने की मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे रानी क्षेत्र में भैंसों की चोरियां बढ़ रही हैं। पहले अपना राज आते ही बंद हो गई थीं, मगर अब गर्मी का सीजन आ रहा है, गरीब व्यक्ति अपनी भैंसों को कहां सुरक्षित रखे, घर के अन्दर से ताला खोलकर भी चोर ले जाते हैं। बारसा से 9 भैंसे कल ही निकल गई हैं। इसी तरह से कराडी में ताला खोल कर तुलसाराम की 2 भैंसे ले गये। हउआ से 3 भैंसे चोरी हो गईं। भादरलाऊ में 2 भैंसों की चोरी हो गई। घर के अन्दर से ताला खोल कर भी चोर ले जाते हैं, इनके लिये कारगर उपाय करना चाहिये। अभी गर्मी में यह चोरी और बढ़ जायेगी। भैंसे दिन में आवारा घूमती रहती हैं तो लोग चोरी करके ले जाते हैं और कहीं बेच देते हैं, कहीं बूचड़खाने में डाल देते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

इसके साथ ही आज जिस तरह से बच्चियां घर से भाग जाती हैं, यह मां-बाप के लिये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये कोई न कोई सख्त कानून बनाया जाये। इन भागने वाली बच्चियों को रोकने के लिये पुलिस को ऐसी

गाड़ियां दी जाये, गुजरात से पुलिस गाड़ियां लेकर आती हैं और हमारी पुलिस यहां से ट्रेनों में जाकर उन बच्चियों को पकड़ कर लाती है, उन बच्चियों को लाने के लिये पुलिस को कोई व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं पुलिस के लिये दो मांग कर रहा हूं, पुलिस कांस्टेबल की शुरुआत ग्रेड-पे 2800, 9 साल पर 3600, 18 साल पर 4200 और 27 साल पर 4800 होनी चाहिये। दूसरा, आज मैस अलाउंस 2400 रुपये है, इनमें वह दो टाइम खाना भी नहीं खा सकता, इसलिए मैस अलाउंस को बढ़ाकर 6000 रुपये करना चाहिये ताकि 200 रुपये पर डे के हिसाब से मैस अलाउंस मिल सके। हाई ड्यूटी अलाउंस 10 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाये, ताकि अपनी पुलिस मजबूत हो कर क्राइम को कम कर सके, यही निवेदन करते हुए जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार सादुलपुर।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18-गृह व मांग संख्या 19- कारागार पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो तो उससे प्रदेश का नाम रोशन होता है। अगर किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो उसका विकास भी अच्छा होगा, वहां उद्योग भी अच्छे मिलेंगे और उस प्रदेश की जब इबारत लिखी जायेगी, वहां सुरक्षा, व्यापार, उद्योगपति, शिक्षा संस्थान स्थापित होंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलने का काम होगा। कानून व्यवस्था में चर्चा करते हुए जब यहां दो बड़े दलों से हमको सुनने का मौका मिलता है, कभी इधर आरोप लगते हैं, कभी इधर आरोप लगते हैं, मैं आरोप की बात नहीं करते हुए कहना चाहूंगा इस प्रदेश में कानून व्यवस्था के तहत आम जन को सुरक्षा और संरक्षण मिल सके और कानून का उसको लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था की हम सब लोग मांग करते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन क्या हैं? पुलिस प्रशासन अपराधियों तक पहुंचने के लिये अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकता है। यहां वाहन की बात बार-बार की गई, हमारे बजट में भी आया कि हम 500 वाहन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हम पुलिस थानों में वो वाहन उपलब्ध कराते हैं, बड़ी से बड़ी गाडी के रूप में एक बोलेरो गाड़ी देने का काम करते हैं और अपराधी फोर्चुनर और स्कॉर्पियो में घूमते हैं और पुलिस उनको बोलेरो से पकड़ने का प्रयास करती है। मैं कहना चाहता हूं कि नीचे के स्तर पर 500 वाहन सरकार खरीदे तो वह वाहन फोर्चुनर और स्कॉर्पियो, अपराधियों से लड़ने के लिये, उनको पकड़ने लिये उनको अच्छे संसाधन उपलब्ध कराने का काम करें।

सभापति महोदय, हथियारों की बात आई, देश-प्रदेश से अत्याधुनिक हथियार लेकर अपराधी आते हैं, उन अपराधियों को पुलिस पकड कर जेल भेजने का काम करती है, कठोर कानून नहीं होने के कारण अपराधी दो दिन बाद जमानत पर छूट कर आ जाते हैं और वो ही अपराधी फिर हथियारों का काम करते हैं। पुलिस बार-बार उनको पकड़ने का काम करती है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप अपने कानून में संशोधन नहीं कर सकते तो इस

सदन में प्रस्ताव लाकर भारत सरकार के पास भेजा जाये और शस्त्र कानून में संशोधन करके कठोर सज़ा का प्रावधान किया जाये। जो अपराधी हथियार का काम करता है या तो वह फिरौती मांगता है या वो डराने का काम करता है या हत्या का काम करता है, हथियार और कोई काम नहीं आ सकता। इसलिए हथियार के लिये बहुत कठोर सज़ा होने की जरूरत है।

सभापति महोदय, कई बार साइकिल भत्ते की बात आ गई। आज के युग में अगर साइकिल का नाम भी लिया जाये, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से बात करता हूं कि इस साइकिल भत्ते शब्द को ही हटा दीजिए, वर्तमान में कांस्टेबल को कम से कम मोटर साइकिल भत्ता दिया जाये, ताकि कांस्टेबल अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से जा सके और सुचारु रूप से हमारी कानून व्यवस्था को सुधार सके।

इसके साथ ही मैस भत्ते की भी बात आई। कांस्टेबलों की डीपीसी की बड़ी मांग है। इस पुलिस प्रशासन का जवान जो धरातल पर खड़ा रहता है, चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो अपने अटल स्थान पर खड़ा रहकर अपने कर्तव्य का पालन करने का काम करता है, इनके लिये मैं मांग करता हूं कि इन कांस्टेबलों की ग्रेड-पे बढ़ाई जाये। डीपीसी के माध्यम से इनका समयबद्ध प्रमोशन किया जाये। इन कांस्टेबलों के लिये चिंता जाहिर करने की जरूरत है और कांस्टेबल की बात को सुना जाये और उस पर अमल किया जाये।

msk/rtm/03.03.25/1620/3a

माननीय सभापति महोदय, एक अनुसंधान अधिकारी। हम अनुसंधान की बात तो करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। अनुसंधान की जब बात आती है तो हमारे पास अनुसंधान करने वाले वही अधिकारी हैं, लॉ एंड आर्डर की पालना करने वाले वही अधिकारी हैं। लॉ एंड ऑर्डर में एक पुलिस थाने का एसएचओ कम से कम 14-14 घंटे ड्यूटी करता है और उसी से हम आशा रखते हैं कि वह हमारा अनुसंधान अच्छा करेगा, कभी नहीं करेगा। अनुसंधान अधिकारी को पता नहीं कि मैं किस कागज पर साइन कर रहा हूं और जब अदालत में जाता है तो अदालत में सजा की जो परसेंटेज है, उस समय जाकर वह फिसड्डी होता है। इसलिए मांग करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और अनुसंधान अधिकारी दोनों अलग-अलग किये जाएं, जिससे अनुसंधान अच्छा हो सके और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ मुकदमों के आंकड़ों की बात। कभी इस सरकार वाले कहते हैं कि अपराध बढ़ गये, आपके समय में। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिवादी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब भी परिवादी जाये, थाने में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, परिवादियों के मुकदमे दर्ज नहीं होते और हम आंकड़ों की बात करने के कारण और इन आंकड़ों से डर के कारण मुकदमे दर्ज नहीं करते हैं, परिवादी घूमते रहते हैं। मैं मांग करता हूं कि अपराधी जब भी अपराध करे, परिवादी जाये, उनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आंकड़ों से डरो मत। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अकेला बोलूंगा, दस मिनट का समय है। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं दूसरी मांग करता हूं। मुकदमों में चोरी का मुकदमा बहुत बड़ी घटना है। मेरे पास आंकड़े हैं। चोरी के मुकदमों में तीन वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन थानों 361 मुकदमे दर्ज हुए। 264 प्रकरणों में अदम पता में एफआर लगा दी, 38 प्रकरणों में अदम वकू में एफआर लगा दी, मात्र 58 मुकदमों में चालान हुआ है। संपत्ति के अपराधों में अगर इस तरह से चालान की स्थिति रही, 361 में से मात्र 58 मुकदमों चालान होना। आज संपत्ति के अपराध को क्या पुलिस अपराध नहीं मानती? अगर वह अपराध है तो आप उनमें प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरीके से अदम पता माल और अदम वकू में एफआर देंगे तो लोग सम्पत्ति के मुकदमे दर्ज कराने बंद कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़ों के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि सीआरपीसी 202 में जांच के प्रकरण जाते हैं और जांच के प्रकरण दो-दो साल तक थाने में पैंडिंग पड़े रहते हैं, उनका भी निस्तारण जल्द किया जाए। इ

सके साथ ही अगर मैं, मेरे चूरू जिले की अगर बात करूं तो सीआई के 16 पद खाली हैं, एसआई के 2 पद खाली हैं, एएसआई के 174 पद खाली हैं, हेड कांस्टेबल के 86 पद खाली हैं और कांस्टेबल के 55 पद खाली हैं। गृह मंत्री महोदय, किससे जांच करायेंगे? किससे कानून व्यवस्था सुधारने का काम करायेंगे? इसलिए पदों की भर्ती की जाए और हमारी कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करें। मैंने मेरे विधान सभा का सदन में प्रश्न लगाया, प्रश्न संख्या 41, सरकार का 30 कांस्टेबलों के लिए जवाब आया, तीन वर्ष से अधिक समय से बैठे हैं, हम उसका ट्रांसफर कर देंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उन 30 कांस्टेबलों के लिए यहां सदन में जवाब देने के बाद भी आज भी वे तीनों थानों में बैठे हैं, माननीय गृह मंत्री महोदय, इनका भी जवाब देना कि आप इनको भी तुरंत प्रभाव से हटाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर मेरी बात को समाप्त करेंगे।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। श्रीमती इन्द्रा जी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट। माननीय एसीडी का बहुत बड़ा प्रकरण है। एसीडी में जब पकड़ते हैं तो बहुत बड़ा अख़बार में आता है कि रंगे हाथों पकड़ा, पुलिस तीन-तीन, पांच-पांच लाख रुपये से पुलिस पकड़ती है और उसके बाद उसमें एफआर लगाती है। दो प्रकरणों में से एक के खिलाफ जरूर कार्यवाही हो। या तो जो पकड़े गये, वे जेल जाने चाहिए, या एससीडी के द्वारा.. ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मुझे संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको और मेरी पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। आज कारागार और पुलिस पर बात हो रही है। काफी देर से मैं भी सुन रही थी, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वे किस तरह की बात कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी आंकड़ा नहीं है। इनके पास

एक प्रकरण है, जो कि अभी खण्डार से आने वाले सदस्य ने कहा, वहीं से मैं शुरू करना चाहूंगी। इन्होंने कन्हैया लाल की बात की। कन्हैया लाल जैसे प्रकरण एक-डेढ़ साल में बहुत सारे हो गये, उन पर किसी ने गौर नहीं किया। उस कन्हैया लाल प्रकरण का सारे राजस्थान को पता है। मुख्य मंत्री जी जाते हैं, उनके बच्चों को नौकरी देते हैं, मुआवजा देते हैं, डीवाई.एस.पी. को सस्पेंड करते हैं और आज क्या हो रहा है? जो डीवाई.एस.पी. सस्पेंड हुआ, वह ट्रैप हुआ, तीन बार सस्पेंड हुआ, आज डीवाई.एस.पी. को बहाल करने की बात कर रहे हैं। उसको दोषमुक्त करने की बात कर रहे हैं। जिसको ट्रैप किया गया, यहीं जो अधिकारी बैठे हैं, उन लोगों ने ट्रैप किया और उन्हीं से आज जांच चेंज कराकर उसको बहाल करने की बात कर रहे हैं। कहां है नीति? इनके पास न्याय कहां है? आप बड़ी-बड़ी बात करते हैं, उस गहराई के अन्दर जाइये कि कौनसा अधिकारी है जो इतना बड़ा कारोबार उदयपुर में कर रखा है। एनआरआई को ठगता है। बाहर के लोगों को यह देखकर ठगता है कि किसके पास कितना मोटा पैसा है, जमीनें डिस्प्यूट करता है, उसके बाद उसको खरीदता है और ऐसा बहुत गहरा प्रकरण है, जिस पर सरकार लगी हुई है कि उसको दोषमुक्त किया जाए, उसकी जांच दोबारा से कराने का प्रयास किया जा रहा है। उसका लैटर जारी हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, निष्पक्ष कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन नेताओं की शरण में जो छोटे कर्मचारी आ जाते हैं, उनकी शह से वे गलत कार्य करते हैं। जब उनकी आदत पड़ जाती है तो नेताओं की परवाह नहीं करते। फिर वे खुद ही गलत कार्य करने में लग जाते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रकार के प्रकरणों पर रोक लगनी चाहिए। जो गलत लोगों की सिफारिश कोई भी करे, यह इस सदन के सभी लोगों के लिए है, उनको नहीं बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज बेबस और लाचार हैं, उस डीवाई.एसपी के चक्कर में आज हमारे बड़े अधिकारी लाचार हैं। वे लाचारी भरे लहजे से कह रहे हैं कि हम क्या करें? सरकार का हुक्म है, इसको बहाल करना और इसको दोषमुक्त करना।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि सत्ता पक्ष के लोग बिना जानकारी के बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आंकड़ों को छिपाने का कार्य किया गया। आंकड़ों को क्यों छिपाया जाता है? पहली बात तो हमारी सरकार ने किया कि सारी की सारी एफआईआर आधिकारिक रूप से दर्ज होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो उसको पूरा अधिकार है, लेकिन आज उस अधिकार को छीन लिया गया। आज आंकड़े छिपाने के लिए थानों के अन्दर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एससी, एसटी, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बालिकाओं के रेप हो रहे हैं और उसका आंकड़ा भी आप सबके सामने है। क्या ये असत्य आंकड़े हैं, जो अख़बार में आते हैं। क्या आप लोग इन पर भ कार्यवाही करेंगे? अख़बार में ये जो आंकड़े आये हैं, इन पर आप क्यों मौन हैं? आप लोग देखिये कि किस प्रकार आपका परसेंटेज, महिला अत्याचार, बालिकाओं पर और जिस तरीके से आज की

जो व्यवस्था बन गयी है। एफएसएल रिपोर्ट, कितनों महीनों में, सालों लग जाते हैं, इसमें तीस दिन का टारगेट होना चाहिए। मैं मांग करना चाहूंगी, जिससे उनको टाइम पर न्याय मिल सके। आज यह देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बालिकाओं पर शोषण के मुकदमे दर्ज होते हैं, वे बेबस लाचार होकर, उन पर दबाया बनाया जाता है, आखिर में उनसे समझौते किये जाते हैं। ऐसे प्रकरण बहुत सारे हैं, लेटेस्ट प्रकरण हैं। दरिंदगी राजस्थान पहले नंबर पर आ रहा है। आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारा राजस्थान महिलाओं पर अत्याचार में देश में तीसरे नंबर है और दहेज हत्या में चौथे नंबर पर है। आज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सब के सब आंकड़े छिपाने का प्रयास किया गया। आज राजस्थान में हर दिन 49 लोग गायब होते हैं, उनके अन्दर 76 परसेंट महिलाएं गायब होती हैं और आज की जो नीचे पुलिसिंग है, जो सिस्टम खराब हो चुका है, उसके अन्दर पुलिस, पुलिसिंग करना ही भूल चुकी है। कैसे भूल चुकी है? मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण आगे दूंगी। लापता होने वाले बालकों में सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियां हैं, 16 परसेंट नाबालिग बच्चियां शामिल हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आज आजाद भारत के अन्दर दलितों पर आज भी अत्याचार हो रहा है। कई ऐसे जिले हैं, जिनके अन्दर एससी, एसटी के लोगों को दूर बैठाया जाता है और वहीं लोटा रखा जाता है। आज उन पर लगाम लगनी चाहिए, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। कई सारे कर्मचारी दूसरे इलाकों से जाते हैं, उनका भी शोषण होता है। इसको भी लेकर बात होनी चाहिए, कानून का शिकंजा भी उनके ऊपर होना चाहिए। आज बंधक बना लिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। मेरे ही इलाके का एक बालक किसी मैटर में उसके ऊपर पोक्सो का मुकदमा दर्ज होता है। हमारे यहां उप मुख्य मंत्री एससी के हैं, उस एससी के बालक के लिए सिफारिश करते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं होती है। आज भी वह पैंडिंग चलता रहता है, लेकिन पिछली बार जब मैंने सवाल लगाया है, उसके अन्दर उसमें एफआर दिखायी जाती है। सच क्या है? एफआर है या जांच चल रही है? यह भी पता नहीं है। इसकी जांच होना जरूरी है। अस्पताल के बाहर स्मैक और नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं।

mdp/rtm/03.03.25/16:30/3b

मैं कहना चाहूंगी कि आ कहां से रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आ कहां से रहे हैं? सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। आपकी सरकार है सवा साल से तो अब इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है। रोक एक दिन में लग जाती है, अगर मन में दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी जिस तरीके से सामने से बोले जा रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। हर एक छोटी-छोटी बात सोच-समझकर मुझे बोलना पड़ रहा है। आज जिस तरीके से सदन के अन्दर जो प्रस्ताव

लाया गया। उसमें मैं सोच रही हूं कि इस सदन के अन्दर हम जनता की आवाज उठाने के लिए आते हैं। वहां से पूरा कोर्ट चलाकर नहीं आते हैं। जस्टिस करके नहीं आते हैं कि यह बिलकुल सही है, इसको ही पेश किया जाना चाहिए। हम यहां मांग करेंगे, उसकी जांच होगी, उसके बाद सच्चाई क्या है, उसके ऊपर काम किया जाएगा।

मैं कहना चाहूंगी जिस तरीके से आंकडे मैंने निकलवाएं हैं, आंकड़ों में सबमें माइनस-माइनस किया हुआ है। लेकिन एक आंकडा मुझे पकड़ में आया है कि वर्ष 2023-24 माह दिसम्बर तक संपत्ति सम्बन्धी अपराधों में अदम वकू चालानी एवं बरामदगी प्रतिशत की तुलनात्मक इसमें सारणी लिखी हुई है। डकैती, लूट, नकबजनी और चोरी, इसके अन्दर इन्होंने 2203-24 का आंकडा तो समानांतर दे दिया। अदम वकू भी प्रतिशत में तो इन्होंने समानांतर दे दिया और चालानी प्रतिशत में इन्होंने थोड़ा-थोड़ा आगे पीछे कर दिया। लेकिन आगे चले तो आगे बरामदगी प्रतिशत आता है। बरामदगी प्रतिशत में 2023 के अन्दर तो 28.44 था और 2024 के अन्दर 11.25 प्रतिशत था। इसमें ये फेल हो गये, क्योंकि बरामदगी कहां से लायेंगे? ये तो कर सकते हैं आंकडा, लेकिन बरामदगी घर से थोड़ी ला सकते हैं। इसमें इनको बड़ा अंतर आ गया। यहां ये चीज पकड़ में आयी। बाकी तो इन्होंने, सरकार की तरफ से आदेश था कि सही से आंकडा थोड़ा ठीक-ठाक देना और ठीक-ठाक भी इसलिए कि आज अपराधी डरने लग गया है, आज अपराधी भयमुक्त हो गया है। आज जो फरियादी जाता है थाने के अन्दर, आज एफ.आई.आर. दर्ज कराने से डरता है, क्योंकि मेरी एफ.आई.आर. पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी और कार्रवाई हो ही नहीं रही है।

मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो नीचे की पुलिस है, वह नेताओं की शरण में है। लैटर जाते हैं, इसको यहां लगाना है, इसको यहां लगाना है, इसको यहां मत लगाना, तो वे क्यों करेंगे किसी की परवाह? वह करेंगे अपना धंधा। जो हमारे इलाके के अन्दर, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर 110 किलोमीटर का नदी क्षेत्र है, लेकिन पूरी की पूरी पुलिस उसके अन्दर लगी हुई है। चाहे 112 की गाडी हो, वह भी उसी काम में लगी हुई है। अभी सुबह ही मेरे पास फोन आया कि साहब, 112 की गाड़ी ने ट्रैक्टर पकड़ा। यह महिला सुरक्षा के लिए दी गयी है या ट्रैक्टर पकड़ने के लिए दी गयी है। क्या ये पुलिस का ही अधिकार है? जाइंट कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है इसके अन्दर? इसके अन्दर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।

आज इन्हीं के मंत्री बोलते हैं कि हमारे ऊपर इस तरीके के आरोप हैं, 7 करोड़ की बजरी ये लोग बताते हैं, इन्हीं के मंत्री। उन्हीं की बदौलत है कि आज आप लोग सत्ता के अन्दर बैठे हुए हैं और आज सदन में आने के लिए भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे सदन में जाऊं? उनके ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, वह तो उन्हीं को पता है। हम तो जो चर्चाओं में बात चल रही है, वह ही सुनते हैं। मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले किरोड़ी लाल जी चले गये। रानीवाड़ा गये और वहां उन्होंने बैनर देखकर कहा कि इन्द्रा जी का फोटो मेरे साथ क्यों लगा दिया? फिर उन्होंने उसी लय में आगे बोल दिया कि मेरा फोन

टैपिंग और जासूसी पहले, आज भी हो रही है। उनका यह कहना था और उसके दो-तीन दिन बाद मेरे को भी सूचना मिली कि, इन्द्रा जी, आप भी सावधान रहना, क्योंकि आप भी सी.एम. के खिलाफ बोलते हैं, आपको भी किरोड़ी लाल जी के साथ देखा गया है, इसलिए आप भी थोड़ा सावधान रहना। मैंने कहा ठीक है, सभी का सामना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): इन्द्रा जी, मैं एक सलाह दे रहा हूं शीशे के घरों में रहने वाले लोग दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): ये आपके लिए है। ये आप लोगों के लिए है। आप लोग इधर से उधर आरोप लगाते हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि सवा साल हो गया आपको, कार्यवाही कीजिए। एस.आई. भर्ती रद्द क्यों नहीं करते, क्यों किरोड़ी लाल जी को नहीं मनाते? कहां मजबूरी है आपकी, ये बता दीजिए मुझे।

मैं मांग करना चाहूंगी कि जहां जिलों के अन्दर एस.सी./एस.टी. के प्रकरण दर्ज होते हैं, वहां पर एस.सी./एस.टी. का कोई अधिकारी हो तो ज्यादा बैटर रहे, ताकि उन लोगों को, आज भी एस.सी./एस.टी. के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी खण्डार से, मेरे जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला, मैं कहना चाहूंगी कितना वायरल हुआ है, मेरी फेसबुक पर देखिए। इनके जो कर्मचारी उस महिला को घसीट रहे हैं, वह एस.सी. की है, इनके क्षेत्र की है। वहां तक ये लोग नहीं सोचे, उतरकर उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सत्ता पक्ष के लोग हैं। मतलब वह महिला है, न्याय मांग रही है कि मेरा भाई खतम हो गया और उसको इनके जो साथ में रहते हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, उनकी जांच करवा लीजिए, मैं कह रही हूं वे जो लोग महिला को घसीट रहे हैं। आज मैं कहना चाहूंगी कि एस.सी./एस.टी. की सेल में एस.सी./एस.टी. का ही अधिकारी हो ताकि उनको न्याय मिल सके।

आप लोगों की यही बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा, जोगाराम जी बात-बात में कहते हैं ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। क्या ये अखबारों की कटिंग फर्जी हैं? ये कहा जा रहा है कि सारी एफ.आई.आर. दर्ज करने से लेकर पूरी की पूरी जो प्रोसेडिंग लिखी जाएगी, वह ठेके पर दी जायेगी। फिर हमारी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इसलिए ये ठेके पर दे रही है क्योंकि वह काम करना भूल चुकी है। उनको लिखना ही नहीं आता है। फाइल ही तैयार नहीं कर सकती इसलिए वह इस तरीके का ठेके पर देने का काम कर रही है।

मैं कहना चाहूंगी यहां पर हमारे गृह राज्य मंत्री जी विराजमान हैं। हमारे जूली जी ने बोला तब इन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि आपके राज में पुलिस पिटती थी, तो ये क्या है ठग को पकड़ने गयी पुलिस टीम पर हमला, एक जवान चोटिल हो गया। ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? बजरी माफियाओं ने चढ़ा दी, मर गया खनन वाला जो कर्मचारी था। आप लोग आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इतने से टाइम में आपने इतने सारे मामले हमारे लिए

पैदा कर दिए कि हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। ये आप लोगों की कमी है।

भगोड़ों की आज बात करते हैं। राजस्थान स्थायी वारंटी और भगोड़े अपराधियों का गढ़ बन गया है। इसमें आप देखिए ये रिपोर्ट आपने दी है कि जो भगोड़े और उद्घोषित अपराधी स्थायी वारंटी।

श्री सभापति: सदस्य, दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): इसके अन्दर देखिए पेंडेंसी कितनी है? 12,826 भगोड़े हैं, जिनमें से 10,891, ये पेंडिंग हैं। 2,256 इनमें से 2,058 पेंडिंग हैं। 15 लाख 39 हजार 24 में 13 लाख 574 अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। ये क्या स्थिति है इस राजस्थान की, हम देख सकते हैं।

मैं जेल के बारे में बात करना चाहूंगी कि जिस तरीके से जेल के अन्दर जो कर्मचारी हैं, वे कर्मचारी पुलिस की तरह ही प्रक्रिया के अन्दर आते हैं। उसी प्रकार उनकी ड्यूटी होती है, हार्ड ड्यूटी होती है। अन्दर अपराधियों के बीच में बिना फोन के रहते हैं। मैं मांग करना चाहूंगी कि उनका जो भत्ता, उनका वेतन, जो विसंगतियां हैं, उनको दूर किया जाए। उनको भी पुलिस को जिस तरीक से वेतन दिया जाता है, उसी तरीके से वेतन दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि यहां हमारे राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ा हल्ला मचाया। महिला अपराध, बजरी खनन और पेपर लीक। पेपर लीक तो कराएंगे तब पता चलेगा, लेकिन बजरी के अन्दर आप मुझे ये बता देना जवाब के अन्दर कि बजरी का अवैध खनन नहीं हो रहा है क्या? कितने बड़े लेवल पर खनन हो रहा है, ये बता देना, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो मैं जी.पी.एस. फोटो आपको उपलब्ध करा दूंगी, पर-डे के। महिला अत्याचार की अभी मैंने बात की ही थी, उसमें भी आप फेल हो और सारे प्रकरण जो आपने राजस्थान की जनता को असत्य बोलकर यहां सदन के अन्दर आए हो, सारे के सारे प्रकरणों में आप फेल हो और मैं मांग करना चाहूंगी कि जवाब में इन सवालों के जवाब दें आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बहादुर सिंह जी।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, मुझे गृह और कारागार पर बोलने का मौका दिया।

पुलिस की वर्दी के सितारे, अब भी मुझे लुभाते हैं,
क्योंकि पुलिस वाले समाज को रहने लायक बनाते हैं।

सभापति महोदय, भरतपुर और उत्तर प्रदेश की सीमाएं, हमारे विपक्ष के लोग बोल रहे थे, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी भी भरतपुर से आते हैं। भरतपुर और डीग जिले के अन्दर अपराध बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जो भरतपुर जिला है, हमारा रोटी और बेटी का सम्बन्ध है।

Ans/rtm 16.40 3c 03.03.2025

जब उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य दलों की सरकार थी तो हम भरतपुर, डीग, अलवर से जाते थे तो वहां अपनी रिश्तेदेरियों में लूटते जो लूटते कच्छा बनियान से जाना पड़ता था। जब से योगी जी की सरकार आई और यहां कांग्रेस की सरकार आई, वह बदमाश हमारे डीग, भरतपुर शिफ्ट हो गये, क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार थी। यह होटलों में सरकार चला रहे थे, आपस की लड़ाई में सरकार चला रहे थे और उन बदमाशों को यहां मौका मिल गया। क्राइम इतना बढ़ गया कि जो किसान फसल बेचकर जाए उसको लूट लेना, कोई पेट्रोल पम्प वाला पैसे जमा कराने जाए तो उसको लूट लेना या कोई भी व्यापारी बैंक से पैसे निकाल कर लाए उसको लूट लेना। साइबर क्राइम इतना बढ़ गया...

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, अपनी जगह पर जाइये।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, बदमाशों की कांग्रेस राज में मौज हो गई। भई, ऐसी सरकार आई है कि हमें इतना मौका मिला है खाने, कमाने और लूटने के लिए। इस प्रकार से हमारे विपक्षी भाई आरोप लगा रहे हैं। आपकी सरकार आई, भ्रष्टाचार बढ़ा पर जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्य मंत्री बने, भरतपुर, डीग से चाहे साइबर क्राइम हो, उनके बुलडोजर चले, जो बदमाश थे वह कांपने लग गये। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में टांगों में गोली दी जाती है, इसी प्रकार भरतपुर के अन्दर ना तो कोई गोली काण्ड हो रहा है ना कोई भू माफिया, ना कोई अपराध हो रहा है। आपकी सरकार में ही अपराध बढ़े थे। जो अपराधी थे उन्होंने सोच लिया कि यह सरकार तो होटलों में मौज कर रही है, आपस की लड़ाई लड़ रही है। अभी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। धारीवाल जी कह रहे थे, फोन पर बात कर लो, ऐसा भरतपुर में कहीं नहीं मिलेगा। आपकी सरकार में तो यहां मंत्री से लेकर मंत्रालय तक नीचे ऑफिस तक लूट-खसोट चालू हो गई थी। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, मैं बीच में बोल देता हूं। आपने देशी मुर्गा देखा होगा। देशी मुर्गे को दाना ड़ालते हैं, वह चुगता है, पंजों से पीछे डाल देता है, फिर चुगेगा फिर डाल लेगा, फिर चुगेगा और पंजों से पीछे डाल लेगा, तो आपका तो यहां से लेकर नीचे ऑफिस तक चुगने का दाना बना दिया। लूटो खाओ और मस्ती मारो, आप लोगों ने यह हिसाब बना दिया।

हमारी सरकार में पूरे राजस्थान में अपराध घटे हैं। जनता होशियार है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन पर देख लेती है, सारे आंकड़ें आ जाते हैं। अब ना जाने विपक्षी भाई कहां से आंकड़ें ले आते हैं। आंकड़ों से सरकार नहीं चलती है। जनता जो मानती है और जनता में जो अच्छा हो रहा है वह चलता है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, आसन को संबोधित कीजिए।

श्री बहादुर सिंह (वैर): हमारे भरतपुर ज़िले के अन्दर एक गिरोह आ गया है। आपके हज़ारों किसानों के केबल कटी, बोरिंग की मोटर भी निकाल ले गये परन्तु, गृह मंत्री जी, वह गिरोह अभी तक नहीं पकड़ा है। गृह मंत्री जी, उस गिरोह को पकड़ें। इतना बड़ा गिरोह आया

है और हज़ारों किसानों की मोटर व केबल को काटकर ले गए। किसानों के बीच एक समस्या और आती है, उनका ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो थानेदार रिपोर्ट नहीं लेता है। थानेदार रिपोर्ट उसकी लेता है जहां उसको कुछ मिलता है। खाली एफ.आई.आर. लॉज करनी पड़ती है, क्योंकि एफ.आई.आर. होने पर ही विभाग ट्रांसफार्मर देता है, गृह मंत्री जी इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं अपनी डिमांड रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, 1998 में मैं एम.पी. बन गया था। मेरे भुसावर वैर विधान सभा में सीईओ ऑफिस चलता है। वहां पूर्व मुख्य मंत्री थे माननीय, केन्द्रीय मंत्री भी रहे, महामहिम राज्यपाल भी रहे, उनकी जगह में अब तक किराये पर चल रहा है, सरकार भी आई। जब हमारी वसुन्धरा जी की सरकार आई थी तब जगह अलॉट हो गई, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उसको बजट अलॉट नहीं किया। वह सीईओ ऑफिस मैन रोड पर आ जाए तो पुलिस को भी काफी सहूलियत होगी और आम जन को भी फायदा मिलेगा।

अभी भरतपुर में एक घटना घटी थी। सारस चौराहे पर एक चौकी है, चौकी में ट्रक घुस गया। उसमें कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। ऐसे ही मेरे वैर विधान सभा में खेरली मोड़ पर पहले चौकी चलती थी, वह छोटी थी दो कमरे थे, आज वह थाना बन गया है, पूरा हाईवे पर है, हाईवे पर बनने के कारण किसी दिन वहां भी घटना हो जाएगी, कोई ट्रक या ट्रोला उसके अन्दर घुस जाएगा, तो उसके लिए जगह अलॉट करके थाने की बिल्डिंग बनाई जाए।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री बहादुर सिंह (वैर): थोड़ा-सा और है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री बहादुर सिंह (वैर): थोड़ा-सा और है, एक मिनट। मेरे वैर विधान सभा में ना तो थानेदार के लिए, ना स्टाफ के लिए, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी भी छत गिर चुकी हे, बिलकुल टूट गई है, तम्बू डालकर रहते हैं। तो वहां भी...

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए। श्री गणेश जी घोगरा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति जी, एक लास्ट का शेर बोल देता हूं।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सभापति आपने मुझे मांग संख्या 18 और मांग संख्या 19 गृह एवं कारागार पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति जी, एक शेर बोल देता हूं। पुलिस वालों की जिंदगी का भी अजब फसाना है...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, गणेश घोगरा साहब परसों यहां जूते की बात कर रहे थे। वह की वह बात हो गई, जो आप पहले कर चुके है। अभी तक भी नहीं

सुधरे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी ने उसके ऊपर डायरेक्शन दे दिये ...(व्यवधान)... यह बार-बार इस प्रकार से कर रहे हैं, गलत है। यह मानते नहीं है क्या ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप इतने सीनियर होकर भी नहीं मानते हो। आप अध्यक्ष जी की बात को नहीं मानते ...(व्यवधान)...आप बैठिये।

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। विराजिये, विराजिये। ...(व्यवधान)...

VPS-RTM-03.03.2025-16.50-3d

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 10 तारीख के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, हो सकता है आपका नम्बर आ जायेगा, आप बैठो। आ जायेगा नम्बर, चिंता मत करो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, नेता, प्रतिपक्ष। विराजिये। विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता, प्रतिपक्ष ने अभी यह बात कही कि आसन से कोई व्यवस्था हो गयी है। जहां तक, मैं सुबह से हाउस में हूं, मेरी जानकारी में आसन से कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में जब तक ...(व्यवधान)... एक मिनट मैं मेरी बात को पूरी कर दूं। आपको जो भी कहना है, आप आराम से कहें क्योंकि जो भी हुआ है, वह तो आसन के सामने हुआ होगा या रिकार्डेड होगा। ...(व्यवधान)... इन्द्राजी, मेरा आपसे नम्रता से निवेदन है कि बैठे-बैठे बारबार आप बोलते हैं तो इससे बड़े नहीं हो जाएंगे। हम आपका सम्मान करते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब तक आसन से व्यवस्था नहीं हो जाए, माननीय सदस्य का यह कथन सही है। आसन से व्यवस्था हो गयी तो हम सब उसको मानेंगे। या तो आप आसन से व्यवस्था करवा दो और नहीं तो हमारे सदस्य का एतराज करना बिलकुल वाजिब है कि जो शब्द कहे हैं, वे ठीक नहीं हैं और उस शब्द पर हम एतराज करते हैं। हमारा दल पूरा एतराज करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप पता नहीं कहां थे? आसन से व्यवस्था हो गयी। आप अध्यक्षजी से पूछ लो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आसन से व्यवस्था हो गयी तो आप कहलवा दो कि आसन से व्यवस्था हो गयी है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी ने व्यवस्था नहीं दी हो तो पूछ लो। आप अध्यक्षजी से बात कर लो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, आसन की व्यवस्था यहां हुई है क्या?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप अध्यक्षजी से बात कर लो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): व्यवस्था तो यहां दी होगी न?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी से बात हो गयी, अध्यक्षजी ने डाइरेक्शन दिये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्षजी से आपकी क्या बात हुई, मुझे नहीं पता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपको नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए। यह आपकी कमी है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्षजी की व्यवस्था तो इस आसन पर बैठने के बाद होगी और वह हमको सुनकर होगी, बिना सुने नहीं होगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज। प्लीज, नेता प्रतिपक्षजी। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और आप कृपलानीजी को थोड़ा-सा समझाओ। हर बार आप यह, आप सीनियर आदमी हो, कृपलानीजी, इतने पुराने हो, वरिष्ठ हो। लोग क्या सीखेंगे आपसे?

श्री सभापति: प्लीज। प्लीज। विराजिये। कोई भी ऐसी अपने मन से बात न निकले जो इस कार्यवाही के अन्दर डिलीट करने की नौबत आये। ऐसी बात अगर कोई बोलेगा तो वह अंकित नहीं होगी। कृपया, आपस में उलझने से इस सदन का समय जाया हो रहा है। पूरा सदन को पूरे राजस्थान की आठ करोड़ जनता देख रही है इसलिए मेरी सभी, दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है कि ऐसा कोई शब्द नहीं बोलें जो इस सदन में कार्यवाही में से अंकित नहीं करना बोलना पड़े। कृपया, गणेशजी घोघरा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि व्यवस्था हो गयी आसन से। क्या व्यवस्था हुई, वह तो बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज। गणेशजी। प्लीज, आप विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे भी यह निवेदन करूंगा, मेरा यह निवेदन है कि या तो आप आसन से व्यवस्था दें या इसको आप पेंडिंग कर दें। आप यह मत कहे कि व्यवस्था हो गयी है। अगर आसन व्यवस्था दे देगा तो हम मानेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपको शायद ध्यान नहीं है। माननीय सदस्य पर्ची पर बोल चुके हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट। इन्होंने व्यवस्था के लिए कहा है। वह रद्द की जाये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ठीक है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य जो हैं, अध्यक्षजी के सामने पर्ची पर बोल चुके हैं। अध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्षजी के सामने बोले या नहीं बोले वह विषय नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, वह ही विषय है। और क्या है? ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह हमारा एतराज अभी पेंडिंग है और हम अपनी बात रखेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप वरिष्ठ सदस्य हैं, अध्यक्षजी ने सुबह व्यवस्था दे दी थी, उसके बाद यहां हाउस में ये पर्ची पर बोल चुके हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यहां हाउस में?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस में दे या चाहे हाउस से बाहर दे, अध्यक्षजी ने वह व्यवस्था दे दी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं-नहीं, हाउस के बाहर कह दिया, वह नहीं मानते। हम तो हाउस में देंगे जब मानेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप पता कर लो अध्यक्षजी से, फिर आप आब्जेक्शन उठा देना। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम एतराज करेंगे फिर। हाउस में नहीं दी तो नहीं मानेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18-गृह एवं मांग संख्या 19- कारागार। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है पुलिस। जनता की पूरी आशा रहती है पुलिस पर और पुलिस का काम होता है क्षेत्र में शांति बनी रहे, अपराधी अपराध न करे। अपराधियों में भय बना रहे और जो पीडि़त हैं, उसको न्याय मिले। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आवाज नहीं करें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एस.टी. और एस.सी. के लोगों पर असत्य मुकदमे हो रहे हैं। आज थानों में अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है तो पीड़ित यह चाहता है कि मुझे न्याय मिलेगा तो उस पीडि़त को पहले जो चालान काटता है, जो रिपोर्ट दर्ज करता है, उसको पहले पांच हजार रुपये देने पड़ते हैं, उसके बाद उसका चालान काटा जाता है। यह गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज गरीब दर-दर की ठोकरें खा रहा है। थानों में तो यह लिखा रहता है कि हमारा ध्येय- आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन यह उलटा हो गया है। जो आम जन, जो गरीब होता है वह न्याय के लिए जाता है, वह डर रहा है उलटा और अपराधी तो थाने में आये दिन घूमते रहते हैं क्योंकि उनका हफ़्ता बंधा हुआ है। तो इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इन अपराधों को रोका जाये और जो सिस्टम है, इस सिस्टम को रोका जाये तो गरीब को न्याय मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं टी.एस.पी. क्षेत्र की बात करूंगा। पुलिस द्वारा चालान के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। आठ से दस किलोमीटर के एरिया में कोई गरीब डूंगरपुर

शहर में मजदूरी करने जाता है, रोजगार करने के लिए जाता है तो पुलिस वाले तैयार रहते हैं। चल तेरे पास यह हेलमेट नहीं है, तेरा लाइसेंस नहीं है, तेरी यह प्लेट टूटी हुई है, तो यूं करके अवैध वसूली की जा रही है, आदिवासियों को लूटा जा रहा है और उस चालान बुक को आप मंगवाये, सरकार मंगवाये तो 95 परसेंट वह चालान आदिवासी गरीबों के बनते हैं, गैर आदिवासियों के चालान नहीं बन रहे हैं, उस गरीब को लूटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो यह चालान बंद होने चाहिए टी.एस.पी. एरिया में, यह मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. क्षेत्र में हमारे युवाओं की यह मांग है कि हमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। डूंगरपुर जिले में 16 या 17 थाने हैं, इनमें हमारा एक भी एस.टी. थानेदार नहीं लगाया है, यह सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है एस.टी., एस.सी. के साथ। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): यह आप असत्य बोल रहे हो।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, हमारे एस.टी., एस.सी. के थानेदार भी योग्य हैं तो उनको जनसंख्या के अनुपात में उन थानों में, उन चौकियों में लगाया जाए, वे भी अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन यहां पर भी पक्षपात हो रहा है और फिर ये कहते हैं। यह जातिवाद कौन कर रहा है? धर्मवाद कौन कर रहा है? यह हो रहा है यहां पर जातिवाद, धर्मवाद। भेदभाव हो रहा है। पुलिस विभाग में भी और हर विभाग में भी एस.सी., एस.टी. के साथ आज भी अन्याय हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अभी रीट परीक्षा, 2025 में पुलिस सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैड-कांस्टेबल श्री शिवलाल-373, जो स्वामी विवेकानंद कॉलेज, पुनाली में सुरक्षा ड्यूटी कर रहे थे, इस दौरान परीक्षा के दिशा-निर्देश एवं उच्च अधिकारियों की पालना में अभ्यर्थियों की चैकिंग के दौरान शरीर पर जनेऊ धागे को उतरवाने के कारण विभाग द्वारा कार्यवाही कर उन्हें लाइन हाजिर किया गया एस.पी. द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): जबकि वे तो इनकी ड्यूटी कर रहे थे। इसी तरह से श्रीमती सुनीता कुमारी, प्राध्यापक, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुंदरपुर केन्द्र पर सुपरवाइजर थीं, इन्हें भी इसी कारण से निलंबित कर दिया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में किसी संगठन द्वारा मात्र ज्ञापन देने से निलंबित व लाइन हाजिर कर दिया गया है। उक्त दोनों घटनाक्रम में दोनों कार्मिकों का कोई दोष नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज। प्लीज। आप अपने जवाब में उत्तर दे देना। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): वे तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे और ये दोनों आदिवासी हैं इसलिए उनको निलंबित भी कर दिया और लाइन हाजिर भी कर दिया और अगर गैर आदिवासी होता तो उसके साथ कोई कार्यवाही नहीं होती। इसी प्रकार से पिछले दिनों पुलिस थाना चौरासी में शराब की हेराफेरी करने वाले पुलिस कर्मियों पर कोई कार्यवाही नहीं की और हेराफेरी की जानकारी देने वाले हैड-कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार पुलिस अधीक्षक

द्वारा लाइन हाजिर कर दिया। क्या चल रहा है इस सरकार में? जो हेराफेरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्यवाही नहीं हो रही है और जो जानकारी दे रहे हैं, उनको लाइन हाजिर कर रहे हो। कैसी सरकार चल रही है आपकी? ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक मिनट सुनिये। माननीय सभापति महोदय, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, जिसका नाम लेकर पुकारा जाये या तो पहले ये प्रूफ दें नहीं तो फिर हमको ऐसा ही प्रस्ताव और लाना पड़ेगा। किसी हमारे अधिकारी का, किसी कर्मचारी, या तो ये प्रूफ लाकर दें या नाम लेकर नहीं कहें। इसको आप डिलीट करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो बोलने ही मत दो। सबको ही निकाल दो।

श्री सभापति: जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम लिया है तो उसको कार्यवाही से निकाल दें। डिलीट कर दें। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): या तो ये प्रूफ दें नहीं तो कल विशेषाधिकार वाला प्रस्ताव आ जायेगा। माननीय सभापति महोदय, इसको डिलीट करें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: डिलीट कर दिया। ...(व्यवधान)...

ssy/rtm/03.03.2025/17.00/3e

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मैं मनमर्जी से बात नहीं कर रहा हूं। चैनल में आया है। अख़बार में आया हूं, वह बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज। विराजिये। प्लीज विराजिये। अपना नंबर आये तब बोल देना ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरी आपसे रिक्वैस्ट है, आपसे रिक्वैस्ट है मेरी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हटा तो दिया नाम इन्होंने।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्यों बोलें फिर? विवाद की बात ही क्यों रखें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वैसे वह नाम ...(व्यवधान)... आरोप वगैरह कोई लगाने होते हैं तो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा कोई लफ्ज ना बोलें जो कार्यवाही से निकाला जाये। इतना कहने के बाद भी बार-बार सदन का समय अगर अपन व्यर्थ गंवायेंगे तो यह सदन कब तक चलेगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, बिच्छीवाड़ा थाने में, जो गुजरात बॉर्डर पर पड़ता है, उसमें आये दिन अवैध धंधे चल रहे हैं उन हाईवे पर, उन होटलों में, लेकिन पुलिस उन होटलों पर दबिश नहीं देगी। गांवों में आदिवासी के घर जाकर जो दो लीटर शराब मिलेगी उसको पानी डालकर 5 लीटर, 10 लीटर करेंगे। वह मुकदमा बनायेंगे।

लेकिन गुजरात में ट्रकें रात भर निकाली जा रही हैं। गुजरात से कई ठेकेदार आ रहे हैं। वह सीआई से सेटिंग करते हैं और दिखाने के लिए कभी-कभी गाड़ी पकड़ते हैं। उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। डीजी साहब भी बैठे हैं। इनको भी कहना चाहूंगा कि आप बिच्छीवाड़ा

थाने में जितने भी, भले सीआई लगा हो, भले ही थानेदार लगा हो, पूरा स्टाफ बिच्छीवाड़े का चेंज होना चाहिए। वहां काफी भ्रष्टाचार हुआ है और आदिवासियों को काफी लूटा जा रहा है। अवैध धंधे चलाये जा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सर, मेरा 3 मिनट तो इन्होंने खराब कर दिया। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन डूंगरपुर जिले में, टीएसपी एरिया में कोई भी अधिकारी आता है, वह खाली ड्यूटी करने नहीं आते हैं, वहां पर पैसा कमाने के लिए आते हैं। जनता जाये भाड़ में। उनसे कोई लेना-देना नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कैसे अनर्गल कर रहे हो? अधिकारी ड्यूटी करने के लिए आते हैं। यहां पैसा कमाने के लिए नहीं आते है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रूफ बिना ही ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, पुलिस के लिए क्या बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्या बोल रहे हैं ...(व्यवधान)... आपको शर्म ही नहीं आती है ...(व्यवधान)... थोड़ा बोलना चाहिए अपने साथी को। क्या बोल रहे हो आप?

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): किसी का नाम थोड़े ही लिया है ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यही सिखाया है क्या आप लोगों ने?

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): बिच्छीवाड़ा थाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिच्छीवाड़ा थाने में भ्रष्टाचार हो रहा है ...(व्यवधान)... जांच होनी चाहिए यह कह रहा हूं मैं तो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अगर यह बात आई ...(व्यवधान)...उसको डिलीट किया जाये ...(व्यवधान)...आपका भाषण भी बंद कर दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, नहीं बोलेंगे, अधिकारी का नाम बोलो, कौन पैसा कमाने गया था? आपका कल्चर होगा ऐसा। हमारी पुलिस का कल्चर ऐसा नहीं है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): नाम नहीं लिया है। नाम नहीं लिया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पुलिस अधिकारी, इसका मतलब आपका कल्चर है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई अधिकारी, कर्मचारी का नाम मत लेओ ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): नाम थोड़े लिया मैंने। नाम नहीं लिया है। थाने का नाम

लिया है मैंने ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से 14 जनवरी की घटना है। इसी तरह से 14 जनवरी की घटना है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ऐसे कैसे कर देंगे? मर्जी आये जैसा बोल देंगे, यह क्या तरीका है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री खुद लोगों को भड़का रहा है। मंत्रियों को खड़ा कर रहा है ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैंने आपसे 3 बार रिक्वैस्ट की ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): गजेन्द्र सिंह जी, आप तो ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैंने आपसे रिक्वैस्ट की कि नहीं की? ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमने कह दिया ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पुलिस अधिकारी पैसा कमाने के लिए आता है, आपकी मौजूदगी में बोला और आपने नहीं टोका।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने कहा, नाम हटा दिया जाये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हटाया क्यों?बोला क्यों?...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): नाम नहीं लिया है ...(व्यवधान)... नाम नहीं लिया है ...(व्यवधान)... नाम नहीं लिया है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सदन को चलने दो। सदन के हिसाब से ...(व्यवधान)...अभी यह आपके वैर वाले बोल रहे थे कि आपकी सरकार में ऊपर से नीचे तक क्या चलता था, यह बातें होती हैं क्या? आप बात पकड़ कर बैठ रहे हो। यह कोई बात हो गई? ...(व्यवधान)...इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। कृपलानी जी, आपकी बात ही समझ में नहीं आती है। आप इन सबको भी गुमराह कर रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज। विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूरे सदन को आप डिस्टर्ब करते हो ...(व्यवधान)... आप वरिष्ठ हो, सीनियर हो, अध्यक्ष जी ने खुद आपको कई बार समझाया है ...(व्यवधान)... आप समझते ही नहीं हो।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। घोगरा जी बात समाप्त कीजिये। विराजिये आप। विराजिये ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इनको बैठाओ।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। जो इन्होंने ऐसा वाक्य बोला है उनको डिलीट किया जाये और आप आपकी बात समाप्त कीजिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): एक मिनट सर, एक मिनट।

श्री सभापति: नहीं, एक मिनट नहीं है। आधा मिनट है, बोलिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, 14 जनवरी को भी

हमारे डूंगरपुर शहर में दो समुदायों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसको पुलिस जानवरों की तरह मारते-मारते ठेठ कोतवाली थाने ले गई। लेकिन एक समुदाय को किसी नेता के फोन से छोड़ा जाता है। एक समुदाय को कहा जाता है कि तूझे तेरी ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री विक्रम सिंह जाखल। श्री विक्रम सिंह जाखल। अंकित नहीं होगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कृपलानी जी, आप कामयाब हो गये।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 18 व 19 पर गृह और कारागार पर बोलने का, चर्चा करने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान में, राजस्थान की सरकार को एक ही बजट में राजस्थान पुलिस भर्ती, 2025 में कुल 6500 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई उसका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, आवाज नहीं।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): साथ ही, मैं मेरी मांग रखना चाहता हूं। मेरे नवलगढ़ विधान सभा में आप सबको ध्यान है कि झुंझुनूं हरियाणा की सीमा पर आता है। हरियाणा की सीमा के पास होने के कारण हरियाणा के आसपास के अपराधी भी झुंझुनूं में आकर कई बार अपराध करके चले जाते हैं।

सभापति महोदय, गृह मंत्री जी विराजमान हैं। मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा कि अब वो वक्त निकल गया जब धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, भरतपुर का, आजकल शेखावाटी में जितना अपराध हो रहा है, मैं समझता हूं कि उस अपराध का मूल कारण है कि थानों में जितने पद सृजित किये गये हैं, वह आज तक भरे नहीं गये हैं। मूल संसाधन आज के दिन उनके पास नहीं हैं।

इसका भी सबसे बड़ा कारण है कि जब पिछली सरकार ने, गत सरकार ने आनन-फानन में 33 से 50 जिले बनाये थे, उनको बनाते ही प्रशासनिक संसाधनों और कर्मचारियों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह नहीं की। उसके कारण प्रदेश में मौजूदा प्रशासनिक अमले को ही इन जिलों में तैनात कर दिया। उसके कारण प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका था।

मैं आप सबसे आज नवलगढ़ की बात करना चाहूंगा। मेरे नवलगढ़ में 3 थाने आते हैं। नवलगढ़ जो नगरपालिका और आसपास के गांवों को सुरक्षा देने का काम करता है। नवलगढ़ के अन्दर 62 पद स्वीकृत हैं। आज के दिन वहां मात्र 24 लोग काम कर रहे हैं। मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले नवलगढ़ की स्थिति को देखते हुए, सिर्फ नवलगढ़ ही नहीं है, नवलगढ़ के अन्दर देश-विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए आते हैं। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से करना चाहिए।

इसके अलावा नवलगढ़ जयपुर से दिल्ली हाई वे पर है। वहां आने-जाने की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए भी 62 पदों की जो स्वीकृति है, वह नवलगढ़ थाना मात्र 24 पदों से चल रहा है। गृह मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द ये पद भरे जायें।

साथ ही डूंडलोद थाने की भी यही कंडीशन है, मुकुंदगढ़ थाने की। मुकुंदगढ़ भी नगरपालिका है। नगरपालिका के आसपास में, जितना पिछले टाइम में, पिछले नेताओं ने जितनी अपराधियों को शरण दी, उनकी वजह से पूरे नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के आपने पिछले दिनों कई वीडियो देखे होंगे। वह वही अपराधी हैं, मैं पिछले दिनों भी बोलकर गया था।

मैं कहना चाहूंगा कि हमें नवलगढ़, मुकुंदगढ़ और गोठड़ा थाना, तीनों में पुलिस प्रशासन का ज़ाब्ता पूर्ण रूप से किया जाये, ताकि इन अपराधियों पर कंट्रोल हो, आम जनता भय मुक्त हो और अपराधियों में भय हो। साथ ही पिछले बजट में, 2024-25 के बजट में देवपुरा बणी के थाने की बजट में घोषणा हुई थी। मैंने वहां बिल्डिंग भी दिखा दी। सारी व्यवस्थाएं तैयार हैं। देवपुरा बणी, जिस थाने की मैंने मांग की थी, वह थाना ऐसी जगह है जहां पर आये दिन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कम पड़ जाते हैं। शेखावाटी में आज के दिन एके-47, 303 के कारतूसों से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कैंपरों में वह जवान, जैसे पुलिस के साथ भी जवान नहीं हैं, कैंपरों में भरकर आते हैं और पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। ऐसी हालत नवलगढ़ की है। वह गाटरें लगाकर के आज की व्यवस्था को देखते हुए आये दिन वहां अपराध बढ़ता जा रहा है।

spp/rtm/03.03.2025/17.10/3f

मैं गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको देवपुरा थाने को सुचारू रूप से चालू किया जाये ताकि वहां के आमजन को सुख-शांति प्रदान हो। साथ में वह देवपुरा थाना ही नहीं है, लोहार्गल पूरे भारत का एक टूरिस्ट स्थल है, दुनिया की आस्था का केन्द्र है। लाखों लोग वहां पर आते हैं। इस भय के कारण से लोगों का आना-जाना बंद हो गया और वहां ज्यादा अपराध इस वजह से बढ़ता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बैठे हुए अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां अरावली क्षेत्र है और पूर्ववर्ती सरकार में, कांग्रेस की सरकार के अन्दर उन नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं का और पहाड़ को तोड़कर रोजाना ट्रैक्टर की 100 ट्रॉलियां लेकर जाते थे वो लोग, ज्यों ही भारतीय जनता पार्टी का राज आया, वह ट्रोलियां बंद हो चुकीं। हमारे अधिकारियों पर कई बार हमले हुए हैं। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अन्दर शांति के लिये मेरी पहली आवाज यही है, आप सबसे, माननीय सभापतिजी के माध्यम से, कि आपको देवपुरा थाने को सुचारू रूप से चालू करवाना चाहिए। नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के तीनों थानों के अन्दर जितने पद स्वीकृत किये गये हैं, उनमें से कम से कम आज के दिन इतनी सख्त जरूरत है। पूरे राजस्थान के अन्दर, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ते हुए अपराध शेखावाटी के क्षेत्र में देखिए आप, हर क्षेत्र के अन्दर सबसे बड़ी एक मूल समस्या और भी है हमारे क्षेत्र में, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, कोई अपराध होता है, पहली बात तो हॉस्पिटल के लोग पुलिस को फोन नहीं करते हैं और

दूसरी बात पुलिस लेकर जाती है तो तत्काल उन्हें रेफर कर दिया जाता है। उनके पास किसी भी प्रकार की एम एल सी की रिपोर्ट नहीं आती है जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं तो पढ़े-लिखे वह डॉक्टर MBBS किये हुए, क्या वह अपनी राय नहीं जता सकते कि इसके दाँत टूट गये, इसका हाथ टूट गया या इसके पैर टूट गये? पुलिस को देखना पड़ता है पांच-पांच दिन तक, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे गृह और कारागार पर बोलने का मौका दिया। कोरोना वॉरियर कहूं या पुलिस कहूं या हमारे इस प्रदेश की आंतरिक सेना कहूं, जिनकी बदौलत आज हम सब शांति से यह सदन चला पा रहे हैं, शांति से बाहर आराम से घूम पा रहे हैं। चाहे हमारा परिवार हो, चाहे कोई और सब आराम से घूम पा रहे हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ हमारे इन पुलिस के मजबूत सिपाहियों की बदौलत है। 'अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास।' यह जो वाक्य है, यह वाकई बहुत मजबूती के साथ हमारे ये जो सिपाही है, ये चरितार्थ कर रहे हैं। पर कुछ देर पहले सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और मैं भी उसी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि आज भी हमारे उन साथियों को साइकिल भत्ता ही मिल रहा है। मंत्री महोदय, आजादी के इतने साल बाद आपको यह मौका मिला है कि कम से कम यह साइकिल भत्ता, जो वर्ड है, इसको तो चैंज कर ही दीजिये। अगर आप इन सिपाहियों को अलग से भत्ता देते हैं तो निश्चित रूप से यह इस प्रदेश की सरकार का एक बहुत बड़ा कदम होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज के समय में मैस की बात करूं। कुछ छोटी-छोटी डिमांड्स जो हमारे कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई., एस.आईज की है, उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो बात करूंगा जिसकी बात मुझे लगता है कि अभी की जानी है। जब भी यहां से निकलते हैं तो ट्रेफिक रूकवाने के लिये हमारे जो चार सिपाही साथी हैं, वे गेट पर खड़े होते हैं। वे 24 घंटे वहां पर ड्यूटी देते हैं। हम 10 मिनट के लिये सड़क पर खड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि कितना पॉल्यूशन है। जो 24 घंटे वहां पर खड़ा रहता है उसकी क्या हालत होती होगी? उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में चिंता कौन करेगा? जब यहां से निकलते हैं तो कई बार हमारे जो सफेद वर्दी में इस सदन में काम करने वाले हमारे जो साथी हैं, उन्हें देखते हैं। वह हमारे आने से दो घंटे पहले आते हैं और सदन खत्म होने के दो घंटे बाद जाते हैं। कई बार जब आप एक बजे लंच करते हैं, निकलते हैं उस समय बात करते हैं कि आपने लंच वगैरह किया क्या? वह कहते हैं कि सुबह करके आते हैं और रात को आप जब सदन खत्म करते हैं तब हम जाकर खाना खाते हैं। वाकई यह हमारे जो साथी हैं, बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं पर उनको जो बेसिक चीजें हैं, वह उपलब्ध करायी जानी बहुत ज्यादा जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, अभी सही बात कही कि आजकल अपराधियों के पास

फॉच्युनर गाड़ी है, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, पर हमारे सिस्टम के पास, हमारे प्रशासन के पास क्या है? आज भी वही जीप, मुझे नहीं लगता जिसका कभी इंश्योरेंस भी हुआ होगा। कई बार साथी कहते हैं कि हमारी इन जीपों का इंश्योरेंस भी नहीं होता और अगर यह खराब हो जाती है तो हमें अपने तरीके से सही करवानी पड़ती है। यह हालत है हमारी। फिर भी यह लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आज अगर कोई घटना घट जाती है तो सबसे पहले पुलिस पर तलवार पड़ती है कि पुलिस वालों ने सही काम नहीं किया। कोई चोरी हो गयी तो एस.एच.ओ. को उड़ा दो। सबसे कमजोर कड़ी हमेशा पुलिस को माना गया। कई उपनाम हमारे इस सिस्टम ने, इस सोसायटी ने दे दिये। आज जरूरी है कि हम इनको मजबूत करें। जो ग्राउंड पर काम करने वाले जो बीट के अधिकारी हैं, उनको मजबूत करें।

माननीय सभापति महोदय, DPC की अभी बात हो रही थी। काफी लम्बे समय से वह प्रयासरत हैं। उनकी कोई बात सुनने के लिये आगे नहीं आ रहा। जब आर्मी को केन्द्रीय स्कूल्स मिल सकते हैं तो हमारी जो पुलिस लाइंस हैं, उसके अन्दर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन के लिये क्यों नहीं अच्छे इंस्टीट्यूट हम तैयार करें। यह तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है।

माननीय सभापति महोदय, आज डिजीटल युग है, साइबर का युग है। हजारों-करोड़ों के फ्रॉड हो रहे हैं। आज के समय में हमारे थानों के अन्दर पड़े हुए कम्प्यूटर पूरे तरीके से खाक छान रहे हैं। हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। हम बातें बड़ी-बड़ी करते हैं। इस सिस्टम को डवलप करने की जरूरत है। इस ए.आई. के जमाने में पूरे जिले में एक एस.पी. आफिस में साइबर सेल छोटी सी बनायी हुई होती है। कई बार तो चार लोगों को पूछना पड़ता है कि वह टेबल कहां पर लगी हुई है। यह स्थिति आज के समय में हो रखी है। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम ऐसी जो अपग्रेडेड सेल हैं, उनको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही हथियारों की बात हुई। अभी चर्चा चल ही रही थी क्योंकि मैं बाड़मेर-जैसलमेर और बालोतरा उस क्षेत्र से आता हूं, पश्चिमी राजस्थान से आता हूं जहां पर धीरे धीरे जो नया काम हो रहा है, उसके साथ साथ और कई सारी चीजें भी बढ़ रही हैं, क्राइम भी बढ़ रहा है तो आज के समय में अपराधियों के पास लेटेस्ट वेपन आ गये हैं पर हमारी पुलिस के उन जवानों के पास अभी तक वह लेटेस्ट वेपन नहीं उपलब्ध हैं।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त कीजिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मेरा निवेदन है कि पुलिस के साथ और एक बड़ी चीज है। हम अभी होली मनाने जायेंगे पर हमारे यह पुलिस के भाई हम सभी की सुरक्षा के लिये लगे रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही कारागृह की बात करूंगा। पिछली सरकार ने मुझे कई बार जेल भेजा, मैं इसके लिये धन्यवाद दूंगा क्योंकि जेल जाने से पहले हमारी सोच

कुछ अलग थी। हमें लगता था कि अंदर सारे कैदी हैं, वह पता नहीं कैसे होंगे, उनके दो सींग होते होंगे। वाकई वह बहुत बड़ा अपराध करके आये होंगे। जब मैं जेल में गया और वहां के हालात देखें, प्रदर्शन करते हुए गये थे, आज भी कहीं न कहीं विरोध करना पड़ता है तो मजबूती से करते हैं। अगर वर्तमान सरकार भी कहेगी जेल जाना है तो जाकर भी आयेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जितने भी जो अपराधी हैं, आप उन्हें अपराधी कहा, कैदी कहो, उनमें 80 से 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी इंटेंशन से, एक्सीडेंटली कोई एक्ट हो गया। उनमें से भी 50 से 60 प्रतिशत 18 से 30 वर्ष की आयु के हैं। मुझे लगता है कि जो सुधर सकता है, जो मुख्य धारा में आ सकता है, उसको हम जेल में भेजकर और बड़ा कुख्यात अपराधी बनाकर बाहर निकाल रहे हैं। जेलों के अन्दर और ऊपर काम करने की जरूरत है। यहां पर 200 माननीय सदस्य बिराजे हैं। मेरा तो निवेदन है कि अपने अपने जिले की जेलों को एक बार आप करीब से देखकर आयें। आप वहां पर जाकर देखकर आयें कि वहां के हाल क्या हैं।

श्री सभापतिः श्री सुरेश जी गुर्जर।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): और जेल के अन्दर वहां तमाम सुविधाएं दिलाने की जरूरत है। एक मेरी विशेष मांग है कि कम से कम जो कैदी हैं, उनको वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपने परिवार से बात कराने की सुविधा भी हमारी प्रदेश की सरकार को करवानी चाहिए, ताकि कम से कम आदमी फ्रस्टेशन से बाहर निकलेगा और सही सोचेगा। स्किल्स के मामले में काम करने की जरूरत है।

श्री सभापतिः श्री सुरेश जी गुर्जर। इन माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 18-गृह और 19-कारागार पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने अपनी-अपनी बात रखी। परंतु लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में मजबूत कानून-व्यवस्था देना, प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हो, भयमुक्त हो और आमजन में विश्वास हो। निडर और भयमुक्त होकर आमजन काम करे।

jyg/rtm/03.03.25/17.20/3g

राजस्थान में सवा साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है। यह सरकार कानून-व्यवस्था बनाये रखने में बिलकुल विफल रही है। आपकी सरकार के समय में आंकड़े कम हुए हैं लेकिन अपराध बढ़े हैं। हमारी सरकार में आंकड़े ज्यादा जरूर थे लेकिन अपराध कम हुए थे क्योंकि हमारी सरकार में थानों में जाने वाले कोई भी व्यक्ति थाने में जाता था तो मुकदमा दर्ज होता था। आपकी सरकार में मुकदमे दर्ज थानों में नहीं होते हैं। जहां तक सरकार की बात है, पुलिस सरकार के अधीन काम कर रही है। पुलिस की मिलीभगत के बिना अपराध करने की हिम्मत नहीं होती है। पुलिस की

कार्यप्रणाली से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। सरकार को अपराधों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जब प्रातः अख़बार पढ़ते हैं तो सारा का सारा अख़बार मर्डर, रेप, जैसी घटनाओं से भरा रहता है। छोटी-छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। एस सी और एस टी के लोगों के साथ अत्याचार बढ़े हैं। राजस्थान में कई तरह के माफिया पनपे हुए हैं। खनन माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, फिरौती माफिया, गैंगवार, लूटमार, डकैती, नशीले पदार्थ माफिया, बाइक चोर माफिया, कार चोर माफिया, पुलिस को सख्ती बरत कर इन माफियाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बात करूं, मेरे जिले झालावाड़ की बात करूं, हमारे जिले में अपराध बढ़े हैं, पिछले एक साल के अन्दर हमारे जिले में चोरी, लूटपाट और अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं, ये पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती है। पिछले एक साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर में मंदिरों में, घरों में ताले तोड़ने की खूब घटनाएं हुई हैं। पीपलाद माताजी के मन्दिर या कंवलदा के मन्दिर में चोरी की घटनाओं का आज दिन तक पुलिस खुलासा नहीं कर पायी है। अभी कल की ही बात है, मैं आज सवेरे अख़बार पढ़ रहा था, मेरे विधान सभा क्षेत्र के भाटानी थाने के अंतर्गत मोलकिया गांव में डॉक्टर विकास के घर पर दिन दहाड़े दस लाख रुपये की चोरी हुई। ये भी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान है। 31 जनवरी को मेरे विधान सभा क्षेत्र में रहने वाली सविता नागर की इकलेरा में जो वहां पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसको फांसी के फंदे से लटका दिया गया, आज दिन तक इसका भी पुलिस खुलासा नहीं कर पायी है। पुलिस को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले जून माह में मनोहरथाना के एक व्यापारी के यहां पर 200 किलो की चाँदी की डकैती हुई थी, इसमें पुलिस ने उसका खुलासा किया है। मात्र 55 किलो चाँदी पुलिस ने बरामद की है। 145 किलो चाँदी कहां है, अभी तक पता नहीं है, ये भी सोचने का बिन्दु है। मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर में 30 मई को महावीर मीणा के मकान में उसकी पत्नी और पति दोनों को रस्सी से बांधकर थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर डकैती डालकर लाखों रुपयों का सामान चुराकर ले गये। 30 मार्च को कानूनगो गोपेश मानेज के घर पर दस लाख रुपये की चोरी हुई उसमें पुलिस अभी तक बरामदगी नहीं कर पायी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल एक थाने का आंकड़ा बता रहा हूं। यही हालात मेरे विधान सभा क्षेत्र के चाहे बाकानी गांव का हो, चाहे पनवाड़ का हो, सभी थानों के समान हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद है। सारवा थाने के मालनवासा में दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला की कान की गुट्टियां और पर्स और नकदी लेकर, छीनकर भाग गये। इसके अलावा खेतों में लगे ट्यूबवैल, पम्प, बोरिंग, ट्रैक्टर, सैकड़ों दुपहिया वाहन चोरी हो रहे हैं। उनका भी आज दिन तक पुलिस खुलासा नहीं कर पायी है। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोके और कानून-व्यवस्था को बनाने में मदद करे। माफियाओं पर नकेल कसना, कानून-व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस अपना

कर्तव्य समझे। पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करे, समाज में शांति और सौहार्द कायम करने में मदद करे।

माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि लम्बे समय से मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाकानी में डीएसपी कार्यालय की मांग की जा रही है इसलिए मेरी भी मांग है कि आने वाले पूरक बजट जब आप पेश करें उसमें वहां डीएसपी कार्यालय खोले। पनवाड़ का थाना भवन अभी तक नहीं बना है। धारोदा चौकी और बागिया चौकी में भवन नहीं है, वहां भवन बनाये जाने की आवश्यकता है। भवानीमण्डी इलाके में पीपलिया चौकी आती है वहां पर खनन क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र है, तीन चौकियां, झालावाड़ रोड, दिलवाड़ी और पीपलिया, कनवाड़ा को मिलाकर थाना बनाये जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम सा।

श्री सभापति: माननीय श्री भागचन्द जी टांकड़ा।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आज मांग संख्या 18 - गृह, मांग संख्या 19 - कारागृह पर आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो दिन-रात हमारी सुरक्षा में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं उसे ही हम पुलिसवाला कहते हैं। पुलिस सरकार का सबसे प्रकट हिस्सा है, जब पुलिस आम जनता का भरोसा जीतती है तो यह सरकार की साफ छवि को और बढ़ाता है। देश और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों ने हमेशा बहुमूल्य योगदान दिया है। ब्रिटिश राजनेता राबर्ट पील द्वारा कहा गया है कि पुलिस जनता है और जनता ही पुलिस है। पुलिस जनता का ही एक सदस्य है, जिसे समुदाय के कल्याण और अस्तित्व के हित में प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों का पूरा समय देने के लिए भुगतान किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुखियां एवं गृह मंत्रीजी का ध्यान प्रदेश में कार्यरत पुलिस के कर्मियों की विभिन्न मांगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस के कांस्टेबल की सेवा एक ऐसी सेवा है जो अपने आठ घण्टे ड्यूटी पूरी होने के बाद भी अपने घर नहीं जा पाता या फिर यह कहा जाये कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी कभी पूरी नहीं हो पाती। एक मजदूर के लिए भी कानून बना हुआ है कि वो अधिकतम आठ घण्टे ही काम करेगा तो फिर पुलिस की ड्यूटी बारह से सोलह घण्टे क्यों होती है? कांस्टेबल राजस्थान के सभी मन्दिर, मस्जिद, दरगाह, उर्स, चर्च, गुरुद्वारा, मेले, भण्डारा या प्रदेश में सर्वत्र ईमानदारी से ड्यूटी करता है फिर भी कांस्टेबल मानसिक तनाव में और आर्थिक रूप से कमजोर क्यों रहता है? कांस्टेबल को आज भी साइकिल भत्ता 150 रुपये ही मिलता है जो कम से कम मोटरसाइकिल भत्ते के रूप में 10 लीटर पेट्रोल दिया जाये। कांस्टेबल का मूल बेसिक वेतन मात्र 20,800 रुपये ही दिया जाता है जो बहुत कम है जबकि केन्द्र और निकटवर्ती राज्यों में 2,400 ग्रेड पे में न्यूनतम वेतन 25,500 रुपये निर्धारित किया हुआ है। सरकार द्वारा कांस्टेबल से साइबर एक्सपर्ट का भी काम कराया जाता है। कांस्टेबल की भर्ती में न्यूनतम योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की जावे। इनकी डीपीसी में टाइम स्केल

पदोन्नति प्रक्रिया लागू की जावे। कांस्टेबल को पटवारी की तर्ज पर 9 साल में प्रथम एसीपी पर वेतनमान ग्रेड 3,600 दी जावे, इन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया जावे। महंगाई के दौर में 10 हजार रुपये वर्दी भत्ता एवं मैस भत्ता 2,400 से 5,000 रुपये दिया जावे। वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल से निरीक्षक स्तर के अधिकारी कर्मचारी को 24 घण्टे और सातों दिन ड्यूटी के लिए बेसिक एवं डी ए का बारहवां भाग प्रति माह हार्ड ड्यूटी अलाउंस के रूप में दिया जाता है जो कि बहुत कम है इसलिए इनको बेसिक एवं डी ए का छठा भाग प्रति माह हार्ड ड्यूटी अलाउंस में दिया जाये।

जोधपुर और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 2012-13 से पदोन्नति आज रुकी हुई है, उस पर विचार किया जावे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी में घर छोड़कर भागकर जो शादी करने का चाहे बच्चा हो या बच्ची यह जो चल रहा है, यह बहुत ही गलत चल रहा है। एक माता-पिता, एक मां अपने बेटे या बेटी को 9 माह कोख में रखती है और 5 साल कम से कम गोद में रखती है और 18-20 साल तक उसको परिवार के साथ में रखकर पालती है, पोसती है, उस मां के साथ क्या गुजरती होगी जब वो बच्ची बिना बताये या वो बच्चा बिना बताये किसी अन्य के साथ जाकर, भागकर शादी कर लेते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन ले लेते हैं और जब मिलते हैं तो मां-बाप को पहचानने से इंकार कर देते हैं। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी है वो ऐसे कदम नहीं उठाये और परिवार की जानकारी के बिना ये शादियां नहीं होनी चाहिए, ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष के लोगों को मेरा इस बात पर साथ देना चाहिए कि ऐसा कोई कानून बने जिससे ये जो लव मैरिज हो रही हैं, शादिया हो रही हैं ये रुके।

MLS/RTM/03.03.2025/17:30/3h

दहेज वाले मामलों में गलती चाहे लड़के की हो, चाहे लड़की की हो, लेकिन दोषी लड़के को ही माना जाता है, जबकि हकीकत देखी जाये तो आज 80 परसेंट उलटा हो रहा है कि लड़कियां ससुराल में छोड़कर चली जाती हैं और दोष उस लड़के वाले का ही माना जाता है और लास्ट में जाकर पुलिस यह कहती है, सबके नाम लिखाते हैं, एक तो रहेगा ही रहेगा, चाहे उस पर दोष साबित हो या नहीं, पर एक आदमी को जबरदस्ती दोषी बनाया जाता है।

सभापति महोदय, एक जो पुलिस पर प्रेशर रहता है कि इस महीने आपको इतने चालान करने हैं, उस प्रेशर को कम किया जाये, क्योंकि जहां अपराध हो ही नहीं रहा तो फिर पूर्ति कैसे हो? ऐसे लोग जिनका कोई लेना-देना नहीं हैं और वे उसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन उसकी खानापूर्ति के लिए जबरदस्ती जो चालान भरे जाते हैं, उन पर भी पुलिस का दबाव कम होना चाहिये।

ड्रग्स का पूरे राजस्थान में इतना बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा, 10 ग्राम मिले तो ही यह अपराधी हो, चाहे 1 ग्राम मिले, चाहे 2 ग्राम मिले, लेकिन उसे सज़ा

होनी चाहिये, क्योंकि दो दिन बाद तो उसकी जमानत हो जाती है और वह वापस चला जाता है। यह बहुत बड़ा खेल है। जब ड्रग्स अपराध ही है तो उसे पूर्णतया, चाहे 1 ग्राम मिले, चाहे आधा ग्राम मिले, उसको 100 परसेंट सज़ा होनी चाहिये, ऐसा प्रावधान लाएं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बांदीकुई में सदर थाना, बड़ियाल कलां एवं पंचमुखी पर एक पुलिस चौकी खोलने की मांग करता हूं। हाल ही में, विगत कई दिनों से दौसा जिले में स्थित श्यालावास खुर्द, जेल में सज़ा काट रहे कैदियों द्वारा प्रदेश के मुखिया को बार-बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन कैदियों के मोबाइल किन लोगों द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाये, उन पर उचित कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस पर चन्द लाइनें कहकर अपनी बात को विराम देता हूं-

एकान्त को पिघलाकर उसमें मस्त रहता हूं,
पुलिस वाला हूं, मुरझाकर भी मस्त रहता हूं,
पुलिस वाला हूं, बुरे वक्त में भी मुस्कुराउंगा,
अपने देश की रक्षा के लिए अपनों से भी लड़ जाऊंगा।

जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र बुडानियां।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, धन्यवाद। आज बहुत ही महत्त्वपूर्ण विभाग की डिमांड पर चर्चा हो रही है। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गृह विभाग जैसी मांग पर डिस्कशन विधान सभा में रखा है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, बहुत अच्छा काम किया है।

मुझे बोलना नहीं था, लेकिन मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि मैं पांच मिनट बोलूंगा। मैं देख रहा हूं कि इतना बढ़िया विभाग, इतनी बढ़िया यह डिमांड है, जिस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये था। दोनों पक्षों को करना चाहिये। आपकी इस पूर्ववर्ती सरकार ने यह कर दिया, कांग्रेस ने यह कर दिया, हम यह कर रहे हैं। ये बातें करने को स्टेज है, बाहर करिये खूब आप। सदन में टू-द-पॉइंट बात करिये। कोई सदस्य बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिये। सुनिये उसे। वह अपने मन की बात कहता है। वह मन की बात भी सुनना नहीं चाहते, बीच में हल्ला मचा देते हैं।

आज प्रदेश के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उन पर हम सबको बैठकर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आज हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, जो घिनौना काम हो रहा है, वह हम सबके लिए शर्मनाक है। इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हर वर्ष बढ़ रहा है। यह चिन्ता

का विषय है। आज एक परिवार में कोई बच्ची है, उसके माता-पिता उसे स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। वह स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है, बस में सुरक्षित नहीं है, गली में सुरक्षित नहीं है। ऐसे विषयों पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अभी बहुत से सदस्यों ने महिलाओं के, लड़कियों के भागने का जिक्र किया। यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं समझता हूं कि जो लोग गायब होते हैं, भागते हैं, उनमें 76 प्रतिशत महिलाएं हैं, लड़कियां हैं।

अभी भागचन्द जी बता रहे थे, हम लोग पीड़ित हैं इससे। आज मां-बाप एक बच्ची को पालते हैं और उसे बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर, किसी भी तरह से, कलाकार लोग होते हैं, वे निकालकर ले जाते हैं। फिर वह मां-बाप के सामने कहती है, मैं पहचानती ही नहीं आप कौन हैं, मैं जानती ही नहीं। ये हालात हैं। इनके ऊपर बैठकर हमें सोचना चाहिये कि ऐसे अपराधों पर अंकुश कैसे लगाएं। आज संवैधानिक राइट है, निश्चित बात है, स्वतंत्र हैं नाबालिग लड़का और लड़की, लेकिन हमें कहीं न कहीं तो माता-पिता को इन्वॉल्व करना चाहिये इसके अन्दर। मैं समझता हूं, आज जोगाराम जी, थानों के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में यदि पुलिस का सबसे बड़ा काम है तो यही है कि आज यह लड़की चली गयी, आज वह लड़की चल गयी।

जब हम फोन करते हैं तो थानेदार जी और वहां का स्टाफ कहता है कि साहब, एक थाना और खुलवा दीजिये, जो इसी काम में लगा रहे। जब एक छोटे-से क्षेत्र में यह है तो पूरे राजस्थान में हालात क्या हैं, आप देख सकते हैं तो इस पर विचार करना चाहिये।

आज नशे की हम बात करते हैं। नशा किस क़दर बढ़ रहा है, आज आप कल्पना नहीं कर सकते। होटलों में तो बिकता ही बिकता है, लेकिन ढाबों और ठेलों पर भी बिकता है। ये ठेले लगते हैं न छोटे-छोटे, उनमें भी नशा बिक रहा है। सब तरह का नशा बिक रहा है। छोटे-छोटे कस्बों में बिक रहा है। स्कूलों के बाहर बिक रहा है। इन सारी चीजों पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

आज हम कहते हैं कि हमारा युवाओं का देश है। बड़े गर्व से कहते हैं कि युवाओं का देश है, लेकिन आप छाती पर हाथ रखकर सोचिये कि क्या युवाओं का देश है हमारा? आज 25 साल का लड़का 65 साल का हो गया है। उसका शरीर अन्दर से 65 वर्ष का हो गया। कहां से जवान रहेगा वह? वह नशे के पीछे पड़ा हुआ है। कोई शराब पीता है, कोई दवाइयां खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई पोस्त खा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, पता नहीं क्या-क्या बीमारियां आयी हुई हैं? इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सदन को करना चाहिये, सरकार को करना चाहिये, हम सबको करना चाहिये।

आज माफिया खुलेआम सक्रिय हैं, चाहे बजरी माफिया हों, शराब माफिया हों, जमीन माफिया हों, जितने माफिया लगते हैं, जिनमें पैसा आता है, आज उनका दबदबा है। आज हम पुलिस का दोष निकाल देते हैं कि पुलिस यह नहीं कर रही, पुलिस वह नहीं कर रही। हां, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा की उनकी। जितने उनके पास साधन हैं, उन साधनों से हमारी सेवा कर रहे हैं। मैं राजस्थान की पुलिस को धन्यवाद

देता हूं। साधन कहां हैं? मैं अभी बीकानेर जा रहा था। रास्ते में थाने के आगे एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा गाड़ी तो कहा कि साहब, हमारे थाने में तो यही गाड़ी है। यह तो कैम्पर है भइया। यह तो कैम्पर है सामान ढोने वाला। तो कहते हैं साहब, हमारे थाने को तो यही दे रखी है। आप मुझे बताइये, पुलिस कैसे रक्षा करेगी?

आप पुलिस को साधन उपलब्ध कराइये। उनकी जिम्मेदारी है, कमियां भी हैं, हो सकती हैं, बड़े काम है तो कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन आज ये कमियां जो हैं...

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): दो मिनट बोलूंगा बस।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये आप। समय हो गया।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): हालांकि मैंने खुद ने 7 मिनट मांगे थे।

श्री सभापतिः 7 हो गये पूरे।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): बस, एक मिनट में खत्म करूंगा।

श्री सभापतिः आधे मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, एक मेरे मन में थोड़ी तकलीफ थी तो मैं उसको बोलना चाहता हूं। मेरे गांव का थाना है, जिस गांव का मैं सरपंच रहा, जहां मैं पैदा हुआ। दूधवा थाना नाम है। मैं वहां का जन प्रतिनिधि नहीं हूं, वहां का मतदाता हूं। वहां उस थाने के अन्दर एक मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी का लड़का हैड कॉन्स्टेबल के रूप में सर्विस करता है। थानेदार जी ने उसे कहा कि यह काम करके आइये। वह ड्यूटी पर था, ड्रेस में था और जब वह काम करके आया तो वहां मौजूद एक हैड कॉन्स्टेबल और एक बाहरी व्यक्ति ने उसे पीटा।

श्री सभापतिः श्री ताराचन्द जी।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): जब वह बड़े अधिकारियों के पास गया तो उसी को लाइन हाजिर कर दिया और मैंने जब गुहार लगायी...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): 000

श्री सभापतिः ताराचन्द जी बोलिये।

MKD/RTM/03.03.2025/17:40/3j

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 18 गृह विभाग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी सदन में बहुत लम्बी बातें हो रही थीं और विपक्ष के लोग भी बड़े चिल्ला रहे थे, कई बातों का ब्लैम लगा रहे थे, सरकार में ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बताऊं।

महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय आमजन में भय की

स्थिति हर वक्त बनी रहती थी। हम अखबारों में पढ़ते थे, सुनते थे और देखते भी थे कि कहीं बालिकाओं के साथ अपराध हो रहा है, कहीं साइबर क्राइम हो रहा है, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, निश्चित लोगों में हर वक्त भय व्याप्त रहता था। जब महिलाएं आकर के यहां गुहार लगाती थीं और सदन में जब कोई बात उठती थी तो पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ सदस्य, जो हमारे सदन के हैं, वो आज भी हैं, वे कहते थे कि यह तो पुरुषों का प्रदेश है तो शर्म करनी चाहिए ऐसी बातों पर। ऐसा कहकर के ही इन्होंने यहां की यह स्थिति खराब की है।

मेरा आपसे निवेदन यह है कि लूटपाट, डकैती व अपराध जो हो रहे थे, उसमें बहुत प्रतिबन्ध लगा है। आमजन में एक ऐसी भावना बनी है कि कहीं पर भी लूटपाट, डकैती व अपराध नहीं हो रहे हैं। निश्चित ही अपराधों में अंकुश लगाते हुए आमजन में विश्वास पैदा करने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है।

माननीय सभापति महोदय, अत्यन्त प्रसन्नता का हमें आभास हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर तीव्र गति से अग्रसर है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन विशेष कर हमारी बहन, बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करें। आज के युग में प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का वातावरण मिल सके। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सर्विलांस एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है ।

माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान की पुनः एक शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में पहचान हो रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से दो वर्षों में 1000 वाहन उपलब्ध करवाने की सरकार द्वारा घोषणा की गई है। साथ ही आगामी 3 वर्ष में 3500 नवीन पुलिस पद सृजित किए जाने भी प्रस्तावित है।

प्रदेश में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पुलिस को विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित हैं। जिसमें पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए रिप्लेसमेंट बेसिस पर 500 वाहन, किशनगढ़

जैसलमेर, जयपुर सिविल एयरपोर्ट के अलावा बीकानेर में बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड हेतु 150 पद सहित विभिन्न तकनीकी शाखाओं एवं इकाइयों के लिए 531 पद सृजित किए जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, दृढ़ निश्चय की प्रतिमूर्ति लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष में उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में अपराध की घटनाओं के सम्बन्ध में त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना हेतु सरकार द्वारा 350 करोड रुपए व्यय किए जाएंगे, जिससे निश्चित ही साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाया जा सकेगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिसमें अधिकतर क्षेत्र ग्रामीण आता है, जिसकी आबादी लगभग 4 लाख है और दूरियां भी बहुत अधिक हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो थाने लगते हैं एक थाना श्री डूंगरगढ़ में तथा दूसरा थाना सेरुणा में लगता है। इन थानों से गांव तक की पहुंच बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्र की जनता को पुलिस थानों तक पहुंचने में समय भी अधिक लगता है, साथ ही अपराधों पर त्वरित कार्रवाई में भी विलम्ब होता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में एक और पुलिस थाना स्वीकृत करावे। जिससे क्षेत्र की जनता में विश्वास और अधिक बढ़े व पुलिसिंग का कार्य त्वरित गति से हो सके।

साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि श्री डूंगरगढ़ व सेरुणा थाना में पुलिस विभाग के रिक्त पदों को अति शीघ्र भरा जाए। साथ ही नवीन पुलिस थाना स्वीकृत करवाने की उचित कार्यवाही करवाएं।

महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कस्बा श्री डूंगरगढ़ में यातायात अत्यधिक होने तथा थाना हाजा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ ग्रामीण कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जो कस्बे में स्थित कृषि मण्डी में आते हैं, कस्बे में काफी संख्या में कृषि वाहनों का प्रतिदिन आवगमन रहता है। कस्बे में से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है, जिस पर भी काफी संख्या में वाहनों का आवगमन रहता है। बस स्टैंड कस्बा श्रीडूंगरगढ़ के अन्दर होने के कारण काफी भीडभाड़ रहती है। कस्बे की अनुमानित जनसंख्या करीब 90 हजार है तथा कस्बे के अलावा आसपास के गांवों व अन्य हल्के की जनसंख्या करीब 3.50 लाख के करीब है। आस पास के गांवों से आने वाली बसें यथा बीदासर, कालू, सरदाशहर, रतनगढ़, जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, नोखा, जयपुर आदि जगहों को जाने वाली बसों का केन्द्र मैन बाजार घूम चक्कर सर्किल व झंवर बस स्टैंड से होता है, जो कस्बे में ही स्थित है। एनएच 11 रोड़ का दायरा 40 किलोमीटर से अधिक होने के कारण एक्सीडेंट भी अधिक होते है। जिस कारण कस्बा श्री डूंगरगढ़ में वर्तमान में यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने हेतु कस्बा श्रीडूंगरगढ़ में यातायात शाखा की महती आवश्यकता है।

श्रीमानजी से निवेदन है कि कस्बा श्री डूंगरगढ़ में सुगम व सुचारु यातायात व्यवस्था हेतु यातायात शाखा खुलवाने की कृपा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री उमेश मीणा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18 - गृह व मांग संख्या 19 - कारागार पर विचार

श्री उमेश मीणा (आसपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 गृह और मांग संख्या 19 कारागार पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद, जौहार। सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बात हो रही है।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

मैं प्रदेश की पुलिस से अपील करता हूं कि वह अपने जो ध्येय वाक्य 'आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय' पर अपने कर्म क्षेत्र में अमल करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। वहां पर हमारी एक बड़ी गम्भीर समस्या है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो चालान व्यवस्था है, उस पर मैं बात रखना चाहूंगा। चालान व्यवस्था जो है, वह अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि लोग हेलमेट पहनें, लोग लाइसेंस रखें और सीट बैल्ट बांधे, जिससे दुर्घटना न हो, लेकिन पुलिस के द्वारा जगह-जगह नाकाबन्दी करना कहां तक उचित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र और डूंगरपुर जिले के अन्दर हम देखते हैं। हमारा टीएसपी एरिया, जो आदिवासी एरिया है और जो गरीब लोग हैं, वे लोग शहरों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। वहां शहर के आसपास पुलिस नाकाबन्दी करके रखती है और जो मजदूरी करके पांच सौ, हजार रुपया कमाकर आते हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर सौ-दो सौ रुपये लिये जाते हैं, एक लूट मचा रखी है।

माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अवैध वसूली हो रही है, वहां रोक लगाई जाए। पुलिसकर्मी के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार भेंट चढ़ चुका है, उसको रोकने का काम करेंगे, यह मुझे उम्मीद है।

माननीय सभापति महोदय, यह एक तरह से ध्येय वाक्य मैंने बोला था, यह 'आमजन में

डर और अपराधियों में विश्वास' नाम बनकर रह गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे डूंगरपुर जिले के अन्दर कई थाने ऐसे हैं, जहां पर आदिवासी की कोई समस्या होती है तो डराया जाता है या धमकाया जाता है। थाने के अन्दर रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, दो-दो, चार-चार घंटे तक एक-एक, दो-दो तीन तक एफआईआर नहीं काटी जाती है। वहां हमारे आदिवासियों के साथ भेदभाव होता है।

मैं चाहूंगा कि हमारे आदिवासियों के साथ भी न्याय किया जाए। वहां पर आदिवासी ही नहीं, वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी और जो जनरल समाज के गरीब होते हैं, उनको भी नहीं देखा जाता है। जो अमीर परिवार से होता है, जिसके सी आई, एस पी से बात करते ही गरीब पर तुरन्त एफआईआर की जाती है। उस पर मुकदमा कर दिया जाता है और जेल के हवाले भेजा जाता है।

सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए स्पेशल टीम बनाई जाए और वहां पर हमारे ट्राइबल के अन्दर क्या हो रहा है, वह देखा जाए।

Bhs/Rtm/03.03.25/17.50/3k

माननीय सभापति महोदय, एक और समस्या है, जो पुलिस के द्वारा संगीन अपराधियों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुलाया जाता है, हम कानून का समर्थन करते हैं लेकिन कई निर्दोष लोग जो ऐसे रहते हैं जिनको थाने के अन्दर चौबीस घंटे से अधिक अनावश्यक रूप से बैठाया जाता है। मैं यह उचित नहीं समझता क्योंकि कई घटनाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र और ट्राइबल एरिया में भी हुई है। 24-24 घंटे, जो निर्दोष है, कोई भी गलती नहीं है फिर भी थाने के अन्दर बैठाया जाता है वो भी कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन है यह मैं मानता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अगर पुलिस प्रशासन उस पर कहीं न कहीं हमारी जो बात है यह रखेगी तो आम जनता को राहत मिलेगी, यह मेरा मानना है और एक और समस्या आ रही है जो हमारे ट्राइबल एरिया में आज हमारे जो आदिवासी परिवारों के द्वारा आदिवासी समाज को जनजागरण और जो टी.एस.पी. एरिया में जो हमारी नयी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ है उससे मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष मिला कर पुलिस को आगे करके हमारी पार्टी को रोकने का काम हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिये नहीं तो हम भी कहीं न कहीं हमारी जनता अगर ज्यादा ही परेशान होगी तो आने वाले पंचायती राज चुनाव में सबक भी सिखा देगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी जो डिमाण्ड है उसका मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा सरकार को कि पुलिस विभाग में जो कांस्टेबल की पे ग्रेड है 2,400 है उसे बढ़ा कर 3,600 किया जाये और साथ ही अन्य विभाग की तर्ज पर पुलिस विभाग में भी डी.पी.सी. के माध्यम से प्रमोशन होना चाहिये। हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी हमारे वर्ग का होना चाहिये जिससे हमारी आम जनता और अधिकारी के बीच में हमारी दिली

भाषा में संवाद हो सके और आज जनता का दु:ख और दर्द समझ सके और इसका समाधान हो सके। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक ही बोल रहा हूं हमारी पार्टी की तरफ से। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में जो भूमाफिया, बजरी माफिया, मानव तस्करी अस्पतालों में बच्चों की चोरी उस पर किसी प्रकार से रोक नहीं होती है और एक उदाहरण ताजा भी दे सकता हूं, हमारे टी.ए.डी. मंत्री को बुरा नहीं लगे, लेकिन उनके क्षेत्र में छोटे-छोटे बच्चों की भी चोरी होती है और बेचा जाता है यह बड़े दु:ख की बात है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): यह सारा का सारा कांग्रेस के राज में हुआ था ...(व्यवधान)...

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं जो मेरी मांग है डूंगरपुर जिले में जो काकरी डूंगरी प्रकरण से सम्बन्धित जितने भी मुकदमे दर्ज किये गये हैं सभी मुकदमों को वापस लिया जाये। सरकार से यह उम्मीद है, आदिवासी के कल्पवृक्ष के नाम से महुआ से बनने वाला महुड़ी मद जो हमारे क्षेत्र में पुरखों की परम्परा से पूर्वजों को धार देने की विधि व्यवस्था है और यह पूजा पद्धति का भी उपयोग किया जाता है, मेहमानों के मान-सम्मान के लिए भी यह उपयोग किया जाता है इसलिये महुआ मद जो पहली धार का नौ बोतल दारू, उसको दारू नहीं बोल सकता मैं, उसकी छूट दी जाये और यह दारू नहीं यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवाई है क्योंकि इसका ताजा उदाहरण है कोविड के अन्दर कोरोना के अन्दर हमारे कोई दवाइयां यूज नहीं हुई थी, हॉस्पिटल्स में हमारे कोई लोग नहीं गये, हमारे लोग एक देशी जो महुआ है उसको पीकर उनको राहत मिली। आज इस सदन के सदस्यों में कइयों ने भी राहत प्राप्त की होगी यह मेरा मानना है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): एक कारागार पर मैं ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, इसीलिये आप चारों पहलवान हो रहे हो क्या?

श्री सभापति: समय हो गया है आपको जो अलॉटेड समय है वह पूरा हो गया है।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): डूंगरपुर जिले में जो जेल है इसके अन्दर जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिये वह मूलभूत सुविधा नहीं है। कैदियों के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिये और कारागार में अगर कोई कैदी किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है तो उस कैदी को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है लेकिन ऐसा होता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जो गरीब और अमीर में जो अमीर परिवार होता है वो तो किसी भी तरह से छूट जाता है लेकिन जो गरीब परिवार होता है उसके पास वकील करने का भी पैसा नहीं होता है तो भारत के संविधान के अन्दर अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय और नि:शुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना अति आवश्यक है ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके। मैं यह चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से कि स्पेशल इसकी टीम बना कर लोगों

को समझाइश किया जाये, ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके। यह मेरा मानना है।

श्री सभापति: विराजिये। बस-बस, अब अंकित नहीं होगा। श्री रफीक खान।

सूचना

व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक, 2024 के पदों में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक 2024 के पदों की वृद्धि के लिये खूब सारे लाखों युवाओं ने आज प्रदर्शन किया। मेरा निवेदन है कि प्रदेश की सरकार से कि इस बारे में सोचें, विचार करें, युवाओं की आवाज को समझें, उनके दर्द को समझें। धन्यवाद।

श्री सभापति: आपका ध्यान में आ गया। श्री रफीक खान।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18 - गृह व मांग संख्या 19 - कारागार पर विचार

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

अभी जब चर्चा हो रही थी और हमारे साथी गणेश घोगरा बोल रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आरोप बर्दाश्त नहीं है, ये आरोप ही थे जो आप सरकार में आ गये। आप आरोप लगा-लगा कर, महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, यह क्या था? यह मैं सुनाता हूं आपको क्या था। भरतपुर में, भरतपुर का डाटा है मेरे पास में। भरतपुर में महिलाओं से अपराध पिछले एक साल में सबसे ज्यादा। पिछले साल से सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार भरतपुर में, ...(व्यवधान)... अगर आपके मंत्री सक्षम नहीं हैं तो आप बोल लों और मंत्री सक्षम हैं तो वो जवाब देंगे। अगर मंत्री सक्षम नहीं हैं तो आपको ऑथोरिटी है आप बोलो लेकिन अगर मंत्री सक्षम हैं तो मंत्री अपने मौके पर मेरी सारी बातों का सारे आरोपों का जवाब देंगे, आप बैठिये। ...(व्यवधान)... आप बैठिये। पेपर और भी हैं। पिता के परिचित ने सात की मासूम से दुष्कर्म किया 25.02, जेल से लॉरेंस का इंटरव्यू 9.02, दलित की शादी बाराती से ज्यादा 75 पुलिसकर्मी, नाबालिग से रेप विडियो बना कर धमकी दी, पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज, यह फरवरी के बता रहा हूं, आगे-पीछे नहीं जा रहा हूं खाली फरवरी के।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह अखबारों की कटिंग है ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): खाली फरवरी के कैसेज बता रहा हूं आपको। नाबालिग से दुष्कर्म कर बनाया अश्लील वीडियो, युवती से बेटी जैसी बना कर दुष्कर्म किया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि जिन बातों को लेकर के ये सत्ता में आये, आज सत्ता में आते ही इनको सत्ता का नशा हो रहा है। ...(व्यवधान)... सुनो, अभी तो शुरू ही किया है मैंने।

'तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है,

मगर ये आंकड़े असत्य हैं और वादे खिताबी हैं'

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ...(व्यवधान)... आपने पढ़े वो आंकड़े असत्य हैं। आपने कहा कि ये आंकड़े असत्य हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, किसी भी सरकार के कामकाज या लॉ एंड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिये सरकार की नीति और नीयत साफ होनी चाहिये। मगर अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कि सरकार की न नीति ठीक है न नीयत ठीक है। राजस्थान की आवाम का चैन और सुकून इस सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। मैं इसलिये कहता हूं कि भाजपा सरकार का सवा साल प्रदेश के लिए नाउम्मीदी और निराशा से भरा है जिसमें आमजन को कोई राहत नहीं और तरक्की की कोई आहट नहीं। यह सरकार नहीं पर्ची है, कुप्रबन्धन की, कुशासन की और बरगलाने वाले थोथे भाषण की।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): रफीक भाई, जमा नहीं मामला।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जमास्यूं थोड़ो रंग तो जमण दो। अभी तो शुरू ही करयो है, रंग तो जमण दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जबरदस्ती बनाया हुआ है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आज राजस्थान अपराधियों, बदमाशों और माफियाओं का गढ़ बन चुका है। सच्चाई बता रहा हूं, जाग जाओ थे, थ्हारो भी नम्बर आवेगो, जब एक विधायक पर हमला हो जाता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। वह विधायक रफीक खान भी हो सकता है, वह विधायक जोगाराम भी हो सकता है। आज देश में एक लाख से अधिक स्थायी वारंट अपराधियों में अकेले अस्सी हजार राजस्थान से है। देश भर से भगोड़े सबसे ज्यादा राजस्थान से है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में सबसे ज्यादा अपराधी खुले घूम रहे हैं। इस सवा साल में राजस्थान अपराध में नम्बर वन बन गया है, नम्बर वन। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): रफीक भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप यह तो बताओ कि कांग्रेस राज के भगोड़े इस राज में कितने पकड़े हैं? यह तो बता दो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह आपका घमण्ड बोल रहा है। 'लहरों में तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और बीजेपी में घमण्ड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है।' ...(व्यवधान)... आरोप-प्रत्यारोप और असत्य वादों, इवेंट प्रमोशन वाली यह सरकार लगता है जनता से कट चुकी है। आज आये दिन बेटियां दरिन्दगी और महिलाओं से अत्याचार, हत्याकांड, अपराध की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में जयपुर में मुख्य मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में प्रतापनगर में सात साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गयी।

Kas/rtm/03.03.2025/18.00/3I

सांगानेर में कर दी गई। हमने तो देखा कि जयपुर का बहुत भला होने वाला है, जयपुर के मुख्य मंत्री मिल गये, दो-दो उप मुख्य मंत्री मिल गये, पता नहीं जयपुर में क्या नया डवलपमेंट होगा और कैसे जयपुर का सुधार होगा और सुधार यह नजर आ रहा है कि सांगानेर के प्रताप नगर में 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई।

एक इंसीडेंट और बताता हूं, पुलिस प्रशासन बैठा है, कानोता थाने में 20 दिन पहले एक लेडी की नग्न अवस्था में डैड बॉडी मिलती है। आज तक पता नहीं कर पाये, किसकी है? मारने वाले को ढूंढना तो दूर, दुष्कर्म करने वाले आदमी को ढूंढना तो दूर, यह पता नहीं कर सके कि वो डैड बॉडी किसकी है? आज 20 दिन हो गये और आप बात कर रहे हो राजस्थान में क्राइम खतम करने की। बातें करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। विधायक आवाज उठायेंगे और आप उनको दबाओगे, तो इसका मतलब यह है कि आप अधिकारियों को शह दे रहे हो और जो काम नहीं हो रहा है, उसको भी शह दे रहे हो। ऐसा अगर आप करोगे, तो क्राइम में ही नंबर वन रहोगे।

मुख्य मंत्री जी के गृह जिले भरतपुर, मंत्री जी भी बैठे हैं ....(व्यवधान).... मुझे यह बताओ कि मंत्री जी सक्षम नहीं है क्या? ....(व्यवधान).... आप बोलो, मैं बैठता हूं। मेरा टाइम रोको, ये बोलेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो जूली साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, जूली साहब, इनको समझाओ। आप को कोई बात कहनी है, आपका अधिकार है, लेकिन जैसे कॉलेज में दौड़ते हैं, वैसे यहां नहीं होता है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी तो रंग जमना शुरू हुआ है, अभी से ही ऊक-चूक हो गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संसदीय मंत्री महोदय, ताली दोनों हाथों से बजेगी। आप खुद इनको भड़काते हो, इशारे करते हो। हमें नहीं दिखता क्या? मेरे यहां से पूरा दिखता है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मुख्य मंत्री जी के गृह जिले भरतपुर-डीग में पुलिस थाने के बाहर से 10वीं की छात्रा का अपहरण हुआ। मंत्री महोदय, आपका भी जिला है, इस बारे में भी जवाब देना। इससे पहले जयपुर के विद्याधर विधान सभा क्षेत्र में दिन-दहाड़े बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर लूट-पाट की। इससे ज्यादा बातें नहीं हो सकती और आपकी सीरियसनेस यह ऊपर वाले देख रहे हैं। जैसे आप इन बातों पर हंसी-ठिठोली कर रहे हो, क्राइम के मामले में, जिसमें आपको सतर्क होना चाहिये, सजग होना चाहिये और आप जिस तरह से हंसी ठिठोली कर रहे हो, यह ऊपर बैठे हुए सब देख रहे हैं, कल सुबह छापेंगे तब आपको पता लगेगा।

सभापति महोदय, महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई भाजपा सरकार आज महिलाओं के लिये नासूर बन चुकी है। 'महिलाओं का अपमान, नहीं सहेगा

राजस्थान', यह डायलॉग था आपका। उदयपुर के प्रताप नगर में चलती कार में महिला से गैंगरेप किया गया। बालोतरा का एक वीडियो मैंने देखा है, जहां बदमाश दिन-दहाड़े महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सीकर में नाबालिग के साथ कुकर्म हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। गंगानगर, जोधपुर, अजमेर, टोंक, डीडवाना में, साल 2024 में 1610 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। 1610 रिकार्ड नंबर है, शर्म करो, शर्म। 2024 में 7 हजार से ज्यादा महिलाओं के साथ दरिंदगी और पोक्सो एक्ट के मामले दर्ज हुए। मासूम बेटियों, महिलाओं से बलात्कार की आये दिन की घटनाओं के आंकड़े भाजपा सरकार का असली चेहरा उजागर कर रही है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी आप संज्ञान नहीं लोगे तो राजस्थान को पिछड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह जो बड़े-बड़े एमओयू कर रहे हो और एमओयू के सवालों पर छुप जाते हो, मुंह छुपा लेते हो, सवालों को अग्राह्य करा लेते हो, उससे बात नहीं बनेगी। जवाब तो जनता के बीच में ही देना पड़ेगा, जवाब तो यहीं देना पड़ेगा। मैं एक बात और बोल दूं, यह जो बार-बार आप बोल रहे हो ना, यह आप साबित कर रहे हो कि आपके मंत्री सक्षम नहीं है, मंत्री अक्षम हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह काम विधान सभा सचिवालय का है, हमारा नहीं है, हम नहीं कर पाते। यह विधान सभा सचिवालय पर आरोप है। अगर आप विधान सभा सचिवालय पर आरोप लगाना चाहते हो, तो लगा दो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप बहुत देर से बोल रहे हो, एक शेर आपके लिये भी पढ़ देता हूं।

जरा सा क़ुदरत ने क्या नवाजा, आ कर बैठे हो पहली सफ में,
अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो तेरी शोहरत नई-नई है।

ऐसे उड़ो मत, बात वो करो, जो सही हो।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, साइबर क्राइम का मामला ऐसा है कि आधे से ज्यादा मुकदमे तो दर्ज ही नहीं होते हैं और जो आदमी दर्ज कराता है, उसे न्याय नहीं मिलता है। आम आदमी भी अवेयर नहीं है, कहां मुकदमा दर्ज कराये। अमेरिका में बैठा आदमी जयपुर में फ्रॉड कर जाता है। किसी गांव में बैठा आदमी अमेरिका के किसी शहर में फ्रॉड कर जाता है और पुलिस के पास इसको रोकने का तंत्र नहीं है। हम सब एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन यह आज की तारीख का ज्वलंत मुद्दा है, अगर हमने इस पर संज्ञान नहीं लिया, अलग से कोई सैल नहीं बनाई, छोटे से छोटे मुकदमें दर्ज हों, हर अपराधी पकड़ा जाये, तभी इसका समाधान हो सकता है। लोगों को धमकियां मिलती हैं कि मैं लॉरेंस ग्रुप से बोल रहा हूं, मैं फलाने से बोल रहा हूं, आदमी डर जाता है। बहुत कम आदमी ऐसा होता है जो पुलिस तक पहुंच पाता है और सीधे पैसे का भुगतान कर देता है। बैंकों के फ्रॉड तो आम बात हैं। बैंकों में तो इसके खाते से पैसा, उसके खाते से पैसा और कोई बड़ी बात नहीं कि यह जो अधिकारी दीर्घा में अधिकारी बैठे हैं, इनके भी किसी के खाते

से पैसा निकल जाये, किसी को पता नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं कि इस पर संज्ञान लें और इस पर हमें तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिये।

जयपुर शहर की ट्रेफिक की बहुत बड़ी प्रोब्लम है। यह एक साल में ट्रेफिक की प्रोब्लम कैसे हो गई? हम यहां पहले भी आते थे, विधान सभा नहीं आ सकते हैं, कांस्टीट्युएंसी में नहीं जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में टनल के बाहर पहले कोई जाम नहीं लगता था और पिछले दो महीने से, फिर आप कहोगे कि अधिकारियों पर आरोप लगाते हो, वहां शाम को प्राइवेट बसें खड़ी कर दी जाती हैं और लाइन से बसें खड़ी रहती हैं और आम आदमी और राहगीरों से चौथ वसूली होती है और जब तक वो बसें नहीं हट जाती, तब तक वहां जाम लगा रहता है।

एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, डीजी साहब बैठे हैं, जरूर से संज्ञान लेंगे, मैंने फोन भी किया था तो शायद आप मशरूफ थे, आपका फोन आया तो मैं भी कहीं बिजी हो गया था। मेरी कास्टीट्युएंसी का एक आदमी जो बगराना में झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है, वो मेले में जोधपुर जाता है और मेले में खिलौने बेचेने की दुकान लगाता है और खिलौने बेच कर पैसे इकट्ठे करके अपने घर आने लगता है तो जीआरपीएफ वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और 45 हजार रुपये छीन लेते हैं। एक ऐसे आदमी के जो बिलकुल झोंपड़ पट्टी में रहता है और फेरी लगा कर गुजारा करता है, उससे 45 हजार रुपये छीन लिये जाते हैं, शर्मनाक बात है। अगर ऐसे आदमियों को आप चैन से नहीं रहने दोगे तो आपको राजस्थान की जनता चैन से नहीं रहने देगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप संज्ञान ले कर इस पर एक्शन लो।

अभी आपने ई रिक्शा का एक नया कानून बना दिया कि इधर जायेगा, इधर नहीं जायेगा, इस जोन से जायेगा, उस जोन से नहीं जायेगा। दिल्ली की मर्सडीज तो जयपुर की सड़कों पर घूमेगी और ई रिक्शा चांदपोल से छोटी चौपड़ नहीं जा पायेगा। क्यों, गरीब आदमी के लिये कोई कानून नहीं है? गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा? आप कानून बनाओ, ट्रेफिक मेनटेन करो, लेकिन उन पर दादागीरी मत करो। ऐसा मत करो कि पुलिस उन पर एक नासूर बन जाये। छोटे-छोटे ई रिक्शा पर कितना जुर्माना हो रहा है, पता है आपको? 5 हजार रुपये, 10 हजार रुपये। ई रिक्शा चलाने वाले पर हजारों रुपया जुर्माना करोगे तो यह सदन ही नहीं, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इसकी पॉलिसी बनाओ, लेकिन ऐसी मत बनाओ। रिक्शा सवारी लेकर कहां जायेगा, अगर उसने एक सवारी बैठा ली और बड़ी चौपड़ से बनीपार्क आयेगा तो क्या सवारी तीन रिक्शा चेंज करके आयेगी? ऐसे कानून मत थोपो, ओर्गेनाइज करो, ओर्गेनाइज का मैथड़ निकालो, उनके साथ आदमी लगाओ, वेआउट निकालो, लेकिन ऐसे अफसराई रूल मत लगाओ। अगर आप में हिम्मत है तो यह गाड़ियों के साथ करके बता दो कि बनीपार्क की गाड़ी जौहरी बाजार नहीं जायेगी और जौहरी बाजार की गाड़ी मालवीय नगर नहीं जायेगी। आप यहां तो छोड़ो, दिल्ली तक करके बता दो, एक शहर से दूसरे शहर, पता लग जायेगा आपको। कानून अमीरों के लिये बनेंगे

नहीं और गरीबों को सताने के लिये कानून बनाओगे, ऐसा नहीं चलेगा।

मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी को धमकी का मसला है, जयपुर सेंट्रल जेल की लोकेशन इनसिक्योर है, चारों तरफ टावर है, आप रोक नहीं पाते हो। जेल में खड़े होते हो तो जेल में टेलीफोन करते हैं। पहले भी गुजारिश की है, फिर गुजारिश करता हूं कि जेल को अन्यत्र स्थान पर ट्रांसफर करो, नई जेल बनाओ। जेल के हिसाब से यह जगह भी ठीकनहीं है और सिक्योर प्लेस भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जयपुर जेल को जरूर से अन्यत्र किसी स्थान पर ले जाया जाये ताकि वहां कैदियों के हिसाब से सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले।

msk/rtm/03.03.25/1810/3m

आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह का माहौल जेल के अन्दर चल रहा है, अपराधी पनप रहे हैं और जेल के अन्दर से कहीं पंजाब फोन जा रहा है, कहीं दिल्ली फोन जा रहा है और लोग फोन करते हैं कि जयपुर जेल से फोन आ रहे हैं कि हमें इतने रुपये की फिरौती दे दो। हम तो वही सोचकर परेशान थे, लेकिन जब यह खबर देखी कि मुख्य मंत्री को ही जेल से धमकी मिल सकती है तो उन फिरौती पर हम भी अपना-सा मुंह लेकर बैठ गये कि इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है, जब किसी जेल के अन्दर से आदमी मुख्य मंत्री को भी धमकी दे दे। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी से गुहार लगाना चाहता हूं कि जेल को कहीं अन्यत्र स्थान पर ले जायें। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

चूंकि गरीब आदमियों का मसला है और आपने घंटी बजा दी है तो एक शेर कहकर मैं अपनी बात खतम करता हूं। आम आदमी की सुनो, गरीब आदमी की सुनो।

एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है,
तुमने देखा नहीं आंखों का समन्दर हो जाना।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री शंकर सिंह।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर)ः सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका ह्रदय से आभार। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी साहब को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने 27-28 फरवरी को महाकुंभ जैसी रीट की परीक्षा का सफल आयोजन करवाया। बिना किसी शिकायत के पूरे प्रदेश में रीट परीक्षा का आयोजन करवाना छोटी बात नहीं है, यह पुलिस के बिना संभव नहीं था। आप आरोप तो लगाते हैं, आरोप में ये बात बता रहे हैं कि ये आरोप है, लेकिन तीन अंगुली वापस अन्दर आ रही है, इसकी तरफ झांककर देखना चाहिए कि हम आरोप भी लगाना चाहते हैं। यहां अपने को आठ करोड़ जनता को द्वारा चुनकर भेजा जाता है। सिर्फ कानून में क्या सुधार होना चाहिए, अपराधियों के ऊपर अंकुश कैसे लगे? नया कानून क्या होना

चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर यह समय पास कर रहे हैं, इसको अपने को नहीं करना चाहिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नया कानून बनायें ...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): नया कानून नहीं, कानून के अन्दर सुधार होना चाहिए। पिछली सरकार में रीट तो छोड़ो, छोटी-मोटी परीक्षाओं में ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वही आरोप लगा रहे हैं।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): आप तो बोलने नहीं देते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमको कह रहे थे, खुद उसी पर आ गये।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अब यह तो आपकी बात है। पिछली सरकार में रीट को तो छोड़ो, छोटी-मोटी परीक्षा भी होती थी, उसमें भी पेपर आउट होते थे। सारे अपराधी नाथी के बाड़े में ही मिल जाते थे। यह सरकार की शह पर नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था? हम आरोप नहीं लगाना चाह रहे हैं, यह हकीकत बताना चाह रहे हैं, आप भी थे और हम भी थे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नाथी का बाड़ा कहां है?

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): इन्हीं को पूछो, अता-पता तो यही बता पायेंगे। ये प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, ये बतायेंगे।

हमारी सरकार के आने के बाद पुलिस निश्चित रूप से मजबूत हुई है, उसको संबल मिला है। ब्यावर में एक वैश्य परिवार के सामूहिक विवाह में 25 लाख के जेवर लेकर अपराधी चले गये थे। मैं वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि एमपी में जाकर कड़िया गैंग को पकड़कर वहां से सारा सामान बरामद करके, उसमें से एक रुपये भी कम नहीं, सारा का सारा, ईमानदारी। अपन आरोप लगाते हैं कि पुलिस चोर है। थोड़ा अन्दर भी झांककर देख लिया करें। आप ऐसे मत आरोप लगाओ। उन्होंने एक रुपया का खर्च नहीं होने दिया, उन्होंने मिट्टी तक, सारा सामान वापस लाकर दिया और कड़िया गैंग का सामान एमपी से लाना, किसी नाहर के जबड़े से कोई सामान खींचकर लाने का काम है, वह खतरे का खेल पुलिस ने किया है। धन्यवाद भी देना चाहिए। सारे पुलिस वाले अपराधी, चोर नहीं होते हैं। पुलिस को आप बदनाम करते हैं कि पुलिस चोर है, पुलिस यह कर रही है। आप ईमानदारी का काम नहीं देखते हैं। हां, कोई एकाध आदमी कहीं बदमाशी कर लेता है तो मैं उनके लिए भी सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिस पुलिस के अधिकारी ने भी अगर कोई गलत किया है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। पूरे पुलिस प्रशासन को उसी को टेढ़ी नजर से देखते हुए, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि कानून में पुलिस के ऊपर जो धब्बा लगता है, उसमें भी सुधार हो।

आज विजयनगर के अन्दर जिस प्रकार से बेटियों के साथ में कारिंदों ने जो अपराध किये हैं, उसमें जिहादी मानसिकता के लोगों का ज्यादा नाम आया है। मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए तुरंत अपराधियों को पकड़ने का काम किया और उनको पकड़कर अच्छी सलाखों में डालने के लिए भी उन्होंने काम किया है, लेकिन मेरी सरकार से

मांग है कि इसमें जगह-जगह से ऐसे अपराध घटित हो रहे हैं। आज कोटा का भी आया, और जगह का भी आया, लेकिन ये सब वे अपराधी हैं, ये पुरानी सरकार के टाइम के बचे हुए आदतन, वे भूले नहीं हैं, ऐसे हिस्ट्रीशीटरों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। बहू-बेटियों पर हाथ डालने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, विजयनगर बंद रहा, ब्यावर बंद रहा, कल अजमेर बंद रहा, जगह-जगह लोगों का आक्रोश है, हमारी सरकार को कह रहे हैं कि यह पहले की सरकार के जैसे नहीं इसके अन्दर सख्ताई होनी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वे इस प्रकार का अपराध नहीं कर सके। आज कोर्ट हो, आर्य समाज में, कहीं भी लड़कियां शादी कर लेती हैं। मेरा उसमें निवेदन है कि जिस प्रकार लड़कियां भागकर जाती हैं या लड़के भगाकर ले जाते हैं, अब आरोप लड़के पर लगे या लड़की के ऊपर लगे, लेकिन उस लड़की के मां-बाप की ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि वे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते हैं। पुलिस के द्वारा लड़कियों को पकड़कर लाते हैं तो 164 के बयान के अन्दर, वह लड़की मां-बाप को पहचानने के लिए मना कर देती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से, माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप रिप्लाई दें, उसमें थोड़ा-सा इस बात पर जरूर सख्ताई से काम लें कि उसके अन्दर मां-बाप की उपस्थित में 164 का बयान होना चाहिए। बिना मां-बाप की सहमति से, चाहे वह किसी भी समाज की हो, लेकिन बिना मां-बाप की सहमति से शादी को मान्यता नहीं मिले। ऐसा भी एक कानून बनना चाहिए। साथ में, मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुलिस को मजबूत बनाया जाये और पुलिस को जो साधन देते हैं, हमें तेज गति से भागने वाले साधन उनको देना चाहिए। पुलिस के कांस्टेबल, छोटे से लेकर बड़ों तक पेमेंट की बात जो मेरे से पूर्व काफी भाइयों ने उठायी है, मैं उसको दुबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनका भी पेमेंट बढ़ना चाहिए, ताकि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। जब पैसा जेब में रहेगा तो कोई चोरी करने का काम भी नहीं करेगा। आप अपराध का मामला कह रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए.. अपराध का मैं बताऊं। 2019 में 42 हजार 740 मुकदमे दर्ज हुए, 2020 के अन्दर 35 हजार 963, 2021 में 42 हजार 757 और 2022 में 47 हजार 105, 2023 के अन्दर 46 हजार 348 मुकदमे। हमारी सरकार आने के बाद, यह भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहिए, आप आंकड़े तो बता रहे हैं, उलटे-सीधे, असत्य आंकड़े बताकर, मैं बताना चाहता हूं, दुष्कर्म और हत्या के मामलों में 26.67 प्रतिशत की कमी आयी है। हत्या के मामले में 15.25 परसेंट की कमी आयी है। डकैती के मामले में 13.33 परसेंट की कमी आयी है। लूट के मामलों में 30.36 परसेंट की कमी आयी है। चोरी के मामलों में 34 परसेंट की कमी आयी है, दुष्कर्म के मामलों में 34 परसेंट की कमी आयी है। महोदय, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सुशासन आया है। अपराधियों को तो खैर पकड़ना चाहिए, लेकिन सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इस पर कंट्रोल की वजह से आंकड़ों में कमी आयी है। नशा मुक्ति की बात को आपने उठाया, हम भी इस बात को कह रहे हैं, यह

पिछली सरकार की देन है, उसी समय में मैंने इस मामले को उठाया था कि स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे पुडिया बेचकर, पहले मां-बाप का कपड़ा फाड़ेंगे, मां-बाप नहीं देंगे तो कहीं न कहीं अपराध, डकैती में जायेंगे और वे किसी के भी कपड़े फाड़कर, चोरी करके भी वे नशा करेंगे।

mdp/rtm/03.03.25/18:20/3n

इस नशा से मुक्ति के लिए कोई कानून बनाना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि निश्चित तौर पर नशे पर अंकुश लगेगा तो हमारे राजस्थान में बहुत कुछ सुधार होगा। ये लोग तो रोक नहीं पाए, लेकिन हमारी सरकार को निश्चित तौर पर लाना चाहिए। अपराधी काले कांच लगाकर घूम रहे हैं। इनकी सरकार के समय में मैंने खूब आवाज उठाई थी, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। इसमें सुधार होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, किसी की भी गाडी हो, आज गृह मंत्री महोदय, पूरी सख्ताई से कानून बनना चाहिए कि काले कांच लगी हुई गाडी कोई भी राजस्थान के अन्दर जाती है, कितने भी बड़े आदमी की, अधिकारी भी होते हैं, कोई भी बड़ा होता है, उसके पर्दे लग जाते हैं, लेकिन काले कांच नहीं मिलते हैं। मेरी गाडी का था, उसका उतरवाकर चालान बना था, पिछली सरकार के टाइम, वह भी नंबर प्लेट के ऊपर था, काले कांच किसी को नहीं करना चाहिए। जो घूमता है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर हमारे को संज्ञान लेना चाहिए। एक हैड लाइट के ऊपर, पिछली सरकार ने...

श्री सभापतिः श्री रोहित बौहरा।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): एक मिनट, साहब। पिछली सरकार ने ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज मांग संख्या 18 व 19 पर..

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, एक मिनट। काले कांच पर बोल दिया, लेकिन ....(व्यवधान)... नहीं लगायी जाती है।

श्री सभापतिः आप विराजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आज मांग संख्या 18 व 19 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको पता है सबसे पहले मैं अपनी बात जेल डिपार्टमेंट से शुरू करूंगा। हमारी जेल्स पूरे राजस्थान में शहरों के अन्दर आ गयी हैं। पूरी जेल्स आ गयी हैं। हमें पुरानी जेल सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। पुरानी जेल सब सिटी में आ गयी हैं, उनको ध्वस्त करिए, उनको लीवरेज करिए, उनको ऑक्शन करिए। नई जेल बनाइए विथ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, तब जाकर ये मुख्य मंत्री जी को, आपको बाहर से, जेलों से जो मिल रही हैं, वे बंद हो जाएंगी। यदि आपने नहीं किया तो ये कंटीन्यूसली चलता रहेगा। जब तक आप लीवरेज नहीं करेंगे इस लैंड बैंक को, बाहर नहीं जाओगे, कैदियों को

सुविधा नहीं देंगे, तब तक यह काम नहीं होगा।

दूसरा, इन जेल पुलिस वालों को भी, जितने जेल पुलिस मैन हैं, उनको आप एट पार ट्रीट करना पड़ेगा। पुलिस वालों के एट पार ट्रीट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, भेदभाव करेंगे, पिछली सब सरकारें ये भेदभाव करती आयी हैं। नया प्रयोग कीजिए, नया उनको काम दीजिए और नयी उनकी सैलेरी बढ़ाइए। मैं आज सिर्फ बात इस पर नहीं कर रहा कि आपने क्या किया? मैंने क्या? मैं पुलिस सुधारों पर बात कर रहा हूं। आज जितने थाने हैं, उसमें रोज आपको एक इंफोर्मेशन मिल जाती है कि आज ये लड़की इसके साथ भाग गयी, ये चली गयी। थानेदार दिनभर ही ये काम कर रहे हैं। आपने एडिशनल एस.पी. लगा दिये डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, क्यों नहीं ये काम आप उनको देते हैं? उनके पास कोई काम नहीं है। आधे टाइम वे खाली बैठे हैं। आप ये सब चीजें उनको क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। ये वीमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं, ट्रांसफर इट। उनको एक स्टॉफ दीजिए जिससे वे तहकीकाम करें इन सब चीजों की। जब आपने आदमी लगा ही दिए हैं, तो उनको काम दीजिए। आप काम उनको पूरा नहीं दे रहे। आप काम अभी-भी थानों पर दे रहे हैं।

तीसरी चीज, आज आप क्या डीजल दे रहे हैं एक थाने पर। क्या गाडी में डीजल दे रहे हैं। आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने बजट बढ़ा दिया। 300 लीटर डीजल। हम खुद करप्ट कर रहे हैं। कोई और करप्ट नहीं करता, हम खुद करप्ट करते हैं। उनको मोटर साइकिल के लिए आप पेट्रोल नहीं देते। थानेदारों को, पुलिस वालों को, वे अपनी जेब से भराते हैं। आज 300 लीटर आप देते हैं, 300 लीटर में तो उस थाने की परिधि में वह दो बार निकलेगा थाने से, वह 10 लीटर रोज का तो डीजल वैसे ही खतम कर जाए। कौन करप्ट कर रहा है? करप्ट हम और आप कर रहे हैं। जब तक हम सुधार नहीं लेकर आएंगे, तब तक ये गाडी आगे नहीं चलेगी।

आप पुलिस लाइन का क्या बजट देते हैं रिपेयर एंड मेंटिनेंस का? बहुत बड़ी तोप से बात कर रहे हैं, दो लाख रुपये। पूरी पुलिस लाइन का। जितनी पुलिस लाइन है, आप दो लाख रुपये का बजट देते हैं। क्या दे रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं? आपकी गाडियां 8-8 साल पुरानी हो गयी हैं। जो दौड़ नहीं सकती हैं, क्यों नहीं आप एम.एल.ए. फंड से पैसे ले लेते हो। हमने दिया है एम.एल.ए.फंड में से, गाडियां दी हैं। मेरे फादर ने गाडियां दी हैं। एम.एल.ए. फंड से दो-दो गाडियां दी हैं। Why can’t se set an example? आप कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए डी.जी. साहब, आप सब एम.एल.ए. से रिक्वेस्ट कीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो हम एम.एल.ए. फंड से आपको गाडियां प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी पुलिसिंग बैटर हो सके। यह इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा। लीजिए आप इनिशिएटिव।

दूसरी चीज, मैं कहना चाहूंगा कि आप व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं साहब? आप व्हीकल का इंश्योरेंस ही नहीं कराते हैं। जितनी पुलिस व्हीकल्स हैं, किसी का इंश्योरेंस नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, जो ड्राइवर है उससे आप कहते हैं इसको ठीक करा दे। What are we doing? Are we policing or we are making a mockery of

the system? सिस्टम को मोकरी बनाकर रख दिया, आप और हमने, दोनों ने मिलकर। आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा गाडियों का। ड्राइवर से कोई गलती हो जाती है, आप और हमारे से भी गलती हो जाती है तो हम इंश्योरेंस से क्लेम ले सकते हैं। वह गाडियों का क्लेम कहां से ले, वह अपनी जेब से दे क्योंकि वह कांस्टेबल है। उसकी गलती क्या है? आप उसको 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 16-16, 18-18 घंटे उसको काम में ले रहे हैं। Why can't you give him a leave? आपके यहां यह सिस्टम नहीं है कि आप 7 दिन में उसको एक भी लीव देते हो। देते हैं तो आप जवाब देना मंत्री महोदय इस चीज का। यदि आपने सैंक्शन की हो लीव्स। आपके थानेदार 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं और स्पेशियली ईस्टर्न राजस्थान में तो जो बुरा हाल है उनका। आपने कुछ सोचा? हम क्या करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, लास्ट इयर का बजट लिया, इसमें बढ़ा दो 10 परसेंट, इसमें 5 परसेंट, but where is our innovative thought. Where are our police going? Where are we giving this innovative thought about how to improve the system? There is no one who is talking about how to improve the system. Why can't we improve the system? आप एक्स कॉडर पोस्ट क्यों नहीं बढ़ाते है, साहब। एक्स कॉडर पोस्ट बढ़ाने में क्या दिक्कत है आपको? क्या राजस्थान के आर.पी.एस. ऑफिसर्स हैं, उनकी एक्स कॉडर पोस्ट नहीं बढ़े, क्यों नहीं बढ़े? Are they not liable? राजस्थान एक ऐसी जगह है, जहां सबसे ज्यादा टाइम लगता है किसी भी आर.पी.एस. आफिसर को आई.पी.एस. आफिसर बनने में। Why are we doing this? हम यह भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इसका भी आप जवाब दे देना मंत्री महोदय। जो आपने कॉडर रिव्यू, नये जिले बनाए हैं, उसमें आपने कॉडर रिव्यू क्यों नहीं किया? आपने फाइल भेज दी। आप कॉडर रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? यह समझते नहीं हैं, नहीं समझा देंगे। ....(व्यवधान).... आप क्या सैंक्शन कर रहे हैं। सुनो, आप सुनो, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, फिर भी आप सुनो। आप एक सफाई कर्मचारी को ....(व्यवधान).... आप एक सफाई कर्मचारी को 600 रुपये महीना देते हैं पुलिस में। 600 रुपये महीना। क्या वह अपना पेट भर सकता है? क्या वह आपकी सफाई कर सकता है, पेट भर सकता है, 600 रुपये महीने में। नहीं भर सकता है। उसको इन्क्रीज कीजिए। कही से भी पैसा निकालिए, उसको इन्क्रीज कीजिए। वह भी ह्यूमन बीइंग है। वाल्मीकि समाज से आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ह्यूमन बीइंग नहीं है। वह भी ह्यूमन बीइंग है। 600 रुपये में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वह सफाई कर दे।

आपका फूड एक्सपेंडीचर, आप एक सिपाही को दस रुपये रोज देते हैं पुलिस ड्यूटी पर। क्या मजाक है? दस रुपये में बताइए कहा खाना मिल जाएगा। चाय भी नहीं मिलती है। उसको इन्क्रीज कीजिए। उसको इन्क्रीज कीजिए। यदि दिमाग हो तो इन्क्रीज करा लीजिए। ये कौन पुलिस वाले हैं, जो इसको इन्क्रीज नहीं करना चाह रहे। मंत्री महोदय, आप राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे, पुलिस वाले इतनी दुआ देंगे आपको। आपको पावर मिल जाएगी ट्रांसफर पोस्टिंग की, मैं कह रहा हूं आपको। कर दीजिए ये। अनाउंस कर दो उनकी पे-ग्रेड 2400 से 3600 करा दो। आज आपको इतनी दुआएं मिलेगी, and soon you will be a

Cabinet Minister. मैं बड़ा खुश होऊंगा कि कम से कम ईस्टर्न राजस्थान से एक कैबिनेट मिनिस्टर तो मिला होम मिनिस्ट्री में, जो कम से कम ट्रांसफर-पोस्टिंग कर सके। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि ये पुलिस रिफार्म्स की बहुत जरूरत है। पुलिस रिफार्म्स यदि आपने हमने नहीं किए और गैंग्स्टर फोर्स बना दी। न आपके पास बंदूकें हैं, न कारतूस है, न कुछ है, क्यों गैंग्स्टर फोर्स बना रहे हैं। कुछ भी आपके पास नहीं है। You don't even have proper secret funds. जो आप फंड इस्तेमाल कर सको। आपके SPs, DGs, ADGs उनके पास कोई फंड है क्या? जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हैं, उनके पास कोई फंड है? जिससे कि वे कुछ एस्पोइनेज कर सके, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज को कर सके, कहीं पैसा दे सके जिससे फाइंड आउट कर सकें, नहीं।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप सब यहां आकर बात करते हैं बड़ी-बड़ी कि हमने क्रिमिनल एक्टिविटीज खतम कर दीं। No. You have not done anything. And you will not do anything for the next three and half years, I am sure.

श्री सभापतिः विराजिए आप।

Ans/rtm 18.30 3o 03.03.2025

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 18 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं काफी समय से देख रहा था कांग्रेस के भाई हमारी सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे। एक वर्ष का समय हो गया लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना कहीं भी घटित नहीं हुई, जिस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप कांग्रेस वाले लगा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी रोहित जी बता रहे थे, उनसे पहले, वे अभी बाहर जा रहे हैं, वे सदस्य भी बता रहे थे। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कांग्रेस की सरकार के समय क्या- क्या मामले हुए। मैं बोलना कुछ और चाहता था लेकिन इन्होंने जो बातें कही है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 2018 से 2023 के बीच जब इनकी कांग्रेस सरकार थी तो दर्जनों ऐसे मामले हुए ...(व्यवधान)... आप, रोहित जी, सुनो, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। सबसे पहले, सरमथुरा के अन्दर डकैत वन विभाग में पुलिस की शह पर जो खनन का कार्य कर रहे थे, बहुत बड़ा मामला उछला था। तूंगा में एक थानेदार का प्रकरण हुआ था। थानागाजी के अन्दर दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की सरकार के समय उस महिला के साथ क्या हुआ था।

इसके अलावा, जयपुर में कावड़ियों पर हमला इनकी सरकार में हुआ। मन्नू शर्मा हत्याकाण्ड इनकी सरकार में हुआ। लालसोट में एक व्यापारी के साथ पांच लाख की लूट इनकी सरकार में हुई। बहरोड़ थाने पर दिन दहाड़े फायरिंग करके पपला गुर्जर को भगाकर ले गये जेल से इनके राज में, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। महावीर मीणा

हत्याकाण्ड, दिन दहाड़े उसको गोली मार दी, आज दिन तक उसका अता-पता नहीं चला। मैं इनके काम बता रहा हूं ना, इन्होंने क्या किया? बाबूलाल वैष्णव पुजारी हत्याकाण्ड बूकना करोली में, भू माफियाओं ने उसको जिंदा जला दिया था आपकी सरकार में, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। आपके राज में सवाई माधोपुर में सेक्स रैकेट कांड हुआ था। विकेश मीणा हत्याकांड छोटी उदेई गंगापुरसिटी में हुआ था, यह सब आपके समय की बता रहा हूं, हमारे तो एक साल में कोई हुआ ही नहीं, व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। एक महुवा में शम्भू पुजारी हत्याकाण्ड हुआ था। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः शांति से सुनिये।

श्री राजेन्द्र (महवा): हमारी सरकार ने उसकी जांच के आदेश दे दिये, आप निश्चित रहे। आपने आज तक इन मामलों में कोई आदेश जारी नहीं किए। यह सारा हमारी सरकार कर रही है। शम्भू पुजारी हत्याकाण्ड महुवा के अन्दर हुआ था। भू माफियाओं ने दिन दहाड़े पुजारी को मार दिया था, उसी को लेकर आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने आपकी सरकार के समय सिविल लाइन पर धरना दिया था। महेन्द्र हत्याकाण्ड भी सवाई माधोपुर में हुआ था, आपकी सरकार में इतने हत्याकाण्ड हुए, इतने बलात्कार कांड हुए, आज तक के 70 साल के इतिहास में, पूर्ववर्ती सरकार के समय जितने मामले हुए आज तक नहीं हुए।

आदिवासियों को मजदूरी के नाम पर खरीद फरोख्त करने का काम आपकी सरकार के समय आप लोगों ने किया। बुद्धिप्रकाश मीणा, लालसोट जो आपकी सरकार से गायब थे, चार साल तक आपकी सरकार उस बुद्धिप्रकाश को नहीं ढूंढ पाई, इससे बड़ा कृत्य आपकी सरकार में और क्या हो सकता है।

मूक बधिर 15 साल की बच्ची से अलवर में गैंगरेप कांड हुआ था, विपक्ष के नेता यहां बैठे हैं, उनको पूरी जानकारी है, लेकिन वे इस विषय पर बोल नहीं पाएंगे। आदिवासी महिला के साथ प्रतापगढ़ में गैंगरेप हुआ। रामनिवास जाट हत्याकांड आपकी सरकार में हुआ। +++ मण्डरायल गैंगरेप आपकी सरकार में हुआ। हनुमान हनुतिया, सरपंच निवाई जिला टोंक की हत्या आपकी सरकार के समय हुई। हाउसिंग बोर्ड, सवाई माधोपुर में +++ को मुसलिम समाज का एक लड़का उस बच्ची को वहां से किडनेप करके लेकर गया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन करके सरकार को झुकाने का काम किया और हमने 24 घंटे में उस लड़की को लाने का काम किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): फोन टेपिंग का भी बोल दो।

श्री राजेन्द्र (महवा): यह हमारे घर परिवार का मामला है ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, राजस्थान को देश के सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। 1951 में स्थापित, राजस्थान पुलिस के लगभग 95,000 कर्मचारियों वाला एक मजबूत पुलिस बल है, जो पिछले कुछ वर्षों से संगठन, उपकरण, परिचालन तकनीक, रवैया और दृष्टिकोण में लगातार विकसित हुआ है।

पिछले 73 वर्षों में, चाहे वह चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक हो या संगठित आपराधिक हो, गिरोहों का आतंक या 1040 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से जासूसों, तस्करों, नशीले-आतंकवादियों और विध्वंसक तत्वों की नापाक मंशा, राजस्थान पुलिस की कहानी उपलब्धियों को हमेशा गौरवान्वित करती रही है।

अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास की परिकल्पना को हमारी सरकार बखूबी निभा रही है। पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण काम, पुलिस में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसमें भी हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है।

सभापति महोदय, पुलिस की 24 घंटे की डयूटी रहती है, बड़ा तनाव रहता है, इसलिए सदन के माध्यम से मैं जो उनकी कुछ असुविधाएं हैं उन असुविधाओं के लिए मेरी सरकार से मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से लागू करें।

पुलिस कांस्टेबल की भर्ती योग्यता ग्रेजुएशन व कम्प्यूटर डिप्लोमा लागू किया जाए। आरएसी/एमबीसी एवं अन्य राज्यों की पुलिस की तर्ज पर पुलिस में से सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पद का लोप किया जाए। कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक डीपीसी से टाइम स्केल पदोन्नति प्रक्रिया लागू किया जाए। पटवारी/ग्राम सेवक की तरह 9 साल में प्रथम एसीपी वेतनमान ग्रेड पे 3600 लागू किया जाए। वर्तमान में मैस भत्ता 2400 रूपये हैं जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्टल के छात्र की रोस्टर डाईट से भी कम है, उसे बढाकर 6 हजार किया जाए। आठ घंटे की ड्यूटी निर्धारित करते हुए सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए। वर्तमान में वर्दी भत्ता सालाना 7 हजार मिलता है, उसे भी बढ़ाकर 10 हजार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र महवा में पुलिस तंत्र को और मजबूत करने के लिए पुलिस थाना महवा एवं मण्डावर में एक-एक नई गाड़ी की मंजूरी करें। साथ ही रात्रि गश्त हेतु नगर पालिका क्षेत्र महवा/ मण्डावर एवं महत्वपूर्ण क़स्बे बालाहेडी, बैजूपाडा, लोटवाडा, गढहिम्मतसिंह, खेडला बुजुर्ग एवं शिक्षा का कैम्पस नयां गांव आवासीय विद्यालय, देवनारायण विद्यालय अमरपुर में पुलिस ज़ाब्ता बढ़ाया जाए। साथ ही महवा मुख्यालय पर साईबर थाना खोलने की मांग रखता हूं।

इसके अलावा कस्बा बालाहेडी, ग्राम पंचायत मुख्यालय कोट एवं लोटवाडा में नवीन पुलिस चौकी खोली जाए। साथ ही पुलिस चौकी रसीदपुर एवं खोहरा मुल्ला को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जाये, ताकि अपराध पर रोक लग सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, आपने मुझे गृह व कारागार पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब हमारे कई विपक्ष के साथी बोल रहे थे तो बार-बार संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर शब्द विलोपन का कह रहे थे कि आप अधिकारियों पर यह आरोप नहीं लगाएं। आप करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। आपके साथी हम पर बार-बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। आरोप लगाने का काम विपक्ष के साथियों

का होता है। आपके पास सत्ता है, आपके पास एजेंसियां हैं, अगर आपको लगता है कि हमने भ्रष्टाचार किया है तो आप जांच करवाइये, आपको कौन रोक रहा है। आप जांच करवाइये आय से अधिक सम्पत्तियों की, लेकिन आप उसके साथ-साथ जांच स्वयं की भी कराइये, अधिकारी दीर्घा में बैठे उन तमाम अधिकारियों की भी कराइये, आपको पता चल जाएगा किसने भ्रष्टाचार किया।

जब हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अधिकारी दीर्घा में बैठे अधिकारी हँसते हैं कि कारण तो हम हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग एक दूसरे पर, अपने पर आरोप लगा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि भ्रष्टाचार किनकी वजह से हो रहा है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, भ्रष्टाचार हमेशा होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। किसी ने यह नहीं सोचा कि इस भ्रष्टाचार को हम कैसे रोके। अगर मंत्री जी यह दावा करते हैं तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं आप सदन में खड़े होकर शपथ के साथ कह दे कि हमारे राज के अन्दर कोई भी अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है, कोई भी पुलिस का अधिकारी मंथली रिश्वत नहीं लेता, कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी पैसा नहीं लेता, हम आपको मान जाएंगे, आप जांच करवा ले।

आरोप-प्रत्यारोप लगाना आसान है, लेकिन हमे सोचना होगा कि इस पर हम कंट्रोल कैसे करें, इसको कैसे कम करें। दिन प्रतिदिन हमें इस बात पर मंथन करना होगा कि पुलिस की जो गरिमा थी, पहले जो उनका मान-सम्मान किया जाता था, उनकी इज्जत होती थी, आज वह दिन प्रतिदिन क्यों घटती जा रही है। पुलिस अधिकारियों की इज्जत क्यों कम होती जा रही है, हमें यह सोचना होगा। मैं यह नहीं कहता कि तमाम अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, लेकिन एक मछली भी तालाब को गंदा कर देती है।

VPS-RTM-03.03.2025-18.40-3p

हमें उन अधिकारियों की लिस्ट बनानी होगी, उन अधिकारियों को चिह्नित करना होगा कि जिनके जिलों में थानों की बोलियां लगती हैं, हमें वह चिह्नित करते हुए उन पर हमें कंट्रोल करना होगा तब जाकर हम क्राइम को रोक सकते हैं। आज मेरे हनुमानगढ़ जिले की मैं बात करूं कि इतना नशा वहां पर बिक रहा है, चाहे वह चिट्टे की बात करें, चाहे वह मेडिकेटेड नशे की बात करें, चाहे वह जहरीली शराब की बात करे, चाहे वह अवैध शराब की बात करे, कार्यवाही हो रही है लेकिन जिस तरह से आप बारबार बोलते हो न कि यह तो मछलियां पकड़ रहे हो, मछलियां पकड़ रहे हो, मगरमच्छों को नहीं पकड़ते, वह कार्यवाही नाम मात्र उन नशीले पदार्थ पर होती है, जिससे कि उनकी जमानत हो जाती है मगरमच्छ हमारे हाथ में नहीं आयें। अगर पुलिस चाहे तो एक सुई भी उनकी सीमा में नहीं घुस सकती तो फिर आज इतने बड़े चिट्टे, दारू, यह बड़े-बड़े ट्रक कैसे हमारे सीमा क्षेत्र में आ रहे हैं। हरियाणा से लेकर गुजरात तक अवैध दारू, जहरीली शराब जाती है, वह कैसे सहन हो रहा है? क्योंकि यह सब मिलीभगत होती है। आज की पुलिस के पास जो पहले मुखबिर हुआ करते थे, उनकी कमी आ चुकी है। उन मुख़बिरों की वजह से पुलिस बड़े से बड़ अपराधियों को पकड़ा करती थी।

पुलिस की लाठी में मैं कहता हूं वह जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं है। अगर पुलिस अपने पर आये तो पाताल में से ढूंढकर भी अपराधी को पकड़ सकती है और नशे पर पूर्ण रोक लगा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, 2009 में मेरे चक राजासर हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों की रात को निर्मम हत्या कर दी गयी। पिछले कई सालों से सी.बी.आई. भी जांच कर रही है, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ। पवन व्यास हत्याकांड को जब हम याद करते हैं कि जसाना के पंचायत घर के अन्दर दिनदहाड़े उस पंचायत घर में उसकी हत्या कर दी गयी, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। अगर पुलिस चाहे तो उन अपराधियों को पकड़ सकती है, लेकिन हमें यह संदेह होता है कि जो शुरुआती अनुसंधान हुआ था, कहीं न कहीं उसमें कमी रह गयी, इस वजह से वे अपराधी आज बाहर हैं, वे आज पकड में नहीं आ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पहले जो होता था आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, आज तो यह सब उलटा हो चुका है। आम जन में तो यह डर पैदा हो चुका है और अपराधियों में एक विश्वास जाग चुका है, क्योंकि जहां भी थाने के अधिकारी के पास बात करें, जो बड़े-बड़े अपराधी जो इस दो नम्बर का काम करते हैं, जो भू-माफिया है, शराब माफिया है, वे थानों में बैठकर पंचायती करने का काम इस राज्य में कर रहे हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। यह दर्द सिर्फ विपक्ष के साथियों का ही नहीं है, सत्ता पक्ष के साथी जिन्होंने सरकार की तरफ से आज इस डिमांड में शुरूआत की थी। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य जो कि एक सीनियर सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं उनका भी दर्द इस सदन के अन्दर झलका था कि उनके भी जिले के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ये सत्ता पक्ष के साथियों ने भी आरोप, माननीय सभापति महोदय, लगाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे साथी इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में दो-दो परसेंट की कमी आयी है। शर्म आनी चाहिए आपको, एक भी कोई कत्ल होता है, एक भी वह रेप होता है तो सरकार के लिए पूरी शर्मनाक घटना होती है और आज आप पीठ थपथपा रहे हो कि हमारे कार्यकाल में तो दो परसेंट की कमी आ गयी। हत्या के प्रकरण एक साल में 1607 आपके प्रकरण दर्ज हो गये, अपहरण के 10629 दर्ज हो गये, बलात्कार के 6482 दर्ज हो गये, चोरी के 43869 प्रकरण प्रकरण दर्ज होने के बाद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि आपके राज से हमारे में दो परसेंट की कमी आयी है। शर्म आनी चाहिए सत्ता पक्ष के सदस्यों को, यह बहुत ही घिनौना काम है। जब मर्डर होता है, रेप की घटनाएं होती हैं, सबकी पीठ उघाड़ी होती है, किसी के साथ भी यह वारदात हो सकती है लेकिन सामूहिक रूप से हमें यह प्रयास करना होगा कि इस तरह की घटनाओं पर कंट्रोल हो और एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ पुलिस हमारा काम करे।

माननीय डी.जी. साहब भी यहां पर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का एक कांस्टेबल था, सुभाष-2202 जो गंगानगर में चुनावों के दौरान 2015 में पदस्थापित था, उसे

चक्कर आया, कोमा में वह चला गया और आज दस वर्षों से वह कोमा के अन्दर है। हमारी सरकार थी, एक नियम भी हमने यह बनाया था कि सम्पूर्ण दिव्यांग के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी। मेडिकल बोर्ड से उसको सौ परसेंट सम्पूर्ण दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी मिला है, तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि नियमों में शिथिलता देते हुए उसके परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति दी जानी चाहिए क्योंकि दस वर्षों से उसके परिवार की दयनीय स्थिति है। आपके ही परिवार का वह सदस्य रहा है। कांस्टेबल था। चुनाव ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप नियमों में शिथिलता देते हुए उसके परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति देने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार की तो वह बात हो गयी जो कहावत है- ऊंची दुकान फीके पकवान, थोथा चना बाजे घना। बातें तो ये बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर इनका कोई काम नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि-

रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं,
मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं,
मुझे मोम न समझो, जो झट से पिघल जायेगा,
मैं वह सूरज हूं जो डूबकर निकलना भी जानता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर पूर्व में एक मेघाना की चौकी स्वीकृत हुई थी, जिसका संचालन भी शुरू हो चुका है, जमीन भी आवंटन कर दी गयी है और अस्थाई भवन भी दे दिया गया है, लेकिन सवा साल से उस चौकी को आपने बंद कर दिया है, उसमें किसी भी स्टाफ को आपने नहीं लगाया। मैंने कई बार एस.पी. साहब से बात भी की है, तो मेरा वह निवेदन है कि मेघाना चौकी स्वीकृत की गयी थी, उसका संचालन किया जाये। तीन-तीन पुलिस थानों की बिल्डिंग्स का मेरे यहां पर काम चल रहा है लेकिन सरकार ने बजट रोक रखा है, वह काम धीमी गति से चल रहा है, यह भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा और जितने भी थानों में हमें नफरी को बढ़ाना होगा, हमें संसाधन उनको देने होंगे, अच्छी गाड़ियां उनको देनी होंगी, अच्छे हथियार हमें देने होंगे और कांस्टेबल्स की सारी पीड़ा जो सबने बताई कि कांस्टेबल्स का भी हमारा जो भत्ता है, चाहे वह यात्रा भत्ता हो, चाहे वह मैस का भत्ता हो या अन्य किसी भी तरह का भत्ता हो क्योंकि लास्ट कांस्टेबल हमारे इस डिपार्टमेंट में अंतिम कड़ी है, हमें उसे आगे बढ़ाना होगा, उसको मजबूत करना होगा, जिससे कि वह बीट अधिकारी के रूप में हमारी सेवा कर सके और अपराधियों को पकड़ सके।

आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री शत्रुघन गौतम।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18 और 19 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए हृदय के अंत:करण से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण महकमे की यहां विधान

सभा में अनुदान की मांग पर बहस है। यह आठ करोड़ जनता के हित से जुड़ा हुआ मामला है गृह और कारावास। यह उन्हीं लोगों से है कि आज आप और हम यहां सब मिलकर इस सदन में बैठे हैं तो पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम अमन-चैन से सोते हैं तो पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आज जिस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में बनी हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में या किसी भी चीज को देखे तो आज सब सिपाही ड्यूटी करके आता है तो जब तक वह घर नहीं पहुंचता शाम को तो उसकी मां को चिंता होती है, उसकी बहन को चिंता होती है, उसकी बेटी यह सोचती है कि मेरे पापा घर आये या नहीं आये और आज किसी भी परिस्थिति में, अभी रविन्द्र सिंह भाटीजी ने कहा कि कोरोना वायरस और कोरोना के अन्दर आम आदमी घर से निकलने से डरता था लेकिन वह ही पुलिस का नौजवान था जो मुस्तैद खड़ा था कानून-व्यवस्था को बनाने के लिए। यह वह ही जवान है, आज पुलिस कहीं किसी के घर में अगर सांप भी आता है तो पुलिस के नौजवान को फोन करते हैं, किसी के घर में कोई समस्या होती है, यदि कोई पुलिया पर पानी अधिक हो और खुद की मनमानी से जाता है और वह डूब जाता है तो चार दिन पुलिस का नौजवान उस नदी के सहारे-सहारे और हम जैसे परिजन और हम जैसे नेता यह कहते हैं कि यह क्या हुआ? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के थाने के अधिकारी, अभी बहुत से साथियों ने यह कहा, यह पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है। अभी आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य, मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने इनकी सरकार को यदि सही सलाह दी होती और इनकी सलाह इनके मुखिया ने मानी होती तो आज वे उधर नहीं बैठते, आज इधर बैठते और भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर बैठते। इस सदन के अन्दर, पवित्र सदन में राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चन्दजी कटारिया भी रहे। जब गुलाब चन्दजी कटारिया गृह मंत्री थी और पुलिस का लाठीचार्ज होता था और किसी पुलिस के सिपाही का सिर फूट जाता था तो वे इस सदन में रोते थे और यह कहते थे कि मेरी पुलिस को नहीं पिटने दूंगा, यह पुलिस मेरी है।

पांच साल तक, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये बजरी की बात कर रहे थे अभी। बामनवास से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं बजरी की बात तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि बजरी पहले छोटे-छोटे तहसील स्तर पर रॉयल्टी वसूल की जाती थी लेकिन 2012 के अन्दर तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने 2013 के अन्दर एक कानून बनाया और 1100-1100 हैक्टेयर की लीजें दीं। अक्टूबर, 2013 में वह लीजें स्वीकृत हुईं और वह लीजें स्वीकृत होने के बाद बजरी में एकाधिकार हो गया। एक व्यक्ति का पूरे प्रदेश में एकाधिकार हो गया तो कौन जिम्मेदार है बजरी के लिए?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी 2023 में सितम्बर में बनास नदी में गाद निकालने का काम किसने दिया और किस की सहमति से वह हुआ? माननीय सभापति महोदय, यहां आकर आरोप लगाना, यह कहें हम कि यह गलत है, यह

नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदार लोग हैं, यह पवित्र सदन है और इस सदन में हम जिम्मेदारी को समझें। हम आरोप लगा देते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यही राजस्थान था। अभी आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नहीं सहेगा महिलाओं पर, माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा के अन्दर एक बेटी को, 16 साल की बेटी को, जवान बेटी को जिंदा जला दिया जाता है और यहां पर सदन के अन्दर एक जिम्मेदार मंत्री वक्तव्य देते हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है, यह मर्दों का प्रदेश है, माननीय सभापति महोदय, वे किसी भी दल के हों, लेकिन ऐसी परिस्थितियां, आप खुद चिंतन करिये कि आपके मंत्री कितने जीतकर आये इस सदन के अन्दर, क्या परिस्थितियां हुईं, क्या आकलन हुआ, कौन जिम्मेदार है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह पुलिस है। आज हम अगर अध्यापक बनाते हैं तो अध्यापक बनाने के लिए एस.टी.सी. करवानी पड़ती है, बी.एड. करवानी पड़ती है, डाक्टर बनने के लिए चार साल के लिए एम.बी.बी.एस. करना पड़ता है।

ssy/rtm/03.03.2025/18.50/3q

इंजीनियर बनने के लिए 4-5 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, लेकिन हम एक सीधी परीक्षा पास कराकर, पुलिस के नौजवान को 9 महीने की ट्रेनिंग देकर भर्ती करते हैं। वह सीआरपीसी, आईपीसी को नहीं जानता है। हम एक परीक्षा पास कराकर थानेदार बनाते हैं और वह थानेदार आईपीसी, सीआरपीसी को ढंग से नहीं पढ़ सकता।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि एक ऐसा इंस्टीट्युट होना चाहिए जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी चाहिए। पहले उस एग्जाम को पास करके, इस तरह का काम हो कि वह वास्तव में ट्रेनिंग करके आये।

आप खुद सोचें कि हम पेपर लीक की बात करते हैं, यह सब विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं। सरकार आरपीएससी का चेयरमैन बनातीहै। आरपीएससी के सदस्य बनाती है। एक ऐसा सदस्य बनाया आपने जिसने पेपर दे दिये। वह जेल की सलाखों के पीछे है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

ऐसे लोग भर्ती हो गये और वह 9 महीने की ट्रेनिंग करके थानेदार बन गये। वह कोर्ट की शरण लेकर, माननीय न्यायालय में जाकर वापस आ जाते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर, यह एक नैतिक जिम्मेदारी है। राजस्थान के अन्दर एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए इस तरह के इंस्टीट्युशंस हों जिनको बी.ए. की, इस तरह की डिग्री हो जिससे कि वह पुलिस के अन्दर सिपाही का एग्जाम फाइट कर सके।

आज पुलिस का व्यक्ति, पुलिस का नौजवान, मैं कहता हूं कि सिपाही से लेकर डीजीपी तक एक वर्दी होनी चाहिए। पुलिस का सिपाही अपने आपको कुंठित नहीं समझे। जो 24 घंटे मुस्तैदी से नौकरी करता है, ना वह होली मनाता है, ना दिवाली मनाता है, ना राखी मनाता है। अपने परिवार की खुशियों को ताक पर रखकर अपनी ड्युटी करता है। समाज के लिए

यह चिंतनीय विषय है।

एक पुलिस वाला जो 24 घंटे 48 डिग्री टेम्परेचर पर सड़क पर खड़ा रहता है, बारिश हो, कोई सा भी मौसम हो, उस नौजवान की तनख्वाह के बारे में हम सबको सोचना चाहिए। आप जो विपक्ष में बैठे हैं, वे माननीय सदस्य कह रहे हैं, राजाखेड़ा से आने वाले कह रहे थे कि कैडर रिव्यू के लिए आपने क्या किया? मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारें थीं, यहां के आरएएस अफसर और आरपीएस अफसर 24-24 साल की नौकरी में आईएएस और आईपीएस नहीं बनते। उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

कैडर रिव्यू के लिए आपकी सरकार ने प्रपोजल भेजे थे पूर्ववर्ती समय में। 5 परसेंट भी नहीं भेजे। उस फाइल को पढ़ना चाहिए। यहां आकर, हम विपक्ष में हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ भी बोल दें? हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हरियाणा और पंजाब में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मात्र 9-10 साल की सर्विस में आरएएस अफसर आईएएस बन जाता है। आरपीएस अफसर आईपीएस बन जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 1998 के टाइम का सबको पता है। कोर्ट में कौन गये? किसकी मेहरबानी से गये?

सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर बढ़ते हुए अपराध हमारे लिए चिंता का विषय है। नारकोटिक्स के, एनडीपीएस के मुकदमे यह बहुत बड़ी चुनौती है। आज राजस्थान का नौजवान, आज राजस्थान का युवा, आज राजस्थान का विद्यार्थी इस तरफ बढ़ रहा है। यह सफेद नशा, यह सामान्य नशा नहीं है। यह बहुत अलग नशा है और इस नशे के लिए हम सबको मिलकर एक प्रभावी कानून बनाना चाहिए। नारकोटिक्स में जो तफ्तीश की प्रक्रिया है, यह बड़ी गहरी है। यह बड़ी लंबी है कि कौन इसको गिरफ्तार करेगा? उसके बाद तफ्तीश कौन करेगा? इसमें सरलीकरण होना चाहिए। एनडीपीएस, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से मिलकर इसमें इस तरह का प्रभावी कानून बने तो राजस्थान की जनता के लिए हित होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज विजय नगर में जो घटना घटी है, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने उसके बारे में कहा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज वो पांचों बच्चियां मेरे से मिलकर, मैंने डीजीपी साहब से और मुख्य मंत्री जी से मिलाया। वह 16, 17 साल की बच्चियां युवावस्था में प्रवेश कर रही हैं। उन बच्चियों को एक योजनाबद्ध तरीके से, एक समाज विशेष के लोगों ने सीडी बना के, वीडियो बना के उनके साथ बलात्कार करने का काम किया है। वो कोई नहीं, कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं जो हाकिम अंसारी नाम है। आप तो चिंता नहीं करते।

मैं कहना चाहता हूँ सदन के मेरे सभी साथियों से, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हों, वो बेटियां हमारी भी हैं। आप लोग भी सब एकजुट हो कर और सारे विपक्ष के सदस्य ये कहें कि यह बेटियां पहले हमारी है। हम वोट के चक्कर में बोले नहीं, एक समाज विशेष के हैं, क्यों नहीं बोलें? अजमेर का फोटो ब्लैकमेल कांड, राजस्थान उससे चिर परिचित है। राजस्थान में क्या हुआ फोटो ब्लैकमेल कांड में? लेकिन क्या नहीं हुआ और अब सजा हुई है,

40 साल के बाद।

माननीय सभापति महोदय, विजय नगर वाली घटना पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एसआईटी का गठन होना चाहिए। उन बेटियों के लिए एक महिला अधिकारी डेप्युट होनी चाहिए। वह महिला अधिकारी तफतीश करे। वह महिला अधिकारी उनको सुरक्षित करे। एक मिसिंग लड़की है +++, उस +++ से जांच होनी चाहिए। यह जांच का विषय है।

घटना स्थल पर एफएसएल का रिकॉर्ड होना चाहिए। हथियार बरामद होने चाहिए। गिरोह बनाकर जो संगठित अपराध कर रहे हैं, जिनके लिए बाहर से फंडिंग होती है कि इस लड़की को फंसायेगा, इस लड़की से प्यार करेगा तो तुझे इतना पैसा मिलेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। वे ऐसे षड्यंत्रकारी लोग, ऐसा कानून बनना चाहिए कि भविष्य में हिम्मत नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि संसाधनों की कमी है। आज सरकार के पास कुछ भी है, ये हमारे पास नहीं है, यह पहले से चली आ रही है। लेकिन हम सभी सत्तापक्ष के विधायक उनसे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप के माध्यम से कि थाने पर हमारे पास गाड़ियां नहीं हैं। हम कानून की बात करें। यह हम सोचें कि यह अपराधियों के पीछे भागें। थाने पर हमारे पास कंडम गाड़ियां हैं तो सभी विधायक अपने विधायक कोष से कम से कम 20 लाख रुपये पुलिस महकमे को दें। इससे हमारी गाड़ियां दुरुस्त हो, हमारा सिस्टम दुरुस्त हो।

आज मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोबाइल फोरेंसिक लैब, राज्य स्तर पर उपयोग में लिए जाने वाले टूल्स, मोबाइल फोरेंसिक लैब राज्य स्तर पर स्थापित होनी चाहिए। इससे मैं यह टेबल करूंगा कि बहुत सारी चीज़े जो राजस्थान पुलिस के लिए उपयोगी हैं, कानून के लिए उपयोगी हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह भी जरूरी है कि इन संसाधनों के बिना, आज जिस तरह से डिजिटलाइजेशन का फ्रॉड हो रहा है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो रहा है। जिस तरह से चीटर, बड़े-बड़े लोग साइबर अपराध करते हैं। साइबर अपराध से निपटना सामान्य बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार में डॉ. अर्चना शर्मा की एक घटना घटी और एक पूर्व विधायक जो उसमें अनुसूचित जाति के लोगों के पक्ष में जाते हैं। उनके खिलाफ़ सरकार मुकदमा दर्ज करके, 51 दिन जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन न्याय पालिका में हमको भरोसा है और वह हमारे विधायक न्यायपालिका से बाइज्जत बरी करेंगे। हमारे को इस पर गर्व है। लेकिन सरकारों से मैं तो यही कहूंगा कि सरकार इस तरह का कोई काम नहीं करे। कोई भी सरकार हो जो इंटेन्शनली हो, जिसके पीछे कोई कारण हो।

सभापति महोदय, आज बजरी माफिया कभी पुलिस वाले को कुचल देते हैं, कभी फॉरेस्ट वालों को कुचल देते हैं। ऐसे प्रभावी कानून बनने चाहिए कि इस तरह से करने वाले क्योंकि बजरी में जो घटनाक्रम हुआ है, बजरी में सब जानते हैं, यह सामान्य चीज़ थी, लेकिन इसके

पीछे गलती हुई। गलती हुई, ये सब जानते हैं किस से हुई, लेकिन इसमें प्रभावी कानून बनाकर काम होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज जेल की बात करें। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा अच्छी बात है, ये जेलें आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले बनाई गई थी। जेल से संगठित अपराध शुरू होता है। आज चाहे अजमेर की जेल हो, कोटा की जेल हो, जयपुर की जेल हो, उदयपुर की जेल हो, ये शहर के बीच में हैं। जेल के अंदर मोबाइल उपलब्ध हो जाते हैं। जैमर काम नहीं करते।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जेलें बाहर हो, वहाँ से सरकार उसको दूसरे उपयोग में ले। कॉमर्शियल उपयोग में ले। लेकिन जेलें शहर से बाहर दूर संचालित होनी चाहिए। उसमें जैमर लगें और मोबाइल फोन का उपयोग जेल में नहीं हो। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि जेल में सुविधाएं होनी चाहिए। जेल में काहे की सुविधा? जो जेल जाने वाला है 98 परसेंट, 95 परसेंट अपराधी है। अपराध करके गया है तो जेल में जाने के बाद उसको पता चलना चाहिए कि मैं जेल में क्यों आया हूं। उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सब जेल होनी चाहिए क्योंकि हमारे यहां जेल नहीं होने से अपराधियों को, बंदियों को 80-90 किलोमीटर अजमेर ले जाया जाता है। उसमें पुलिस को दिक्कत होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जो हार्डकोर बंदी हैं, जो सभी बंदी हैं, आजकल मोबाइल का जमाना है, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सारी तफतीशें, उनको तारीख, पेशी पर नहीं ले जाने के बजाय वीसी के माध्यम से जेल के अन्दर ही कोर्ट की तारीख, पेशी होनी चाहिए। उसमें पुलिस को बहुत असुविधा होती है। हार्ड कोर क्रिमिनल हो, चाहे कोई सा भी क्रिमिनल हो, पूरी व्यवस्थाएं लगानी पड़ती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे यही कहते हुए कि हमारे भजन लाल जी की सरकार आने के बाद पुलिस तंत्र मजबूत हुआ है, पुलिस तंत्र काम कर रहा है। अभी माननीय बामनवास से आने वाली सदस्या कह रही थीं कि एक अधिकारी को उदयपुर में किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने 4 साल तक, साढ़े 4 साल तक उन अधिकारियों को कहां रखा? उनकी कहां पोस्टिंग रही? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज आरोप लगाना, कोई भी बात कहना सामान्य बात है। किसी भी बात पर आरोप लगाकर, चर्चा में हमारे बड़े नेताओं पर आरोप लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, आज डॉ. किरोड़ी लाल जी की इतनी चिंता है।

spp/rtm/03.03.2025/19.00/4a

तो उस समय विपक्ष में जब डॉ.किरोड़ी लाल जी थे तो उनकी बात मान ली होती तो

उधर नहीं बैठते, इधर बैठते माननीय।

आपने फोन टेपिंग में पूरे राजस्थान में रिकार्ड बनाया। फोन टेपिंग में क्या हुआ? कुछ अधिकारियों का तो काम ही फोन टेपिंग का था। कुछ अधिकारियों का तो मतलब ही यह था, उनकी क्रीम पोस्टिंग इसीलिये रही कि वह फोन रिकार्ड करके शाम को जाते हैं कि, साहब, यह आदमी यह बात कर रहा है। इसके लिये आपको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने फोन टेपिंग कराया। हमारा ओ.एस.डी. लोकेश शर्मा, यह राजस्थान की नहीं पूरे देश के मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमसे फोन टेपिंग करायी गयी। इसको तू खत्म कर देना। इस सी.डी. को लैप्स कर देना। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। एक इतने बड़े नेता, जिसके लिये विपक्ष के माननीय सदस्य के मुंह से या हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी के मुंह से राजस्थान में यह नहीं निकला कि हमने यह गलत किया है। आज चिंतनीय विषय है कि आप यह जो बात कर रहे हैं, डॉ. किरोड़ी लाल जी की चिंता कर रहे हैं, आपने जब चिंता कर ली होती कि सचिन पायलट साहब के फोन रोज टेप होते थे तो आप विपक्ष में नहीं बैठते, आज आपकी दिल्ली में इतनी कम सीटें नहीं होती। आज राजस्थान में आप भजन लाल जी की पर्ची सरकार कह रहे हो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक पर्ची बहुत महंगी पड़ेगी। यह पर्ची 25 साल तक राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः डॉ.शिखा मीलजी।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग 18 और 19 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आभार। जब हम बचपन में बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनोगे? बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है बड़े जोश से कि हमें पुलिस बनना है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इन्होंने जो गलत बोला है, उसको एक्सपंज किया जाये।

श्री सभापतिः दिखवा लेना इसको।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): बच्चों का बड़े जोश से जवाब होता है कि हमें पुलिस बनना है, हमें चोरों को पकड़ना है, हमें क्रिमिनल्स को पकड़ना है। यह जो खाकी वर्दी है, वह बड़ी किस्मत से मिलती है, इसलिये इसकी लाज भी रखी जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो एस.आई. भर्ती में घोटाला हुआ, कोर्ट के आदेश भी आये, सब सबूत भी हैं पर फिर भी सरकार उस एस.आई. भर्ती को निरस्त नहीं कर पा रही है। इसके पीछे क्या मजबूरियां हैं, वह सरकार ही समझ सकती हैं। पर जिस भर्ती की जड़ों में ही भ्रष्टाचार है, वो लोग इस समाज को अच्छी पुलिसिंग कैसे देंगे, यह हमें विचार करने योग्य है। आम जनता की सुरक्षा को एंश्योर करना सरकार की एक महत्वपूर्ण रेस्पांसिबिलिटी है। डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस, सफाई कर्मचारी यह सभी इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी अतिरिक्त बढ़ जाती है। हमारी पुलिस की टैग लाइन है'आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय' पर आज स्थितियां उलटी नजर आती हैं। दुर्भाग्य है कि

आमजन में भय है और यही नहीं पुलिसकर्मियों में भी भय है। पुलिसकर्मियों में भय है या तो राजनीतिक दबाव का या कोई ट्रेक्टर से कुचले जाने का। भयमुक्त हैं तो सिर्फ अपराधी या कुछ मुट्ठीभर भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी।

पिछले एक साल में अखबारों की सुर्खियों में विकास की गति, कल्याणकारी योजनाओं की जगह अपहरण, दुष्कर्म, गुमशुदगी, बजरी माफिया, भू-माफिया, साइबर क्राइम, नशे से युवाओं पर मार, आत्महत्याएं, इन सबने ले ली है। यह कैसा सुशासन है?

माननीय सभापति महोदय, मेरा इसके साथ सुझाव है कि स्कूली बच्चों के करिकूलम में जूडो कराटे के लिये, आत्म सुरक्षा के लिये ट्रेनिंग भी अनिवार्य की जानी चाहिए। इस सत्र में हमारा सत्ता पक्ष अधिकारियों को लेकर अत्यधिक संवेदनशील नजर आ रहा है। बढ़िया भी है पर इन संवेदनशीलता के आगे सत्ता पक्ष की और सरकार की जो जनता के लिये जवाबदेही है और जनता के मुद्दे उनके लिये गौण होते नजर आ रहे हैं। पहले भी मैंने कहा है कि यह जो विधायिका और कार्यपालिका का असंतुलन अब बनाया जा रहा है, यह जरूर ही आत्मघाती सिद्ध होगा और यह जनता के लिये नुकसानदेह सिद्ध होगा।

माननीय सभापति महोदय, अगर पुलिसिंग की बात करें तो हमारे चोमू में धोबलाई में एक परिवार को अपने प्रियजन की जान गंवानी पड़ी भू-माफियाओं के हमले में। इसमें खास बात यह है कि पुलिस का रेस्पोंस टाइम देखिये। जो घटनास्थल वहां के थाने से, वहां के डिप्टी आफिस से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, पुलिस को वहां पहुंचने में और पुलिस को सूचना मिलने में एक से डेढ़ घंटे का फर्क रहा। जब पुलिसकर्मियों से पूछा जाता है कि कारण क्या रहा? तो कभी बताया जाता है नफरी नहीं है, गाड़ी नहीं है, प्रोटोकॉल में थे पर जो अनकही बात है वह यह भी है कि हममें कहीं न कहीं संवेदनहीनता है और निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जगह-जगह चौकी और थाने स्थापित करने भर से ही यह नहीं होगा। हमें हमारा काम, खासकर पुलिस को बहुत संवेदनशीलता से काम करना होगा।

ए.सी.बी.की अगर बात करें तो पहले भी मैंने यह मुद्दा उठाया। चोमू के एक राजस्व विभाग के अधिकारी के खिलाफ ए.सी.बी. द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गयी, पर राजनीतिक संरक्षण में अधिकारी भी यथावत हैं और जाहिर है कि भ्रष्टाचार भी यथावत है। शिकायतकर्ता को अब परेशान किया जा रहा है। उसी अधिकारी द्वारा जमाबंदी जो दी गयी है, उसमें उसकी जमीन कम कर दी गयी है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारियों के लिये आपका संरक्षण समझ में आता है, पर अधिकारी इस सरकार और जनता के सामने चेहरा होते हैं, अगर वह चेहरा भ्रष्ट होगा तो सरकार भ्रष्ट कहलायेगी। जिम्मेदार विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि हम सत्ता पक्ष को आईना दिखाएं जो हम बखूबी निभा रहे हैं।

पुलिसकर्मी बहुत ही विषम और स्ट्रेसफुल परिस्थितियों में काम करते हैं। अंडर-पेड भी हैं। इस मंहगाई के दौर में अगर मैं मेरी मांगों की बात करूं तो इस मंहगाई के दौर में उन्हें मैस भत्ता पांच हजार रुपया प्रस्तावित किया जाना चाहिए। बढ़ते अवसाद की स्थितियों को देखते

हुए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। हार्ड ड्यूटी अलाउंस के तौर पर अतिरिक्त पांच हजार रुपये रिस्क भत्ते के तौर पर दिये जायें। पिछले सत्र में यह मैंने मांग उठायी थी और अभी फिर से मैं उसे रिपीट करती हूं कि कांस्टेबल की ग्रेड-पे, बहुत सारे यहां पर माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि कांस्टेबल की ग्रेड-पे 3600 रुपये की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की मांगों की बात करूं तो 2018 में बांसा टोल के प्रकरण में 38 लोगों पर राज्य सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। 2023 में कालाडेरा में उज्जेनिया परिवार, जिसने सड़क हादसे में अपना बेटा खो दिया था, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, तो मेरा गृह राज्य मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा इस मुकदमे को वापस लिया जाये। कालाडेरा, गोविन्दगढ़, सामोद थानों पर जितने भी वाहन हैं, वो साढे तीन लाख, चार लाख जितना चल चुके हैं, वह इस स्थिति में ही नहीं हैं कि इमरजेंसी के टाइम ठीक से वहां पर पहुंच पायें। बहुत ही जर्जर अवस्था में वह वाहन हो गये हैं। इन थानों पर वाहन प्रोवाइड कराये जायें। वहां पर उन्हें आवासीय क्वार्टर भी प्रोवाइड कराये जायें। मंडा और हस्तेड़ा चौकी पर वाहन दिये जायें। वीर हनुमानजी मन्दिर, जिस पर हजारों पर्यटक श्रद्धालु रोज आते हैं, वहां पर एक चौकी स्थापित की जाये। जैतपुरा जो अभी नशे का गढ़ बन चुका है, दुर्भाग्यपूर्ण है, वहां पर भी एक चौकी स्थापित की जाये।

माननीय सभापति महोदय, चोमू थाने पर सभी स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां की जायें। खासकर हैड कांस्टेबल्स की काफी कमी है, उस पर ध्यान दिया जाये। चोमू में अभी ट्रैफिक व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है और हाईवे पर बहुत सारे कुछ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, उससे पहले भी ट्रैफिक व्यवस्थाएं सही नहीं थीं, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हाड़ोता कट, जयपुरा और राधा स्वामी कट, उदयपुरिया कट पर अतिरिक्त ट्रैफिक कांस्टेबल दिये जायें। वहां पर पुलिस को एक इंटरसेप्टर वाहन भी प्रोवाइड कराया जाये।

अंत में, मैं नेहरूजी को कोट करना चाहूंगी-

'आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे,

हम उन्हें जिस तरह पालेंगे,

उससे देश का भविष्य तय होगा।'

और ऐसा वातावरण बनाने में पुलिस की एक अहम भूमिका होती है। उम्मीद है आज की यह सारी चर्चा बहुत ही सार्थक और प्रोडक्टिव साबित होगी। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिन्द। जय संविधान।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18-गृह और मांग संख्या-19 कारागार पर बोलने के लिये मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार वास्तव में अपराधियों के ऊपर लगाम कसने में कोई कसर बाकी नहीं

छोड़ी है। मेरे से पहले वक्ताओं ने सभी इस सरकार के समय में अपराधों में जो कमी आयी है, वह आंकड़े भी बताये, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। मैं तो आपको इतना ही बताऊंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किशनपोल चौकी है और सूरजपोल थाना है, उस थाने के एरिया में जितने भी अपराध होते हैं, वह एक एरिया है जिसमें ही पनपते हैं और वहीं पर शह देते हैं। जो किशनपोल चौकी है, वहां पर हमारा निर्दोष कन्हैयालाल साहू की हत्या करना हो और चाहे देवराज की हत्या करना हो। आज कन्हैयालाल हमारे बीच में होता मगर पूर्व सरकार से कन्हैयालाल साहू ने पुलिस को कहा कि मुझे ऐसे धमकी दे रहे हैं।

jyg/rtm/03.03.25/19.10/4b

पुलिस ने कोई उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। पुलिस ने यह कहा कि कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। उसने डर के मारे, पांच दिन तक डर के मारे दुकान बंद रखी, वो दूसरे जो अपराधी थे उनको बुलाकर उनके बीच में बात करा दी किआपको कोई कुछ नहीं कहेगा और फिर वो सात दिन दुकान बंद करने के बाद में वो गया तो परिणाम यह हुआ कि उसकी हत्या कर दी गयी। अगर पुलिस वालों ने, उस टाइम पर पूर्व सरकार ने संज्ञान ले लिया होता और उस अपराधी पर अंकुश लगा दिया होता तो कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती।

अभी मेरे से पहले जो बोलने वाले विपक्ष के बौहरा जी बोल रहे थे, बोले कि यहां पर यह जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनका इतना भत्ता बढ़ा दो, उतना बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे भाई, आपको पांच साल जनता ने मौका दिया था, आपने क्यों नहीं बढ़ाया? हमारी सरकार तो संज्ञान लेगी और अच्छा करने का प्रयास करेगी मगर बोलने से पहले आपने क्यों नहीं किया?

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे पहले मेरा भाई, ट्राइबल से आने वाले गणेश जी घोगरा भी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पांच साल में आपकी सरकार थी, आप पुलिस के सामने वहां पर उनके खिलाफ धरने पर क्यों बैठे? आपके सत्तारूढ़ पाटीक्का विधायक होते हुए, आपकी बात नहीं मानी तो वो सरकार ऐसी सरकार थी, जिनके विधायकों की बात नहीं मानी क्योंकि उनको तो उनकी सरकार बचानी थी। हमारे किरोड़ी लाल जी के लिए जो कह रहे हैं कि फोन टेपिंग की और वो बात कर रहे हैं, उनके नेता जो वास्तव में उप मुख्य मंत्री, जिनके लिए टेप के लिए ये मतलब इतने कह रहे थे तो उसकी जांच क्यों नहीं करवायी, उसको उजागर क्यों नहीं किया, जो सचिन जी को, +++ को, कहां-कहां उनको होटलों में रहना पडा और उनके महीनों भर जो सारे के सारे जनता कोरोना में तड़प रही थी और ये होटलों में राज कर रहे थे उस समय ये क्यों नहीं सोचा क्योंकि इनको सरकार बचानी थी, सभी विधायकों को खुली छूट दे दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे विधायकों को फ्लैट देने थे, मैंने मेरा फ्लैट लेने के लिए 50 हजार में मैंने फ्लैट बुक कराया था। ...(व्यवधान)... आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। ...(व्यवधान)... मैंने इसलिए

कहा कि हमारे विधायक की पूर्व सरकार ने उनकी बात नहीं मानी।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)... आप बैठें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): ...(व्यवधान)... आपने मेरा नाम लिया है।। ...(व्यवधान)...

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आप सदस्य हो। ...(व्यवधान)... आप सदस्य हो, ...(व्यवधान)... सदन के सदस्य का नाम ले सकते हैं, बाहर के सदस्य का नाम नहीं लेंगे मगर आप पहले भी विधायक थे, आज भी विधायक हैं इसलिए आप सुनो।

श्री सभापतिः आपस में बहस नहीं करें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, +++ सचिन, ये सचिन जी +++, एक्सपंज कराओ। यह क्या मजाक बना रखी हैं?

श्री सभापतिः भाषा जो ठीक नहीं हो, एक्सपंज कर दें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में ये होटलों में थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना में जो मरीज परेशान थे उनकी सेवा में लग रहे थे। उसी की बदौलत है कि वो इधर हैं और हमारे कार्यकर्ता और सभी उसकी वजह से इधर हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे उमेड़ा एक ऐसा एरिया है जहां चौकी है, मेरी डिमांड रख देता हूं, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आप फिर घंटी बजा दोगे तो मेरा रह जायेगा। मेरे उमेड़ा की चौकी बरसों पहले बनी थी, उसके अन्दर मेरी चार पंचायतें कुरागढ़ में पड़ती है, वो 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि उमेड़ा के अन्दर पुलिस चौकी को थाने में तब्दील किया जाये और हमारे किशनपोल की चौकी को भी जो वहां पर सारे के सारे अपराधी वहां पर रहते हैं, बहन-बेटी वहां पर जा नहीं सकती, उसको दिन में भी वहां पर जाने में संकोच रहता है, इसलिए किशनपोल को भी स्थायी चौकी को थाना बनाया जाये। यही नहीं काया में चौकी बनायें क्योंकि वहां पर हाईवे का बेल्ट पड़ता है। आये दिन पत्थरबाजी हो रही है, लूट-खसोट हो रही है, इसलिए वहां पर चौकी बनायी जाये। हमारे उमेश्वर चौकी अस्थायी है उसको स्थायी बनाया जाये। भोये की पचौली चौकी अस्थायी है, उसको भी स्थायी बनाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके माध्यम से हमारे जो पुलिस के जवान है, जो वास्तव में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की योग्यता ग्रेजुएशन व कम्प्यूटर डिप्लोमा लागू किया जाये। वर्तमान समय में कार्य अधिक कम्प्यूटराइज्ड होने से समस्या आती है। कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक डीपीसी, टाइम बाउण्ड पदोन्नति प्रक्रिया लागू की जाये। पटवारी की तरह 9 साल में प्रथम एसीपी ग्रेड-पे 3600 लागू की जाये। पुलिस को वर्तमान में साइकिल भत्ता मात्र 150 रुपये ही दिया जाता है जो वर्तमान में समय को देखते हुए मोटरसाइकिल भत्ता मासिक कम से कम 3 हजार रुपये होना चाहिए। वर्तमान समय में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए पुलिस अधिनियम 2007 की पालना में अनुसंधान

सेल तथा लॉ एण्ड ऑर्डर ड्यूटी के लिए पृथक्-पृथक् सेल का गठन किया जाये। वर्तमान समय में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपकरण पुलिस को उपलब्ध कराये जायें एवं उसके लिए दक्ष कर्मचारियों की अलग से भर्ती की जाये। थाने में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कांस्टेबलों की काफी कमी है, इस हेतु भर्ती कर कमी को पूरा किया जाये ताकि पुलिस थाने अधिक क्षमता के साथ अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। सीसीटीएनएल लागू होने के बाद थानों में हर कार्य कम्प्यूटर पर किया जाने लगा है, इस हेतु दक्ष पुलिस कर्मियों की कमी है। इस हेतु अलग से कम्प्यूटर दक्षता रखने वाले पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाये, जिससे थानों में समयबद्ध तरीके से क्षमतापूर्ण कार्य किया जाये। कोरोना काल में हम सब डर रहे थे और पुलिस कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों की परवाह किये बिना रात-दिन अपने कर्तव्य को पूरा किया। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि पुलिस कर्मियों का हित भी ध्यान में रखें क्योंकि पुलिस कर्मी हैं इसीलिए हम सुख की नींद सोते हैं, चोर, चकोरी, डाका, डकैती, उसके लिए रात-दिन ये मेहनत करते हैं। तो मैंने ये पोइंट रखे हैं उन पर भी मतलब अमल करते हुए हमारे इन पुलिस कर्मियों के लिए भी विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि वास्तव में कैमरे लगाये जायें ताकि कोई चोरी करने वाला या अपराध करने वाला बचकर न जा सके। कैमरे की कैद में आयेगा तो पुलिस कर्मियों को भी उनको पकड़ने में आसानी होगी। इसके लिए कोई अलग से बजट रखकर जो मेन-मेन चौराहे हैं वहां पर कैमरों की उपलब्धता होगी तो हमारे प्रति अपराधों पर ब्रेक लगेगा। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में भी मैंने जिस भी थाने ने मेरे को कहां, वहां पर कैमरे की व्यवस्था विधायक फण्ड से की है, तो आप यह व्यवस्था भी करायें।

माननीय मंत्रीजी, आपसे यही अनुरोध करता हूं कि पुलिस के प्रोटेक्शन में हम जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापतिः श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं श्रीगंगानगर जिले से आता हूं जहां कानून-व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, गंगानगर में गुण्डागर्दी, चोरी, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, अवैध नशे का कारोबार फल-फूल रहा है और इनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है।

MLS/RTM/03.03.2025/19:20/4c

माननीय सभापति महोदय, हाल के दिनों में आपसी गैंगवार में तीन हत्याएं हो चुकी हैं। आमजन में बड़ा भय का माहौल है। माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र

पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, जहां आये दिन पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार व नशा आ रहा है, जो बड़ी चिन्ता का विषय है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि थानों में स्टाफ की कमी है, स्टाफ भरा जाये, ताकि अवैध तस्करी पर रोकथाम लगायी जा सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले के एसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से अवैध सट्टा, जुआ, यहां तक कि कसीनो के अवैध करोबार हो रहे हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी बरबाद हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 14 दिनों से हमारे किसान धरना लगाकर बैठे हैं। उनका यही कसूर था, उन्होंने जो किसान पानी चोरी कर रहे थे, उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया और इर्रिगेशन विभाग ने उन पानी चोर किसानों पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उलटा उन किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, सरकार इसमें संज्ञान ले और जो किसान धरने पर बैठे हैं, उन्हें न्याय दिलाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के सीओ राजनीतिक दबाव में असत्य मुकदमे करवाने में व्यस्त हैं। माननीय सभापति महोदय, पूरे गंगानगर जिले में मेरा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जहां सबसे ज्यादा एससी, एसटी के मुकदमे हुए, जो अधिकतर असत्य हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे प्रदेश की होनहार बच्ची प्रियंका बिश्नोई आरएएस की जोधपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मृत्यु हो गयी थी, जिसकी एफआईआर नं. 386/24 पुलिस थाना हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर में दर्ज की गयी है। पांच माह हो गये, अभी तक जांच अधूरी पड़ी है। उनके ससुर एडीशनल एसपी रहे हैं। वे दर-दर भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि उस होनहार बच्ची को न्याय दिलाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन संगरिया जिला हनुमानगढ़ में एनडीपीएस एक्ट में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर नं. 192/24, 6.5 किलो पोस्त बरामद हुआ। बड़े दु:ख की बात है, इस केस में भी दलित आदमी को फंसाया जा रहा है, निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है, जो अपराधी हैं, उनको बचाया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, इस ओर भी ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पुलिस थाना करणपुर में दर्ज एफआईआर नं. 159/22 में सही तथ्यों को गलत बताकर एफआर लगा दी गयी है, जबकि सरकार ने उन्हीं तथ्यों को सही मानकर उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। मेरा निवेदन है, इस प्रकरण में वापस से जांच करायी जाये और जिस अधिकारी ने एफआर लगायी है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस को मजबूत करने की जरूरत है, सशक्त करने की जरूरत है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, राजस्थान के पुलिस के जवान 24

घंटे की कठोर ड्यूटी करते हैं, इस कारण उनकी पे ग्रेड 3600 की जाये और हार्ड ड्यूटी अलाउंस 10 हजार रुपये महीना किया जाये। माननीय सभापति महोदय, डीपीसी के माध्यम से उनका प्रमोशन भी किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पुलिस में स्टाफ की कमी है, इसलिए राजस्थान में एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 ऐसे भी सक्षम है, लेकिन उसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जाना जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, पंजाब राज्य में भी एएसआई को तफतीश व सीजर का अधिकार है। माननीय सभापति महोदय, आज के इस तकनीकी युग में साइबर अपराध प्रकरण बहुत बढ़ गये हैं, जिस कारण सभी थानों में साइबर टीम लगायी जाये ताकि इस तरह के अपराधों की रोकथाम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे बन्द हैं, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो पुलिस थानों के कर्मचारी हैं, उनके पास आवासीय क्वॉर्टर्स भी नहीं हैं, उनको क्वॉर्टर्स भी उपलब्ध कराये जाएं ताकि उनको आने-जाने, रहने में दिक्कत न हो। माननीय सभापति महोदय, राज्य के होमगार्ड जवानों को पहले की तरह विराम भत्ता दिया जाये, जो फिलहाल बन्द है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कल की घटना आपको बताना चाहता हूं। करणपुर में इतनी गुण्डागर्दी बढ़ रही है, आये दिन हिस्ट्रीशीटर्स कहीं न कहीं वारदात करते हैं। मैं कल की घटना बताता हूं। हिस्ट्रीशीटर्स के हौसले इतने बुलन्द हैं, हमारा एक वकील जो अपने ऑफिस में बैठा था, हिस्ट्रीशीटर तलवार, हथियारों के साथ वहां जाता है, वकील पर हमला करता है और कोई कार्यवाही नहीं होती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के पुलिस के मुखिया भी यहां बैठे हैं, कृपया पुलिस की छवि खराब हो रही है, असामाजिक तत्वों के हौसले बुलन्द हैं, उनको कंट्रोल किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया। आज हम गृह और करागार विभाग की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वह है कानून-व्यवस्था। आप लोग जो सत्ता में आये, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा कानून-व्यवस्था का भी था। ''नहीं सहेगा राजस्थान'' जैसे नारे देकर जनता को गुमराह करने का काम किया और आज जो स्थिति है, वह आप सब लोगों के सामने है। मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, जो आज सदन में बातें चलीं, उन्हीं से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा।

हमारे डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किस प्रकार से एक एसएचओ का वहां भ्रष्टाचार था, उसको हटाया गया, उसने वापस वहां पर जमीन भी खरीदी, लेकिन यहीं पर उस पर कार्यवाही नहीं हुई, उसको प्रमोशन दिया गया, टोंक के जिले के अन्दर स्थापित किया गया, टू स्टार होते हुए भी उसको थ्री स्टार थाना दिया गया। यह सरकार उसको उपकृत

करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। यह पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे सिविल लाईन्स से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं, वे सारी बातें तो कह गये, लेकिन उसके साथ-साथ वे यह भी बता गये कि सिविल लाईन्स में क्या स्थिति है, जाम की स्थिति क्या है, ट्रैफिक के जो चौराहे हैं, वहां ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स की क्या स्थिति है। यह उन्होंने गलती नहीं की। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। यहां हम एक-दूसरे से जो झगड़ते हैं न, उसकी बजाय हमें जो कमियां-खामियां हैं और उनका हम क्या सुधार कर सकते हैं, यह चीज हमें यहां पर बतानी चाहिये। निश्चित तौर पर आपने बतायी हैं, सरकार के संज्ञान में आएंगी और मैं समझता हूं सरकार इन पर कार्यवाही करेगी।

यहां पर बिजयनगर की घटना की भी बात आयी। मैं समझता हूं ऐसा घिनौना कृत्य इस सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और खुद आपके विधायक आपकी जांच से सन्तुष्ट नहीं हैं। माननीय आसन ने व्यवस्था दी कि इसकी एसआईटी से जांच करायी जाये। केकड़ी से आने वाले सदस्य ने कहा कि इसकी एसआईटी से जांच करायी जाये, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी एसआईटी से जांच करायी जाये, तो क्या जो जांच चल रही है ...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): मैंने कहा कि सख्त कानून बनना चाहिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जिक्र किया है। माननीय सभापति जी, इसका मतलब सरकार के विधायक भी राजस्थान पुलिस की जो कार्यवाही चल रही है, उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। यह घटना अगर कांग्रेस राज में हो जाती न, आप तो दो-चार शहर बन्द करने की बात कर रहे हो, आप लोग राजस्थान बन्द करा देते, पर आपकी सरकार के अन्दर हुई है यह, इसलिए दबी जबान से आप यह बात कह रहे हैं, सर उठाकर नहीं कर रहे हैं कि ऐसे जो अपराधी हैं, किसी भी समाज के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनको बचाने का किसी का कोई मकसद नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

MKD/RTM/03.03.2025/19:30/4d

माननीय राजेन्द्र जी ने भी एक बात कही थी, महआ से आते हैं, बड़ी घटना का जिक्र किया था, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। नाबालिग बच्चियों को किस प्रकार से गुमराह करके उनका शोषण किया जा रहा है। इससे और बड़ी घटना चाहिए कोई? इतनी बड़ी घटना को भी हम बड़ी घटना नहीं मान रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, दो लाइनों के साथ कहना चाहूंगा कि:

टूटे हुए लश्कर का भ्रम देख रहे हैं,
टूटे हुए लश्कर का भ्रम देख रहे हैं,
जिल्ले इलाही का कर्म देख रहे हैं,
ताकत का नशा अक्ल पर हावी है,

ताकत का नशा अक्ल पर भारी है,
तुम ना देख पाओगे, जो हम देख रहे हैं।

यह बात श्रवण कुमार जी को कहनी थी, आप लोगों ने उनको कहने का मौका नहीं दिया, उनकी तरफ से मैंने आप लोगों को कह दी।

माननीय, राजस्थान पत्रिका ने मुहिम चलाई है, 'रक्षा कवच'। आप देखिये कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति आज राजस्थान के अन्दर है, थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि हम कहां थे, कहां आ गये, क्या सोचते थे। बेढ़म साहब, जिस दिन आपने एक बात कही, यहीं एक जवाब देते हुए कि आपके राज में पुलिस पिटती थी। सही है ना, तो आपने यह कहा 21 तारीख को, उसी दिन गृह राज्य मंत्री के जिले में, मुख्य मंत्री के जिले में उसी दिन पुलिस पिटी है, उसी दिन जिस दिन आपने यहां कहा था।

यही नहीं, अगले दिन बूंदी के अन्दर पुलिस पर फायरिंग हुई, अगले ही दिन बूंदी में। टोंक में पुलिस कांस्टेबल पर चाकू से वार हुआ। 3 तारीख को चोरी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, तीन पुलिसकर्मी घायल। 27 तारीख को धौलपुर में बजरी माफिया और पुलिस के बीच संघर्ष और इससे बड़ी बात क्या होगी आपके आरटीओ को पुलिस पकड़ लेती है, आरटीओ के इंस्पेक्टर को पुलिस पकड़ रही है, फिर उनको छोड़ रही है। समझ में ही नहीं आ रहा, कौन किसको चैक कर रहा है। आरटीओ और पुलिस इन डिपार्टमेंट्स में समन्वय बैठाओ। और तो और आपने 25 तारीख को तो नाक ही कटवा दी। झालावाड़ में मध्य प्रदेश की पुलिस आई थी, अपन तो पिटे ही पिटे, मध्य प्रदेश वालों को भी पपिवा दिया, आप लोगों ने झालावाड़ के अन्दर। आपकी ये स्थिति है। ये बातें करने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा।

कन्हैया हत्याकांड की बात हुई। कन्हैया लाल हत्याकांड के अन्दर चार घंटे के अन्दर, हमारे समय में पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया, कोई हिंसा नहीं होने दी और अगले ही दिन आपने उस केस को एनआइए को दे दिया। सीएम, सीएस, डीजी सब लोग उदयपुर गये। सीएम गये, सीएस गये, डीजी गये, सब लोग उदयपुर गये, कन्हैया लाल के घर गये। हमने पचास लाख का मुआवजा दिया। हमने उसके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी और आप लोगों ने अफवाह फैलाई कि पांच लाख रुपये दिये हैं। आप लोग कहां थे, हैदराबाद के अन्दर मीटिंग चल रही थी आप लोगों की, शान्ति स्थापित करने के लिए समय नहीं था।

आप और सुनिये। कोटा के अन्दर क्या स्थिति है? कोटा के अन्दर हम लोग, मैं स्वयं भी, हम लोग बिजली की डिमांड पर वहां धरना देने गये। यानी, मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरा तो हाथ फ्रेक्चर था, मैं तो वहां पर गया ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जी वहां गये नहीं, उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। यही नहीं, कोटा के अन्दर विधायकों पर, कांग्रेस के नेताओं पर, पुलिस अधिकारियों पर, वकीलों पर और यहां तक कि पत्रकारों तक पर भी मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं, जो कि इस लोकतंत्र का और संविधान का अपमान है। माननीय सभापति जी, इस प्रकार से चलने वाला नहीं है।

शान्त रहो। आपके मंत्री ने कहा मेरे फोन टैप हो रहे हैं। विधान सभा के अन्दर गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया कि फोन टैप नहीं हो रहे हैं। उन्होंने दो दिन बाद फिर कह दिया कि मेरे फोन टैप हो रहे हैं, तो फिर आज आप वापस दोबारा वक्तव्य दे देना कि उनके फोन टैप नहीं हो रहे हैं। उन्होंने दो आरोप और लगाये थे कि मुख्य मंत्री जी मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैं प्रधान मंत्री की सभा के अन्दर कोई बखेड़ा खड़ा कर सकता हूं या राइजिंग राजस्थान के अन्दर मैं कुछ कह सकता हूं। इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाये जा रहे हैं। ये आपके कैबिनेट मंत्री ने कहा है। दूसरी बात, आपने फोन टैप पर तो बयान दे दिया। उन्होंने यह भी कहा कि रोजाना सात करोड़ की अवैध बजरी निकाली जा रही है, तो एक छोटा-सा बयान आप उस पर भी दे देना कि बजरी निकाली जा रही है या नहीं निकाली जा रही है?

नागौर के अन्दर, जिस प्रकार से पिछले साल सवा सौ से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी बजरी खनन की, अबकी बार 16 मुकदमें दर्ज हुए हैं। अखबारों में छप रहा है कि सब कुछ खाली हो गया, माफिया बजरी निकालकर ले जा रहे हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं।

(समयः बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर के अन्दर अवैध बजरी खनन। सवाई माधोपुर, टोंक में अवैध खनन और आपके फॉरेस्ट का रेंजर आ जाए, मर्डर कर दो। टोंक के अन्दर पुलिस का कांस्टेबल आ जाए, मर्डर कर दो। ये आप लोगों की कानून व्यवस्था है। ये कानून व्यवस्था है क्या? जैसे हालात आप लोगों ने पैदा कर दिये हैं राजस्थान के अन्दर, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बड़ी मजेदार बात और सामने आई कि मुख्य मंत्री जी को ही फोन पर धमकी। फिर दोबारा आ गई और तीसरी बार भी आ गई, कमाल है।

ये हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप तो सारी जेल जो है ना वो बाहर बनवा दो, जिससे कि मुख्य मंत्री को धमकी बन्द हो जायेगी। मुख्य मंत्री का नम्बर ही चैंज करवा दो, इतनों खर्चो करवा रहे हो। यानी कि प्रदेश के मुखिया, गृह मंत्री और उसके बाद जेल के मंत्री भी वे ही हैं और जेल से मुख्य मंत्री जी को धमकी आ जाये। कमाल है, कोई मजाक बना रखा है, तीन-तीन बार।

आपके प्रदेशाध्यक्ष को धमकी और बड़े-बड़े लोगों को धमकी, ये शासन चल रहा है। ये कानून व्यवस्था है। यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

इसी प्रकार से, अभी आपने देखा होगा, दो दिन पहले भीलवाड़ा शाहपुरा के अन्दर ब्याज माफियाओं से तंग आकर दो लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों भाई, हमारा ध्यान किस तरफ है? इस प्रकार की घटना क्यों हो रही है? ऐसे ये माफिया हावी हो गये क्या? बजरी माफिया, खनन माफिया, ब्याज माफिया, भूमाफिया इन लोगों की दादागीरी चलेगी।

श्री अध्यक्षः बीच में नहीं। आपका नेता बोल रहा है, नो। वे बोल रहे हैं। आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए ऐसा लग रहा है, जैसे प्रदेश के अन्दर माफियाओं का ही राज हो रहा है। पुलिस के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि

बन्द हो थाने के पट,
ऐसा कभी होता नहीं,
लोग सोये चैन से,
बस इसलिए सोता नहीं।

आप लोग जगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे पुलिसवाले कोई माफियाओं से मिले हुए हैं, लेकिन घोड़ा तो वैसे ही दौड़ेगा जैसी लगाम आपकी हो। जो काम करने वाले लोग हैं, उनको तो बर्फ में लगा रखा है और जो सेटिंगबाज हैं, वो काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा हमको उठाना पड़ रहा है।

सबसे बड़ी बात कि पूरे देश के अन्दर 1 लाख 15 हजार स्थायी वारंटी है, इसमें से 80 हजार 500 सिर्फ राजस्थान के हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इनको पकड़ रहे हैं? क्योंकि जब वारंट जाता है, सेटिंग करके लिखकर आ जाता है, घर पर नहीं मिला और बात खत्म।

पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पुलिस अधिकारी की जासूसी की गई। पुलिस अधिकारी की जासूसी की गई। आज तक यह पता नहीं चला कि जासूसी किसने की। क्या हो रहा है, गृह राज्य मंत्री महोदय? आपके होते हुए, भिवाड़ी के अन्दर और राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष जब रिटायर हुई तो उसने कहा कि मुझे दु:ख है कि मैं एक महिला पुलिस अधिकारी को न्याय नहीं दिलवा सकी।

Bhs/Rtm/03.03.25/19.40/4e

ये महिला आयोग की अध्यक्ष के बयान हैं। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अलवर के अन्दर जिस प्रकार से पुलिस ने साइबर फ्रॉड के नाम पर वहां पर जो रैकेट चला रखा है, मैं यह बात आज से नहीं कह रहा हूं, 6 महीने से कह रहा हूं। लोक सभा चुनाव में मैंने प्रेस कांफ्रेंस की, एक दिन यहां विधान सभा के अन्दर भी मैंने कहा कि पुलिस जाती है, पचास लोगों को पकड़ कर लाती है, दो लोगों को बैठाती है और 48 को पैसे लेकर छोड़ देती है। कल क्या हुआ, पुलिस ने रेड डाली और डेढ़ महीने की मासूम को कुचल कर मार दिया। पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिये आपने, मुकदमा दर्ज कर दिया, उस बच्ची की जान वापस ले आओगे क्या? क्या उसको हक नहीं था जिन्दा रहने का? पुलिस का यह काम रह गया, लेकिन जो सबसे छोटा कर्मचारी है गाज उस पर गिरेगी।

मैं कहना चाहूंगा, गृह राज्य मंत्री महोदय, वह एस.एच.ओ., डी.एस.पी. उनकी जिम्मेदारी नहीं है अपने क्षेत्र में? और यह कार्यवाही भी तब हुई जब वो लोग एस.पी. के घर के बाहर जाकर बैठ गये तब आपको चेतना आयी कि हमें कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसे लोगों पर तो सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

यह साइबर फ्रॉड, कोरोना के बाद में साइबर फ्रॉड की रिंग टोन लगानी पड़ गयी आप लोगों को डबल इंजन की सरकार, यानी कोई एक्सीडेंट हो जाये तो एक मिनट तो पहले वह रिंग टोन सुनेगा, तब तक चाहे अगले की जान चली जाओ यह हालत हो गयी है। आप लोग कार्यवाही नहीं कर पा रहे हो। इस टैक्नॉलॉजी का, ए.आई. का कब फायदा उठाओगे आप, जब ये गरीब लोग इनके सबके खाते साफ हो जायेंगे उस समय? क्या पुलिस का जो आपका बीट कांस्टेबल है उसको पता नहीं कि कहां पर कौन साइबर फ्रॉडी है? सब पता है। खेल चल रहा है सेटिंग का। सेटिंग का खेल चल रहा है इसलिये मैं कहना चाहूंगा, इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही आपको करनी चाहिये।

मैं कुछ झलकियां बताना चाहूंगा अखबारों की। बहरोड़ में ज्वैलरी शोरूम में दिनदहाड़े लूट एवं हत्या, अलवर के बाला में ए.के. 47 की नोक पर अपहरण, अलवर में पुलिस फायरिंग और पत्थरबाजी, ब्यावर बजरी माफिया ने रैंजर वन रक्षक को बजरी से भरे ट्रैक्टर से टक्कर मारी, रैंजर की मौत। उदयपुर, घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही महिला को चार बदमाशों ने लिफ्ट के बहाने कार में बैठाया फिर गैंग रेप। जोधपुर पुलिस ने बजरी का डम्पर पकड़ा, बदमाश आये और छुड़ा कर ले गये। सीकर दिनदहाड़े चार बदमाश नाबालिग को कार में उठा ले गये, सामूहिक दुष्कर्म। सीकर में आ रही है लगातार हथियारों की खेप, बारूद के ढेर पर बैठा है सीकर। नवलगढ़ में बदमाशों ने होटल मालिक पर जानलेवा हमला किया, हाथ पैर तोड़े। जयपुर के प्रताप नगर में सात साल की मासूम से दुष्कर्म करके गला घोंट कर उसकी हत्या। सात-सात साल की बच्चियां, और आपके जोधपुर में क्या हुआ? पन्द्रह दिन तक लगातार छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप के केस। क्या हो रहा है और क्या हुआ? आपको पता ही नहीं है। खोनागोरियान थाने के सामने दिनदहाड़े फायरिंग। सुलताना में बदमाशों ने थाने में घुस कर पुलिस जीप को मारी टक्कर। पचेरी में दलित युवक की पानी का मटका छुआ तो बेरहमी से पिटाई। सांगानेर में डबल मर्डर। करघनी में चली गोलियां, जयपुर बना फायरिंग रैंज। यह अखबारों की सुर्खियां हैं। जोधपुर में अस्सी वर्षीय विधवा का दिनदहाड़े गला रेता। नागौर में स्कूल बस से उतर कर जा रही मासूम से दुष्कर्म और भरतपुर में पनोरी टोल नाके पर क्या हुआ? क्या हुआ? पुलिसकर्मी को पीटा टोल नाके पर। यह हालत हो रही है। बिलाड़ा में बन्धक बना कर नाबालिग से दुष्कर्म। गुढ़ामालानी में दलित युवक को पेड़ से उलटा लटका कर पीटा है दलित को गुढ़ामालानी में ...(व्यवधान)... सुनिये, दलितों पर क्या-क्या हो रहा है। सांचौर में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म। रामगढ़ में गैंग रेप के बाद विडियो वायरल, इससे आहत होकर बालिका ने जान दे दी। जोधपुर में स्कूल कोचिंग सेन्टर के पास धड़ल्ले से मिल रही है एम.डी. ड्रग्स। यह कुछ सुर्खियां हैं और यह और भी है मेरे पास।

मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा जो हालत हैं। आपने एक बार और कहा था, भिवाड़ी में आतंकी सेन्टर, मैंने वह बात यहां भी उठायी थी। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, अगर भिवाड़ी के अन्दर आतंकी सेन्टर चल रहा था तो वह रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिये

आप लोग आज कि सेन्टर चल रहा था या नहीं चल रहा था? चल रहा था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? और नहीं चल रहा था तो इतना बड़ा लोक सभा चुनाव से पहले बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? यह बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।

मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि 2024 में महिला अपराध के 36,299 मुकदमे दर्ज हुए हैं यानी कि हर पन्द्रह मिनट में राजस्थान में एक महिला से बलात्कार हो रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आंकड़े असत्य हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां असत्य बताओ न, अच्छा है, यह तो बहुत बढ़िया है। साल 2024 में बलात्कार के 10,629 मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं। प्रदेश में 1,607 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और 2,915 लोगों की हत्या का प्रयास किया गया और प्रदेश में अपहरण के 10,629 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, यानी हर घंटे में एक व्यक्ति का अपहरण हो रहा है। बीते एक साल में 7,339 बच्चे लापता हुए हैं, उनमें से 84 प्रतिशत 6,196 लड़कियां हैं और इनमें से अब भी 501 बच्चे लापता हैं, जिनमें 451 लड़कियां हैं। क्या कर रही है पुलिस? 2022 की तुलना में 2024 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 18.75 प्रतिशत मुकदमे बढ़े हैं। 2022 की तुलना में 2024 में नाबालिग के दुष्कर्म के मामले 10.12 प्रतिशत बढ़े हैं। 2024 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 26.32 प्रतिशत मामलों में अनुसंधान पेंडिंग है और पोक्सो के 11.73 मामलों में अनुसंधान पेंडिंग है पिछले साल के। क्या कर रहे हो आप? पोक्सो तक के मुकदमों में आप जांच नहीं कर पा रहे हो। यह बात मैं कहना चाहूंगा। एस.सी., एस.टी. के लोगों को गम्भीर चोट पहुंचाने में 2022 की तुलना में 61 प्रतिशत मामले बढ़े हैं। एस.सी., एस.टी. के अपराध के अनुसंधान में पेंडेंसी 18 प्रतिशत है, जो दलितों का प्यार बरसा रहे हो न वह यहां नजर आ रहा है किस प्रकार से आप लोग बरसा रहे हो।

यहां आपके विधायक जयपुर शहर से ही आते हैं, शायद हवामहल से महाराज साहब, वे कह रहे हैं कि जयपुर के अन्दर बांग्लादेशी रोहिंग्या रहे रहे हैं, तो दो चीज नहीं हो सकती। रह रहे हैं तो कार्यवाही करिये और नहीं रह रहे हैं तो बार-बार न्यूज बनाने से कोई फायदा नहीं है। यह आपकी ही सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। आप लोग बता दीजिये कितने लोग रह रहे हैं? और कार्यवाही करिये और जो हमारे हिन्दू भाई बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं, जरा उन पर भी बोल दीजिये। यह बात मैं कहना चाहूंगा। हालत यह है कि मुख्य मंत्री जी के काफिले के अन्दर एक एस.आई. उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, उसका यही दोष था कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, वह अपने कर्तव्य के लिए शहीद हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख का विषय है कि आज भी उसके परिजन दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? और क्या उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिये? आज ये सारे लोग हमारी सुरक्षा के अन्दर, राजस्थान की सुरक्षा के अन्दर काम करते हैं, तो पुलिसकर्मी चला गया तो चला गया कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मुख्य

मंत्री जी वहां बैठने गये थे उसके घर पर, मैं तो सोचा कि लैटर जेब के अन्दर लेकर जायेंगे कि ले बेटे, यह लैटर आपका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहां चली जाती है मानवता? कहां चली जाती है? क्यों नहीं सोचते कि वो लोग जो आपके लिए अपनी जान दे रहे हैं, उनके पीछे उनका भरा-पूरा परिवार भी था? उनको भी पापा की, भाई की, बेटे की जरूरत है, तो अगर उसके साथ राजस्थान सरकार यह फर्ज नहीं निभाती तो फिर आप लोगों की कमी है इसके अन्दर, यह मैं मानता हूं। बाबू लाल बैरवा ने आप लोगों के अधिकारी/कर्मचारियों की वजह से सुसाइड कर लिया, आपने क्या किया उस परिवार के लिए? क्या किया आपने उस परिवार के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री जी, जवाब दे देना। उदयपुर में एक दलित शिक्षक की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है।

Kas/rtm/03.03.2025/19.50/4f

आपने उस परिवार की क्या मदद की, जवाब दे देना। माननीय अध्यक्ष जी, जो पद रिक्त हैं, उनके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया। चूंकि आपने घंटी बजा दी, मैं एसआई भर्ती के लिये कहना चाहूंगा, आपकी सरकार की सब कमेटी कह रही है भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिये, पुलिस कह रही है भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिये, एसओजी कह रही है भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिये, किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिये, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? इसका भी जवाब दे देना।

मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर घोषणाएं कीं, मैं आपको एक बार बताता हूं, भवनों के लिये 15 करोड़ का प्रावधान रखा, एक रुपया खर्च नहीं। आवासीय भवनों के निर्माण पर 144 करोड़ का प्रावधान रखा, 40 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और पुलिस आधुनिकीकरण के लिये, जो आप कह रहे हो कि इनको फोर्चुनर दीजिए, इनको अच्छी सुविधाएं दीजिए, एक चवन्नी नहीं दी, कहां से दोगे, कुछ भी नहीं दिया, एक रुपये का बजट नहीं है। इनके मकानों की मरम्मत के लिये 35 करोड़ का बजट रखा था, सवा करोड़ आपने खर्च किये हैं। पुलिस के आवासीय भवनों की मरम्मत के लिये 35 करोड़ का रखा, उसमें भी 69 लाख रुपये आपने खर्च किये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, काफी बातें हैं, वो नहीं कहते हुए एक मिनट में कर्मचारियों की कुछ डिमांड्स मैं बताना चाहूंगा। एक तो कांस्टेबलों के प्रमोशन का मामला है, काफी समय से इनकी डीपीसी पैंडिंग है, कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक की बाकी है, इनको कराने का काम कीजिए। इनके जो पद रिक्त हैं, मैं समझता हूं कि 25 हजार से ज्यादा हैं, 3500 की घोषणा हुई है, उससे काम चलने वाला नहीं है, उनको आप बढ़ाइए। इनका जोखिम भत्ता आप बढ़ाइए। आरएसी की रोटेशन प्रणाली में भी संशोधन करने की जरूरत है। होम गार्ड के जवानों को अपन देते ही क्या हैं, उन लोगों को भी 12 महीने की ड्यूटी आप दीजिए, ताकि वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। उनको भी ईएसआई और पीएफ का लाभ दिया जाये और इनकी उम्र 58 से बढ़ा कर 60 साल की जाये, यह मैं आपसे डिमांड करता हूं।

कारागार विभाग के कर्मचारियों के भी 1100 से ज्यादा पद रिक्त हैं। यह बराबर डिमांड कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह और मैस भत्ते में वृद्धि, हार्ड ड्यूटी में हजार रुपये दिये जाते हैं, उसमें वृद्धि और इनकी एमएससीपी भी 10-20-30 के माध्यम से लागू करें और कैडर रिव्यू हो जाये तो इनके पदों में भी बढोतरी होगी और प्रमोशन भी हो पायेगा।

अध्यक्ष जी, मेरे पास मैटेरियल तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब आ गये तो मैं यह बात कहना चाहूंगा, खाटू श्याम जी पर पुलिस की वजह से वहां पर व्यापारियों ने पूरा बाजार बंद कर दिया है। सब लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर पुलिस प्रशासन जरूर संज्ञान ले। हालत यह है कि सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड वाले जमानत पर बाहर आ गये हैं। जोधपुर में 10 दिनों तक एक महिला की डैड बॉडी को लेकर लोग बैठे रहे और सरकार इतनी संवेदनशील थी कि उन्होंने उसकी चिंता ही नहीं की। अब तो आज का अख़बार कह रहा है कि महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री की बेटी ही सुरक्षित नहीं है। बेटी चाहे मंत्री की हो चाहे हमारी हो, सबकी बराबर है। विशेष बात यह है कि उसके साथ सुरक्षा कर्मी होने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, इस ओर भी आप ध्यान देंगे। हमें हमारे राजस्थान को अगर आगे बढ़ाना है तो पुलिस को मजबूत करें। जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनको छांटने का काम करें। आपकी घोषणा थी कि जो भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी-कर्मचारी हैं, उनकी छटनी करेंगे। बेढ़म साहब, छटनी हो जाये तो एक कॉपी मेरे को भी भेज देना, पड़ोस का ही मामला है। अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री जवाहर सिंह बेढ़म, माननीय गृह राज्य मंत्री।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक धन्यवाद और मेरे को दे दो, आपसे एक बार भी नहीं बुलवाया था, जब से समझौते में आये हो, तब से सारे जवाब भी दे रहे हो और डिमांड पर भी आप बोल रहे हो, क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जबरदस्ती धन्यवाद लें, तो जरूर दे देवें, बाकी यह हमारी सरकार की व्यवस्था है, इसमें आप काहे को टांग अड़ाई करो। यह सरकार की व्यवस्था है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक सप्ताह पहले तक कोई व्यवस्था नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: अब अपन सब शांति पूर्वक उनका उत्तर सुन लें, इधर से भी कोई डिस्टर्ब न करें।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, आज मांग संख्या 18- गृह विभाग तथा मांग संख्या 19- कारागार पर चर्चा के दौरान जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबने अपनी ओर से सरकार को जो सुझाव दिये हैं, विचार दिये हैं, गृह विभाग के 305 और कारागार विभाग के 128 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके जवाब विभाग द्वारा, वैसे तैयार भी हैं, लेकिन परसों तक सबके पास पहुंचा दिये जायेंगे। अधिकांश माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव आये हैं, उनको भी लागू करने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त

करता हूं कि आपने जो एक-एक शब्द यहां बोला है, अपने अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करके उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ध्येय है ....(व्यवधान).... गूंजने दो। मैंने तो इसलिए चालू किये हैं कि गूंजते रहे।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी को बोलने दें, आपके उत्तर रह जायेंगे। ....(व्यवधान).... अब बोलने दो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का जो ध्येय है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है। उन्होंने एक जगह उल्लेख किया है-

'प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥
प्रजा-सुखे सुखम् राज्ञः प्रजानाम् तु हिते हितम्,
न आत्मप्रियम् हितम् राज्ञः प्रजानाम् तु प्रियम् हितम्।'

उस समय तो राजा कहते थे, आज शासक हैं, इसका अर्थ है, प्रजा के सुख में शासक का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसे अपना हित दिखना चाहिये। जो स्वयं को प्रिय लगे, उसमें शासक का हित नहीं, उसका हित तो जो प्रजा को प्रिय लगे, उसमें है, इस आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महान चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक महान कहते थे कि मैं चाहे शयन कक्ष में रहूं, चाहे मैं स्नानघर में रहूं, चाहे मैं रसोईघर में रहूं, चाहे मैं अन्य किसी कार्य में व्यस्त रहूं, लेकिन मेरे मस्तिष्क में हमेशा मेरी प्रजा के कल्याण के बारे में विचार चलते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के मस्तिष्क में भी हमेशा प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण के बारे में सोच-विचार चलते रहते हैं। ....(व्यवधान).... आपकी समझ में नहीं आया?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आ गया, आ गया।

श्री अध्यक्षः नहीं तो अकेले बुलाकर बाद में समझा देना। आप शुरू करो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य देते हुए फरमाया कि चुनी हुई सरकार का काम है कि प्रदेश की जनता अपने आपको सुरक्षित महसूस करे, वह इस प्रकार के प्रयास करे कि कोई भी व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित महसूस नहीं करे। जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, जनता के सम्मान, जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करना प्राथमिकता है, जिसे निभाने का हमने हर संभव प्रयास किया है और आगे भी इस दिशा में हमारी सरकार काम करती रहेगी।

msk/rtm/03.03.25/20.00/4g

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और कई साथी यहां आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। ...(व्यवधान)... पता नहीं कहां से लेकर आते हैं, क्या उनके प्रिंटर है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पुराने पांच साल के आंकड़े पढ़ दिये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): इन्होंने बजट भी ऐसे ही एक बार पुराना पढ़ दिया था। इनका दोष नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने सही दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

राजस्थान में वर्ष 2023 में जो प्रकरण दर्ज हुए, वे 2 लाख 31 हजार 240 थे। 2024 में 2 लाख 13 हजार 351, इस प्रकार 17 हजार 889 प्रकरणों की कमी हुई। यह इसलिए हुई है कि हमारी सरकार ने आने के बाद जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाये, जिस तरह अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा, अपराधियों में भय व्याप्त हुआ। पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त हुई और उसका कारण रहा कि 17 हजार 889 प्रकरणों की कमी आयी है। हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि 2025 में भी इन अपराधों में कमी आये, इसके लिए हमने ठोस कार्यवाही शुरू कर दी। अब आप यह कहेंगे कि, आप पता नहीं कहां से आंकड़े ले आये। जूली जी, आपको भी किसी ने गुमराह कर दिया। हमें उम्मीद नहीं थी, आप तो अच्छा रखते, पता नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आंकड़ों का फैक्ट चैक करा लेना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बेढ़म साहब, बजट ही पुराना पढ़ दिया।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): हमारी सरकार बनने के बाद वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में आईपीसी और बीएनएस, बीएनएस जुलाई से लागू हो गया था। भारतीय न्याय संहिता किया, इसकी तो ताली बजानी चाहिए। आप ढोहते रहे, 70 साल तक भारतीय दण्ड संहिता को। भारतीय न्याय संहिता, आपकी समझ में ही नहीं आयी, आयेगा भी नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई नया किया हो तो बतायें।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): सभी तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के काम हमने किये हैं। जिसमें हत्या में 9.11 प्रतिशत की कमी पूरे प्रदेश में आयी है। हत्या के प्रयास में 2.61 प्रतिशत की कमी आयी है, डकैती में 15.7 प्रतिशत की कमी आयी है। लूट में 9.82 प्रतिशत की कमी आयी है। व्यपहरण और अपहरण में 1.99 प्रतिशत की कमी आयी है। जहां दुष्कर्म और नाबालिग की बात कर रहे थे, वहां भी 2.89 प्रतिशत की कमी आयी है और जो बलवे होते थे, उनमें भी 4.71 प्रतिशत की कमी हमारे राज्य में आयी है। यह आंकड़ा आपको आईना दिखाता है कि हमने एक वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है, उसी का कारण है कि अपराधों में कमी आ रही है। आप और देखिये। नकबजनी में 7.10 प्रतिशत की कमी आ गयी, चोरी में 11.48 प्रतिशत की कमी राजस्थान में देखने को मिली है। चोरी की घटनाएं कम हुई हैं। आईपीसी और बीएनएस।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 2023 में छह महीने हमारे, दो महीने आचार संहिता, चार महीने आपके। 2022 की तुलना करें, तब पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष: उत्तर हो जाये, उसके बाद।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): मैं पूरा आंकड़ा दे रहा हूं। आचार संहिता, सब उसी में है। अन्य अपराधों में 7.17 प्रतिशत की कमी पूरे राजस्थान में हुई है। अब आपको

ताली बजानी चाहिए कि हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है। आप लोग गला फाड़-फाड़कर महिला अत्याचार के आंकड़े भी पता नहीं कहां से ले लाये? मुझे लगता है कि इनके जहां पेपर छपते थे, वहीं इन्होंने आंकड़े छपवा लिये हैं। ऐसा मुझे लगता है। हमारी सरकार का जो आदर्श वाक्य है-यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आया समझ में कुछ?

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): यह नारी शक्ति के प्रति हमारा जो सम्मान है, हमारी जो संवेदनशीलता है, उसको दर्शाता है। महिला सम्बन्धी अपराधों पर रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए एवं बच्चियों तथा महिलाओं को भय मुक्त वातावरण देने के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन के प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन हेतु स्वीकृति जारी कर दी और 1 हजार कांस्टेबल के पदों की स्वीकृति हमने प्रदान की। आपने कुछ नहीं किया था। हम कम से कम एक कदम आगे बढ़े और प्रक्रिया चालू की कि महिलाओं का सम्मान रहे, उसके लिए यह काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सरकार द्वारा 340 लाख रुपये के संसाधन तथा स्कूटी, हेलमेट, वायरलैस सेट, हैंडसेट समस्तजनों को उपलब्ध करवाये गये हैं, जिसका माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी द्वारा 15/12 को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ भी कर दिया। आप कुछ नहीं कर पाये।

आप कहते हैं, हम महिला हितैषी हैं, आपने कुछ किया ही नहीं। सरकार के गठन के साथ, महिला एवं बालिकाओं को भय मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए बजट घोषणा 2025-26 के बिन्दु संख्या 51 की क्रियान्विति में सार्वजनिक स्थानों व शैक्षणिक संस्थानों पर महिला व बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छींटाकशी व अन्य अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु 65 एंटी रोमिया स्क्वाड का गठन हमने कर दिया और वह काम भी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, एंटी रोमिया स्क्वाड महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 एवं राजकॉप सिटीजन एप 'Need help' मदद चाहिए, एक एप जारी किया है। उस एप पर क्लिक करने के बाद, आज मैंने उसको चैक भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भाषण ही दे रहा हूं। उस एप पर क्लिक करने के बाद तुरंत फोन आ जाता है, 'Need help' यह प्रयास पहले हुआ ही नहीं। किसी ने सोचा नहीं। आप तो कम्प्यूटर पर पेपरों को चुराने में लगे हुए थे, हमने एप जारी कर दी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एप थी, पर होटल में माल मंगाने की नीड हेल्प थी। ...(व्यवधान)... वहां थी, नीड हेल्प।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): संसदीय मंत्री जी, यह बाद की घटना है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कल एक महिला परेशान होती रही, एक वीडियो वायरल हो रहा है। कल उसकी हेल्प कर देते।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): तुरंत निस्तारण किया जाता है। राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप महिला अपराधों में भारी कमी आयी है। राजस्थान में दुष्कर्म के

2024 में 6482 प्रकरण और आपके 2023 में 6574 थे। हम उसको कम ले आये, इसका कारण यही है कि हम सजग हैं और महिला अपराधों के खिलाफ सख्ती से हमारी पुलिस काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2023 में महिला अत्याचार के प्रकरणों की संख्या 42 हजार 174 थी, जबकि 2024 में यह संख्या 37 हजार 700 रही। 10.60 प्रतिशत की कमी आयी है। उपलब्धि है ना। ...(व्यवधान)... इन्द्रा जी, 1 परसेंट भी कम हो, महिला के सम्मान में, वह भी उपलब्धि है। कोई हिम्मत तो करें, कम करने की। ...(व्यवधान)... नहीं, वह मैं इन्द्रा मीणा जी के लिए कह रहा हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): दादी के लिए नहीं कह रहे हो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): महिला अत्याचार के सभी प्रमुख शीर्षकों जिसमें दुष्कर्म के साथ हत्या, इसमें 7.32 प्रतिशत की कमी आयी। दहेज-मृत्यु में 6.8 प्रतिशत की कमी आयी है। दहेज-आत्महत्या में 30.37 प्रतिशत की कमी आयी है। दहेज उत्पीड़न में 22.84 प्रतिशत की कमी आयी है, छेड़छाड़ में 8.63 प्रतिशत की कमी आयी है। व्यपहरण और अपहरण का मैं ने पहले भी उल्लेख कर दिया।

mdp/rtm/03.03.25/20:10/4h

2.19 की कमी आयी है और दुष्कर्म के मामलों में, मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं भारी कमी देखने को मिली है। पॉक्सो के प्रकरणों का त्वरित गति से अनुसंधान करवाया जाकर समयबद्ध रूप से निस्तारण करवाया जा रहा है। इससे पॉक्सो के प्रकरणों के अनुसंधान में लगने वाला औसत समय वर्ष 2019 में 137 दिन था, आपके कार्यकाल में। वह घटकर 2024 में 71 दिन आ गया है। आधा कर दिया है। 2024 में त्वरित निस्तारण हो, इसकी व्यवस्था हमने अभियोजन विभाग, पुलिस के हमारे इंवेस्टीगेशन आफिसर सबका तालमेल बैठाकर त्वरित निर्णय हो, त्वरित निस्तारण हो, इसकी व्यवस्था की है। राज्य में पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में 1 जनवरी 2024 से 30 नवम्बर 2024 तक हमने तीन मुलजिमों को फांसी की सज़ा दिलवाई। आजीवन कारावास 80 मुलजिमों को, 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक की सज़ा 303 मुलजिमों को और अन्य सज़ा 280 मुलजिमों को, आप कह रहे हैं, पता नहीं आप कहां से ले आए आंकडा। मैं तो बहुत सच्चा आदमी समझता था साहब आपको। पता नहीं कहां से ले आए।

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार के समय में एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा, हमने इतना किया है महिलाओं के सम्मान में, हमारा जो ध्येय है वह भी सदन के समक्ष रखा है, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो महिलाओं के बारे में क्या बोलते थे? अभी वह सदन में नहीं है। माननीय पूर्व गृह मंत्री सम्मानित वरिष्ठ सदस्य, वे महिलाओं के सम्बन्ध में जब चर्चा चल रही थी तो सदन के सामने यों हाथ रखकर कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। इन्होंने ही कहा और टोडाभीम में जब एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ, कुएं में डाल दिया गया। उस समय के इनके विधायक कहते हैं कि ऐसी छोटी-मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं।

ये इनकी जिम्मेदारी है। इस तरह के कटाक्ष और व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग आपके सम्माननीय सदस्यों द्वारा उस समय किया गया। वही तो कारण है कि नारी की हाय ले बैठी और आज आप विपक्ष में बैठे हैं।

अब देखिए, अभी श्री करणपुर से आने वाले विधायक जी आपके सामने कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि एस.सी./एस.टी. के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और वे कह रहे हैं कि एस.सी./एस.टी. के 90 प्रतिशत मुकदमे असत्य दर्ज होते हैं। तालमेल बैठाइए आप। सही क्या है। अभी माननीय सदस्य ने कहा है, सदन के सामने कहा है। वे कह रहे हैं असत्य मुकदमे दर्ज होते हैं। पता नहीं इनकी लाइब्रेरी कहा-कहा है, अलग-अलग।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): असत्य साबित कर रहे हैं।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): उन्होंने कहा है कि असत्य दर्ज होते हैं। वह सदन की कार्यवाही में आप देख सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं है, आप तालमेल बैठा लेना, एक साथ खाना खा लेना।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार समाज के सीमांत वर्गों के प्रति अति संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है। वर्ष 2023 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के कुल 10899 प्रकरण दर्ज हुए। हमारी सरकार के दौरान 9289, कमी आयी या नहीं आयी अपराध में? आपके यहां अपराध की बाढ़ आ रही थी। हमारे यहां अपराध में कमी आयी है। आप यह कह सकते हैं कि प्रकरण दर्ज, हमारे तो बी.एन.एस. में अब प्रावधान कर दिया है कि जीरो एफ.आई.आर. भी होगी, ऑनलाइन एफ.आई.आर. भी होगी और कोई भी व्यक्ति आयेगा, उसको सुनकर तुरंत न्याय देने का प्रावधान किया गया है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): परिवाद दर्ज करके उनकी इतिश्री कर दी आपने। एफ.आई.आर. दर्ज ही नहीं की आप लोगों ने।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): कोई बात नहीं, महाराज, ...(व्यवधान)... आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं, नो, मत कीजिए। सुनिए।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): हम एफ.आई.आर. भी दर्ज करते हैं ...(व्यवधान)... परिवाद पर भी जांच करते हैं और न्याय भी तुरंत करते हैं।

श्री अध्यक्षः आपका भाषण हो गया। भाषण को पढूंगा। आपने क्या-क्या शब्द उपयोग किये हैं, कल बताऊंगा।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): प्रदेश में एस.सी./एस.टी. के अपराधों में 14.77 प्रतिशत की कमी आयी है। अब तो ताली बजा दीजिए, आप तो एस.सी. के बड़े नेता हो। अब एस.सी./एस.टी. के विरुद्ध अत्याचार के विभिन्न शीर्षकों के मामले, उनमें भी मैं आपको बता देता हूं। हत्या के मामलों में 13.16 प्रतिशत की कमी आयी है। बालिगों के साथ दुष्कर्म में 3.70 प्रतिशत की कमी आयी है और नाबालिग के मामलों में 3.40 प्रतिशत की कमी आयी है। गंभीर क्षति में 22 प्रतिशत की कमी आयी है और व्यपहरण और अपहरण में 10.64

प्रतिशत की कमी और आई.पी.सी. बी.एन.एस. में 18.43 प्रतिशत, एस.सी./एस.टी. एक्ट में 12.33 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। यह हमारी उपलब्धि है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): फिर ये नये थाने क्यों खोल रहे हैं?

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): वह आप डिमांड कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कई साथियों ने संगठित अपराध का उल्लेख किया। मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद संगठित अपराध के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टॉस्क फोर्स का गठन किया, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में पिछले शासनकाल में गैंगवार की घटनाएं बढ़ी थी, विभिन्न गैंगस्टर चाहे जब गोलीबारी, बड़ी घटनाएं, किसी को फोन करके फिरौती मांगना, इस तरह की घटनाओं की जब वृद्धि हुई थी और हमारी सरकार आने के बाद संवेदनशील मुख्य मंत्री जी ने दो चीजों पर एक तो जिस तरह से युवाओं के ऊपर कुठाराघात आपकी सरकार में हुआ, 19 परीक्षाओं में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उन पर एस.आई.टी. का गठन किया और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करके संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ प्रहार शुरू किया। अब देखिए आप, हमने प्रभावी कार्यवाही करते हुए लारेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य राहुल सरकार को गिरफ्तार किया। एजीटीएफ की सूचना के आधार पर उक्त गैंग के सक्रिय सदस्य हरजिंद और पहरी को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अमरजीत सिंह विश्नोई और उसकी पत्नी सुधा कंवर को इटली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसको भारत लाने हेतु प्रत्यर्पण की कार्यवाही हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। इटली में, हम नहीं छोड़ेंगे, इटली में। ध्यान रखना आप, उसके तार कहां जुड़े हुए हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इटली में कहां से तार जुड़े हुए हैं।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): यह मामला है, स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रदेश में 2024 में फायर आर्म्स के उपयोग के प्रकरणों में वर्ष 2022 के मुकाबले 40 प्रतिशत की कमी तथा घायलों की संख्या में 47.67 और मृतकों की संख्या में 43.14 प्रतिशत की अभूतपूर्व कमी देखने को मिली। ये कुशल प्रबंधन की बात है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 100 दिवसीय कार्य योजना बनायी और उसमें टास्क दिया, उसमें गृह विभाग को भी टास्क दिया। हमारी पुलिस ने इस 100 दिवसीय कार्ययोजना की क्रियान्विति में अपराध शाखा द्वारा चलाये गये विशेष अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 16371 आदतन अपराधियों के विररुद्ध कार्यवाही की गयी। आदतन अपराधी वे हैं जो आपके समय से चले आ रहे थे। आपने जिनको ट्रेंड कर दिया, वे 16371 लोग हमने गिरफ्तार किए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 151 में छोड़ दिया हो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): उनमें 1928 टॉप टेन अपराधी थे, 1131 इनामी अपराधी थे और 11041 स्थाई वारंटी और 116 उद्घोषित अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया। आप बजरी खनन की बात कर रहे थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): किरोड़ी जी ने की थी। किरोड़ी जी कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): अब सदन में आपने की है। नहीं, आपने की है बात।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप नहीं कर रहे हैं बजरी खनन पर ...(व्यवधान)... अभी आपने कहा मैं नहीं कर रहा हूं।

Ans/rtm 20.20 4j 03.03.2025

श्री अध्यक्ष: बैठिये। जब विपक्ष के नेता का भाषण था मैंने इनको नहीं बोलने नहीं दिया। अब आप भी इनको भी नहीं बोलने दे। आप भी बार-बार, ...(व्यवधान)... एक-दो बार ठीक है। नो, बैठिये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष यह कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, तो उसको कार्यवाही में से निकलवा देना, इनके शब्द नहीं है तो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ना, ना ऐसे नहीं कहा ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): अभी कहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वैसे भी अब डर लगने लग गया, पहले जाऊंगा, वहां चेक करके आऊँगा वाकई में खनन हो रहा है तो ही उठाऊंगा।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): अवैध बजरी खनन के 1039 प्रकरण दर्ज कर 905 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 67 हजार 50 टन अवैध बजरी हमने जब्त की, प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं।

अवैध शराब के प्रकरणों में भी, आपके सहयोगी सदस्य अभी महुआ पीने की छूट मांग रहे थे, अब बताओ क्या-क्या करें। उसमें 9 हजार 320 प्रकरण दर्ज कर 8 हजार 595 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया और 5 लाख 8 हजार 235 लीटर अवैध शराब जब्त करके कार्यवाही की, बहुत बड़ी कार्यवाही।

मादक पदार्थों के विरुद्ध भी 1799 प्रकरण दर्ज कर 2161 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 157 करोड़ रूपये के मादक पदार्थ हमारी सरकार ने जब्त किये। आपके समय कार्यवाही नहीं होती थी। अब नकल का आ गया। नाथी का बाड़ा आ गया।

माननीय अध्यक्ष जी, हम जब चुनाव में थे तो हमने एक संकल्प बनाया था उस समय। उस संकल्प पत्र में युवाओं से जीरो पेपर लीक का वादा किया था। आज हमको खुशी है कि 146 से ज्यादा परीक्षाएं कराकर जीरो पेपर लीक, हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने में हम कामयाब हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): अब उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य मंत्री

जी ने 15.12.2023 को ही एसआईटी का गठन किया और 16.12 को हमने आदेश जारी कर दिये। एसआईटी द्वारा कुल 43 भर्ती परीक्षाओं की जांच की जा रही है, जिनमें से 16 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। 27 भर्ती परीक्षाओं में अन्य अनियमितता है। 16 में तो पेपर लीक की जांच है, 27 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें अन्य तरह की अनियमितताएं आपके समय में हुई है। इनमें कई भर्तियां ऐसी है, पेपर लीक हो गया, आपने परीक्षाएं निरस्त कर दीं, दूसरी परीक्षा कराई उसका भी पेपर लीक हो गया। हद कर दी साहब। ...(व्यवधान)... 27 अन्य भर्तियां है उनके प्रकार ऐसे हैं जिसमें कोई डमी कैंडीडेट बिठाए। जैसे आपकी सीट पर कभी कोई और बैठने की चेष्टा करता है कई बार, हम उनको रोकते हैं ...(व्यवधान)... फर्जी डिग्री के हैं। फर्जी खेल प्रमाण पत्र के हैं। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के हैं। इस तरह के जो मामले हैं उन 27 मामलों की जांच भी हमारी एसआईटी कर रही है। एसआईटी द्वारा अब तक विभिन्न प्रकरणों में 331 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी चेन चल रही है। अभी जांच चल रही है उसकी।

आप कह रहे थे, हमारा चर्चित प्रकरण है उप निरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बडी करने के आरोप में अब तक 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो चर्चित प्रकरण है। उसमें 91 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमे आपके बाबूलाल जी कटारा भी है। बाबूलाल कटारा जी आपके, आपने इनको नामित किया, ज्वाइनिंग नहीं दी हमने बर्खास्त कर दिया। आप देखते ही नहीं हो, हमने बर्खास्त कर दिया, उनको घर बिठाने का काम कर दिया। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोर्ट से आ गये वापस। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जमानत व बर्खास्त में फर्क समझो। ...(व्यवधान)... जो बर्खास्त गये वह तो गये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने जो बात उठाई, मैं यह कह रहा हूं 36 प्रशिक्षु उप निरीक्षक थे, उनको हमारी सरकार ने बर्खास्त कर दिया। हम कार्यवाही कर रहे हैं, हम कार्यवाही में विश्वास रखते हैं। वरना आप लोग तो उसको ले जाते खींच खांच कर कहीं। हमने पूरा पुख्ता इंतजाम किया है। ...(व्यवधान)... इनमें 51 पुलिस उप निरीक्षक जिनको हमने गिरफ्तार किया है उनमे से 06 ऐसे है जिन्होंने डर की वजह से ज्वाइनिंग ही नहीं किया। यह भजनलाल जी की सरकार है, यह छोड़ेगी नहीं। उन 06 ने ज्वाइन ही नहीं किया, 36 बर्खास्त कर दिये, बाकी की प्रक्रिया चल रही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हरिमोहन जी चुप बैठे है, क्या चक्कर है।

श्री अध्यक्ष: क्यों बोल रहे हो, उनको क्यों बुलवाना चाह रहे हो। वह मेरे कहने से शांति से बैठे हैं और आप बुलवाना चाह रहे हो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): अभी बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे साइबर क्राइम पर। मैंने जो जवाब दिया उसमें आपने कह दिया कि साहब आपने कहा पुलिस पिटती थी और आपके क्षेत्र में उसी दिन पिट गई। आपने अगला शब्द नहीं बोला। मैंने कहा आपके

राज में पुलिस पिटती थी और आपके कांग्रेस के नेता अपराधियों के साथ खड़े होकर उनको बचाने के लिए मौक़े पर जाते थे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कांग्रेस के नेता अपराधियों के साथ थे, यह गलत है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नाम किसी का नहीं लिया है ना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कहा है, तो फिर मैं लूंगा कल ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नाम किसी का नहीं लिया। नाम होगा तो मैं देख लूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह परिपाटी गलत है।

श्री अध्यक्ष: नाम हटा देंगे। नाम नहीं आयेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, फिर वही बात आ गई।

श्री अध्यक्ष: नाम नहीं आयेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं फिर कल बीजेपी वालों का नाम लूंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं उसको देख लूंगा। मैं मंगवाकर देख लूंगा।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): मैं पूरे इत्मीनान के साथ कह रहा हूं कि अपराधियों के साथ खड़े होकर पुलिस का मनोबल कमजोर करने का काम करते थे और आज यदि पुलिस पर हमला होता है तो अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल की सलाख़ों के पीछे ड़ालते हैं। हमने पुलिस का मनोबल ऊँचा करने का काम किया है।

माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि साइबर क्राइम। आप देखिये, आपका जब राज था तो 10-10 प्रदेशों की पुलिस, अलवर, डीग, भरतपुर,दौसा इन ज़िलों में 10-10 प्रदेशों की पुलिस पड़ी रहती थी, क्योंकि अंकुश नहीं था, अपराधी बेखौफ थे। हमारी राजस्थान पुलिस के जवानों को सरकार के अहम में दबाया जाता था, कार्यवाही करने से रोका जाता था। लेकिन सरकार आने के बाद, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने जबरदस्त कार्यवाही शुरू की। हमने अधिकारियों को कहा कि जो व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक में जमा कराता है, या जो व्यक्ति अनजाने में किसी से मोबाइल पर, वीडियो कॉल पर बात कर लेता है, उसको ब्लैकमेल करने का काम, सेक्सटोर्शन की घटनाएं, उसके खाते में से पैसे उड़ा लेना और व्यक्तियों के साथ विभिन्न प्रकार की कार्यवाही करके उनको ब्लैकमेल करके धन अर्जित करने की कार्यवाही होती थी उस पर पुलिस ने काम शुरू किया और काम शुरू करके एंटी वायरस ऑपरेशन अभियान चलाया। ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान चलाकर उन बड़े-बड़े अपराधियों को जो गैंग चला रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे कि कैसे साइबर अपराध किया जाता है उन लोगों पर प्रहार किया और सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं की, उन्होंने अवैध पैसा कमाकर जो सम्पत्तियां अर्जित की, उन पर बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद करने का काम हमने किया।

VPS-RTM-03.03.2025-20.30-4k

उनमें भय व्याप्त हुआ। अकेले भरतपुर में 01.03.2024 से 31.12.2024 तक यह अभियान चलाया गया। भरतपुर और डीग में और उसका यह प्रतिफल हुआ, गांवों में पंचायतें होने लगीं, लोगों ने तौबा किया कि यह सरकार है जब तक हम इस अपराध को नहीं करेंगे। मैंने कहा जब तक, उनको यह विश्वास था कि दस-बीस साल पीछे ये लोग आ जाएंगे तो फिर अपने हथियार उठाकर चल देंगे। हमने कहा है कि हम अपराध कराना भुला देंगे। हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि अपराध मुक्त राजस्थान कैसे हो, उस कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। 1453 साइबर ठगों को डिटेन किया गया। 1453 को। आप यह कह रहे हो न कि उठा लेते हैं और 151 में दर्ज करते हैं। यह एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया बता देता हूं मैं आपको। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बस सिर्फ 1453 ही। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): हां, वह प्रक्रिया बता देता हूं। आप फिर सीख जाओगे ...(व्यवधान)... अब लोकेशन ली जाती है और उस लोकेशन पर कितने लोग उस समय बैठे हैं, उस समय पर कितने लोग उस लोकेशन पर बैठे हैं, उन लोगों को डिटेन करने का अधिकार पुलिस के पास है। पूछताछ करने का अधिकार पुलिस के पास है कि आखिर इसमें कौन लिप्त है और कौन लिप्त नहीं है। यदि उस लोकेशन के ऊपर बैठे लोगों को उठाकर नहीं लायी तो कौन मोबाइल किसको फेंक देगा, किसको कर देगा, वास्तविक अपराधी की पहचान करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी राजस्थान की पुलिस कर रही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हरिमोहनजी की लोकेशन चेंज हो गयी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गयी क्या? ज्यादा प्रेम दिखता है।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साइबर अपराध को कम करने के लिए और इस पर प्रहार करने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान भी हमने चलाया और ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाकर प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु 02 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2025 तक इस अभियान में राज्य में अभियान के दौरान साइबर अपराध सम्बन्धी कुल 42114 शिकायतों का निपटारा किया गया। 10433 नई शिकायतें दर्ज की जाकर 84 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। यह शिकायतें हमको मिलीं, इनका निस्तारण किया और जो प्रूव हुई उनमें 84 में हमने एफ.आई.आर. दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी।

अब इसमें आप देखिये कि 8 करोड़ 87 लाख 85 हजार 617 रुपये की राशि होल्ड करवायी है, इस अभियान के तहत। कितनी? 8 करोड़ रुपये की राशि होल्ड करवायी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बस।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): जैसे ही हमको सूचना मिली है, हमने तुरंत कार्यवाही करके उसको होल्ड करवाया है, वह ट्रांसफर नहीं हुई। उन अपराधियों के ऊपर प्रहार किया है और ठगी गयी राशि में से 7 करोड़ 4 लाख 65 हजार 958 रुपये की धनराशि पीड़ितों को वापस दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कितने में से आपने आठ करोड़ रुपये होल्ड करवायी है?

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): वह आप ही बताओगे कि कितने लिये थे। यह कह रहे हैं कि कितने में से तो यह तो इनको ही पता होगा, राशि तो इन्हीं के पास थी। ...(व्यवधान)...

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आपने कितने कहा नहीं। वह हिसाब हमारे पास नहीं है, हम लेते नहीं है। वह अलग था। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): इस अभियान के तहत 52317 मोबाइल नम्बर, 27 हजार 292 आई.एम.ई.आई. नम्बर और 5201 मोबाइलों को ट्रेस किया गया। 4991 मोबाइलों को उनके मालिकों को भी वापस दिलवाने का काम हमने किया है, जो वे उठाकर लाये थे।

अब देखिये, साइबर अपराध पर प्रहार और कैसे ज्यादा किया जा सकता है? मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राजस्थान के पुलिस तंत्र को जिन्होंने 27 प्रदेशों के एक्सपट्र्स को बुलाकर कार्यशाला का आयोजन किया है और उन एक्सपट्र्स से जानकारी ली गयी और उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर से लेकर एस.पी. तक स्तर के अधिकारियों को ट्रेंड किया गया, उनको साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गयी और जानकारी करके सबको एक्सपर्ट करके इस अपराध के खिलाफ प्रहार करने का काम हमारी इस पुलिस ने किया, हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम, साइबर जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार, जगह-जगह होर्डिंग वगैरह लगाना, 450 साइबर वॉलेंटियर का जिलावार पंजीकरण भी हमने किया है। हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग चिंता कर रहे थे, हम भी चिंता कर रहे हैं। यदि आप लोग ऐसी चिंता करते और पिछले कार्यकाल में ये महीनों-महीनों तक होटलों में ऐशोआराम नहीं करते और पुलिस के जवानों की चिंता करते और कई माननीय सदस्य अभी बोले हैं कि इसमें यह सुधार होना चाहिए, यह सुधार होना चाहिए। जब इनकी सरकार थी जब तो इनकी चली नहीं या उस समय इनको याद नहीं आया। तब तो यह कुर्सी-कुर्सी का खेल खेल रहे थे। कुर्सी की एक टांग किसी के हाथ में थी, एक टांग किसी के हाथ में थी, कुर्सी-कुर्सी का खेल खेलते रहे, जनता त्राहिमाम करती रही। जनता की ओर ध्यान ही नहीं था।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इन्होंने क्या शब्द यूज किया, वह भी बता दो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): अब उन शब्दों को छोड़ो। वे इनकी ये जाने,

अपने नेताओं के बारे में क्या-क्या कहा, अब मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): नहीं बोलना है। बोलना ही नहीं है।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): इन लोगों ने क्या-क्या नहीं कहा अपने लोगों को।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अपने को निकम्मा नहीं कहना है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): जनता के प्रति जवाबदेह ये रहे नहीं और इन्होंने किसी भी निर्णय को जनहित में नहीं लिया। अपनी उदरपूर्ति के लिए और जो विधायक इनको समर्थन दे रहे थे, उनको खुली छूट दे दी। लूटो-खाओ योजना। लूटो-खाओ योजना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मिनी सी.एम।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): नहीं, लूटो खाओ योजना।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): लूट खाओ।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): इन्होंने तो हद कर दी लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा हमारे जो पुलिस कार्मिक इस दुनिया से चले गये, उनके मृतक आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति 2023 में 263 लोगों को दे दी है, शेष प्रक्रियाधीन है, जल्दी ही निस्तारण कर देंगे। 2024 में राजस्थान पुलिस सेवा के 178 अधिकारियों को विभिन्न स्केलों में पदोन्नति हमने प्रदान कर दी है 178 की और मुझे यह खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी डी.जी.पी. साहब को यह कहा है कि जितनी भी पदोन्नतियां हैं, उनको समयबद्ध तरीके से नियमों में लाकर जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का काम किया जाये, यह हमारी राजस्थान की सरकार कर रही है। अधीनस्थ सेवा के 2182 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गयी है। मंत्रालयिक संवर्ग के 657 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। साहसिक एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए कुल 62 कार्मिकों को विशेष पदोन्नति प्रदान कर, इस प्रकार हमारी सरकार ने 3079 पुलिस कर्मियों को पदोन्नत करने का काम किया है। अब तो आप ताली बजा दो। रफीक साहब, अभी भी आप नहीं बजा रहे हो। जो अच्छा काम कर रहे हैं, तब तो आप बजा दो। आपने किया ही नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो हमने कही है, उनकी भी तो कर दो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): पुलिस का फिटनेस ठीक रहे, उनके खेलकूद का भी आयोजन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको भेजने का काम किया और सिर्फ वे वहां गये ही नहीं, वहां से मेडल लेकर भी आये हमारे जवान। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गोल्ड मेडल हमारी राजस्थान पुलिस ने लिया, एक गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर सात गोल्ड मेडल लिये हैं। दस सिल्वर मेडल लिये हैं। चौदह ब्रांज मेडल लिये हैं। कुल 31 मेडल जीतकर हमारे जवानों ने खेलकूद में भी भाग लेकर अपना गर्व से सीना ऊंचा करने का काम किया है।

अभी ये यातायात की बात कर रहे थे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये जोगारामजी कहते हैं कि मेडल लेकर आये थे।

इतना बड़ा। मेडल लेकर आये थे या मटका लेकर आये थे?

श्री अध्यक्षः आप दोनों ही लाते रहो।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आप दोनों ही विराजो।

श्री अध्यक्षः आप दोनों ही लाते रहो। ...(व्यवधान)...

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): नहीं, बेढ़म साहब लाये वहां तक तो ठीक है, यह नहीं कह देना कि मैडम लाये। यह मत कह देना ...(व्यवधान)... वहां तक तो चल जायेगा।

अब आप यह कह रहे थे यातायात की व्यवस्था की।

ssy/rtm/03.03.2025/20.40/4l

कई माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात रखी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह निश्चित है कि जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है तो व्हीकल्स भी अधिक संख्या में बढ़े हैं। लेकिन हमारी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, ट्रेफिक व्यवस्था ठीक हो। 448 ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर उनमें सुधार के कार्य किये जाने की स्वीकृति जारी कर दी है।

सड़क सुरक्षा में हमने एक ऑडिट टीम का गठन किया है। उसमें 8511 किलोमीटर की ऑडिट करा रहे हैं कि कहां इसमें सुधार किये जा सकते हैं। आईआरएडी, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस तथा एडीआर, डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल पर डाटा अपडेट कर पीड़ितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराना हमने शुरू कर दिया है। ई चालान की प्रणाली द्वारा डिजीटल भुगतान प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें 2024 में 1100 मशीनें पुलिस जिलों को उपलब्ध भी करवा दी हैं।

नवीन तकनीक से लैस 47 इंटरसेप्टर वाहन जिलों को उपलब्ध करवा दिये गये हैं। आपके समय पर तो एक-दो यहां जयपुर के आसपास घूमते थे। 47 वाहन उपलब्ध कराये हैं। आईटीएमएस, इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राज्य के 3 राजमार्गों पर आईटीएमएस कैमरा स्थापित कर दुर्घटना को रोकने की कार्यवाही हमने प्रारंभ कर दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था का प्रश्न आ रहा था। हम जब पिछले शासन में अख़बार पढ़ते थे तो कभी जुलूस पर हमला, कभी धार्मिक यात्रा पर हमला, कभी कन्हैया की गला रेतकर हत्या, कभी जोधपुर में हत्या, कभी अलवर में घटनाएं देखने को मिल रही थी। हमारी सरकार ने कानून-व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कोई ऐसी एक वर्ष में गंभीर घटना नहीं हुई जिससे प्रदेश की आन-बान और शान पर प्रश्न चिन्ह लगा हो। लेकिन आपके पिछले 5 साल में जिस तरह से घटनाएं हुई और प्रदेश शर्मसार हुआ, सबका सिर नीचे झुका।

पिछले एक वर्ष से माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के हाथ में यहां सरकार की कमान आई तो उसके बाद कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई जिससे प्रदेश को कलंकित होना पड़े। हमने 7 विधान सभाओं के उपचुनाव करा दिये। कोई इतनी सी नहीं हुई। आपको तो

एक पर ही कर ...(व्यवधान)... सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं एक-दो मामूली मुझे पता है, शाहपुरा में, वह मामूली, स्थानीय स्तर पर भी उनको पुलिस के अधिकारियों ने और स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने और समाज के प्रमुख लोगों ने संभालने का काम किया। लेकिन आप तो आग में घी डालने का काम करते थे। आपके समय में घटना होने के तुरंत बाद आपका बयान जाता था कि एक वर्ग विशेष के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। पता नहीं उस वर्ग विशेष को क्या हुआ? अब देखो ना विजय नगर में वर्ग विशेष को।

राजनीतिक दलों की सभाओं में और विभिन्न जगह पर पुलिस की छवि के बारे में प्रश्न उठते हैं। पक्ष, विपक्ष के लोग अपने-अपने तरीके से बात करते हैं। लेकिन पुलिस की छवि सुधारने की दिशा में भी सरकार ने प्रयत्न शुरू किये हैं, क्योंकि कई हमारे साथियों ने भी कहा है कि पुलिस की बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं।

आजकल पुलिस सुरक्षा का भी बहुत से लोगों को तो शौक भी बन गया। एक गनमैन है साहब, दो कर देना। एक गाड़ी में बैठ लेगा, एक पैदल चल लेगा। मैं तो धन्यवाद दूंगा इन पुलिस के साथियों को जो हर व्यक्ति को प्रसन्न रखने के लिए अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए राज्य की सेवा में अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए वह निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

कोरोना की महामारी में भी जिस तरह से पुलिस के जवानों ने कोरोना वारियर बनकर के इस प्रदेश की सेवा की जो कि उल्लेखनीय है। पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस कल्याण निधि कुल व्यय 3 करोड़ 40 लाख रुपये और पुलिस हितकारी निधि कुल व्यय 6 करोड़ 34 लाख रुपये, हमने अब तक व्यय कर दिये हैं। आपके समय पर तो फाइल में जीरो बोल रहा है। मैं पिछला देख रहा हूं। पुलिस कल्याण की सोचते ही नहीं थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): शुरू की थी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): हमने शुरू कर दी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इन्होंने बेढ़म साहब, 20 करोड़ तो होटलों में व्यय कर दिये। सब होटलों में खर्च कर दिये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): हमारी संवेदनशीलता देखिये, एक नरेश शर्मा नाम के सब इंसपेक्टर हैं, उनके बेटे को ऐसी गंभीर बीमारी हो गई कि साढ़े 17 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। गृह राज्य मंत्री होने के नाते मैंने अपील की और मेरी अपील के बाद डीजी पुलिस और पूरी पुलिस ने उसकी मदद की।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें तो हमने भी मदद की।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): उसके लिए धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सब लोगों ने मदद की।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): करनी चाहिए। हमने इनिसेटिव लिया। हमने उसके दर्द को पहचाना कि एक सब इंसपेक्टर साढ़े 17 करोड़ रुपया कहां से लायेगा। यह

सरकार के, जन प्रतिनिधियों की संवेदनशीलता है। उस संवेदनशीलता में आप लोग भी जुड़े, निश्चित रूप से स्वागत है। संवेदनशीलता दिखाकर के उसको दवाई दिलवाना शुरू कर दिया, 8 करोड़ रुपया उसको भुगतान कर दिया और 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से जो किश्त जायेंगी, उनकी व्यवस्था भी करने का काम कर दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार से करा दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जन सहभागिता से होता है।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): इतना ही नहीं किया है, पुलिस सुधारों की दिशा में धर्मवीर आयोग, जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1977 में बना था, पद्मनाभैया समिति एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2006 की पालना में 01.07.2024 से 3 नये कानूनों को भी लागू कर दिया है। यह 3 जो नये कानून हैं, इनमें हमने सरलीकरण भी किया है और एक मानसिकता को भी बदलने का काम किया है।

इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, हमने किया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, हम न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से शब्दों का चयन जो भारतीय परंपरा और पद्धतियों के अनुरूप हो, वह कमीशन ने जिस तरीके की रिपोर्ट दी, जिन कमेटिज ने राय दी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके अनुरूप हमने तीनों कानूनों को बदलने का काम किया है।

इन नये कानूनों में अपराधी द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की जब्ती का एक विशेष प्रावधान किया गया है। पहले कई अपराधी बच जाते थे। संपत्ति जब्त करने का कोई ठोस प्रावधान नहीं था, वह विभिन्न कानूनों का सहारा लेकर अपने अनैतिक तरीके से कमाई हुई संपत्ति को बचा लेते थे। लेकिन आज उसमें प्रावधान किया गया है कि अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति की जब्ती की जायेगी। इस तरह के 16 प्रकरणों में हमने कार्यवाही भी शुरू कर दी है।

अभी आप कह रहे थे कि सम्मन जाते हैं और रिपोर्ट कर लाते हैं। आपको पुरानी याद आ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको ध्यान ही नहीं है कि हमने ई सम्मन तामील करने की व्यवस्था चालू कर दी है। जब उसका सम्मन होगा, कोई भी भगोड़ा होगा तो उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया जायेगा। मोबाइल नंबर ट्रेस करने के बाद उस पर हम लिंक भेज देंगे। उसके वाट्सअप पर कॉपी भेज देंगे और उसी को तामील मान लिया जायेगा। यह व्यवस्था राजस्थान में शुरू हो गई है। अब तक 23468 ई-सम्मन तामील होकर हमें प्राप्त हो गये हैं। यह डाटा आप ले जाना घर।

नये कानूनों से न्यायालय व कारागार में वी.सी. रिमोट पाइंट स्थापित कर बयान व पेशी वी.सी. के माध्यम से हमने शुरू कर दी है। लैंगिक अपराधों के अनुसंधान की समय सीमा 2 माह निश्चित कर दी गई है। अभी तक लैंगिक अपराधों के अनुसंधान में लगने वाला औसत समय 51 दिवस है।

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत आपकी सरकार में बजट

2023-24 में शून्य, 2024-25 में 39 करोड़ 6 लाख रुपये हमने स्वीकृत कर दिये।

spp/rtm/03.03.2025/20.50/4m

कितना है 39 करोड़ 06 लाख ..(व्यवधान)... आप देखते जाओ महाराज। जीरो से 39 करोड़ पर तो आ गये और 2025-26 में यह 78 करोड़ 94 लाख रुपये का प्रावधान हमने किया है। आप पुलिस सुधार की बात कर रहे हैं। बजट देते नहीं थे। वैसे ही कोरी भाषणबाजी चल रही थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने पुलिस के जवानों के साथ बहुत कुठाराघात किया है, बहुत पाप किया है। इनको वह भुगतना पड़ेगा। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाये रखने में राज्य पुलिस का अहम रोल है। यह हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। हमारे कार्मिक रात-दिन ड्यूटी कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आप सभी सम्माननीय सदस्यों ने भी कहा है। उनके परिवारजनों को आवास सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिये भी बजटीय प्रावधान हमने किये हैं। वर्ष 2022-23 में आपका था 76 करोड रुपया, 2023-24 में फिर आप उसको 36 पर ले आये। हमने 2024-25 में इसमें 121 करोड़ का प्रावधान किया है। आप कहते हो पुलिस के हितैषी नहीं हैं। हम पुलिस के जवानों की, पुलिस के अधिकारियों की सबकी चिंता करते हैं और चिंता करने के बाद यह सोचते हैं कि उनके परिवार भी सुरक्षित रहें, सुखी रहें। उनको भी रहने के लिये छत मिले इसलिये 121 करोड़ रुपया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके लिये प्रावधान किया है। आप ताली नहीं बजाओगे। अभी तो 9.00 ही बजे हैं आप खाना कितने बजे खाते हो?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह तो छह-सात ही रह गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय, हर बार बोलना जरूरी नहीं है। कभी-कभार ठीक है।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): कई माननीय सदस्यों ने ए.सी.बी. से सम्बन्धित बात कही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध रिश्वत प्राप्त करने, रिश्वत की मांग करने, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने एवं पद के दुरुपयोग के प्रकरण दर्ज कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाती है। यह प्रावधान हैं। लेकिन आपने क्या किया साहब? आपने कुल 316 प्रकरण, हमने बढ़ा दिये और हमने 318 कर दिये 2024 में, हमने प्रभावी कार्यवाही शुरू की है। सम्पत्ति अर्जित कर, बढ़े तो नहीं पर हमें एक साल ही तो हुआ है, पांच साल में इसको बहुत ज्यादा कर देंगे। सबको पकड़ रहे हैं आप चिंता मत करो। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आपने इनको सुनाया, अब इनकी आप सुनो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): अब इसमें एक बात आ रही थी कि अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही है, तो इनको आईना देखना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 2023 में जो इनके कुल निर्णय हुए, वह थे 446 और हमने किये 492, हमने प्रगति की है। अब आपने तो कुछ किया ही नहीं, महाराज। आप तो पंडित जी, अब क्या कहें। उसमें

वह भी हैं जल जीवन मिशन वाले भी हैं। जल जीवन मिशन वाले और हैं। दो वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों का योजनाबद्ध तरीके से निस्तारण। लम्बित प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति धारा 17 ए पी.सी.एक्ट में सम्बन्धित विभागों से प्रभावी समन्वय कर त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। संगठित अपराध और भ्रष्ट तरीके से अवैध परिसम्पत्तियां अर्जित करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध आसूचना संकलन कर प्रकरण पंजीबद्ध करना तथा आदतन रिश्वतखोर लोक सेवकों के विरुद्ध गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर उनकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही हमने शुरू कर दी। यह जल जीवन मिशन है। आपका घोटाला है, हमारी तफ्तीश चल रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): चीफ सेक्रेटरी है वो।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): क्या कह रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): जल जीवन मिशन वाले चीफ सेक्रेटरी हैं।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): वह तो जो भी होंगे, आयेंगे। हमारी तफ्तीश चल रही है। एफ.एस.एल. में हमने 6 संभागों पर नारकोटिक्स प्रकरण के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करा दी। नई प्रयोगशाला, सर्पदंश के प्रकरण सब पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, नवीन आपराधिक कानून के तहत जघन्य अपराध के घटनास्थल से आपराधिक साक्ष्यों के तुरंत एवं प्रभावी संकलन हेतु अति आधुनिक 56 मोबाइल फोरेंसिक वाहन केन्द्र सरकार की योजनान्तर्गत राशि 36 करोड़ की लागत से इस वर्ष क्रियाशील कर देंगे। यह हमने प्रावधान कर दिया है। 56 मोबाइल फोरेंसिक लेबोरेट्री, जहां पर भी घटना होगी, वहां पर पहुंचाकर तुरंत हम साक्ष्य ले लेंगे। अभियोजन विभाग ने भी जैसा आप कह रहे थे महिला उत्पीड़न के मामलों में वर्ष 2023 में आपके सज़ा का जो रेशो था वह था 24.5 प्रतिशत और हमने कितना कर दिया 38.2, हमारा अभियोजन विभाग इतना प्रभावी हुआ है कि आपके 24.5 था, हमने 38.2 कर दिया।

अनुसूचित जाति, जनजाति के मामलों में आपका 36.59 था, हमने 39.5 पर पहुंचा दिया। बताइये आप? आप कह रहे हो कि हम एस.सी., एस.टी. की चिंता नहीं करते।

ई-प्रोसीक्यूशन मॉड्यूल में वर्ष 2023 में कुल प्रविष्टियां देश में पहले नंबर पर बनने जा रहे हैं हम। जो ई-प्रोसीक्यूशन मॉड्यूल लागू हुआ है। आपकी 2 लाख 86 हजार 200 प्रविष्टियां हुईं और हमने एक वर्ष में ही 8 लाख 61 हजार 326 प्रविष्टियां करके उसको ई-प्रोसीक्यूशन मॉड्यूल की ओर हम बढ़ रहे हैं।

NDPS एक्ट में जब्त किये गये वाहनों के निस्तारण में जहां आपने मात्र 460 वाहनों का निस्तारण किया। हमने 1734 वाहनों का निस्तारण कर दिया। कितनी तीव्र गति से काम हो रहा है। वर्ष 2023 में वी.सी. के जरिये कुल 743 बयान माननीय न्यायालयों में करवाये गये थे। हमारी सरकार के आते ही इस दौरान वर्ष 2024 में 4 हजार 477 गवाहों के वी.सी. के जरिये हमने बयान करवा दिये।

अब पुलिस विभाग के बजट की स्थिति बता दूं। वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय मद में पुलिस के लिये 8,438.14 करोड़ का प्रावधान रखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8,438.14

करोड़ का और हमने 2025 के संशोधित अनुमानों में इसे बढ़ाकर 9,878.56 करोड़ रुपया कर दिया। 1400 करोड़ से भी ज्यादा की वृद्धि की है। ..(व्यवधान).. आपने किया ही नहीं, आप सुन लो। इतना कम बजट था, हमने तो इसको बढ़ाया है। वर्ष 2025-26 के लिये इसी मद में 10,741 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया है। वह पिछले साल का था और यह इस साल का है। यह आपकी तुलना में 27.3 प्रतिशत ज्यादा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बजटीय प्रावधानों में कानून-व्यवस्था सुदृढ करना, अपराधों की रोकथाम इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराधमुक्त राजस्थान और भ्रष्टाचारमुक्त राजस्थान बनाने के लिये हम संकल्पबद्ध हैं। भयमुक्त भी हो जाएगा।

नेता प्रतिपक्षजी ने दो-तीन विषय यहां पर उठाये। आपने कहा कि आप लोग कोटा में गये और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। संजय शर्मा जी की रीढ़ की हड्डी अब तक ठीक नहीं हो रही। आपने आपकी सरकार में क्या हालत की हमारे अलवर के विधायक की। इनकी क्या हालत कर दी? अब आप गये नहीं, वह देख लो।

हमारे माननीय मंत्री मदन दिलावर जी के खिलाफ आपने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हत्या का असत्य मुकदमा दर्ज करा दिया। आप बताइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शर्मसार करने वाली घटना है। जो आदमी जिंदा है, उस व्यक्ति की हत्या का मुकदमा हमारे माननीय मंत्री मदन दिलावर जी के खिलाफ इन्होंने दर्ज करा दिया। वह सदमे में हैं।

jyg/rtm/03.03.25/21.00/4n

पुलिस वाली बात मैंने आपको बता ही दी। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्षजी, मेरा इतना ही कहना है कि माननीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम कृत संकल्पित हैं, चाहे पुलिस रिफोर्म की बात रही हो, चाहे अपराधों पर अंकुश लगाने की बात रही हो, चाहे भाईचारा स्थापित करने की बात रही हो, सामाजिक समरसता पैदा करने की बात रही हो, विकसित राजस्थान बनाने की बात रही हो, हम सब संकल्पबद्ध होकर प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, राजस्थान को विकास की दृष्टि से शांतिप्रिय प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः करिये, करिये, आग्रह करिये।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 18 - गृह के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 116,57,07,84,000/- (अक्षरे एक सौ सोलह अरब सत्तावन करोड़ सात लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्षः दूसरी भी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 - कारागार-के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,68,47,11,000/-(तीन अरब अड़सठ करोड़ सैतालीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, कारागार वालों के लिए दो शब्द भी नहीं कहे? कारागार डिपार्टमेंट की तो कहते कुछ।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): आपने भी नहीं कहा। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अब तो पारीक साहब कह रहे हैं तो हो गया, नहीं तो हम एक घण्टा और तैयार हैं, सब बैठे हैं, तैयार हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मांग संख्या 18 - गृह का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 - गृह के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 116,57,07,84,000/- (अक्षरे एक सौ सोलह अरब सत्तावन करोड़ सात लाख चौरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19 - कारागार का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 - कारागार-के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,68,47,11,000/-(तीन अरब अड़सठ करोड़ सैतालीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 4 मार्च, 2025 के प्रातः 11 बजे तक के लिए ...(व्यवधान)... बैठिये। ...(व्यवधान)... बैठिये, अभी स्थगित नहीं की है। ...(व्यवधान)... सब माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)... अभी स्थगित नहीं हुई है। ...(व्यवधान)... यह क्या तमाशा है? ...(व्यवधान)... तमाशा मत बनाओ, मेच्योर बनो। ...(व्यवधान)...

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.03 बजे, मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

मांग संख्या 18 - गृह पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

<u>**मांग संख्या–18**</u> मुख्य शीर्षक <u>**गृह**</u> के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)</u>

1. पाली जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में किसानों की भैंसों की चोरियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
3. पाली जिले में वर्षों से लगे हुए पुलिस अधिकारियों/सिपाहियों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)</u>

4. प्रदेश के सभी जिलों में साईबर थानों में साईबर तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवंत सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के थाना सदर बहरोड़ को बहरोड़ शहर में स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के चारों थानों में वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के थानों का भवन निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के थानों में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बर्डोद नगरपालिका में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

10. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नव सृजित पुलिस थाना – पादरू को शुरू करने एवं नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
11. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के होडु (सिणधरी), सिणेर (सिवाना) एवं दाखां (सिणधरी) में नई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. नवसृजित बालोतरा जिले में पुलिस नफरी की कमी को देखते हुए, बाड़मेर जिले से आने वाले पुलिसकर्मी एवं बालोतरा से बाड़मेर जाने वाले पुलिसकर्मियों को विशेष छूट दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. सिवाना मुख्यालय पर संचालित वृत्ताधिकारी (सी.ओ.) कार्यालय के भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं.175)</u>

14. तहसील आबू रोड़ की ग्राम पंचायत पाबा के स्थान पर पिण्डवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत इसरा में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
15. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में पुलिस जाब्ता बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)</u>

16. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में स्वीकृत पुलिस थाना शंखवास के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करवाकर भवन निर्माण कराए जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के खींवसर में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पुलिस वृत्ताधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के मूण्डवा में पुलिस यातायात शाखा कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के पुलिस थाना-खींवसर, भावण्डा एवं पांचौड़ी में पुलिस कार्मिकों के स्टाफ क्वार्टर एवं अधिकारी आवास निर्माण कराए जाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)</u>

20. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत देवीपुरा बणी थाने को शीघ्र संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
21. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़, मुकुन्दगढ़ एवं गोठड़ा थानों में पुलिस नफरी/स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)</u>

22. प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की तहसील मुख्यालय नाथडाऊ एवं चाबा में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुलिस चौकी सेखाला को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)</u>

25. विधान सभा क्षेत्र कोटा (दक्षिण) के रानपुर में स्वीकृत साईबर थाने के निर्माण एवं रानपुर तथा नान्ता थाने के विस्तार हेतु बजट आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
26. कोटा में गृह रक्षा बल के स्वयंसेवकों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

27. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
28. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की पुलिस चौकी टाउन के लिए भवन उपलब्ध कराए जाने एवं रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
29. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड थाने के लिए नया भवन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. विधान सभा क्षेत्र डग की पुलिस चौकी पिपलिया को थाने में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
31. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अपराध नियंत्रण के लिए थानों तथा चौकियों में रिक्त पदों को भरने और नफरी बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (वि.सं.93)

32. गोगुन्दा उपखण्ड मुख्यालय पर सी.आई.डी. कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

33. प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल की वेतन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
34. विधान सभा क्षेत्र आहोर में उप अधीक्षक कार्यालय खोलने, थाना भाद्राजुन, उम्मेदपुर चौकी का भवन निर्माण एवं चांदराई में चौकी की चारदीवारी निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
35. विधान सभा क्षेत्र आहोर के चांदराई में थाना भूती एवं हरजी में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
36. विधान सभा क्षेत्र आहोर के बागरा, भाद्राजुन, नोसरा एवं आहोर में पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
37. विधान सभा क्षेत्र आहोर में बढ़ती चोरी, लूट-खसोट की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्य-योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

38. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के देवरी, समरानियां व रामगढ़ में नया थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

39. प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना हेतु पुलिस चौकियों, पुलिस थानों आदि में आवश्यक संरचना के निर्माण एवं उपकरणों की उपलब्धता पर चर्चा के लिए।

40. प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के व्यापार और युवाओं पर पड़ रहे इसके प्रभाव के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों एवं राजसमंद जिले में अवैध मादक पदार्थों के बढ़ते चलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

41. प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं, लड़कियों को भयभीत करके प्रताड़ित कर दुष्कर्म करने एवं लड़कियों के अश्लील चित्र प्रसारित करने की धमकी देकर संगठित अपराध समूहों द्वारा धर्मान्तरण के लिए विवश करने की घटनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।
42. प्रदेश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिन्दू धर्म के धार्मिक आयोजनों एवं शोभायात्राओं पर हमले की बढ़ती घटनाओं एवं इन पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
43. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पुलिस थाना एवं पुलिस चौकियों में भवन विस्तार एवं मरम्मत कार्य करने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

44. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना, बिलाड़ा शहर चौकी को शहर पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने एवं पुलिस थाना डांगियावास, कापरड़ा, पीपाड़शहर, बोरूंदा एवं बिलाड़ा में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
45. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत पुलिस थानों में बढ़ते साईबर क्राइम एवं महिलाओं की गुमशुदगी तथा बढ़ती चोरियों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

46. विधान सभा क्षेत्र महवा में साईबर थाना खोलने, बालाहेड़ी, कोटग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन पुलिस चौकी खोलने एवं नगरपालिका क्षेत्र महवा, मण्डावर एवं नया गॉव आवासीय छात्रावास पर रात्रि गस्त बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)

47. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा से नोहर स्थानान्तरित किए गए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पुन: भादरा में स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
48. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से नोहर (जिला-हनुमानगढ़) में सिंचाई थाना खोले जाने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार लादे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
49. जिला हनुमानगढ़ में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ एवं मेडीकेटेड नशे की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
50. विधान सभा क्षेत्र भादरा के उप तहसील मुख्यालय डूंगराना में पुलिस चौकी स्थापित करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. जिला हनुमानगढ़ के पुलिस थाना, गोगामेड़ी का भवन निर्माण करवाए जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

52. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के उपखण्ड छीपाबड़ौद में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वि.सं.99)

54. विधान सभा क्षेत्र वैर के खेड़ली मोड़ स्थित थाने हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र वैर की झील चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र वैर के भुसावर में उप अधीक्षक कार्यालय हेतु बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र वैर के हलैना थाने का भवन जर्जर अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर, भुसावर तथा हलैना कस्बे में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

59. एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 में जांच करने में सक्षम एएसआई को सरकार द्वारा अधिकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

60. भारत-पाक की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला श्रीगंगानगर में ड्रोन के माध्यम से नशा एवं हथियार सप्लाई को रोकने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. जिला श्रीगंगानगर के पुलिस थानों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62. जिला श्रीगंगानगर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र श्रीकरणपुर में युवाओं में नशे की बढ़ रही प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

64. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नीलकण्ठ महादेव कोटड़ी स्थान के पास एक पुलिस चौकी की स्थापना तथा पुलिस चौकी बरारवन में स्टाफ का पदस्थापन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)

65. विधान सभा क्षेत्र निवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय निवाई उपखण्ड में खोले जाने एवं झिराना पुलिस थाने को नानेर चौराहे पर स्थानान्तरित करने तथा झिराना को पूर्व की तरह पुलिस चौकी यथावत रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

66. प्रदेश में पुलिस कार्मिकों (कॉन्सटेबल) का वेतन पटवारी के समकक्ष 3600 पे-ग्रेड करने के संबंध में चर्चा के लिए।
67. भारत सरकार के पैरामिलिट्री फोर्स की तर्ज पर राजस्थान पुलिस के कार्मिकों का मैस भत्ता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।
68. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा, जिला बालोतरा में अस्थाई पुलिस चौकी, रिफाइनरी व पुलिस चौकी दुधवा को नवीन पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने व नवीन पुलिस चौकी पारलु, थोब में खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

69. प्रदेश में अन्य सरकारी विभाग के कार्मिकों के अनुरूप राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के साप्ताहिक अवकाश के संबंध में चर्चा के लिए।
70. प्रदेश में कॉन्स्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक डी.पी.सी. से टाइम स्केल पदोन्नति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

71. प्रदेश में कॉन्स्टेबल के ड्यूटी के दौरान कोमा में जाने के कारण स्थायी दिव्यांग होने से अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 2023 के अन्तर्गत कार्मिकों के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
72. राजस्थान में बढ़ रहे हत्या, बलात्कार, चोरी, महिला उत्पीड़न, अवैध शराब बिक्री व अन्य अपराधों पर रोकथाम कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
73. विधान सभा क्षेत्र नोहर में विभिन्न पुलिस थानों व पुलिस चौकियों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
74. जिला हनुमानगढ़ में चिट्टा, मेडिकेटेड व अन्य नशे पर प्रभावी रोकथाम कर नशे की बिक्री पर पाबन्दी लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
75. विधान सभा क्षेत्र नोहर के मेघाना गांव में स्वीकृत पुलिस चौकी का संचालन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ)(वि.सं.112)

76. पुलिस थाना सुजानगढ कोतवाली, सुजानगढ सदर, छापर, सालासर, खांडवा व बीदासर में उपनिरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक के पद रिक्त होने से अनुसंधान में हो रही देरी व बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
77. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ व पूरे राजस्थान में बढ़ रही चोरियों से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
78. प्रदेश में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं होने तथा जमानती उप निरीक्षक को पुलिस जिले आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

79. पुलिसकर्मियों के मैस-भत्ते व अन्य भत्तों में वृद्धि न होने से पुलिसकर्मियों में व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिए।

80. सुजानगढ व बीदासर शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को मय यातायात पुलिसकर्मी पद स्वीकृत कर लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

81. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नया वृत्त कार्यालय किशनगंज-शाहाबाद में खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

82. प्रदेश की उत्तर प्रदेश राज्य सीमा पर स्थित घाटोली पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बंशी पहाड़पुर व दाहिना गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूदावल थाने के लिये बजट आवंटित करने तथा थानाधिकारी, निरीक्षक स्तर का पदस्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द जैन (वि.सं.74)

85. उदयपुर में पुलिस थाना भुपालपुरा के अधीनस्थ पुलिस चौकी आयड़ को क्रमोन्नत कर नया पुलिस थाना आयड़ बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. उदयपुर में पुलिस थाना सूरजपोल के अधीनस्थ अस्थाई पुलिस चौकी किशनपोल को क्रमोन्नत कर नया पुलिस थाना-किशनपोल (खांजीपीर) को बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. उदयपुर संभाग का मुख्यालय एवं पर्यटक हब होने से पुलिस विभाग के सभी रिक्त पदों को अविलम्ब भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के संबंध में चर्चा के लिए।

88. उदयपुर स्थित पुलिस लाईन में मरम्मत/सेनिटेशन/पीने के पानी की व्यवस्थाओं के सुधार के संबंध में चर्चा के लिए।

89. उदयपुर स्थित पुलिस लाईन में पुलिस जवानों के रहने के पुराने बेरिक की मरम्मत एवं नवीन बेरीकों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

90. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में अपराधों पर अंकुश लगाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु सेड़वा उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन वृत्त कार्यालय या पुलिस उप-अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित वृत्त कार्यालय, पुलिस थानों व पुलिस चौकियों में विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित पुलिस चौकियां सारला (पु.था.-बाखासर), ओगाला (पु.था.-सेड़वा) व बाछड़ाऊ (पु.था.-धोरीमन्ना) को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
93. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नेतराड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन पुलिस चौकी (पु.था.-चौहटन) सृजित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
94. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन पुलिस थानें सारला व पनोरिया (पु.था.-बाखासर) व विरात्रा माता मन्दिर (पुलिस थाना-चौहटन) सृजित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

95. चित्तौड़गढ़ के सदर थाना चित्तौड़गढ़ एवं यातायात शाखा चित्तौड़गढ़ हेतु नवीन भवन स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
96. प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती योग्यता स्नातक करने के संबंध में चर्चा के लिए।
97. प्रदेश में कॉन्स्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पदों की डी.पी.सी. में टाईम स्केल पदोन्नति करने के संबंध में चर्चा के लिए।
98. प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल की पटवारी की तर्ज पर 9 साल में प्रथम ए.सी.पी. पर वेतनमान ग्रेड-पे 3600 करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

99. प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और विशेष रूप से बलात्कार एवं बाल अपराधों में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
100. बून्दी जिले की कृषि उपज मण्डी में विधिवत पुलिस चौकी की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।
101. विधान सभा क्षेत्र बून्दी एवं जिले में रेत माफियाओं द्वारा लगाये अवैधानिक बेरीकेट्स को पुलिस संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
102. प्रदेश में फोरेन्सिक लेबोरेट्री की संख्या बढ़ाकर पेन्डिंग सैम्पलों की शीघ्र जांच रिपोर्ट थानों पर भेजने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)

103. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में चाण्दण ग्राम पंचायतों के गांव चामण में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
104. जिला जैसलमेर में पुलिसकर्मियों की नफरी (संख्या) बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।
105. प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल की पे-ग्रेड बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
106. जिला जैसलमेर के उपखण्ड फतेहगढ़ में सी.ओ. ऑफिस स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
107. जिला जैसलमेर के सीमान्त क्षेत्र की सीआईडी चौकियों को पुनः शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)

108. प्रदेश में कार्यरत पुलिसकर्मियों की विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बांदीकुई में सदर थाना तथा बडियाल कलां एवं पंचमुखी (पण्डितपुरा) में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

110. प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 के स्थान पर 60 वर्ष करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.4)

111. अजमेर शहर में प्रति वर्ष होने वाले दो अन्तर्राष्ट्रीय मेलों को ध्यान में रखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार एवं यातायात पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत नफरी को बढ़ाने, रिक्त पदों को भरने के साथ ही एक नया सर्किल कार्यालय अजमेर दक्षिण के नाम से स्वीकृत कर उप निरीक्षक रैंक के पदाधिकारी का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. अजमेर स्थित अभय कमाण्ड सेन्टर के अधीन विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में पर्याप्त
सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने, लगे हुए कैमरों को दुरूस्त रखते हुए उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. प्रदेश के सभी थानों में तीन वर्ष या इससे अधिक की अवधि से कार्यरत कॉन्स्टेबल, हैड कॉन्स्टेबल, सहायक उप निरीक्षकों तथा उप निरीक्षकों को हटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. अजमेर शहर की आबादी विस्तार एवं बढ़ते अपराधों के कारण नाका मदार क्षेत्र में अजमेर दक्षिण के नाम से स्थापित नए थाने के लिए बजट आवंटित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के अशोक नगर, गड्ढी मालियान, विज्ञान नगर एवं आदर्श नगर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु जोंसगंज क्षेत्र में एक नवीन पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)

116. प्रदेश में महिलाओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने हेतु महिला सुरक्षा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. प्रदेश में बढ़ रही ऑनलाईन ठगी की रोकथाम हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शनसिंह (वि.सं.77)

118. विधान सभा क्षेत्र करौली के गांव जमालपुर खेड़ा (करौली-हिन्डौन रोड) में नवीन पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

119. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सभी पुलिस थानों में पुलिस की नफरी बढ़ाने, जहाजपुर नगर एवं कोटड़ी कस्बे में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने, मुकदमा नं0 104/2010/मु.नं. 145/2015 पुलिस थाना कोटड़ी में अपराधियों की गिरफ्तारियां कराने, ग्राम पंचायत घौड में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना करने तथा ग्राम पंचायत कुराडिया में स्वीकृत चौकी हेतु भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)

120. प्रदेश में पुलिस विभाग की भर्तियों में तकनीकी सहायक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों की अतिरिक्त भर्तियाँ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

121. पुलिस थाना निम्बाहेड़ा के पुलिस कार्मिकों हेतु क्वार्टर्स के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के निम्बाहेड़ा उपखण्ड पर यातायात पुलिस कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. पुलिस थाना निम्बाहेड़ा कोतवाली के नवीन भवन हेतु भूमि आवंटित कर भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

124. पुलिस थाना निम्बाहेड़ा की पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

125. प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों के कारण अपराधों में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

126. जयपुर में संचालित ई-रिक्शा के कारण बाजारों में लगने वाले जाम से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में जलमहल के सामने व अन्य स्थानों पर नशाखोरी की बढ़ रही प्रवृत्ति पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. जयपुर में ट्रेफिक डायवर्जन के कारण लगने वाले जाम से होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में ही डायवर्जन की ट्रेफिक एडवाईजरी जारी करवाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अन्तर्गत आने वाले थानों में पुलिसकर्मियों की नफरी बढ़ाने एवं यातायात पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

130. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के देवन में नवीन पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के राडावास में नवीन पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के पुलिस थाना मनोहरपुर के तहत कुण्डा धाम पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
133. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की पुलिस चौकी खेजरोली को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
134. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में पुलिस चौकी त्रिवेणी धाम को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

135. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में साइबर थाना तथा महिला थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
136. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के 330 आरडी पर नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
137. सूरतगढ़ में एएसपी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
138. प्रदेश में पुलिस विभाग को नये वाहन, अत्याधुनिक हथियार व सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
139. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर, राजियासर व जैतसर में पुलिसकर्मियों के आवासों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)

140. जयपुर शहर के पुलिस थानों में स्टॉफ के लिए क्वार्टर, नये वाहन एवं अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
141. जयपुर शहर में पर्यटकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिसकर्मियों की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।
142. प्रदेश में पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
143. प्रदेश के पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 08 घंटे निर्धारित करने एवं अवकाश सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
144. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में लम्बीलाट, गुर्जरघाटी तथा शास्त्रीनगर चांदमारीवट में नई पुलिस चौकी खौलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

145. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उपखंड मुख्यालय शाहपुरा के शहर में स्थित पुलिस चौकी का भवन जीर्ण-शीर्ण होने से नवीन भवन बनाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
146. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में ग्राम पंचायत मुख्यालय खामोर में एक नवीन पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उपतहसील ढ़ीकोला में स्थित पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उपखंड मुख्यालय शाहपुरा में महिला थाने की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उपखण्ड मुख्यालय शाहपुरा में एक साईबर थाने की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)

150. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के बायड़ फांश पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रियांबड़ी पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. शैलेश सिंह (वि.सं.164)

152. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के कुम्हेर थानान्तर्गत रारह चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं.158)

153. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में जोगपुर मोड़ के पास पुलिस चौकी की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)

154. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद स्थित पुलिस चौकी रामसर को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पुलिस थाना पीसांगन में स्टॉफ हेतु क्वार्टर निर्माण कराये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पीसांगन में पुलिस वृताधिकारी कार्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पुलिस थाना नसीराबाद शहर में विगत 01 माह से लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द (वि.सं.73)

158. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में नवीन पुलिस स्टेशन स्वीकृत करने, यातायात पुलिस स्टेशन खोलने एवं पुलिसकार्मिकों के नवीन पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

159. विधान सभा क्षेत्र भीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय भीम में खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र भीम की पुलिस चौकी कुआथल (देवगढ़) को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्राम नन्दावट (भीम), ताल (देवगढ़) व बरार (भीम) में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)</u>

162. प्रदेश में युवा पीढ़ी में व्याप्त अवैध नशे की रोकथाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

163. प्रदेश में चोरियों की बरामदगी में पुलिस की निष्फलता से जनता में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. प्रदेश में अवैध हथियारों के प्रयोग को रोकने में असफलता से जनता में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

165. प्रदेश के शहरों में ट्रैफिक जाम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166. प्रदेश में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाईसेंस नहीं देने से जनता में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)</u>

167. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के चौकी दांतली को थाने में क्रमोन्नत कर सीओ सर्किल कोटपूतली में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

168. प्रदेश के पुलिस विभाग में डी.पी.सी. करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

169. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम जसरापुर में पुलिस चौकी खोलने तथा पुलिस थाना खेतड़ी/मेहाड़ा/बबाई एवं खेतड़ीनगर में स्वीकृत नफरी के अनुरूप कार्मिकों का पदस्थापन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित पुलिस थाना खेतड़ी एवं मेहाड़ा में स्टॉफ आवास हेतु भूमि आवंटित कर क्वार्टर निर्माण हेतु बजट आवंटित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित पुलिस थाना बबाई में स्टॉफ आवास हेतु भूमि आवंटित कर क्वार्टर निर्माण हेतु बजट आवंटित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित पुलिस थाना मेहाड़ा के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित कर बजट आवंटित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित पुलिस थाना बबाई के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित कर बजट आवंटित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

174. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की अस्थाई पुलिस चौकी को स्थायी करने पर भवन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

175. प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में स्थापित पुलिस चौकियों के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
177. भरतपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पर्याप्त सी.सी.टी.वी. सर्वीलेंस न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
178. प्रदेश में पुलिस कार्मिकों को पर्याप्त सुविधायें नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अजय सिंह (वि.सं.02)

179. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के पुलिस थाना डेगाना में नवीन आवासीय भवनों एवं दो बैरकों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।
180. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के पुलिस थाना पादू के परिसर के तीन तरफ चारदीवारी निर्माण, नवीन आवासीय भवन एवं दो बैरकों के निर्माण के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
181. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के पुलिस थाना थांवला में नवीन आवासीय भवन एवं दो बैरकों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
182. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के डेगाना शहर में उप अधीक्षक कार्यालय में अभय कमाण्ड केन्द्र बनाने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
183. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के पुलिस थाना थावंला क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के संरक्षण में चल रहे अवैध बजरी खनन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं.115)

184. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के पुलिस थानों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
185. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रात्रि गश्त उपयोगार्थ संसाधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
186. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में महिला पुलिस थानों की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।
187. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में साथपूरा एवं दूला चौकी को थानों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।
188. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पुलिस थानों में स्थापित पुलिस बैरक (क्वार्टर्स) में उपलब्ध सुविधा के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

189. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की पुलिस चौकी चुरेलिया एवं गुराड़ी चौराहा को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने तथा ग्राम पंचायत ल्हास, आमेठा, बांसखेड़ा, भालता जो मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर हैं, में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की टाउन चौकी अकलेरा, टाउन चौकी घाटोली, चौकी चुरेलिया थाना घाटोली, टाउन चौकी भालता, चौकी सरड़ा थाना, भालता चौकी, गुराड़ी थाना मनोहरथाना व थाना घाटोली के क्षतिग्रस्त भवनों के जीर्णोद्वार के संबंध में चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के मनोहरथाना, दागीपुरा, जावर, कामखेड़ा, अकलेरा, भालता, घोटोली एवं असनावर में आवासीय भवन अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के सभी थानों के वाहन कंडम हालात में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के सभी थानों और चौकियों में लैंड लाईन टेलीफोन सुविधा में तकनीकी खराबी होने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

194. विधान सभा क्षेत्र डग के ग्राम पंचायत पिपलिया चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने तथा ग्राम पंचायत आवर में नई पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)</u>

195. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के पुलिस थाना आसीन्द की चारदीवारी निर्माण, 10 नए क्वार्टर बनाने तथा पुलिस थाना आसीन्द, बदनोर, शुम्भुगढ़ एवं गुलाबपुरा में स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)</u>

196. विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ के थाना बड़लियास के भवन व स्टाफ क्वार्टर निर्माण हेतु विभागीय पहले करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपाल शर्मा (वि.सं.45)</u>

197. विधान सभा क्षेत्र सिविल लाइंस के प्रमुख मार्गों एवं सम्पर्क सड़कों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र सिविल लाइंस में रात्रि गश्त के लिए अतिरिक्त पीसीआर वैन उपलब्ध करवाए जाने और सघन आबादी क्षेत्रों में मोटर साइकिल गश्त बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र सिविल लाइंस के हरिपुरा (हसनपुरा) में संवेदनशील परिस्थितियों और सघन आबादी को देखते हुए नवीन पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र सिविल लाइंस के थानों में नवीन बैरक एवं अनुसंधान कक्ष के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. जयपुर स्थित सोड़ाला थाना और सदर थाना में अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त किए जाने और महिला स्टाफ की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)(वि.सं.113)

202. प्रदेश में शस्त्र लाईसेंस आवेदनों का समय पर निस्तारण कर लाईसेंस जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड-पे में बढ़ोतरी करने एवं साप्ताहिक अवकाश दिए जाने के साथ ही पुलिस थानों में संसाधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में एसओजी चौकी को पुन: सुचारू रूप से शुरू करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) में पुलिस थाना हाईवे पर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. प्रदेश में पुलिस द्वारा मासिक बंधी लेकर अवैध कारोबार में सहयोग करने पर मुकदमा दर्ज करने की ठोस नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

207. बारां शहर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के बारां शहर में जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए नवीन कोतवाली खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री युनूस खान (वि.सं.121)

209. प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या आबादी के आधार पर पुलिस विभाग में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में पुलिस चौकी छोटी खाटू को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने एवं ग्राम तोषीणा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. जिला मुख्यालय डीडवाना में महिला थाना, यातायात पुलिस थाना एवं साईबर पुलिस थाना के लिए भूमि एवं भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. जिला मुख्यालय डीडवाना में पुलिस लाईन के लिए भूमि व भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. जिला मुख्यालय डीडवाना में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भूमि का आवंटन व भवन निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)

214. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नशीली दवा व अन्य सिंथेटिक ड्रग की समयबद्ध प्रभावी जांच एवं रोकथाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के थाना बास दयाल व अन्य थानों में नए वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के थाना बानसूर, हरसोरा, नारायणपुर एवं बास दयाल में पुलिस कांस्टेबल के पदों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नारायणपुर के गांव कानपुरा लॉज में ई-मित्र वाले से लूट, नारायणपुर थाने के पास व अन्य स्थानों पर चोरी का पता लगा कर दण्डित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के कराणा में नया थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)

219. प्रदेश में पुलिस विभाग को देय राजकीय वाहनों के इंश्योरेंस के संबंध में चर्चा के लिए।

220. प्रदेश के पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों को अन्य विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के समान साप्ताहिक या मासिक अवकाश देने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. प्रदेश के पुलिस विभाग को देय सोर्स फण्ड–मुखबिर प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

222. प्रदेश में पुलिस विभाग के कार्मिकों को जॉंच व कार्रवाई हेतु मुख्यालय से अन्य स्थान पर जाने पर सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

223. प्रदेश में पुलिस विभाग की जॉंच में सहयोग हेतु प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार कैमरे लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं.116)

224. जिला बांसवाड़ा में साईबर क्राइम की रोकथाम करने के संबंध में चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के पुलिस थानों में आवश्यक संसांधन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में थाना आनन्दपुरी, कलिंजरा और सल्लोपार, शेरगढ़, बागीदौरा एवं बडोदिया चौकी के निवास हेतु आवासों के जर्जर भवनों का नवीनीकरण/निर्माण करवाए जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में महिला थाना खुलवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

228. जिला बांसवाड़ा में परीक्षाओं में धांधली के अन्तर्गत एसआईटी की जांच एवं डमी परीक्षार्थियों के प्रकियाधीन प्रकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)

229. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस चौकी महावीर नगर, चवा एवं सनावड़ा को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नवीन वृत्त कार्यालय बाड़मेर सदर में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

231. कोटा में अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु प्रमुख मांर्गों एवं सम्पर्क सड़कों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा के थानों में नई बैरक एवं अनुसंधान कक्ष के निर्माण की

आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. कोटा जिले में बढ़ते अपराधों में त्वरित जांच के लिए आधुनिक फोरेंसिक लैब की स्थापना किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा के कैथून नगरपालिका में बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए प्रभावी नियंत्रण हेतु उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा स्थित थानों में नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पर्याप्त नफरी/कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं.108)</u>

236. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व पैट्रोलिंग बढ़ाने के लिए पुलिस के बेड़े में नए वाहन सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर के अन्तर्गत संचालित पुलिस चौकी तिंवरी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में पंडित जी की ढाणी में नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में गत बजट में स्वीकृत पुलिस थाना सामराऊ को शुरू करवाने हेतु विभाग द्वारा शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

240. विधान सभा क्षेत्र शिव की पुलिस चौकी भीयाड़, हरसाणी एवं सियाणी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र शिव के मुख्यालय शिव पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय एवं कस्बा उण्डू में पुलिस चौकी के नव-सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. प्रदेश में बढ़ रहे साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिसकर्मियों को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण एवं बेहतर कर्तव्य निष्पादन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243. प्रदेश में बढ़ते विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न दलों का गठन एवं पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मियों की नवीन भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. प्रदेश के पुलिसकर्मियों को प्रदान किए जा रहे विभिन्न प्रकार के भत्तों को बढ़ाने एवं कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मी का न्यूनतम वेतनमान एल-10 किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रताप लाल भील (वि.सं.93)</u>

245. प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल व अन्य कार्मिकों को यात्रा भत्ता दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

246. पुलिस कार्मिकों को वर्तमान समय अनुसार आवासीय व्यवस्था की सुविधा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

247. गोगुन्दा विधान सभा की ग्राम पंचायत समीजा, वान, वीरपुरा, भादडा, पडावली खुर्द को थाना ओगणा से थाना गोगुन्दा में मिलाने व थाना नाई की ग्राम पंचायत महारव घोडाम को थाना बडगांव में मिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

248. वर्तमान समय अनुसार पुलिस को वाहन तथा अन्य तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)

249. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र सरू व चणावया में नई पुलिस चौकी खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

250. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में हिरणमगरी थाने की उमरडा चौकी को थाना बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

251. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सभी थानों में रिक्त स्टाफ की कमी को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की नाई थाना की अलसीगढ़ चौकी को पाई सिन्धी घाटी पर खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

253. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के थाना प्रताप नगर की अस्थाई चौकी भोईयों की पचौली को स्थाई में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रोहित बोहरा (वि.सं.139)

254. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में पुलिस थानों को नई गाडियाँ उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

255. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में पुलिस द्वारा मंडल अध्यक्ष के हत्यारों को नहीं पकड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं.138)

256. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में चोरी की वारदात बढ़ने से उत्पन्न स्थिति व पूर्व में हटाए गए थानाधिकारी को पुन: थाने में लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

257. प्रदेश में कार्यरत पुलिस सिपाहियों की ड्यूटी 08 घण्टे करने के संबंध में चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के उपखण्ड नादौती में पुलिस वृत्त कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नवीन पुलिस चौकियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पुलिस चौकी गुढ़ाचन्द्रजी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.3)

262. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने हेतु जयपुर की तर्ज पर 2025 के बजट में 10 करोड़ रूपए के बजट की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

263. जोधपुर शहर में बढ़ते साईबर अपराध की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हेतु एक्सपर्ट स्टाफ, आधुनिक उपकरण व वाहन के लिए 05 करोड़ रूपए के बजट की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)

264. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पुलिस को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने, टेक्नीकल पदों पर भर्ती व नफरी बढ़ाने तथा नए थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)

265. डूंगरपुर जिले में आसपुर विधान सभा क्षेत्र में गणेशपुर चौकी को गणेशपुर थाना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

266. डूंगरपुर के टीएसपी क्षेत्र में गरीब मजदूर आदिवासियों को वाहन चालान के नाम पर पुलिस द्वारा लूटमार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

267. डूंगरपुर जिले में पुलिस द्वारा आदिवासी लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने, मानसिक रूप से परेशान करने और पैसा वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

268. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने के सी.आई. द्वारा अवैध शराब की गाड़ियां गुजरात निकालने व होटलों पर अवैध धन्धा चलवाकर हफ़्ता वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

269. डूंगरपुर के टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर पुलिस थानों व चौकियों पर आदिवासी थानेदार, सिपाही लगाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

270. डूंगरपुर जिले में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.9)

271. जयपुर शहर में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

272. जयपुर शहर के चारदिवारी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने के संबंध में चर्चा के लिए।

273. जयपुर शहर में लगातार मादक पदार्थों की बिक्री में बढ़ोतरी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

274. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में चौकी तलवाड़ा को थाने में क्रमोन्नत करने, गोपीनाथ का गडा गढ़ी में नया थाना खोलने, वजवाना गढ़ी नई चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगे लाल मीना (वि.सं.117)</u>

275.अलवर जिले के राजगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

276.अलवर जिले के पिनान कस्बे में पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं.107)</u>

277.विधान सभा क्षेत्र पाली में नया बस स्टेण्ड पुलिस चौकी को स्थाई करने, ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थाना को जमीन उपलब्ध करवाने तथा पुलिस अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग में समय सीमा निर्धारित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

278.विधान सभा क्षेत्र पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र का विस्तार करने तथा शहीद भगत सिंह-कालानी मार्ग में पुलिस चौकी खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं.75)</u>

279.पुलिस के जवानों की पे-ग्रेड बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के माना गांव में धामणिया में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

281. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के धरियावद में महिला थाना खुलवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)</u>

282.विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में तेल फैक्ट्री आबादी के क्षेत्र में पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं.162)</u>

283.विधान सभा क्षेत्र चौमूं के कालाडेरा थाने में ईआर गाड़ी (वाहन) उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

284.विधान सभा क्षेत्र चौमूं में हस्टेड़ा चौकी में आवासीय क्वार्टर्स बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

285.विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सामोद थाने में ईआर गाड़ी (वाहन) उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

286.विधान सभा क्षेत्र चौमूं के गोविन्दगढ़ थाने में वाहन-ईआर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

287.विधान सभा क्षेत्र चौमूं के हस्टेड़ा चौकी में गाड़ी (वाहन) उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>

288.राजस्थान में बढ़ रहे साईबर क्राईम के संबंध में चर्चा के लिए।

289.प्रदेश में अपराध, बलात्कार की बढ़ती संख्या व जेल की सुरक्षा तथा गैंगस्टर द्वारा जेल से धमकी देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

290. प्रदेश में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजय कुमार (वि.सं.169)

291. प्रदेश में पुलिस विभाग को नए संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री समरजीत सिंह (वि.सं.174)

292.विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के पुलिस थाना भीनमाल के अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकी गांव बागलसेपटा अथवा दासपा में खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

293.विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के थानों में विगत दो वर्षों में चोरी के दर्ज मुकदमों में मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद भी माल बरामदगी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

294.विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में नवीन साईबर थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

295.विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में पुलिसकर्मियों के सहयोग से हो रहे अवैध बजरी खनन व परिवहन के संबंध में चर्चा के लिए।

296.विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के पुलिस थानों में नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (वि.सं.47)

297.विधान सभा क्षेत्र धौद के ग्रामों को जीण माता थाना से निकालकर सदन थाने, धौद में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

298.पुलिस थाना धौद के भवन का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

299.विधान सभा क्षेत्र धौद में ग्राम शाहपुरा में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

300. विधान सभा क्षेत्र धौद में सेवहबड़ी व भढ़ाढर में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

301. विधान सभा क्षेत्र मांडल में वृत्त अधीक्षक कार्यालय सहाड़ा को मांडल में स्थापित या स्थानान्तरित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

302. विधान सभा क्षेत्र मांडल में पुलिस चौकी हरिपुरा व शिवपुर चौकी को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

303. विधान सभा क्षेत्र मांडल में संचालित पुलिस थानों में रिक्त पदों की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

304. विधान सभा क्षेत्र मांडल स्थित थानों में आधुनिक हथियारों व वाहनों की पूर्ति किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

305. विधान सभा क्षेत्र मांडल में पुलिस थानों व चौकियों के भवनों की मरम्मत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 19 - कारागार पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक **कारागार** के अन्तर्गत मांग में से **100 रुपया** कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)</u>

01. मारवाड़ जंक्शन में उप कारागार खोलने पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)</u>

02. कोटा में नई जेल का निर्माण शीघ्र करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

03. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उप जिला कारागार को जिला कारागार में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

04. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उप जिला कारागार में कैदियों की मूलभूत सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

05. बालोतरा जिला कारागार के नवीन भवन की स्वीकृति वर्तमान जिला मुख्यालय भवन, पुलिस लाईन की निर्धारित भूमि के पास निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चाके लिए।

06. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में कैदियों के पास मिलने वाले मोबाईल से आम नागरिकों को मिलने वाली धमकियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

07. प्रदेश के कारागारों में देय खाद्य सामग्री (भोजन) की शुद्धता क्वालिटी सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

08. कैदियों की जीवनशैली सुधारने हेतु सरकार को कारागार स्तर पर विशेष अभियान चलाकर शिक्षा, प्रवचन आदि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

09. कारागार में परिजनों के लिए प्रतिक्षालय एवं जेल प्रहरियों के व्यवहार परिवर्तन द्वारा परिजनों को स्नेहपूर्ण वातावरण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं.175)</u>

10. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में नया कारागार खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)</u>

11. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के खींवसर एवं मुण्डवा में उप जिला कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. प्रदेश के विभिन्न कारागृहों में बंद अपराधियों के पास मोबाईल मिलने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण कर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

13. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर नवीन कारागार भवन के लिए 25 वर्ष पूर्व आवंटित भू-खंड पर कारागार भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. प्रदेश की जेल में महिलाओं एवं अव्यस्कों के लिए उपलब्ध सुविधाओं व महिला बंदियों के बच्चों के लिए पर्याप्त देखभाल और शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. राज्य की जेलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक उपायों एवं अवैध गतिविधियों (जैसे मोबाईल फोन एवं नशीले पदार्थों की तस्करी) पर अंकुश लगाने के लिए उठाये गए कदमों पर चर्चा के लिए।

16. प्रदेश की जेलों में हिंसा व आपराधिक गतिविधियों से संबंधित प्रकरणों की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. राजस्थान की जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अदालतों में पेशी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

18. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित बिलाड़ा उप कारागृह को क्रमोन्नत करने, प्रदेश में कारागारों से संचालित किये जा रहे अवैध धन्धे, गैंगवार एवं मोबाईल्स से मिल रही धमकियों की रोकथाम की आवश्यकता तथा कारागारों/उप कारागृहों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध पड़ी रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. प्रदेश में स्थित कारागारों/उप कारागृहों में कैदियों को भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने व अवांछनीय गतिविधियों यथा-नशा प्रवृति की रोकथाम हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे, जैमर स्थापित करने की आवश्यकता तथा कारागार/उप कारागृहों में बंदी कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एम्बूलेंस वाहन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)

20. जिला हनुमानगढ़ की भादरा सब जेल को बंदियों की क्षमता के अनुरूप क्रमोन्नत करते हुये शहर से बाहर पर्याप्त क्षमता का नवीन भवन का निर्माण करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. राजस्थान प्रदेश के अनेक जेलों में बंदियों के पास मोबाईल फोन एवं मादक पदार्थ आदि पाए जाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

22. प्रदेश में बंदियों की बढ़ती क्षमता के अनुसार कारागृहों की संख्या बढाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

23. प्रदेश में जेलों से बंदियों के भागने की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

24. प्रदेश के कारागारों हेतु विभिन्न स्तरों के कार्मिकों की आवश्यकतानुसार भर्ती खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

25. विधान सभा क्षेत्र छबडा में संचालित उप कारागृह, छबडा में विकास कार्य करने एवं सुविधाऐं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

26. प्रदेश के कारागारों में चोरी-छुपे मोबाईल का प्रयोग करने से उत्पन्न स्थिति के संबंधमें चर्चा के लिए।

27. प्रदेश के कारागारों में स्टाफ की मिली-भगत से नशा सामग्री मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

28. प्रदेश के कारागृह में कैदियों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राम सहाय वर्मा (रैगर) (वि.सं.132)

29. टोंक कारागृह में कैदियों की मानसिकता बदलने की दृष्टि से लाईब्रेरी की स्थापना एवं कारागृह में महापुरूषों की पुस्तकें रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

30. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की उपकारागार में कैदियों की तुलना में जेल कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा जिला बालोतरा के कल्याणपुर में नवीन उपकारागृह खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

32. जिला कारागृह बालोतरा में बढ़ते कैदियों की संख्या देखते हुये नवीन जेल भवन का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

33. प्रदेश में उम्रकैद की सजा भुगत रहे कैदियों की सजा में राहत देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

34. प्रदेश में पुलिस कार्मिकों के समानान्तर जेल कार्मिकों को वेतन देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

35. प्रदेश की जेलों में बन्द अपराधियों द्वारा राजस्थान के विशिष्ट राजनैतिक व्यक्तियों को मिली धमकी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36. राजस्थान के विभिन्न जेलों में अपराधियों के पास मिल रहे मोबाइलों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं.112)

37. प्रदेश की जेलों में कैदियों के पास मोबाइल पहुंचने व उनके द्वारा जेलों से धमकी देने पर हो रही दहशत पर चर्चा के लिए।

38. सुजानगढ़ में उप कारागाह नहीं होने से हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

39. विधान सभा क्षेत्र महवा के खेरली-सौखर में उपकारागार स्वीकृत करने, प्रदेश में जेल कार्मिकों हेतु स्थानान्तरण नीति बनाये जाने तथा वेतन भत्ते बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

40. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना शहर में स्थित बन्दी सुधार गृह (जेल) को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र बयाना के कारागार में कैदियों के शौचालय, रहने के लिये पर्याप्त स्थान तथा खाने की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

42. प्रदेश में कारागार में विचाराधीन और सजा हाफ्ता कैदियों के लिये अलग-अलग बैरकें बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

43. प्रदेश के कारागारों को कैदियों के लिए यातना गृह के स्थान पर सुधार गृह के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र बयाना के कारागार में बिजली नहीं होने की स्थिति में कैदियों के लिए इन्वर्टर के माध्यम से गर्मियों में पंखा/ठंडक की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ताराचन्द जैन (वि.सं.74)

45. केन्द्रीय कारागृह उदयपुर एवं अधिनस्थ कारागृहों पर सुरक्षा कर्मियों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में क्षमता से अधिक बन्दी निरूद्ध रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

47. केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में नया भवन बनाने हेतु भूमि आवंटन के संबंध में चर्चा के लिए।

48. केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में मरम्मत/सेनिटेशन कार्यों हेतु बजट आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर के कारागृह को सीवरेज लाईन से शीघ्र जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

50. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन उप जिला कारागृह स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

51. चित्तौडगढ़ जेल में बैरकों की संख्या बढाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

52. प्रदेश की विभिन्न जेलों में कैदियों और न्यायिक अभिरक्षा में रहने वाले व्यक्तियों के लिये समुचित रहने एवं खाने-पीने की उचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. प्रदेश की विभिन्न जेलों में प्रतिबन्धों के बावजूद जेल में आवासियों और अपराधियों को मोबाईल "सिम" और मोबाईल सुविधा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

54. विभिन्न जेलों में रहकर बड़े अपराधी गैंगों के गुर्गों द्वारा षड़यंत्र रचकर बाहर अपराध को अमलीजामा पहनाने की योजनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

55. राजस्थान की विभिन्न जेलों में रह रहे अपराधियों द्वारा अवैध वसूली करने वाली व्यवस्था के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)

56. जैसलमेर मुख्यालय (शहर) पर जिला कारागार भवन की मरम्मत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

57. जैसलमेर कारागार भवन की जमीन का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

58. जैसलमेर मुख्यालय कारागार में स्थाई डॉक्टर की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भागचन्द टांकडा (वि.सं.106)

59. दौसा जिले में स्थित श्यालावास खुर्द केन्द्रीय कारागार में सजा काट रहे कैदियों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईलों को तत्काल जब्त करने एवं दोषी जेल अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. प्रदेश के जेल कर्मियों की वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)

61. प्रदेश की जेलों में जैमर लगाने के बाद भी उसे लगाने के उद्देश्य में सफलता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62. अजमेर केन्द्रीय कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. अजमेर केन्द्रीय कारागृह में पुराने कैदियों एवं जेल कार्मिकों द्वारा मिलकर नये कैदियों से मारपीट करने एवं अवैध राशि वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश में एकमात्र हार्डकोर जेल में बंदियों की उच्च सुरक्षा में कार्यरत कारागृह कार्मिकों को हार्ड ड्यूटी भत्ता (जोखिम भत्ता) दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. केन्द्रीय कारागृह अजमेर में संगीन मामलों में सजा काट रहे कैदियों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईलों को तत्काल जब्त करने एवं दोषी जेल अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)</u>

66. कोटडी उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन जेल भवन निर्माण, जहाजपुर जेल की मरम्मत एवं आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाने तथा प्रदेश में जेल कार्मिकों की भर्ती कर रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.स.168)</u>

67. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में उप कारागृह के नवीन भवन की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>

68. सांगानेर (जयपुर) में खुली जेल में स्टाफ की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

69. जयपुर में केन्द्रीय कारागार सघन बस्ती में होने के कारण अन्यंत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. प्रदेश की जेलों में अपराधियों के पास मोबाईल मिलने की घटनाओं में हो रही वृद्धि व जेलों में तैनात प्रहरियों की गैंगस्टरों को मोबाईल मुहैया कराने की भूमिका पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. प्रदेश के जेल प्रहरियों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन एवं भत्ते दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

72. प्रदेश की जेलों में बन्द हार्डकोर अपराधियों द्वारा धमकी दिये जाने की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

73. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की कारागृह में सजायाफ्ता कैदियों के रहने की व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

74. सूरतगढ़ कारागार की वर्तमान क्षमता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. सूरतगढ़ स्थित कारागार में स्टाफ क्वार्टर व बैरकों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)</u>

76. प्रदेश के कारागारों में सुविधाऐं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

77. शाहपुरा (भीलवाड़ा) उपकारागृह के नवीन भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)

78. मेड़ता उप कारागृह की मरम्मत हेतु विशेष बजट जारी कर बन्द पड़ी उप कारागृह को पुनः संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)

79. प्रदेश की जेलों में बंदियों के पास मोबाईल आदि मिलने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

80. विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्राम नन्दावट में आवंटित भूमि पर जेल का भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

81. बांरा के कारागार में केमरे लगाने व अन्य सुविधाऐं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

82. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थित कारागृह हेतु नगरपालिका क्षेत्र से बाहर भूमि आवंटित कर कारागृह भवन का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)

83. प्रदेश की जेलों की बाहर और अन्दर से सुरक्षा व्यवस्था, महिला कॉस्टेबल की भर्ती, जेल प्रहरियों की भर्ती के संबंध में चर्चा के लिए।
84. बड़ी रस्सियों के माध्यम से बंदियों के फरार होने व फांसी लगा लेने की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।
85. प्रदेश की जैमर रहित जेलों में जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं.31)

86. प्रदेश की जेलों में मादक पदार्थों के पहुँचने की घटनाओं की रोकथाम करने के संबंध में चर्चा के लिए।
87. प्रदेश की जेलों में हथियार, चाकू, पिस्टल तथा जहरीले पदार्थ जेल के अन्दर पहुंचाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।
88. प्रदेश की जेलों में निषिद्ध वस्तुएं मिलने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.स. 57)</u>

89. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में नवीन कारागार (जेल) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपाल शर्मा (वि.सं. 45)</u>

90. प्रदेश में दोषसिद्ध अपराधियों और विचाराधीन अभियुक्तों को अलग-अलग बैरक में रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. जयपुर की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

92. जयपुर सेन्ट्रल जेल में कैदियों को प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध करवाने में जेल कर्मचारियों की संलिप्तता की जॉच और कानूनी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)</u>

93. राजगढ़ उप कारागृह में बंदियों की संख्या ज्यादा होने से बैरिक की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. प्रदेश में जेल प्रहरियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. जेल में कैदियों के पास मोबाईल पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. प्रदेश में जेल बन्दियों की तारीख पेशी वी.सी. के माध्यम से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री युनूस खान (वि.सं.121)</u>

97. प्रदेश की कारागारों में कैदियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार के साथ ही खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियॉ प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. प्रदेश में जेल प्रहरियों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. जिला मुख्यालय डीडवाना में जिला कारागार के लिए भूमि व भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

100. प्रदेश की जेलों में जेल कार्मिकों के संरक्षण में की जा रही अवैध गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

101. प्रदेश में कारागारों के अधिकारियों को मीट कैरियर ट्रेनिंग दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. प्रदेश के कारागारों में मोबाईल टावर को टाइम बाउण्ड लगाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

103. भीलवाड़ा कारागार में बंद महिला कैदियों के बच्चों हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

104. भीलवाड़ा कारागार में बंद गर्भवती माताओं व उनके नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. भीलवाड़ा कारागार के कार्मिकों के जर्जर हुये बैरक के जीर्णोद्वार व नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

106. कोटा कारागार बैरक में नियमित एवं औचक तलाशी लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. कोटा कारागार में कैदियों के भोजन की कैलोरी सहित पौष्टिकता व मात्रा की नियमित जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. राज्य के बंदियों की पैरोल की अवधि बढाये जाने एवं अच्छे आचरण पर समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. कोटा जेल के विचाराधीन एवं दण्डित बंदियों की साक्षरता एवं उच्च शिक्षा को सुगम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. कोटा जेल में क्षमता से अधिक कैदियों में से विचाराधीन बंदियों की समयबद्ध रिहाई की कार्य योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

111. प्रदेश के कारागृहों में संचालित किये जा रहे पुराने उद्योगों के स्थान पर नवीन आधुनिक कौशल विकास कार्यक्रम एवं रोजगारपरक कार्यशालाएं संचालित किये जाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. प्रदेश में पुराने समय में संचालित किये जा रहे कारागृहों में कैदियों के लिए जेल में आधारभूत सुविधायें विकसित करने, जर्जर कारागृहों का जीर्णोद्धार करने एवं क्षमता से अधिक कैदियों के लिये नवीन भवनों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. प्रदेश की जेलों में बंद बड़े अपराधियों द्वारा अवैध रूप से मोबाईल/इंटरनेट कॉलिंग के उपयोग पर पूर्णतया निगरानी एवं रोकथाम के लिये जैमर अपग्रेडेशन एवं टी-एचसीबीएस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. प्रदेश की जेलों में बंद नियमानुसार सजायाफ्ता कैदियों को ऑपन जेलों में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. प्रदेश की जेलों में अण्डर-ट्रायल कैदियों की शीघ्र सुनवाई एवं जमानत की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)</u>

116. प्रदेश की जेलों में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तथा कैदियों से मिलने के लिए पनप रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

117. डूंगरपुर जिले की कारागार में कैदियों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रताप लाल भील (वि.सं.93)</u>

118. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कारागार में बन्द केदियों द्वारा मोबाईल के उपयोग को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. प्रदेश के कारागारों में बन्द केदियों के दैनिक भत्तों में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं.50)</u>

120. प्रदेश की जेलों में मोबाईल मिलने की घटनाओं को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. प्रदेश में कार्यरत जेल प्रहरियों की विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा के लिए।

122. जिला करौली मुख्यालय पर खुला बन्दी गृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. प्रदेश के कारागारों की दयनीय स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>

124. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर स्थित जैल को अन्यन्त्र स्थान पर स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)</u>

125. विधान सभा क्षेत्र मांडल के करेड़ा क्षेत्र में नये कारागार का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र मांडल में भीलवाड़ा जिला कारागार को ग्राम पालडी में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. भीलवाड़ा जिले की कारागार में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. जिला भीलवाड़ा की जेल में सी.सी. टी.वी. व अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।